लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th

LOK SABHA DEBATES

[बारहवां सत्र
Twelfth Session]

[खण्ड 45 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. XLV contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 5, सोमवार, 16 नवम्बर, 1970/25 कार्तिक, 1892 (शक)

No. 5, Monday, November 16, 1970/Kartika 25, 1892 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS		1—17
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
121. भारत स्थित विदेशी औषध निर्माण कारखानों की भूमिका का अध्ययन करने के लिए अन्तर-मंत्रालय दल की स्थापना	Setting up of Inter-Ministerial Group to study the role assigned to Foreign Drug Manufacturing Units in India ...	1—10
123. क्यूबा में प्रदर्शित हुई माल के चलचित्र	Louis Malle's Films shown in Cuba	11—15
127. भारत-मूलक लड़कियों के साथ बलात विवाह करने के लिए जंजीबार की क्रान्तिकारी परिषद् द्वारा जारी किया गया आदेश	Decree issued by the Revolutionary Council of Zanzibar to marry forcibly the girls of Indian Origin ...	16—17
प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS		18—137
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
122. दिल्ली के दवा विक्रेताओं की मांगें	Demands of Delhi Chemists	18
124. मलेरिया का उन्मूलन	Eradication of Malaria Menace	18
125. भारत, पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान, भूटान तथा सिक्किम के बीच क्षेत्रीय सहयोग के बारे में कथित रूसी सुझाव	Reported Soviet Suggestion for Regional Co-operation among India, Pakistan, Nepal, Afghanistan, Bhutan and Sikkim ...	19

* किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
126. संयुक्त राष्ट्र संघ में तटस्थ ग्रुप	Neutral Group in UNO	19—20
128. उड़ीसा में तेल के लिए भू-सर्वेक्षण	Geological Survey for Oil in Orissa	20
129. नई दिल्ली में किराये की इमारतों में चल रहे केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के औषधालय	CGHS Dispensaries functioning in Rented Buildings in New Delhi ...	20—21
130. जोर्डन की घटनाओं पर भारत की चिन्ता	India's concern over developments in Jordan ...	21
131. चाण्क्यपुरी, नई दिल्ली में स्थित नई दिल्ली नगर-पालिका के होटल का उपयोग न किया जाना	Non-utilisation of NDMC Hotel in Chanakyapuri, New Delhi ...	21—22
132. भारत-आस्ट्रेलिया वार्ता	Indo-Australian Talks	22
133. भारत के प्रधान मंत्री के नई दिल्ली से प्रस्थान और न्यूयार्क में पहुंचने के समय अमरीकी राजनयिकों की हवाई अड्डे पर अनुपस्थिति	Absence of US Diplomats at the departure from New Delhi and arrival at New York of Prime Minister of India ...	22
134. शरणार्थियों को दी गई भूमि के किराये में वृद्धि	Increase in Ground Rent charged for land given to refugees ...	23
135. भारत होकर जाने वाले मास्को-हनोई मार्ग से साज-सामान तथा सैनिक भेजे जाना	Carrying of Supplies and Personnel on Moscow-Hanoi Route via India ...	23
136. राजधानी में पोलियो के मामले	Cases of Polio in the Capital	24
137. चीन द्वारा राडार केन्द्रों की स्थापना	Setting up of Radar Stations by China ...	24—25
138. भारत स्थित 'सोसाइटी आफ न्यूक्लियर मेडीसिन'	Society of Nuclear Medicine in India	25
139. रेड क्रास सोसाइटी द्वारा आपात यूनिटों की स्थापना करना	Setting up of Emergency Units by Red Cross Society ...	26

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
140. रूस द्वारा भारत को फालतू पुर्जों और उपकरणों की सप्लाई	Supply of spares and equipment by USSR to India ...	26
141. राज्य व्यापार निगम के माध्यम से औषधियों के निर्माण के लिए कच्चे माल का आयात	Import of Raw Materials for Manufacturing Drugs through State Trading Corporation ...	27
142. पूर्वी पाकिस्तान के पत्तन पर चीन के नौ सैनिक बेड़े को प्राप्त सुविधाएं	Facilities to Naval Fleet of China at East Pakistan Port ...	27—28
143. रेडियो मास्को द्वारा भूमि हथियाओ आन्दोलन का समर्थन	Support to Land Grab Movement by Radio Moscow ...	28
144. पूना में महार रेजिमेंट द्वारा घोरपाड़ी पुलिस थाने पर आक्रमण	Attack on Ghorpadi Police Station by Mahar Regiment in Poona ...	28—29
145. ऐसपरीन के प्रयोग के सम्बन्ध में सावधानी	Caution on use of Aspirin	29
146. फुटकर औषध विक्रेताओं द्वारा देशव्यापी हड़ताल	Country-wide strike by Retail Chemists ...	30
147. दक्षिण अफ्रीका को हथियार सप्लाई करने के कारण राष्ट्र मंडल से ब्रिटेन का निकाला जाना	Expulsion of Britain from Commonwealth for supplying arms to South Africa	30
148. दीमापुर के निकट पड़े दूसरे विश्व युद्ध के अप्रयुक्त बम	Un-used Bombs of World War II lying near Dimapur ...	30—31
149. बड़े पैमाने पर चिकित्सा शिक्षा का विस्तार करने की आवश्यकता	Need for Expansion of Medical Education on Massive Scale ...	31—32
150. मध्य प्रदेश के एक रेलवे स्टेशन पर कारतूसों का पकड़ा जाना	Seizure of Cartridges at a Railway Station in Madhya Pradesh ...	32

विषय अता० ता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	Subject	पृष्ठ/Pages
801. पाकिस्तान को मिराज विमानों की सप्लाई के बारे में फ्रांस को विरोध पत्र भेजना	Protest to France regarding supply of Mirage Planes to Pakistan ...	32—33
803. प्रत्येक राज्य एवं संघ क्षेत्र में तेल शोधक कारखाने की स्थापना	Setting up of Oil Refinery in each state and Union Territory ...	33
804. मुसलमानों तथा हरिजनों की सेना में भर्ती	Recruitment of Muslims and Harijans in the Army ...	33—34
805. त्रिवेन्द्रम में क्षेत्रीय पार-पत्र केन्द्र	Regional Passport Centre at Trivandrum...	34
806. विभिन्न राज्यों में दन्त चिकित्सकों की दशा	Plight of Dental Surgeons in various states ...	34
807. सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग के उप-सलाहकार द्वारा आत्महत्या	Suicide by Deputy Adviser, Public Health Engineering ...	35
808. ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में डाक्टरों को प्रैक्टिस न करने का भत्ता देना	Non-practicing Allowance to Doctors in Rural and Urban Areas ...	35—36
809. विदेशों में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए प्रतिनियुक्त केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर	C.P.W.D. Engineers deputed on Foreign Training ...	36—37
810. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के इंजीनियरों के लिए एक फोरम की स्थापना	Setting up of Forum for C.P.W.D. Engineers ...	37—38
811. भूतपूर्व सदस्यों को पुरानी जीपों का आवंटन	Allotment of used jeeps to Ex-M.Ps	38
812. खनिजों के लिए तट दूर खोज	Off-shore search for minerals	38—39
813. हवाई भू-सर्वेक्षण एकक की स्थापना	Setting up of air borne Geophysical survey unit ...	39
814. हीरों के स्वदेशी निर्माण के लिए योजना	Scheme for indigenous manufacture of diamonds ...	39

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० ता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
815. जापानी सहयोग से आन्ध्र प्रदेश में एक नायलोन कारखाने की स्थापना	Setting up of Nylon plant in Andhra Pradesh with Japanese Collaboration ...	40
816. मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर द्वारा उर्वरक उद्योग समूह स्थापित करने का प्रस्ताव	Proposals for setting up Fertilizer complex by M/s Hindustan Lever ...	40
817. ब्रिटिश सहयोग से तांबा प्रद्रावक संयंत्र की स्थापना	Setting up of copper smelting plant with British collaboration ...	40—41
818. अन्तर्राष्ट्रीय विधि संगठन के हेग में हुए सम्मेलन में स्वीकार किये गए प्रस्ताव	Proposals accepted at the conference of International Law Association held at Hague ...	41—42
819. गुजरात राज्य उर्वरक निगम की क्षेत्र की परियोजनाओं के उत्पादन ढांचे पर तूतीकोरिन उर्वरक का कथित कुप्रभाव	Alleged adverse effect of Tuticorin Fertilizer on production pattern of Joint Sector projects of Gujarat State Fertilizer Corporation ...	42
820. दक्षिण भारत पेट्रो-रसायन उद्योगों में सरकारी क्षेत्र के संस्थानों द्वारा पूंजी निवेश	Investment by Public Sector institutions in Southern India Petro-Chemicals Indusries ...	42
823. जम्मू व काश्मीर सरकार द्वारा कतिपय परिस्थितियों में गर्भपात की अनुमति देने सम्बन्धी प्रस्ताव ...	Proposal for allowing abortion by J & K Government under certain conditions ...	43
824. सैनिकों द्वारा गोली चलाये जाने के कारण मारे गये मवेशी	Cattle killed due to military firing	43
825. ब्रिटिश ब्राडकास्टिंग कारपोरेशन के भारत सरकार के साथ सम्बन्ध	B.B.C. relations with the Government of India ...	43—44
827. शहरी सम्पत्ति की अधिकतम सीमा निर्धारित करने का प्रस्ताव	Proposal to impose ceiling on urban property ...	44
828. भारत द्वारा आणविक शस्त्रों का उत्पादन	Production of atomic weapons by India ...	44

अता० ता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
829.	चीन, सोवियत संघ तथा अमरीका द्वारा आणविक परीक्षण	Nuclear tests by China, Soviet Union and USA ...	44—45
830.	कलकत्ता कारपोरेशन के मेयर द्वारा रखी गयी मांगें	Demands raised by Mayor of Calcutta Corporation ...	45
831.	वियतनाम से संयुक्त राज्य अमरीका की सेना का हटाया जाना	Pull out of US forces from Vietnam	45
832.	नागालैंड में कानून तथा व्यवस्था की स्थिति	Law and order situation in Nagaland	45—46
833.	पाकिस्तान से वहां प्रशिक्षण प्राप्त नागा विद्रोहियों का उखरूल (मनीपुर) से नागालैंड में प्रवेश	Entry of Pakistan trained Naga Rebels into Nagaland through Ukhrul (Manipur) from Pakistan ...	46
834.	दिल्ली में स्थानीय निकायों के कर्मचारियों की मांगें	Demand of Local Bodies Employees in Delhi ...	46—47
835.	छिपे नागाओं द्वारा नागालैंड और मनीपुर में धन की जबरन वसूली	Forced collection of Money by Under ground Nagas in Nagaland and Manipur ...	47
836.	प्रधान मंत्री की विदेशों को यात्रा	Prime Minister's Visits to Foreign countries ...	47—48
837.	वियतनाम में शान्ति स्थापना के लिए भारत का प्रस्ताव	India's Proposal for Bringing Peace in Vietnam ...	48
838.	व्यापार तथा आर्थिक सहयोग बढ़ाने के बारे में लुसाका सम्मेलन में की गई सिफारिश	Recommendation of Lusaka Conference Regarding Increased Trade and Economic Co-operation ...	48—49
839.	नागा, मिजो और कुकी विद्रोहियों को पाकिस्तान तथा चीन के अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाना	Training to Nagas, Mizos and Kuki Rebels by Pakistan and Chinese Officers ...	49
840.	फेक के निकट छिपे नागाओं द्वारा मारे गये तथा घायल किये गये सैनिक कर्मचारी	Army Personnel killed and injure by under Ground Nagas near Phek ...	49

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० ता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
841. अणु बम बनाने की योजना	Plan to manufacture Atom Bomb	49—50
842. आगामी राष्ट्रमंडल प्रधान मंत्री सम्मेलन का अफ्रीकी देशों द्वारा बहिष्कार	Boycot of ensuring Commonwealth Prime Ministers conference by African countries ...	50
843. बरौनी स्थित उर्वरक कारखाने में घाटा	Loss suffered by Fertiliser plant at Barauni ...	50—51
844. श्री लुइ माल द्वारा निर्मित फिल्म	Film produced by Mr. Louis Malle	51
845. श्री लुई माल द्वारा निर्देशित चलचित्र पर लन्दन में भारतीय उच्चायुक्त की टिप्पणी	Comments of Indian High Commissioner in London on a film directed by Mr. Louis Malle ...	51
846. भारत के बारे में मास्को रेडियो द्वारा किया गया प्रसारण	Broadcasts made by the Moscow Radio about India ...	51—52
847. शहरी सम्पत्ति की उच्चतम सीमा निश्चित करने के बारे में मुख्य मंत्री सम्मेलन में विचार-विमर्श	Deliberations at Chief Ministers' conference on ceiling on urban property ...	52
848. भारतीय तेल निगम द्वारा मद्रास में बिटुमन ड्रमों तथा तेल बैरलों का कारखाना स्थापित करना	Setting up of Bitumen Drums and oil Barrels plant at Madras by Indian Oil Corporation ...	52
849. भारतीय तेल निगम द्वारा हल्दिया तेल शोधक परियोजना को वित्तीय सहायता	Financial assistance to Haldia Refinery project by Indian Oil Corporation ...	53
850. भूटान को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनाना	Bhutan's entry into U.N.	53
851. संयुक्त राष्ट्र संघ में काश्मीर के बारे में पाक राष्ट्रपति को प्रधान मंत्री का उत्तर	P. M's Rejoinder to Pak. President in U.N. on Kashmir ...	53—54
852. औषधियों के लिए दूब घास का प्रयोग	Use. of Durba grass for medicinal purposes ...	54—55

विषय अता० ता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	Subject	पृष्ठ/Pages
853. दक्षिण वियतनाम की अस्थायी क्रान्तिकारी सरकार को लुसाका सम्मेलन में प्रेक्षक का दर्जा	Provisional Revolutionary Government of South Vietnam as an observer at Lusaka Conference ...	55
854. तट दूर ड्रिलिंग के बारे में विदेशी फर्मों में मतभेद	Differences with Foriegn Firms over off shore Drilling ...	55
855. दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के लिए एक अलग स्वदेश सम्बन्धी आन्दोलन	Move for a Separate Homeland for Indians in South Africa ...	56
856. मैसर्स हिन्द गाल्वेनाइज़िंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी के साथ सौदे में भारतीय तेल निगम को हुई हानि की वसूली	Recovery of Loss incurred by Indian Oil Corporation in dealing with Hind Galvanising and Engineering Co. ...	56
857. तेल या प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा तेल की खोज	Oil prospecting undertaken by oil and Natural Gas Commission ...	57
858. वायु मुख्यालय का पुनर्गठन	Reorganization of Air Headquarters	57
859. ईरान में तट दूर क्षेत्र के निकाले गये रोस्टम कच्चे तेल में से भारत के भाग का निपटाना	Disposal of India's share of Rostam Crude from Off shore concession in Iran ...	57—58
860. अमरीका में आर्थिक मंदी का भारतीय आप्रवासियों पर प्रभाव	Economic Recession in United States of America affecting Indian Immigrants ...	58—59
861. पाकिस्तान को रूसी तोपों तथा टैंकों की सप्लाई	USSR Supply of Guns and Tanks to Pakistan ...	59
862. पूर्वी जर्मनी के साथ राजनयिक सम्बन्ध	Diplomatic Relations with Germany	59
863. कोयला उद्योग में वित्तीय संकट	Financial crisis faced by Coal Industry ...	59—60
865. हिन्दी तथा विदेशी भाषाओं को जानने वाले भारतीय उच्चायुक्त तथा राजदूत	Hindi and Foreign languages knowing Indian High Commissioners and Ambassadors ...	60

विषय	Subject	[पृष्ठ/Pages
अता० ता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
866. महाराष्ट्र में स्वर्ण निक्षेपों के लिए सर्वेक्षण	Survey for Gold Deposits in Maharashtra...	60—61
867. महाराष्ट्र में भण्डारा जिले में ताम्बे के निक्षेपों के लिए सर्वेक्षण	Survey for Copper Deposits in Bhandara District of Maharashtra ...	61
868. ग्रामीण क्षेत्रों में डाक्टरों द्वारा दल बनाकर चिकित्सा कार्य करने की योजना	Scheme of Group practising by Doctors in Rural Areas ...	61—62
869. कानपुर में आवास कार्यक्रम के हेतु वित्तीय सहायता	Financial Assistance for Housing Programme in Kanpur ...	62
870. प्रधान मंत्री के रवाना होते समय हवाई अड्डे पर अमरीकी राजदूत की अनुपस्थिति के बारे में स्पष्टीकरण	Explanation Regarding United States Ambassador's Absence at the Airport at the Time of Prime Minister's Departure...	62—63
871. विलिंगडन अस्पताल, नई दिल्ली में प्रेम कुमारी की मृत्यु	Death of Prem Kumari in Willingdon Hospital, New Delhi ...	63
872. नई दिल्ली में लोदी गार्डन्स में एक नर्सरी स्थापित करने के लिए फ़ोर्ड फाउन्डेशन को भूमि का आवंटन	Allotment of land to Ford Foundation for opening a Nursery in Lodhi Gardens, New Delhi ...	64
873. छावनी अधिनियम में संशोधन	Amendments to Cantonment Act	64
874. कच्ची औषधीय जड़ी-बूटियों का निर्यात तथा औषधियों के निर्माण हेतु संघटकों का आयात	Export of Raw Medicinal Herbs and Import of Ingredients for manufacturing Drugs ...	65
875. चौथी योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के लिए डाक्टरों की आवश्यकता	Requirements of Doctors for Rural Areas during Fourth Plan ...	65—66
876. पंजाब तथा हिमाचल प्रदेश में वैद्यों के वेतनमान	Pay scales of Vaidyas in Punjab and Himachal Pradesh ...	66—67
877. चीन में प्रशिक्षण प्राप्त नागाओं की गिरफ्तारी	Arrest of China trained Nagas	67

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० ता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
878. स्थल सेना, वायुसेना तथा नौसेना अधिनियमों के लिए एकीकृत संहिता	United Code for Army, Airforce and Navy Acts ...	67
879. सोवियत रूस का महा-वाणिज्य दूत के विरुद्ध आरोप	Allegations against Soviet Consul-general ...	67—68
880. भारतीय नर्सों का बड़ी संख्या में विदेशों में जाना	Exodus of Indian Nurses to Foreign Countries ...	68
881. आसाम में दूसरा तेल शोधक कारखाना स्थापित करने के लिए उत्तरदायी कारण	Factors responsible establishing Second Oil Refinery in Assam ...	69—70
882. भारतीय तेल निगम के द्वारा आधारभूत ऐहकों का आयात	Import of Base Lubricants through Indian Oil Corporation ...	70
883. कम्बोडिया की नई सरकार को मान्यता देना	Recognition of New Regime in Cambodia...	70
884. खनिज विकास के लिए दस-वर्षीय योजना बनाने का प्रस्ताव	Proposal for formulating 10 year plan for Mineral Development ...	71
885. आसाम में दूसरे तेलशोधक कारखाने की लागत तथा व्यावहारिकता सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति का प्रति-वेदन	Expert Committee Report on Cost and Feasibility of establishing Second Refinery in Assam ...	71—72
886. कानपुर से सैनिक मालवाहक विमान बनाने की योजना	Plan to manufacture Military Freighter Planes at Kanpur ...	72
887. कलकत्ता महानगरीय क्षेत्र में नालियों तथा गन्दे पानी के निष्कासन में सुधार के लिए बनाई गई योजना	Scheme, drawn up for improving Sewerage and drainage in Calcutta Metropolitan area ...	72
888. राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा ग्रेनाइट का निर्यात	Export of Granite stone by National Mineral Development Corporation ...	73
889. बेची गई वस्तुएं तथा वसूल की गई राशि	Goods sold and amount released	73

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० ता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
890. गोरखपुर स्थित उर्वरक कारखाने में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्ति	Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Fertilizer Factory at Gorakhpur ...	74
891. भारतीय तेल निगम की पूर्वी शाखा (कलकत्ता) के कार्य के बारे में जांच	Enquiry into operation of Eastern Branch (Calcutta) of Indian Oil Corporation ...	74
892. हड़तालों के कारण नेवेली लिगनाइट कारपोरेशन को हुई हानि	Loss suffered by Neyveli Lignite Corporation due to strikes ...	74—75
893. हल्दिया बरौनी पाइप लाईन के सम्बन्ध में जांच	Enquiry into Haldia Barauni Pipeline	75—76
894. बिहार में हैजे तथा अकाल की स्थिति	Outbreak of Cholera and Famine conditions in Bihar ...	76
895. पाकिस्तानी तत्त्वों की घुसपैठ को रोकना	Prevention of Infiltrations by Pakistan Elements ...	77
896. नगरीय क्षेत्रों में मकानों की आवश्यकता	Housing needs in Urban Areas	77—78
897. भारत अमरीकी सम्बन्ध	Indo US Relations	78
898. रूसी नेताओं के साथ भारतीय समस्याओं पर बातचीत	Indian Problems discussed with the Soviet Union ...	78
899. श्री रमेश पाटिल को ब्रिटेन में प्रवेश न करने देना	Entry into Britain refused to Shri Ramesh Patil ...	79
900. चिकित्सा अर्हता प्राप्त व्यक्तियों का विभिन्न सेवाओं में लिया जाना	Absorption of qualified Medical Men in various Services ...	79
901. पश्चिमी बंगाल में खनिज पदार्थों के लिए सर्वेक्षण	Survey for Minerals in West Bengal	80
902. अलौह धातुओं का उत्पादन तथा आयात	Production and Import of Non-Ferrous Metals ...	80—82
903. आवास योजना के लिए आवर्तक निधि	Revolving fund for Housing Schemes	82

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० ता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
904. दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा एक करोड़ रुपये का ऋण प्राप्त किया जाना	Rupees one crore loan to be floated by Delhi Development Authority ...	82—83
905. पैट्रोलियम उत्पादों के आयात के लिए भारतीय तेल निगम के शिष्टमंडल का विदेशों का दौरा	Visit of Indian Oil Corporation's delegation to foreign countries for import of Petroleum products ...	83
906. बरौनी तेल शोधक कारखानों के तीसरे यूनिट की प्रगति	Progress at 3rd unit of Barauni Oil Refinery ...	83—84
907. भारतीय तेल निगम द्वारा बेरोजगार स्नातकों तथा इंजीनियरों को तेल विक्रेता बनाना	Grant of Indian Oil Corporation dealership to unemployed graduates and Engineers ...	84
908. पन्ना हीरे की खान का विस्तार	Expansion of Panna Diamond Mines	84
909. भारतमूलक लड़कियों के साथ बलात् विवाह की घटनाओं के विरोध में जंजीबार सरकार से किया गया विरोध	Protest lodged with the Government of Zanzibar against forced marriages of girls of Indian origin ...	84—85
910. वायुसेना की आक्रमण क्षमता	Striking capacity of Air Force ...	85—86
911. चीन-भारत वार्त्ता	Sino-Indian talks	86
912. दिल्ली की झिलमिल कालोनी में नल की टूंटी से सांप का निकलना	Snake found in water tap in Jhilmil Colony, Delhi ...	86—87
913. विश्व शांति परिषद् की दिल्ली में बैठक	Meetings of World Peace Council in Delhi ...	87
914. इन्डोचीन के लिए दक्षिण विएतनाम की शान्ति योजना	South Vietnamese peace plan for Indo-China ...	87—88
915. सिंदरी उर्वरक कारखाने की उत्पादन क्षमता का पूरा उपयोग	Full utilization of production capacity of Sindri Fertilizer Factory ...	88

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० ता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
916. दिल्ली में काम करने वाली लड़कियों के लिए और अधिक होस्टल	More Hostel accommodation for working girls in Delhi ...	88—89
917. हिन्दुस्तान एयरोनाटिक कानपुर में उड़ान निदेशकों के पदों पर ब्रिटेन के नागरिकों की नियुक्ति	Recruitment of British Nationals as Flight Directors in Hindustan Aeronautics, Kanpur ...	89
918. हिन्दमहासागर में आस्ट्रेलिया तथा ब्रिटेन के युद्धपोत	Australian and British warships in the Indian ocean ...	89
919. स्वदेशी चिकित्सा पद्धतियों को मान्यता देना	Recognition of Indigenous systems of medicine ...	90
920. कम्बोडिया में अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग को फिर से सक्रिय करना	Reactivisation of International Control Commission in Cambodia ...	90
921. देश में गन्दी बस्तियों का हटाया जाना	Slum clearance in the country	90—91
922. प्रधान मंत्री द्वारा अमरीकी राष्ट्रपति द्वारा दिये गये भोज के निमंत्रण को अस्वीकार किया जाना	Declining by the Prime Minister of U.S. President's dinner invitation ...	91
923. दक्षिण विएतनाम की अन्तरिम क्रान्तिकारी सरकार द्वारा तटस्थ देशों के समूह में शामिल होना	Admission of Provisional Revolutionary Government of South Vietnam to Non-aligned group ...	91—92
924. नई दिल्ली में मोती बाग में (धौला कुआं के निकट) अस्वास्थ्यकर तालाब	Unhygienic pond in Moti Bagh (near Dhaula Kuan) Delhi ...	92
925. मनीपुर के बड़े अस्पताल में सम्बद्ध शल्य चिकित्सा विशेषज्ञों का पद	Post of Surgical Specialist attached to General Hospital Manipur ...	92—93
926. मनीपुर के बड़े अस्पताल में कान, नाक और गला रोग विज्ञान सम्बन्धी विशेषज्ञों की नियुक्ति	Appointment of E.N.T. Pathologist specialists in General Hospital, Manipur ...	93

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० ता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
927. मनीपुर में कैंसर के इलाज की सुविधाएं	Treatment facilities for cancer in Manipur ...	93—94
928. भूतपूर्व स्वास्थ्य तथा चिकित्सा निदेशक मनीपुर के मामले की केन्द्रीय ब्यूरो द्वारा जांच	CBI investigation into the case of former Director of He althand Medical Services, Manipur ...	94
929. शुद्ध संग्रहालय और युद्ध स्मारक की स्थापना का प्रस्ताव	Proposal for setting up Museum and War Memorial ...	94
930. लंका से भारतीय व्यापारियों का निष्कासन	Eviction of Indian traders from Ceylon ...	94
931. अफ्रीका में भारतीय डाक्टरों को प्रैक्टिस करने की अनुमति न दिया जाना	Indian Doctors not allowed to practice in Africa ...	95
932. भारत और रूस के प्रधान मंत्रियों की बैठक	Meeting of Prime Ministers of India and USSR ...	95
933. पाकिस्तान की वायु शक्ति का बढ़ाया जाना	Increase in Pakistan Air Force strength ...	95—96
934. धनी और निर्धन लोगों के लिए सामूहिक फ्लैट	Common flats for the Rich and the Poor ...	96
935. परिवार नियोजन लक्ष्य प्राप्त करने में सफलता	Achievements of Family Planning Targets...	96
936. वियतनाम के बारे में भारत आस्ट्रेलिया वार्त्ता	Indo-Australia Talks on Vietnam	97
937. हथियार प्राप्त करने के लिए फिजो की चीनी नेताओं से भेंट	Phizo's Meeting with Chinese Leaders for Arms ...	97
938. नई दिल्ली में त्यागराज नगर के अलाटियों को दो कमरे वाले क्वार्टर देना	Allotment of two Roomed Quarters to allottees of Tyagaraj Nagar,New Delhi...	97—98
939. नई दिल्ली की सरकारी बस्तियों में जन स्वास्थ्य तथा सफाई का गिरता स्तर	Deterioration of Standards in Public Health and Sanitation in Government Colonies in New Delhi ...	98

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० ता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
940. गुजरात में फ्लूओरस्पार परियोजना के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दिया जाना	Central Assistance for Fluorspar Project in Gujarat ...	99
941. नई दिल्ली के कनाट प्लेस पार्क पर किया गया व्यय	Expenditure on development of Connaught Place Park, New Delhi ...	99
942. संयुक्त राष्ट्र के रजत-जयन्ती अधिवेशन में भारत द्वारा रखे गये प्रस्ताव	Indian Proposals at U.N. Silver Jubilee Session ...	99—100
943. बाढ़ से नष्ट हुए मकानों के निर्माण के लिए पश्चिमी बंगाल को वित्तीय सहायता	Financial Aid to West Bengal for construction of houses destroyed in floods ...	100
944. अंक्लेश्वर तेल क्षेत्रों का जल प्लावित होना	Inundating of Ankleshwar Oil Fields ...	100—101
945. अफ्रीकी देशों में हीरों के लिए राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के संयुक्त खनिज उपक्रम	NMDC's Joint Mining Ventures in Diamonds in African Countries ...	101
946. परिवार नियोजन कार्यक्रम में भाग लेने केलिए स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Voluntary Organisations to participate in Family Planning Programme ...	101—103
947. हथियार प्राप्त करने के बारे में लन्दन में पाकिस्तान के राष्ट्रपति द्वारा दिया गया वक्तव्य	Statement of Pakistan President in London regarding Securing areas ...	103
948. पेट्रोलियम कोक का उत्पादन	Production of Petroleum Coke	104
949. राजधानी में ईंटों की कमी	Shortage of Bricks in the Capital ...	104—105
950. गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और मैसूर राज्यों में खनिजों का हवाई सर्वेक्षण	Aerial Survey of Minerals in Gujarat, Madhya Pradesh, Rajasthan and Mysore...	105—106
951. देश में जन्म तथा मृत्यु दर	Birth and Death rates in the country	106—107
952. दिल्ली में इर्विन तथा पन्त अस्पतालों के मरीजों को भोजन और दवाइयां देने में कदाचार	Malpractices in Medicines and Meals supplied to patients in Irwin and G.B. Pant Hospitals in Delhi ...	108

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० ता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
953. सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रों में उर्वरक कारखानों में क्षमता का उपयोग तथा वास्तविक उत्पादन	Capacity utilization and actual production in Fertilizer Factories in public and Private Sector ...	108—109
954. विशाखापत्तनम में जस्ता प्रद्रावक संयंत्र की स्थापना	Setting up of Zinc Smelter Plant at Visakhapatnam ...	109—10
955. टी० बी० अस्पताल, मेहरोली, दिल्ली के कर्मचारियों में असंतोष	Discontentment among staff of T.B. Hospital, Mehrauli, Delhi ...	110
956. टी० बी० अस्पताल मेहरोली, (दिल्ली) के कर्मचारियों की सेवा शर्तें तथा उनके लिए नियम तथा विनियम	Rules and regulations and Service conditions for Employees of T. B. Hospital, Mehrauli (Delhi) ...	110—11
957. चीन द्वारा पाकिस्तान को आणविक विस्फोटक सामग्री/अस्त्रों की सप्लाई	Supply of Atomic Warhead/weapons to Pakistan by China ...	111
958. नेफ्था आधारित उर्वरक कारखाने की स्थापना	Setting up of Naptha based Fertiliser Units ...	112
959. श्रीलंका में रहने वाले भारतीयों को नागरिकता प्रदान करने के लिए कानून में परिवर्तन	Change in Law for Grant of Citizenship to Indians in Ceylon ...	112—13
960. खेतड़ी तांबा परियोजना के सम्बन्ध में शिकायत	Complaints regarding Khetri Copper Project ...	113
961. देवनगर के क्वार्टरों में अस्वास्थ्यजनक स्थिति	Unhealthy living conditions in Dev Nagar Quarters, Delhi ...	113—14
962. दिल्ली में पट्टे की राशि का समाप्त किया जाना	Abolition of Lease money for plots in Delhi ...	114
963. एण्टी टायफाइड औषधि क्लोरेम् फेनिकाल का अधिक मूल्य	High Cost of Chloramphenicol and anti-typhoid Drug ...	114—15
964. कोयला खानों पर कोयले के स्टाक का जमा होना	Piling up of coal stocks at Pit Heads	115—16

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
965. तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग से तट दूर छिद्रण परियोजना को वापस लिए जाने क. प्रस्ताव	Proposal to take away off shore drilling projects from Oil and Natural Gas Commission ...	116
966. नूनमती तेलशोधक कारखाने का उत्पादन लक्ष्य	Production Target at Noonmati Refinery...	116—17
967. पश्चिम बंगाल में निम्न आय वर्ग के लिए आवास सम्बन्धी योजनाएं	Housing Schemes for Lower Income Groups in West Bengal ...	117—18
968. सैनिक स्कूल, कपूरथला द्वारा विद्यार्थियों से ली जाने वाली फीस तथा उन्हें दी जाने वाली किताबें	Fees charged and Books supplied to Students by Sainik School, Kapurthala...	118—19
969. सैनिक स्कूल, कपूरथला के विद्यार्थियों को दी जाने वाली कापियां	Supply of Note books to students by Sainik School, Kapurthala ...	119—20
970. सैनिक स्कूल, कपूरथला के विद्यार्थियों को दिये जाने वाले आहार की किस्म	Quality of diet given to students of Sainik School, Kapurthala ...	120—21
971. सैनिक स्कूल कपूरथला के विद्यार्थियों का जेब खर्च	Pocket Expenses of Students of Sainik School, Kapurthala ...	121—22
972. मथुरा के आर्डनेंस डिपो के कर्मचारियों द्वारा प्रस्तावित भूख हड़ताल	Proposed Hunger Strike by Employees of Mathura Ordinance Depot ...	122
973. पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के निगम	Public Sector Corporation under Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals ...	122—23
974. मंगलौर में फाईलोरिया की घटना	Incidence of Filaria in Mangalore	123
975. भारतीय जल सेना में मछुओं की भर्ती	Recruitment of Fishermen to Indian Navy...	123—24
976. पूर्वी पाकिस्तान में शरणार्थियों का लगातार आगमन	Unabated Refugee Influx from East Pakistan ...	124

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
977. त्रिपुरा में परिवार नियोजन कार्यक्रम का प्रचार	Propagation of Family Planning Progrmme in Tripura ...	124—25
978. भारत मूलक जंजीबार की लड़कियों के साथ बलात् विवाह	Forced Marriages of girls of Indian Origin in Zanzibar ...	125
979. पाकिस्तान को रूस द्वारा दिए जानेवाले हथियारों के विरुद्ध विरोध पत्र	Protest against Supply of Russian arms to Pakistan ...	126
980. मध्य प्रदेश में प्रतिरक्षा सामान बनाने के कारखाने स्थापित करना	Setting up projects for production of Defence Equipment in Madhya Pradesh...	126
981. मध्य प्रदेश के पेय जल की समस्या को सुलझाने के लिए वित्तीय सहायता	Financial assistance to Madhya Pradesh to solve drinking water problem ...	126
982. बम्बई के विकास के लिए वित्तीय सहायता की मांग	Demand for Financial Assistance for development of Bombay ...	127
983. बम्बई में बन्दरगाह के पार निकटवर्ती शहर का निर्माण	Construction of Twin City across Harbour of Bombay ...	127
984. बम्बई के कुली मस्तान को पारपत्र जारी किये जाने के बारे में जांच-पड़ताल	Investigations into the issue of passport to Cooli Mastan of Bombay ...	128
985. व्यापार सम्बन्ध और विदेश नीति	Trade relation and Foreign Policy	128
986. नई दिल्ली की बस्तियों में जल का अभाव	Water Scarcity in colonies at New Delhi ...	128—29
987. कालीकट (केरल राज्य) में लौह अयस्क भंडारों के लिए भूतत्वीय सर्वेक्षण	Geological survey for iron ore deposits in Calicut (Kerala State) ...	129—30
988. राजस्थान में राक फास्फेट तथा पाईराइट का भंडार	Rock Phosphate and Pyrite Deposits in Rajasthan ...	130
989. पाकिस्तान तथा भारत को हथियारों की सप्लाई पर लगे प्रतिबन्ध को हटाने के बारे में अमरीका द्वारा बताये गए कारण	Reasons for Lifting Embargo on Arms Supplies to Pakistan and India by USA...	130

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
990. पाकिस्तान को अमरीकी शस्त्र देने के बारे में वाशिंगटन स्थित भारतीय राजदूत का प्रतिवेदन	Report of Indian Ambassador in Washington on U. S. arms to Pakistan ...	131
991. बरेली कारखाने में कृत्रिम रबड़ का उत्पादन	Production of Synthetic Rubber at Bareilly factory ...	131—32
992. मैसूर राज्य में कुंदरेमुख लौह अयस्क परियोजना का तकनीकी आर्थिक अध्ययन	Techno-Economic study of Kundremukh Iron Ore Project in Mysore State ...	132—33
993. साउथ एवेन्यू, नई दिल्ली के औषधालय के लिए स्थानीय क्रय के लिए इन्डेंट की गई दवाइयां	Medicines indented for Local Purchase for South Avenue Dispensary, New Delhi ...	133
994. मेडिकल कालेजों में दाखिले के नियम तथा शर्तें	Rules and conditions for admission in Medical Colleges ...	133—34
995. देश के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पीने का जल	Drinking water for Urban & Rural Areas in the country ...	134—35
996. प्रतिरक्षा उत्पादन में सिविल सैक्शन के कार्य के बारे में नीति	Phlicy on the role of the civil section in Defence Production ...	135
997. फारेन मेडिकल ग्रेडेशन यू० एस० ए० में रजिस्ट्रेशन के लिए परीक्षा	Examination for the Registration of Foreign Medical Graduation, USA ...	135—36
998. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों के लिए क्वार्टर	C.P.W.D. Staff quarters	136
999. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के नेफा सर्किल 1 तथा 2 में कार्य प्रभारित कर्मचारियों को ग्राह्य महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते	DA and other allowances admissible to work charged staff in NEFA circle I and II of CPWD ...	136—37
1000. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्य प्रभारित कर्मचारियों के लिए स्थानान्तरण के नियम	Transfer rule for work charged staff of CPWD ...	137
जर्मन संघीय गणतन्त्र से संसदीय शिष्ट मंडल	Parliamentary Delegation from Federal Republic of Germany ...	137—38

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
पूर्वी पाकिस्तान में आये तूफान के बारे में उल्लेख	Reference Re. Cyclone in East Pakistan ...	138—39
श्रीमती इन्दिरा गांधी	Shrimati Indira Gandhi	139
अविलम्बनीय लोक-महत्त्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance ...	139—43
पाकिस्तानी सशस्त्र सेना द्वारा कूच-बिहार, पश्चिम बंगाल में मेक्ली-गंज नगर को चारों ओर से घेर लिए जाने का समाचार	Rephrted encircling of the town of Makhiliganj in Cooch-Behar, West Bengal, by Pakistani Armed Forces ...	139—40
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee	140
श्री कृष्ण चन्द्र पंत	Shri K. C. Pant	140
सभा-पटल पर रखे गए पत्र	Papers Laid on the Table ...	143—45
नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) विधेयक	Comptroller and Auditor General's (Duties, powers and conditions of Service) Bill ...	145
(एक) संयुक्त समिति का प्रतिवेदन	(i) Report of Joint Committee	145
(दो) संयुक्त समिति के समक्ष साक्ष्य	(ii) Evidence	145
आंध्र प्रदेश की अनुसूचित जातियों की सूची में कतिपय जातियों को सम्मिलित करने के सम्बन्ध में याचिका	Petition Re. inclusion of certain castes in the list of Scheduled Castes of Andhra Pradesh ...	145—47
कराधान विधि (संशोधन) विधेयक	Taxation Laws (Amendment) Bill	147—75
विचार करने का प्रस्ताव, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में	Motoin to consider, as reported by Select Committee ...	147
श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी	Shri S. S. Kothari	147
श्री निम्बियार	Shri Nambiar	149
श्री विद्याचरण शुक्ल	Shri Vidya Charan Shukla	151
खंड 2 से 16	Clauses 2 to 16	153—76
आधे घंटे की चर्चा औषधि (मूल्य नियन्त्रण) आदेश का औषधियों के मूल्यों पर प्रभाव के बारे में	Half-an-hour discussion Re. Impact of Drugs (Prices Control) Order on Prices of Drugs ...	176
श्री कंवर लाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta	176

लोक-सभा
LOK SABHA

सोमवार, 16 नवम्बर, 1970/25 कार्तिक, 1892 (शक)

Monday, November 16, 1970/Kartika 25, 1892 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजकर एक मिनट पर समवेत हुई

The Lok Sabha met at One Minute past Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

श्री स० मो० बनर्जी : मैंने पहले भी आपको पूर्वी पाकिस्तान में समुद्री तूफान से 3 लाख लोगों के हताहत होने के सम्बन्ध में पत्र लिखा। यदि प्रधान मंत्री इस पर वक्तव्य नहीं दे रही हैं तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हम लोगों को इतने अधिक लोगों के हताहत होने पर अपनी चिन्ता व्यक्त करने दें।

Shri Madhu Limaye : As has been stated three lakhs of human lives have been lost. We should stand up in sorrow.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नोत्तर की अवधि के पश्चात् मैं इसकी अनुमति दूंगा। कृपया हर बात को विवादास्पद न बनाएं।

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : इसे प्रश्न काल के पश्चात् लिया जाये।

भारत स्थित विदेशी औषध निर्माण कारखानों की भूमिका का अध्ययन करने के लिए अन्तर-मंत्रालय दल की स्थापना

*121. **श्री लखन लाल कपूर :** क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में स्थित औषध निर्माण के विदेशी कारखानों को सौंपे गये कार्य की जांच करने के लिए एक अन्तर-मंत्रालय दल की स्थापना की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसकी स्थापना कब की गई थी; और

(ग) इन विदेशी औषध निर्माता कारखानों को भारत में औषधियां बनाने के लिए किन शर्तों का प्रस्ताव किया गया है?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) (क) से (ग) : औषधि क्षेत्र में मुख्यतया कई पहलुओं, जैसे विदेशी मुद्रा का अन्तर्वाह एवं बहिर्वाह, उत्पादन और निवेश का भविष्य कार्यक्रम, विदेशी कम्पनियों, अर्थात् जिन कम्पनियों में विदेशी साम्य पूंजी अधिक है और जो विदेशी कम्पनियों की अनुषंगी कम्पनियां हैं; का भारतीयकरण आदि पर विचार करने के लिए, एक अनौपचारिक अन्तर मंत्रालय दल की जून, 1970 में स्थापना की गई थी। इस दल के लिए न तो कोई निर्देश-पद निर्धारित किये गये हैं और न ही कोई समय-सीमा निश्चित की गई है, जिसके अन्तर्गत दल के द्वारा किये गये अध्ययन के परिणामों को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

Shri Lakhan Lal Kapoor : The question of medicine has a direct connection with the masses. Despite this matter having been raised several times Government took no concrete steps to bring down the prices of drugs. Is it not a fact that only a few foreign companies have monopoly in the manufacture and trade of basic drugs? Even after the passage of Patents Bill the people have to pay hundred times more than the prices fixed by the Government.

Mr. Speaker : Please ask your question.

Shri Lakhan Lal Kapoor : May I know whether Government have any scheme of nationalising the foreign firms and of arresting the shooting prices of the drugs?

श्री दा० रा० चव्हाण : जहां तक प्रश्न के पहले भाग अर्थात् मूल्य वृद्धि का सम्बन्ध है सरकार ने दवाइयों के मूल्य नियन्त्रित करने के लिए आदेश जारी किये हैं जिससे कि लाभ कम हो और मूल्यों में कमी आए।

श्री कंवर लाल गुप्त : परन्तु मूल्य बढ़ गये हैं।

श्री दा० रा० चव्हाण : मूल्यों में कोई वृद्धि नहीं हुई। मुझे ऐसी कोई सूचना नहीं मिली। मैं समझता हूं कि औषध मूल्य नियन्त्रण आदेश के कार्यकरण का मूल्यांकन करना और उसे समझना सम्भव है, परन्तु इससे अनुमानत: जन-स्वास्थ्य व्यय में 25 करोड़ रुपये की बचत होगी। देश में 2,300 कारखाने औषधि तथा प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अधीन पंजीकृत हैं, उनमें से 64 इस सीमा तक विदेशी कम्पनियां हैं कि उनमें विदेशी पूंजी लगी है। विदेशी पूंजी 25 से 100 प्रतिशत तक लगी हुई है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : वार्षिक उत्पादन कितना है?

श्री दा० रा० चव्हाण : पेट्रोलियम तथा रसायन विभाग द्वारा 64 विदेशी कम्पनियों में से 45 के वार्षिक उत्पादन के बारे में अध्ययन किया गया है। इन कम्पनियों का वर्ष 1968-69 का उत्पादन 141 करोड़ रुपये तथा 1969-70 का 164·3 करोड़ रुपये था। यह कुल उत्पादन का लगभग 82 प्रतिशत बैठता है।

जहां तक सरकार द्वारा विदेशी कम्पनियों का औषध क्षेत्र नियन्त्रण कम करने का प्रश्न है, सरकार द्वारा निम्न कार्यवाही की गई है जिससे विदेशी कम्पनियों का प्रभुत्व कम होगा और दवाइयों के मूल्य नियन्त्रित होंगे जैसा कि औषध मूल्य नियन्त्रण आदेश में निहित है। विदेशी कम्पनियों द्वारा बेची जाने वाली कुछ दवाइयों के मूल्य घट गये हैं। दूसरे विदेशी कम्पनियों के साम्य अंशों में भारतीयों का भाग निरन्तर बढ़ता जा रहा है। विदेशी विनियोजन बोर्ड ने निश्चय किया है कि विदेशी ईक्विटी शेयर पहले घटा कर 60% तक लाये जायें। विदेशी तकनीशनों के स्थान पर भारतीय व्यक्तियों को प्रशिक्षण देकर लगाया जा रहा है। तीसरे, नया पेटेन्ट विधेयक पारित किया गया है। वस्तुतः नये निर्माणों एवं क्षमता विस्तार के लिए लाइसैंस नहीं दिए जा रहे जब तक कि वे ऐसे न हों जिनमें विशेष जानकारी अपेक्षित है।

Shri Rabi Roy : It would have been better if the Hon. Minister had included it in his written reply. How can we come prepared without the written information of this nature ?

Shri Madhu Limaye : If the Hon. Minister has made a study in the matter its findings should have been placed on the Table of the House. That would have facilitated the Members in asking supplementaries.

Mr. Speaker : It is better if such replies are placed on the Table of the House.

Shri Lakhan Lal Kapoor : Mr. Speaker, Sir, the statement of Hon. Minister that there has been no rise in prices is not correct. I can say from my own experience that the drug prices have shot up. I had discussion with an I.C.S. official, who told me that due to non-availability of cibazol he had to pay 20 paise, for some other medicine the fixed price for which is 10 paise. All the Hon. Members know that the prices of drugs are increasing. May I know whether the Government has any plan for the manufacture of basic drugs which at present are being purchased by the Government from the foreign companies ?

Secondly, only 6 per cent of the country's population use alopathic drugs while the rest of the population use drugs of the indigenous system of medicine. Has the Government any scheme to give incentive to the manufacture of Ayurvedic and other indigenous medicines and to spend more on them ?

श्री दा० रा० चव्हाण : आधारभूत दवाइयों के निर्माण के लिए सरकारी क्षेत्र में हिन्दुस्तान एनटीबायोटिक्स लिमिटेड पिम्परी तथा भारतीय भेषज तथा औषध लिमिटेड के दो कारखानों; ऋषिकेश के प्रतिजीवाणु संयन्त्र और हैदराबाद के संश्लिष्ट भेषज संयन्त्र में काम हो रहा है। यह कारखाने आधारभूत औषधियों का निर्माण कर रहे हैं। **(व्यवधान)**

लगभग 30 से 40 प्रतिशत मूल औषधियाँ सरकारी क्षेत्र द्वारा तैयार की जाती हैं और विशेषकर इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मेस्यूटिकल्स लिमिटेड के दो संयन्त्रों द्वारा उत्पादन बढ़ाया जा रहा है। जहां तक इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मेस्यूटिकल्स के संयन्त्रों का सम्बन्ध है, मुझे पूरा विश्वास है कि एक वर्ष में ये उस स्थिति में आ जायेंगे कि यदि इनसे लाभ नहीं होगा तो हानि भी नहीं होगी।

श्री लोबो प्रभु : मेरे विचार से हम सब इस बात से सहमत हैं कि इस देश के लोगों को विशेषकर इस देश की गरीब जनता को सस्ती से सस्ती और अच्छी से अच्छी दवाइयां मिलनी चाहिएं। इस सम्बन्ध में दो बातें पूछना चाहता हूं। पहली यह कि यदि आप मूल औषधियों का उत्पादन अपने हाथ में लेना चाहते हैं, इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मेस्यूटिकल्स लिमिटेड के उदाहरण को देखते हुए, जिसकी बनाई हुई औषधियों का मूल्य आयात की गई औषधियों की तुलना में दुगना है,

क्या जनता के लिए ये औषधियां महंगी नहीं होंगी; और, दूसरे यह कि चाहे हम अपने उद्योग में विदेशी सहयोग की कितनी भी भर्त्सना करें, क्या हम इस समय ऐसे अनुसंधान कर सकने योग्य हैं जिससे हमें सर्वोत्तम औषधियां प्राप्त हो सकें, और क्या विशेषत: आपके पेटेन्ट नियम ने देश में सर्वोत्तम सहयोग तथा सर्वोत्तम प्रकार के अनुसंधानों को बन्द नहीं कर दिया है और इस प्रकार देश की जनता को हानि नहीं पहुंचाई है।

श्री दा० रा० चव्हाण : यह प्रश्न ही नहीं उठता है·····(**व्यवधान**)। आपको मूल प्रश्न से सम्बद्ध प्रश्न करना चाहिए··· (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न की सम्बद्धता के विषय में आपको मुझसे बताना चाहिये था, इस पर स्वयं निर्णय नहीं करना चाहिये था। मेरे विचार से, उन्होंने विषय से सम्बद्ध प्रश्न किया है।

श्री दा० रा० चव्हाण : मैं अध्यक्षपीठ के आदेश का उल्लंघन तो नहीं करता परन्तु कृपया आप प्रश्न को तो देखें।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह था कि क्या इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मेस्यूटिकल्स लिमिटेड के इस नये प्रकार के कार्य से कीमतें दुगनी नहीं हो जायेंगी। आप हां या ना में उत्तर दे सकते हैं।

श्री दा० रा० चव्हाण : मैं प्रश्न की ओर आपका ध्यान दिलाता हूं। प्रश्न यह है कि क्या देश में औषधि निर्माणकर्त्ता विदेशी एककों के कार्य का निरीक्षण करने के लिए एक अन्तर्मन्त्रालय दल की व्यवस्था की गई है, यदि हाँ, तो इस दल की व्यवस्था कब की गई थी और इसके लिए क्या आधार तथा शर्तें रखी गयी थीं। इस प्रश्न का सीधा-सा तात्पर्य यह है कि क्या यह जानने के लिए कि विदेशी कम्पनियों को क्या कार्य दिया गया है किसी अन्तर्मन्त्रालय दल की व्यवस्था की गई है। जहां तक इण्डियन ड्रग्स फार्मेस्यूटिकल्स लिमिटेड का प्रश्न है, मैं आरम्भ में ही यह बता चुका हूँ कि इण्डियन ड्रग्स फार्मेस्यूटिकल्स लिमिटेड में मूल औषधियों का निर्माण·····(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं प्रश्न का विषय क्षेत्र जानता हूँ। आप स्वयं एक वकील हैं और 3 वकील आपके साथ हैं। मैं भी कभी ऐसा ही था, क्योंकि आप अपने पहले उत्तर में बहुत विस्तार में चले गये, इसी से यह प्रश्न पैदा हुआ है। आप हां अथवा ना में उत्तर दे सकते हैं। इसमें तर्क-वितर्क की क्या आवश्यकता है?

श्री दा० रा० चव्हाण : यह सच है कि इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मेस्यूटिकल्स की औषधियों के मूल्य थोड़े बढ़े हैं।

श्री श्रीचन्द गोयल : यह आश्चर्य की बात है कि मंत्री महोदय ने यह कह कर कि मैंने कीमतें बढ़ने के बारे में नहीं सुना है, घोर उपेक्षा प्रदर्शित की है। मंत्री महोदय के अतिरिक्त और कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो यह कहे कि नियंत्रण आदेश के पश्चात् मूल्य नहीं बढ़े हैं? मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार से विदेशी कम्पनियों के राष्ट्रीयकरण की मांग की गई है और सरकार ने विदेशी कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण करने की दिशा में कौनसे कदम उठाये हैं। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या सरकार एक विशेष समिति नियुक्त करने के लिए तैयार है जो यह पता लगाये

कि किस सीमा तक मूल्य बढ़े हैं और किस सीमा तक घटे हैं। सरकार ने बताया है कि कीमतें घट रही हैं परन्तु वस्तुस्थिति इसके विपरीत है।

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री (डॉ० त्रिगुण सेन) : मुझे खेद है कि मैं माननीय सदस्य की बात से सहमत नहीं हूं। मूल्य नियंत्रण आदेश के अनुसार बहुत-सी औषधियों के मूल्य घट गये हैं। जब कुछ औषधियों के मूल्य बढ़ते हुए देखे गये तो शायद आपको याद होगा, हमने अधिनियम में संशोधन किया और निर्माण-कर्त्ताओं से कह·····(**व्यवधान**), जहां तक औषधियों का प्रश्न है, इस समय मूल्य अधिक नहीं हैं। जहां तक दूसरा प्रश्न है, मैं केवल राष्ट्रीयकरण के लिए राष्ट्रीयकरण के सिद्धान्त में विश्वास नहीं करता हूँ। हमने एक समिति बनाई है जो इस बात की जांच करेगी कि अधिक लाभ प्राप्ति को किस प्रकार कम किया जाय, राष्ट्रीयकरण किस प्रकार किया जाय तथा विदेशी पूंजी के नियोजन को किस प्रकार से कम किया जाय।

श्री बेदव्रत बरुआ : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने अमरीकी कांग्रेस में तथ्य उद्घाटन के पश्चात् इस सदन में लगाये गये इन आरोपों की जांच की है कि औषधियों के विदेशी निर्माता उस मूल्य से 20-30 गुने मूल्य पर औषधियां बेच रहे हैं जिस पर वे योरोपीय देशों को देते हैं ? इस सम्बन्ध में सरकार क्या किसी निष्कर्ष पर पहुंची है ? क्या यह सच नहीं है कि ये निर्माता आदेश पालन की अपेक्षा फुटकर विक्रेताओं तथा अन्य दूसरे विक्रेताओं को परेशान करके इन आदेशों की उपेक्षा करते हैं, यदि हां, तो क्या औषधि उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने तथा इस मामले में भारतीयों के तकनीकी ज्ञान के विकास करने का विचार कर रही है ?

डॉ० त्रिगुण सेन : सरकार को इस बात का पता है। यह समाचार पत्रों में भी छपा है कि नियंत्रित कम्पनियां भारत में बहुत अधिक मूल्य पर औषधियां बेच रही हैं। हमने अमरीकी दूतावास से इस बारे में जानकारी मांगी थी और उसका उत्तर हमें मिल चुका है। जो अधिक मूल्य उन्होंने लिये हैं हम उन्हें वापस लेने का प्रयत्न कर रहे हैं। दूसरे प्रश्न के बारे में मेरा मत यह है कि निर्माता सरकार के मूल्य नियंत्रण आदेश की उपेक्षा कर रहे हैं, यह गलत है। ऐसा नहीं किया गया है।

श्री बेदव्रत बरुआ : वे परेशान तो करते हैं।

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, Sir, he has stated in his reply that inter-Ministerial group has been set up, but no terms of reference have been laid down for this Group nor any time limit prescribed within which it should submit its report. I would like to know whether the terms of reference of this Group will be finalised immediately including a term to find out the foreign investment in the beginning and the total assets today including shares, bonus etc. in respect of the 64 foreign companies out of the total of 2,000 companies which are controlling 82 per cent of the business as stated by the Hon. Minister himself ? This group should also work out, the figures at least for five years, the amount of foreign exchange remitted by these companies to their countries.

डॉ० त्रिगुण सेन : जानकारी के लिए ये ही बातें समिति को सौंपी गई हैं। वास्तव में हमने यह जानकारी रिज़र्व बैंक ऑफ इण्डिया से प्राप्त करनी चाही है। दुर्भाग्यवश हमें यह

सूचना फर्मवार नहीं मिल सकी, इसलिए मेरे मंत्रालय का ई० एण्ड एस० डिविजन इस जानकारी को एकत्र कर रहा है। जैसा कि श्री मधु लिमये ने कहा है, हमने 45 फर्मों के बारे में जानकारी एकत्र कर ली है और लगभग 64 एककों से जानकारी एकत्र करके हम इसे पूरा कर लेंगे। यह कार्यवाही निश्चय ही लाभ की मात्रा जानने, उसे कम करने, उनका राष्ट्रीयकरण करने तथा समान सहभाग को कम करने के उद्देश्य से की गई है।

Shri Madhu Limaye : I would give you terms of references, to work according to them.

Shri Rabi Roy : You have said nothing regarding Madhu Limaye's question as to by what time the report will be submitted.

Shri Madhu Limaye : I have said to give you each and every thing. You try to make an enquiry on that.

Shri Jyotirmoy Basu : Contributions for election.

Mr. Speaker : One member speaks and several stand up to reply. The House will have to find out some remedy for it.

डा० त्रिगुण सेन : अध्यक्ष महोदय, बार-बार लगाये जाने वाले इस आरोप का, कि मैं इन निर्माताओं से पैसा लेता हूं, विरोध करता हूँ। शायद, पीछे इन्होंने ऐसा ही किया है। अब वह इसको हम पर थोपना चाहते हैं। मैं इसका विरोध करता हूँ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने कहा है कि वह अपने दल के लिए पैसा बटोर रहे हैं। **(व्यवधान)**।

डा० त्रिगुण सेन : यह बात रिकार्ड में रहने दी जाय।

श्री रणधीर सिंह : यह कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं की जानी चाहिए।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Mr. Speaker, Sir, an Hon. Member has alleged that the Government has been collecting money from the drug industry. The Minister concerned has refuted the charge. It would be better for both the sides if a high powered commission is set up to enquire into the matter.

डा० त्रिगुण सेन : श्रीमान्, जैसे आप चाहें, मुझे कोई एतराज नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया शान्त रहिये। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि प्रश्नोत्तर काल को आप जाँच का विषय न बनायें। यदि आप कोई अन्य बात चाहते हैं, तो उसे एक नियमित प्रस्ताव द्वारा लाया जा सकता है।

श्री रंगा : कई ओर से यह आरोप लगाया गया है। मेरे माननीय मित्र ने इसका खंडन किया है। ठीक है, उन्हें यह चुनौती स्वीकार करनी चाहिए और तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए।

श्री अटलबिहारी वाजपेयी : इस मामले की जांच कराई जाय।

डा० त्रिगुण सेन : वह बार-बार यही बात दुहरा रहे हैं कि मैंने 6 लाख रुपये बनाये हैं। **(व्यवधान)** श्रीमान्, मेरी तरफ से तो आप जैसा चाहें करें **(व्यवधान)** अध्यक्ष महोदय, मेरे

विचार से तथ्यों का पता लगाने के लिए आप एक समिति नियुक्त करें। यदि आरोप सही नहीं उतरते हैं तो वह त्यागपत्र दें और यदि आरोप सही उतरते हैं तो मैं त्यागपत्र दे दूंगा। (व्यवधान)

Shri Rabi Roy : He does not mean you personally.

श्री रणधीर सिंह : उन्हें त्यागपत्र ही देना चाहिए बल्कि जेल में बन्द कराया जाना चाहिए। उस पर अभियोग लगाया जाना चाहिए।

Shri Kanwar Lal Gupta : As the Minister has suggested, are you going to set up an enquiry commission ?

श्री नाथ पाई : अध्यक्ष महोदय, मुझे आपने बैठने के लिए कहा था तो मैं बैठ गया था।

श्री रणधीर सिंह : गैर जिम्मेदाराना आरोप नहीं लगाये जाने चाहिएं। वह स्वतन्त्रता-पूर्वक ऐसा नहीं कर सकते।

श्री नाथ पाई : श्रीमान् जी, मुझे आपने बैठने के लिए कहा था, अत: मैं बैठ गया था।

Mr. Speaker : I am not going to allow you.

श्री नाथ पाई : आपने मुझे बैठने के लिए कहा था, मेरा विचार था कि मुझे बोलने के लिए कहेंगे।

Mr. Speaker : I had asked you only to resume your seat.

श्री नाथ पाई : आपने मेरा नाम पुकारने का वायदा किया था।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपसे केवल बैठ जाने के लिए कहा था, यह तो कोई वायदा नहीं है।

श्री स० मो० बनर्जी : श्रीमान्, मैं एक व्यवस्था के प्रश्न पर खड़ा होता हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नोत्तर काल के समय व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता।

Shri Sheo Narain : It is being publicised that the prices of 50 per cent medicines are being brought down but these medicines are not available in the market. What action Government is going to take in this regard ? I would like the Government to ensure availability of the medicines for the patients.

डा० त्रिगुण सेन : मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जनता तथा उपभोक्ता भूतकाल में भी जो कमी हुई थी उसके बारे में भी सजग होते जा रहे हैं, परन्तु मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम इस मामले में प्रत्येक संभव कार्यवाही कर रहे हैं। हमने राज्य सरकारों, स्वास्थ्य मंत्रालय, औषधि-नियंत्रक, राज्यों के औषधि नियंत्रक आदि से अनुरोध किया है, ये ही वितरण के लिए उत्तरदायी हैं तथा इन्हें ही यह पता लगाना है कि भारत में कहाँ पर इनकी कमी है। परन्तु श्रीमान्, आपने मेरी बात सुनी ही नहीं, मैं इस विषय में बहुत गम्भीर हूं। मैंने चुनौती दी है, वह इसे स्वीकार करें। वह बार-बार यही आरोप लगाते हैं कि मैंने 6 लाख रुपया बनाया है। मैं इसे सहन नहीं कर सकता।

श्री रणधीर सिंह : वह चुनौती से दूर भाग रहे हैं।

श्री बलराज मधोक : यह आरोप दल पर लगाया गया है, आप पर नहीं।

श्री त्रिगुण सेन : उन्होंने बार-बार मेरा नाम लिया है।

श्री कंवर लाल गुप्त : आपने दल के लिए पैसा एकत्र किया।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप जांच आयोग की स्थापना करिए। एक उच्च स्तरीय आयोग से मामले की जांच कराइये कि दल के लिए पैसा बटोरा गया है कि नहीं। औषधियों के मामले में ऐसे गोलमाल किए जा रहे हैं।

कुछ माननीय सदस्य खड़े हुए।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आप सबको अनुमति नहीं दी है। **(व्यवधान)**

डा० त्रिगुण सेन : श्रीमान्, मैं तैयार हूं।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि आपके विरुद्ध कोई आरोप नहीं है। कृपया बैठ जाइये। इस सम्बन्ध में मेरा विचार है कि जांच कराई गई तो दोनों में से किसी-न-किसी को त्याग पत्र देना होगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इस बात का भेद खुल गया है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री ज्योतिर्मय बसु, आप कृपया बैठ जाइये।

श्री ज्योतिर्मय बसु : बहुत अच्छा श्रीमान् जी, यदि आपको मेरी बात से कष्ट पहुंचा है तो मुझे खेद है।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं एक व्यवस्था के प्रश्न पर खड़ा होता हूं··· ··

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नोत्तर काल के समय मैं किसी व्यवस्था के प्रश्न की स्वीकृति नहीं दे सकता। श्री नाथपाई।

श्री नाथपाई : इस मामले में आपका निर्देश प्राप्त करने का सदन को अधिकार है। आपने सदन, पक्ष तथा विपक्ष दोनों की बातें सुनी हैं, परन्तु इस मामले को यूंही नहीं छोड़ा जा सकता। एक बहुत गम्भीर आरोप लगाया गया है कि डा० सेन ने अपने दल के लिए कलकत्ता में औषधि निर्माताओं से 6 लाख रुपया इकट्ठा किया है। यह कहा गया है कि आप इन्कार कर सकते हैं परन्तु औषधि निर्माताओं से हमने यह सब सुना है कि आपने रुपया इकट्ठा किया है। डा० सेन ने इस आरोप का खंडन किया है। मैं उन्हें बधाई देता हूं, हमने पहली बार किसी मंत्री को चुनौती स्वीकार करते हुए तथा यह कहते हुए देखा है कि मामले की जांच कराई जाय। यह मामला इसी तरह नहीं छोड़ा जा सकता। सभी विपक्षीय दल इस बात से सहमत हैं कि संसदीय समिति नियुक्त की जाय और ऐसे मामलों में आप निर्दिष्ट करें। नहीं तो यह केवल मनगढ़न्त बात रह जायगी। इस सम्बन्ध में आप स्पष्ट एवं सुदृढ़ निर्देश दें। मामले की जांच कराने के लिए एक समिति नियुक्त करें। पता नहीं संसद-कार्य मंत्री इस समय कहां हैं। सरकार को तुरन्त इस सुझाव से सहमत होना चाहिए था कि एक संसदीय समिति द्वारा मामले की जांच कराई जाय। पता नहीं संसद-कार्य मंत्री कहां ओझल हो गये हैं। मैं आपसे पूर्ण विनम्रता के साथ अनुरोध करता हूं कि आप इस मामले में

निर्देश दें, यह एक गम्भीर आरोप है। मंत्री महोदय ने चुनौती स्वीकार कर ली है। एक संसदीय समिति नियुक्त करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। आप कृपया अपने निर्देश की घोषणा करें।

डा० त्रिगुण सेन : कृपया मेरी बात सुनिये। यह मेरे ऊपर व्यक्तिगत रूप में एक आरोप लगाया गया जिसके प्रति मैंने अपना विरोध प्रकट किया।

एक माननीय सदस्य : उन्होंने कहा है कि दल के लिए पैसा इकट्ठा किया गया है।

डा० त्रिगुण सेन : उन्होंने मेरा नाम लिया है कि मैंने पैसा इकट्ठा किया है···

एक माननीय सदस्य : दल के हेतु।

डा० त्रिगुण सेन : यह किसी उद्देश्य के लिए भी किया गया हो; उन्होंने कहा है कि मैंने 6 लाख रुपया बटोरा है, और इस बात को दुहराया भी है। इसीलिए मैंने यह कहा है कि यदि वह यह प्रमाणित कर सकें कि मैंने चन्दा लिया है, तो मैं त्यागपत्र दे दूंगा और यदि यह प्रमाणित नहीं होता है, तो वह त्यागपत्र दें।

श्री रणधीर सिंह : यदि यह प्रमाणित नहीं हो पाता है तो उन पर मुकदमा चलाया जाय, वह इस प्रकार नहीं बच सकते।

श्री श्रीचन्द गोयल : यदि वह वास्तव में गम्भीर हैं तो एक संसदीय समिति नियुक्त की जानी चाहिए जो मामले की जांच करे।

श्री ज्योतिर्मय बसु : उन्होंने जो कुछ भी कहा है उसमें तथ्य नहीं है।

श्री स० मो० बनर्जी : एक व्यवस्था के प्रश्न पर।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नोत्तर काल में व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं उठता।

श्री स० मो० बनर्जी : इस सदन की यह परम्परा रही है कि जब कोई सदस्य किसी मंत्री पर गम्भीर आरोप लगाता है तब मंत्री या तो आरोप का खंडन करता है या मामले की जांच के लिए सहमत होता है। यदि श्री के० के० शाह के विरुद्ध कोई आरोप लगाये जाते हैं तब या तो उन्हें आरोपों का खण्डन करना चाहिए अथवा मामले की जांच कराने के लिए सहमत होना चाहिए। पहले भी इस सदन में ऐसी बातें हुई हैं। उदाहरणार्थ श्री प्रकाशवीर शास्त्री तथा श्री बागड़ी ने प्रो० हुमायूं कबीर पर कुछ आरोप लगाये। वह अब हमारे मध्य नहीं हैं। तब अध्यपीठ श्री हुकम सिंह ने मामले पर विचार किया और कहा कि वह मामले की जांच करेंगे। इसका परिणाम यह हुआ कि श्री बागड़ी···

श्री मधुलिमये : श्री बागड़ी ने कोई आरोप नहीं लगाया।

श्री स० मो० बनर्जी : मुझे ज्ञात है कि श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने कुछ आरोप लगाये थे। जांच के पश्चात् श्री प्रकाशवीर शास्त्री तथा बागड़ी जी ने अपने आरोप वापस लिए। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि निष्पक्ष रूप से एक संसदीय समिति नियुक्त की जाय जो आरोपों की

जांच करे, क्योंकि ये आरोप गम्भीर हैं, यदि इस प्रकार से धन संग्रह किया जाता है तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि सरकार में भ्रष्टाचारी लोग हैं, क्योंकि वर्तमान नियम के अन्तर्गत राजनैतिक दलों को चन्दा देने पर प्रतिबन्ध है, इस प्रकार जो धन एकत्र किया जाता है वह वास्तव में काला धन है।

अगर आरोप सत्य सिद्ध किये जाएंगे, तो माननीय मंत्री महोदय को त्यागपत्र देना चाहिए। अन्यथा श्री ज्योतिर्मय बसु को त्यागपत्र देना चाहिए। सबसे अच्छी बात यह है कि सार्वजनिक नैतिकता को बनाये रखने के लिए एक संसदीय समिति को नियुक्त किया जाए।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Enquiry should be held not only into the limited allegations levelled by Shri Basu, but also into the grave charge that.....(interruptions)

अध्यक्ष महोदय : वह एक बृहत् प्रश्न है। मुख्य प्रश्न से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : उन्होंने कहा कि मैंने 6 लाख रुपए एकत्र किये हैं। मैंने एक पैसा भी एकत्र नहीं किया है।

श्री अटलबिहारी वाजपेयी : प्रश्न यह है कि दल की आवश्यकताओं के लिए पैसे इकट्ठे किये गये हैं या नहीं। आरोप यही है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : गत 23 वर्षों से हम इन्हें जानते हैं। हम जानते हैं कि वे हर रोज क्या काम करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आरोप यह लगाया गया था कि माननीय मंत्री महोदय ने पैसे एकत्र किये हैं और मंत्री महोदय ने इसका खण्डन किया है। उन्होंने कहा कि मैं जांच के लिए तैयार हूं। अगर आरोप गलत सिद्ध हुआ तो माननीय सदस्य को त्यागपत्र देना चाहिए और अगर सही साबित हो गया तो अवश्य माननीय मंत्री महोदय को त्यागपत्र देना चाहिए। इस सम्बन्ध में किसी ने लिखित रूप में कुछ नहीं भेजा है। जब माननीय सदस्य लिखित रूप में यह भेज देंगे, तो मैं उस पर विचार करूंगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : चूंकि मेरा नाम भी बताया गया है, अतः मैं निवेदन करना चाहूंगा कि विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि कांग्रेस मंत्री हर संभव स्रोत से अपने दल की आवश्यकताओं के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। अगर आप गत सप्ताह के समाचारपत्रों में प्रकाशित लेख पढ़ेंगे तो मालूम हो जाएगा कि यह सारे देश के लिए और खुद सरकार के लिए लज्जा की बात है। आप वह लेख पढ़ें.....

श्री रणधीर सिंह : अब वे कह रहे हैं कि यह सुनी-सुनाई बातों पर आधारित है। वे अपनी बातों से हटने की कोशिश कर रहे हैं।

Shri Sheo Narain : Record of the proceedings is there. Where is the necessity of giving it in writing ?

अध्यक्ष महोदय : वे इसके लिए सूचना दें। तब मैं इस पर विचार करूंगा।

क्यूबा में प्रदर्शित लुई माल के चलचित्र

श्री रा० की० अमीन : क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लुई माल के विवादास्पद चलचित्र सर्वप्रथम क्यूबा सरकार द्वारा नियंत्रित टेलीविजन व्यवस्था में प्रदर्शित किये गये थे;

(ख) क्या सरकार ने यह प्रश्न क्यूबा सरकार से उठाया है, और यदि हां, तो इस बारे में क्यूबा सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या अपने संसत्सदस्यों ने सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया है और यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) लुई माल की एक फिल्म 'कलकत्ता' जून और जुलाई 1970 में हवाना के तीन सिनेमा हालों में दिखाई गई। हमारे कार्यनायक ने उस मामले को क्यूबा सरकार के सामने रखा था। यह फिल्म क्यूबा के राष्ट्रीय टेलीविजन पर नहीं दिखाई गई थी।

(ग) इस विषय पर चार संसद सदस्यों से एक पत्र प्राप्त हुआ था जिसका उत्तर दिया जा चुका है।

रा० की० अमीन : जब हमारे कार्यनायक ने क्यूबा में इस फिल्म को प्रदर्शित करने का विरोध किया था उनसे क्या क्यूबा सरकार ने कहा था कि "अगर आप गलत तथ्यों को हमारे ध्यान में लायेंगे तो हम उस पर विचार करेंगे ?" यदि हां तो क्या सरकार गलत तथ्यों को उनके ध्यान में लायी है ताकि क्यूबा सरकार को वहां की जनता को उक्त फिल्म न दिखाना पड़े ? दूसरी बात है, जब इस फिल्म का निर्माण किया गया था और क्यूबा में यह दिखाई गई थी, क्या इसका गुप्त रूप से निपटारा करने के लिए यह मामला ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कारपोरेशन के साथ उठाया गया था, ताकि यह फिल्म विश्व में और कहीं दिखाया न जाए ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : जब हमारे कार्यनायक ने उक्त मामले को क्यूबा सरकार के साथ उठाया था, तो उनसे कहा गया कि वे क्यूबा सरकार के फिल्म संस्थान के अन्तर्राष्ट्रीय सम्पर्क निदेशक से सम्पर्क स्थापित करें। उसके बाद उन्होंने इस अधिकारी से सम्पर्क स्थापित किया, मगर उनसे कहा गया कि अगर गैर-सरकारी सिनेमाघरों में फिल्म दिखाई गई तो वे इसमें कुछ नहीं कर सकते। अत: इस सम्बन्ध में हम आगे कुछ नहीं कर सके।

श्री रा० की० अमीन : क्यूबा तथा अन्य देशों के लोगों को यह समझा देने के लिए कि इस फिल्म में तथ्यों को तोड़ा-मरोड़ा गया है तथा बहुत-सी अवास्तविक बातें हैं, तथा उन्हें वास्तविक तथ्यों से परिचित कराने के लिए सरकार ने क्या प्रयत्न किया है ? क्या यह सच है कि क्यूबा सरकार ने कहा है कि "आपकी अपनी प्रधान मंत्री स्वयं भारत की गरीबी के बारे में बहुत-कुछ कहती हैं, हमने केवल वहां की गरीबी को दिखाया है, और कुछ नहीं।"

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : सवाल यह नहीं है कि फिल्म में कोई अवास्तविक तथ्य मौजूद है या नहीं या उसको सुधारना आवश्यक है। तथ्य यह है कि जैसा कि वह फिल्म आज है, उसमें भारतीय

जीवन का नकारात्मक चित्र दर्शाया गया है और उसमें एक सन्तुलित चित्र नहीं है। हमने मित्र देशों को कहा है कि फिल्म में यहां के जीवन का असन्तुलित चित्र पेश किया गया है। इसमें भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का केवल जघन्य चित्र प्रस्तुत किया गया है।

श्री हेम बरुआ : इस बात को देखते हुए कि इस फिल्म में वर्तमान भारत का सही चित्र प्रस्तुत किया गया है—शायद यह जघन्य लगेगा, मगर वास्तविक है—तो सरकार ने बी० बी० सी० जैसे विदेशी निगमों या क्यूबा के गैर-सरकारी सिनेमाघरों—यदि क्यूबा में गैर-सरकारी सिनेमाघर असल में हैं, तो—के विरुद्ध क्यों कार्यवाही की है ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : हमने कभी भी यह नहीं कहा कि फिल्म में जो दिखाया गया है, वह अवास्तविक है। यह सम्भव है कि ऐसी चीजें हमारे देश में होती हों, जैसी कि फिल्म में दिखाई गई हैं। हम केवल इसका विरोध करते हैं कि जो विदेशी फिल्म निर्माता यहां आते हैं, वे यहां के जीवन का एकतरफा चित्र ही खींचते हैं।

श्री पीलु मोदी : क्यों ? क्या फिल्म निर्माताओं को इनसे अनुदेश लेना चाहिए ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : हम मानते हैं कि अपने देश में पिछड़ापन है और यहां गरीबी है और हमारे सामाजिक शरीर में कई फोड़े हैं। अगर कोई यहां आकर इन सबका चित्र खींचेंगे, तो हमें उससे कोई एतराज नहीं होगा, मगर हम चाहते हैं कि वे जीवन का दूसरा पहलू भी चित्रित करें।

श्री पीलु मोदी : यह दूसरा पहलु क्या होता है ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : हमारी संस्कृति के कुछ अच्छे अंश होते हैं। उन्हें चाहिए कि वे देश के जीवन के सभी पहलुओं का समग्र चित्र प्रस्तुत करें।

श्री बलराज मधोक : इस फिल्म के मामले को अनुपयुक्त ढंग से उठाये जाने के कारण विश्व भर में इसको दिखाने की मांग बढ़ती जा रही है, अतः यह अवश्य दिखाई जाएगी, आप चाहे जो कुछ भी करें। अतः मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार भविष्य में या तो विदेशी फिल्म निर्माताओं को यहां के जीवन के जघन्य पहलुओं को चित्रित करने की अनुमति न देगी या इन जघन्य पहलुओं को दूर करने का यत्न करेगी। कल जब नंगे बच्चे प्रधान मंत्री से मिलने गये, उन्हें मिलने की अनुमति नहीं दी गई, केवल धनी परिवारों के बच्चों को ही अनुमति मिली। जब कोई फिल्म निर्माता इन नंगे बच्चों का चित्र खींचते हैं, तो उन्हें कैसे दोष दिया जा सकता है ? अतः इस देश से गरीबी को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही हैं ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : मैं पहले ही मान चुका हूं कि हमारे देश में गरीबी है, पिछड़ापन है और बाहरवालों को गरीबी, पिछड़ेपन आदि का चित्र खींचने की पूरी स्वतन्त्रता है, परन्तु उनसे यह भी अपेक्षित किया जाता है कि वे दूसरे पहलुओं का भी चित्र प्रस्तुत करें और इस प्रकार देश की संस्कृति और जीवन का सन्तुलित चित्र प्रस्तुत करें।

मैं इस बात से सहमत हूं कि टेलीविज़न टीम के कार्यों को शासित करने वाले नियम और विनियम हैं, परन्तु मैं मानता हूं कि हम इनका पूरी सख्ती से कार्यान्वयन नहीं कर सके। अब

हमें सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय ने सूचित किया है कि उन्होंने भारत आने वाले किसी भी विदेशी दल का यहां के अधिकारियों द्वारा अधीक्षण किये जाने के लिए आवश्यक कार्यवाही की है। उदाहरण के तौर पर, मंत्रालय ने एक सम्पर्क अधिकारी को नियुक्त किया है जो विदेशी दल के साथ चलेंगे।

श्री पीलु मोदी : बिल्कुल निरर्थक बात है। हम इस देश में पुलिस राज नहीं चाहते। हम एक स्वतन्त्र समाज चाहते हैं।

श्री क० नारायण राव : माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि विदेशियों को स्वेच्छा से चित्र खींचने की पूरी आजादी है। इस पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाना चाहिए। अब जो कुछ हुआ है, उसको देखते हुए क्या मंत्री महोदय भारत के बाहर भेजी जाने वाली फिल्मों की संवीक्षा करने के लिए, जैसा कि देश में फिल्मों का सेंसर किया जाता है, कार्यवाही करने को तैयार हैं ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : इस सम्बन्ध में देश में पहले से ही कानून कायम रहता है और सम्बद्ध मंत्रालय ने—सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय ने—स्थिति स्पष्ट कर दी है। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए कि जो विदेशी भारत में फिल्मों का निर्माण करेगा, यह प्रतिज्ञा करेगा कि जब फिल्मों का निर्माण पूरा हो जाता है वह सार्वजनिक प्रदर्शन के पूर्व या तो भारत में हमें दिखाई जाएगी या विदेश में हमारे प्रतिनिधियों को दिखाई जाएगी, आवश्यक कार्यवाही की है।

डा० रामसुभग सिंह : माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि फिल्म में अवास्तविक कोई बात नहीं है, भले ही इसमें सन्तुलित चित्र प्रस्तुत नहीं किया गया हो। अत: इस जवाब के आधार पर मैं पूछना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार यह चाहती है कि सभी विदेशी फिल्म-निर्माता केवल वही फिल्म बनायें जिसका वह अनुमोदन करती है और क्या सरकार इस ढांचे पर हमारे फिल्म उद्योग को नियन्त्रित करना चाहती है ? चूंकि इन फिल्म-निर्माताओं तथा बी० बी० सी० के विरुद्ध कुछ गलत कार्यवाही की गई है और चूंकि सरकार यह स्वीकार करती है कि इस फिल्म में अवास्तविक कोई चीज़ नहीं है, क्या सरकार अपनी सारी गलतियों को सुधारेगी ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : मैं फिर से यह कहता हूं कि सवाल अवास्तविक चित्रण का नहीं है। लुई माल ने अपनी फिल्म में जिस स्थिति का चित्र पेश किया है, वह हमारे देश में मौजूद है।··· **(व्यवधान)**

डा० रामसुभग सिंह : आप कौन होते हैं जो उनसे यह कहें कि वही फिल्म बनाई जाए जो सरकार कहती है, जब हमारा मुक्त समाज है ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : हमारे देश के जीवन पर आधारित अगर कोई फिल्म बनाता है, और अगर उसको अन्य देशों में दिखाना है·····**(व्यवधान)**

डा० रामसुभग सिंह : भारत एक स्वतन्त्र देश है। इस पर इस प्रकार का नियन्त्रण नहीं लगाया जाना चाहिए·····**(व्यवधान)**

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : प्रेस की स्वतन्त्रता को मानते हुए भी, आधुनिक संदर्भ में प्रेस, टेलीविज़न टीम आदि का जिस देश में वे कार्य करते हैं, उसके प्रति कुछ उत्तरदायित्व होता है। देश के जीवन के समग्र पहलुओं का चित्र दिखाना उनका कर्त्तव्य है।···**(व्यवधान)**

डा० रामसुभग सिंह : यह समग्र चित्र क्या है ? क्या आप सरकार की ओर से एक समग्र चित्र तैयार कर सकते हैं ?

श्री नाथ पाई : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि भारत सरकार के तथा उसके नौकरशाहों के गलत रवैये के कारण भारत के सम्मान को हानि पहुंची है अथवा लुई माल की फिल्म के कारण । हमें ऐसा लगता है कि लुई माल के चित्र के कारण कोई हानि नहीं हुई है, बल्कि सरकार के अनुदार रवैये के कारण भारत के सम्मान को क्षति पहुंची है । हम अत्यधिक चिंतित होते हैं, हम विदेशी फिल्म-निर्माताओं को आदेश दें··· **(व्यवधान)** क्या यह सच नहीं है कि लुई माल ने जैसे कि 'टाइम्स ऑफ इण्डिया' के संवाददाता ने लिखा था कि भारत सरकार ने उनसे कभी यह मांग नहीं की थी कि फिल्म को पहले सेंसर किया जाए । क्या यह सच है कि उन्होंने यह भी बताया कि भारत सरकार ने पहले कोई भी पूर्व-शर्त नहीं रखी थी—यह भारत की महान् परंपरा के अनुकूल था—और यह सब जो चल रहा है, बाद में किया-कराया है ? क्या यह सच नहीं है कि भारत सरकार के इस रवैये के कारण उक्त फिल्म की विश्व भर में मांग हो रही है ? अगर यह सब न किया गया होता, तो उसका स्वाभाविक अंत होता । क्या सरकार विश्व को तथा इस देश की जनता को यह कहने के लिए कि यहां कलाकारों, कवियों तथा लेखकों पर नियंत्रण थोपा नहीं जाएगा, तथा उनको किसी भी सरकार द्वारा कोई आदेश नहीं दिया जाएगा, कोई कार्यवाही करेगी ? मैं सरकार की ओर से स्पष्ट जवाब चाहता हूं ।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : यह कहना सच नहीं होगा कि लुई माल ने भारत सरकार को कोई वचन नहीं दिया था ।

श्री नाथ पाई : 'टाइम्स ऑफ इण्डिया' में यह समाचार आया है । श्री पडगांवकर ने लिखा है ।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : लुई माल अपना कार्य आरंभ करने के पहले सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के अधिकारियों से मिले थे जिन्होंने सारी प्रक्रिया बता दी थी ।

श्री नाथ पाई : प्रक्रिया क्या थी ? श्री हुस्सैन ने एक बहुत शानदार फिल्म बनाई थी, जिसकी सरकार ने अनुमति नहीं दी ···**(व्यवधान)** मैं उस पर कोई निर्णय नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैंने फिल्म नहीं देखी है ।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : अधिकारियों ने श्री लुई माल को स्पष्ट शब्दों में कहा था कि भारत में फिल्म के निर्माण करने के पहले उन्हें कुछ शर्तों का पालन करना पड़ेगा । यही नहीं, बातचीत में श्री माल उन सब शर्तों के पालन करने से सहमत हुए थे । बाद में जब अधिकारियों ने उनके नाम पत्र लिखा जिसमें सारी शर्तें बताई गई थीं, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया ·····**(व्यवधान)**

एक माननीय सदस्य : वे शर्तें कौन-कौनसी हैं ? उन्हें सभापटल पर रखा जाए ।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : यह सच है कि हमने यह देखने के लिए कि वे क्या कर रहे हैं किसी अधिकारी को उनके साथ नहीं भेजा । हमने आशा की कि वे प्रस्तावित शर्तों का पालन करेंगे । दुर्भाग्यवश वे इन शर्तों से हट गए । उन्होंने ऐसे कई दृश्यों को चित्रित किया जो हम नहीं चाहते थे । उन्होंने एक मुख्य शर्त कि फिल्म को विदेश में हमारे प्रतिनिधियों को दिखाया जाना

चाहिए, का पालन नहीं किया। अब आगे ऐसी बातें न होने देने के लिए मंत्रालय द्वारा आवश्यक कार्यवाही की गई है।

श्री पीलु मोदी : यह स्पष्ट है कि किसी भी फिल्म में देश के गत कई शताब्दियों के समूचे जीवन का चित्र अंकित नहीं किया जा सकता और फिल्म को सामयिक रूप देने के लिए विगत काल के जीवन का भी चित्रण करना आवश्यक होता है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस बात से अवगत है कि गत कुछ वर्षों में देश में गरीबी में वृद्धि हुई है, और अगर कोई वास्तविक फिल्म बनाई जाती है, तो इस प्रकार गरीबी में हुई वृद्धि का चित्रण किया जाना है। अतः यह फिल्म सामयिक था तथा उसमें भारत की वर्तमान स्थिति का चित्रण किया गया था। मंत्री महोदय यह दुहरा रहे हैं कि वे कोई संतुलित चित्र चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप प्रश्न पूछिये।

श्री पीलु मोदी : अवश्य पूछूंगा। मंत्री महोदय यह बात दुहरा रहे हैं कि फिल्म में संतुलित चित्र पेश किया जाना चाहिए। उन्होंने यह नहीं कहा कि इस चित्र को अधिक संतुलित करने के लिए लुई माल और क्या कर सकते थे।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : क्या माननीय सदस्य की दलील यह है कि गत दस-बीस वर्षों से गरीबी कम नहीं हुई है··· (**व्यवधान**) और हमें किसी भी क्षेत्र में कोई उन्नति नहीं मिली है। गत दस-पन्द्रह वर्षों में अवश्य हमने कई कार्य पूरे किये हैं। जो यहां के जीवन का चित्रण करते हैं, उन्हें इस पहलू को भी देखना चाहिए····· (**व्यवधान**)

श्री अमृत नाहटा : यह सच है कि हमारे देश में भयानक गरीबी है जो हमारे लिए लज्जा की बात है। मगर यहां की गरीब जनता हमारे लिए कभी भी लज्जाकारक नहीं है। वे विश्व की सर्वश्रेष्ठ जनता हैं। अगर किसी फिल्म निर्माता को असल में भारत की गरीबी का वास्तविक चित्र खींचना है, तो सवाल यह नहीं है कि वह गरीबी का चित्रण करता या नहीं, सवाल यह है कि वह किस उद्देश्य से ऐसा करता है। यह देखना पड़ेगा कि क्या इसके पीछे किसी देश को अपमानित करने का उद्देश्य है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप प्रश्न पूछिये।

श्री अमृत नाहटा : मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। मुझे यह देखकर आश्चर्य होता है कि माननीय सदस्य जो किसी मानचित्र के बारे में बहुत अधिक उत्तेजित हुआ करते थे, अब ऐसा व्यवहार करते हैं कि वे मिस मेयो की जारज संतानें हों जिसने भारत का अपमान किया था। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार भविष्य में कला के नाम पर देश का अपमान न होने देने के लिए आवश्यक कार्यवाही करेगी।····· (**व्यवधान**)

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : मैं माननीय सदस्य के मत से सहमत हूं कि टेलीविज़न जैसे सार्वजनिक प्रचार माध्यमों में महत्त्वपूर्ण बात यह है कि किस प्रकार से बातें की गई हैं न कि क्या कहा गया है। मैं उनके विचार से सहमत हूं कि इन सारे कार्यों की पृष्ठभूमि में जो उद्देश्य कार्य कर रहा था, वह उच्चकोटि का नहीं था। अब आगे से जो कोई भी भारत आता है, उसे इस प्रकार का कार्य न करने देने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

अध्यक्ष महोदय : अब अगले प्रश्न पर विचार करेंगे।

भारत-मूलक लड़कियों के साथ बलात् विवाह करने के लिए जंजीबार की क्रान्तिकारी परिषद् द्वारा जारी किया गया आदेश

*127 **श्री न० कु० सांघी** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान जंजीबार की क्रांतिकारी परिषद् के उस अत्यन्त अशिष्ट आदेश की ओर दिलाया गया है जिसके अनुसार वहां किसी भी धर्म अथवा सम्प्रदाय की लड़की को ऐसे किसी भी व्यक्ति से विवाह करना पड़ता है जो उससे विवाह करना चाहता हो;

(ख) क्या उक्त आदेश मानवीय अधिकारों के विरुद्ध है; और

(ग) उक्त आदेश को रद्द करवाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ताकि उन गरीब लड़कियों को बचाया जा सके जिनमें से कुछ भारत-मूलक हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) सरकार को जंजीबार के "राष्ट्रपति की डिगरी संख्या 6, 1966—विवाह (निष्पादन और पंजीकरण)" की जानकारी है, जिसके अधीन किसी व्यक्ति के लिए किसी प्रस्तावित विवाह के लिए अपनी सम्मति न देना अवैध है, सिवाय उन परिस्थितियों के जिनमें कोई भी पक्ष चोरी के अपराध में सजा भुगत चुका हो, किसी संक्रामक रोग से पीड़ित हो ।

(ख) यह डिगरी, संयुक्त राष्ट्र की विवाह-विषयक विभिन्न घोषणाओं और प्रथाओं के उपबन्धों के विरुद्ध है ।

(ग) दारेस्सलाम स्थित हमारे हाई कमिश्नर ने इस मामले पर तन्जानिया के राष्ट्रपति नेरेरे से व्यक्तिगत रूप से बातचीत की थी जिन्होंने उन्हें सूचित किया था कि उन्हें जंजीबार के प्राधिकारियों द्वारा आश्वासन दिया गया है कि भविष्य में और कोई बलात् विवाह नहीं होंगे ।

श्री न० कु० सांघी : ऐसा लगता है कि जंजीबार में जो बर्बरतापूर्ण अमानवीय घटनाएं घटी जा रही हैं, उनसे किसी का सम्बन्ध नहीं है । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि उक्त आदेश की क्या शर्तें हैं और शर्तों का पालन न करने वालों के लिए क्या दण्ड निहित है ।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि जंजीबार सरकार की कार्यवाही मानवीय गरिमा और मानवता के अधिकारों के प्रतिकूल है । जंजीबार के राष्ट्रपति यह मानते रहे हैं कि जातीय एवं राजनीतिक दृष्टि से राष्ट्रीय एकता स्थापित करने का सर्वोत्तम उपाय अफ्रीकी और एशियाई लोगों के मध्य अन्तर-जातीय विवाह ही है और इस नीति का पालन करते हुए उन्होंने, एशिया और ईरान मूलक लोगों को अपनी कन्याओं का विवाह अफ्रीकियों से करने हेतु बाध्य करने के लिए पिछले तीन या चार वर्षों में कुछ कार्यवाही की है । पीछे ऐसी कई घटनाओं से भारतीय तथा ईरानी लड़कियों का सम्बन्ध रहा है । ये सभी मामले जंजीबार के अधिकारियों के साथ तथा राष्ट्रपति नेरेरे के साथ उठाये गये थे और इन सभी प्रयत्नों के फलस्वरूप जंजीबार सरकार की नीति में परिवर्तन आ गया है और उन्होंने विभिन्न जातीय वर्गों के बीच विवाह कराने की नीति छोड़ दी है । मैं समझता हूं कि उन्होंने राष्ट्रपति नेरेरे को आश्वासन दिया कि भविष्य में उनके विवाह कानूनों को जनजातियों के विवाह कानूनों के अनुरूप बनाया जाएगा ।

श्री न० कु० सांघी : क्या यह सच नहीं है कि दर-ऐस-सलाम में हमारे राजदूत ने सूचित किया है, ऐसे कई विवाह हुए हैं जिनमें भारतमूलक व्यक्तियों को अफ्रीकियों से विवाह करने को बाधित किया था। तब भी हमने मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ अथवा मानव अधिकारों सम्बन्धी आयोग के समक्ष नहीं रखा जिससे कि उस देश में रहने वाले लोगों को उन बर्बरतापूर्ण कानूनों से बचाया जा सके।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : पिछली घटना सितम्बर, 1970 में घटी जब एक भारतीय-मूल की कन्या को एक अफ्रीकी से विवाह करने को बाधित किया गया। सारी सभा जानती है कि उसे विवाह के लिए बाधित किया गया था। परन्तु इससे पहले कि विवाह सम्पन्न होता वह लड़की जंजीबार से बचकर मुख्य भूमि तनजानिया आ गई। इसके पश्चात् कोई ऐसी घटना मेरी जानकारी में नहीं है।

जहां तक आपसी सम्बन्धों के मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाने का प्रश्न है यह हमारी नीति नहीं रही है क्योंकि हम समझते हैं कि बातचीत और वार्त्ताओं द्वारा हम संतोषजनक हल निकाल पाएंगे।

श्री न० कु० सांघी : क्या आपने जंजीबार से सभी भारत-मूलक लड़कियों को मुख्य भूमि में लाने की चेष्टा की है जिससे कि अमानवीय कानून से उनकी रक्षा की जा सके ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : इस मामले में हमारी मुख्य कठिनाई यह है कि जंजीबार में भारतीय मूल के तंजानियन राष्ट्रिक हैं भारत के नहीं। क्योंकि वे हमारे राष्ट्रीय नहीं हैं अतएव हम उनकी ओर से सम्बद्ध सरकार से सीधे वार्ता नहीं कर सकते। परन्तु मानवीय दृष्टि में जब कभी भी ऐसी घटनाएं घटती हैं, हम जंजीबार और तंजानियन सरकारों से मामला अवश्य उठाते हैं।

श्री रंगा : मुझे प्रसन्नता है कि मंत्री महोदय ने कहा है कि भले ही वे भारतीय मूल के नहीं, तो भी वे मानवता की दृष्टि से मामला उठाते हैं। जबकि भारत ने मानव अधिकारों सम्बन्धी समिति की कार्यवाहियों में भाग लिया है और उसका कई बार सभापतित्व भी किया है, तब क्या कारण है कि भारत इस बबरतापूर्ण मामले को वहां पर नहीं उठाता। क्या हमारी सरकार को यह भी पता है कि सरकार को आश्वासन देने के पश्चात् भी जो कुछ उन्होंने किया है वे पुन: कर सकते हैं। मैं नहीं समझता कि उनके यहां कोई कानून है, वहां तो केवल अधिनायक के आदेश ही होते हैं। यहां प्रश्न एक-दो व्यक्तियों का नहीं और वह लड़की भाग्यशाली थी जो उस अधिनायक के पंजे से बच आई थी। परन्तु क्या यह सरकार का कर्त्तव्य नहीं कि इस मामले को संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा मानव अधिकारों सम्बन्धी समिति के समक्ष लाए, जैसा कि दक्षिण अफ्रीका के मामले में वह अभी तक कर रही है ?

वैदेशिक कार्य-मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : इस विशेष मामले में जो प्रयत्न हमने तंजानिया के राष्ट्रपति के साथ मिलकर किये वे फलदायक सिद्ध हुए। मैं सभा को सूचित करना चाहता हूं कि राष्ट्रपति नेरेरे ने राष्ट्रपति कारुमी को इस बारे में अपने अन्तर्जातीय विवाहों पर मूल विचार छोड़ने को तैयार किया। 1 अक्तूबर 1970 को राष्ट्रपति कारुमी ने घोषणा की कि अन्तर्जातीय विवाह अब क्रांतिकारी मामले नहीं समझे जायेंगे।

वास्तव में, राष्ट्रपति ने कहा है कि जंजीबार के राष्ट्रपति का 1966 के विवादास्पद आदेश को आम निर्वाचन के पश्चात् मुख्य भूमि के विधान के अनुसार रूप देने का इरादा है। तनजानियन विवाह विधेयक में विवाह के सम्बन्ध में लड़की की सम्मति पर जोर दिया गया है। इसलिए इसे मानव अधिकारों के आयोग के समक्ष लाने से कुछ लाभ नहीं होगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

दिल्ली के दवा विक्रेताओं की मांगें

*122. **श्री दण्डपाणि :**

श्री मयावन :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के दवा विक्रेताओं ने सरकार के निर्णय के विरोध में 17 अक्तूबर, 1970 को सांकेतिक हड़ताल की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इस हड़ताल के कारण अधिकांश लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ा; और

(ग) केन्द्र सरकार ने दिल्ली के दवा-विक्रेताओं की मांगों को किस सीमा तक स्वीकार किया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं। क्योंकि कुछेक दुकानों को खोले रखने के लिए कुछ व्यवस्था की गई थी।

(ग) पैट्रोलियम तथा रसायन, खान एवं धातु मंत्रालय दिल्ली के दवा विक्रेताओं की मांगों पर विचार कर रहा है।

मलेरिया का उन्मूलन

*124. **श्री नन्दकुमार सोमानी** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में मच्छरों की संख्या में इस कारण से बहुत वृद्धि हुई है कि विदेशी सहायता प्राप्त राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के स्थान पर कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं अपनाई गई है;

(ख) क्या देश में मच्छर के काटने से फैलने वाली मलेरिया की बीमारी में वृद्धि हो गई है तथा अनेक मामलों में यह बीमारी घातक सिद्ध हुई है; और

(ग) इस बारे में कार्यवाही करने के सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) यह कहना कठिन है कि देश में मच्छरों की संख्या में वृद्धि हो गई है। भारत में मच्छरों की सैकड़ों प्रजातियां हैं और जलवायु संबंधी परिवर्तन तथा स्थानीय परिस्थितियों में तबदीली होने के कारण इन प्रजातियों की संख्या में मौसम के अनुसार कमी-वेशी होती रहती है।

(ख) राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के परिणामस्वरूप देश में जहां मलेरिया की 1952 में 7 करोड़ 50 लाख घटनाएं होती थीं वे 1969 में घटकर लगभग 3 लाख 50 हजार हो गईं। तथापि 1968 की तुलना में 1969 में मलेरिया के रोगियों की संख्या में कुछ वृद्धि हो गई थी। देश में अब मलेरिया से बहुत ही कम लोगों की मृत्यु होती है।

(ग) मलेरिया के उन्मूलन के लिए केन्द्र पुरोनिधानित योजना के अन्तर्गत चौथी योजना अवधि में राज्यों को शत-प्रतिशत सहायता देकर राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम को बड़ी तेजी के साथ चलाया जा रहा है। जहां कहीं आवश्यक हो कमियों को दूर करने के लिए इसकी क्रियान्विति संबंधी प्रगति की बड़ी ध्यानपूर्वक निगरानी की जा रही है।

भारत, पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान, भूटान तथा सिक्किम के बीच क्षेत्रीय सहयोग के बारे में कथित रूसी सुझाव

*125. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारत, पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान, भूटान तथा सिक्किम के बीच क्षेत्रीय सहयोग के बारे में रूस के कथित सुझाव के विरोध में पाकिस्तान में हुए हंगामे की जानकारी प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) सोवियत समाजवादी गणतन्त्र संघ, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, ईरान और टर्की के बीच क्षेत्रीय सहयोग के प्रस्ताव के प्रति पाकिस्तान के विरोध के बारे में सरकार को जानकारी है।

(ख) भारत सरकार क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग के ऐसे सभी प्रस्तावों का सिद्धान्त रूप से स्वागत करती है जिनसे उसकी समझ में सभी सम्बद्ध देशों को लाभ पहुंचता हो। सरकार आशा करती है कि पाकिस्तान इस क्षेत्र के देशों के बीच प्रस्तावित आर्थिक सहयोग में भारत के हिस्सा लेने का विरोध नहीं करेगा।

संयुक्त राष्ट्र संघ में तटस्थ ग्रुप

*126. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में लुसाका में आयोजित गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों के सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र संघ में एक तटस्थ ग्रुप बनाने की संभावनाओं की खोज की गई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) उन देशों के नाम क्या हैं जिन्होंने इस प्रयास का समर्थन किया है; और

(घ) क्या भारत निकट भविष्य में संयुक्त राष्ट्र संघ में ऐसा ग्रुप बनाने के बारे में औपचारिक कार्यवाही कर रहा है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (घ) लुसाका सम्मेलन ने न तो संयुक्त राष्ट्र में और न कहीं गुट निरपेक्ष दल की स्थापना की। लेकिन सम्मेलन ने यह निश्चय किया कि संयुक्त राष्ट्र में गुट निरपेक्ष प्रतिनिधि मण्डल, सभा के समक्ष कुछ विशेष मामलों पर अपनी नीतियों का समन्वयन करेंगे और इस उद्देश्य के लिए संयुक्त राष्ट्र में गुट निरपेक्ष देशों की जो बैठकें होंगी उनकी अध्यक्षता जाम्बिया के प्रतिनिधि करेंगे। इस मामले में भारत जाम्बियाई प्रतिनिधि मण्डल के साथ संयुक्त राष्ट्र में सहयोग कर रहा है।

उड़ीसा में तेल के लिए भू-सर्वेक्षण

*128. **श्री श्रद्धाकर सूपकार** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पेट्रोलियम की खोज के लिए उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों का विदेशी सहयोग से भू-सर्वेक्षण कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो सहयोगी देश तथा कम्पनी का नाम क्या है और उस पर होने वाले खर्च का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

नई दिल्ली में किराये की इमारतों में चल रहे केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के औषधालय

*129. **श्री शशि भूषण** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के कितने और कौन-कौनसे औषधालय किराये की इमारतों में चलाये जा रहे हैं ?

(ख) ऐसे औषधालयों के लिए अपने अलग से भवन बनाने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या नई दिल्ली की उन कालोनियों में, जहां दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बिक्री/

नीलाम हेतु प्लाटों को विकास किया जा रहा है, केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के औषधालयों के भवनों के निर्माण के लिए प्लाट आवंटित करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में निर्णय कब तक कर लिया जायेगा ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) से (घ) : एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 4274/70]

जोर्डन की घटनाओं पर भारत को चिन्ता

*130. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने जोर्डन में ऐसे समय घटी घटनाओं पर अप्रसन्नता व्यक्त की है जबकि अरब जनता में एकता की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का निर्णय स्पष्ट कर दिया गया है और अरब राष्ट्रों के मामलों में अमेरिका के हस्तक्षेप के बारे में सरकार की अप्रसन्नता व्यक्त कर दी गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) : भारत सरकार ने किसी एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य के अन्दरूनी मामलों में हस्तक्षेप न करने के सिद्धान्त को बराबर हमेशा माना है और समय-समय पर इस पर समुचित ढंग से ज़ोर भी दिया गया है ।

चाणक्यपुरी, नई दिल्ली में स्थित नई दिल्ली नगरपालिका के होटल का उपयोग न किया जाना

*131. **श्री हरदयाल देवगुण** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बनाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा चाणक्यपुरी में बनवाया गया होटल अभी तक खाली पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस होटल को चलाने के उद्देश्य से कितनी बार टेन्डर मांगे जा चुके हैं और प्रत्येक बार टेन्डर की राशि क्या थी ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी नहीं । यह भवन आई० टी० डी० सी० द्वारा लिया जा रहा है ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) नई दिल्ली नगरपालिका ने बतलाया है कि होटल भवन का लाइसेंस देने के लिए उन्होंने पांच बार निविदाएं मांगी थीं। हर बार प्राप्त हुई निविदाओं के ब्यौरों का एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4275/70]

भारत-आस्ट्रेलिया वार्ता

*132. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में कैनवेरा में भारत और आस्ट्रेलिया के बीच सरकारी स्तर पर बातचीत हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो पारस्परिक बातचीत किन विषयों पर हुई थी और उसका महत्त्व क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां। 19 से 21 अक्तूबर 1970 तक यह विचार-विमर्श हुआ था।

(ख) सामान्य अन्तर्राष्ट्रीय हित-चिन्ता के बहुत-से विषयों पर और आर्थिक विकास, व्यापार, सांस्कृतिक तथा वैज्ञानिक सम्बन्धों सहित भारत और आस्ट्रेलिया के द्विपक्षीय हितों के विषयों पर भी विचार-विमर्श हुआ था।

समय-समय पर होने वाली इस प्रकार की अनौपचारिक बातचीत आपसी सद्भावना और सहयोग बढ़ाने में बहुत सहायक होती है।

भारत के प्रधान मंत्री के नई दिल्ली से प्रस्थान और न्यूयार्क में पहुंचने के समय अमरीकी राजनयिकों की हवाई अड्डे पर अनुपस्थिति

*133. **श्री दिनकर देसाई :**
श्री ही० ना० मुकर्जी :
श्री न० रा० देवघरे :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के प्रधान मंत्री के संयुक्त राष्ट्र संघ के रजत जयन्ती सत्र में भाग लेने के लिए नई दिल्ली से प्रस्थान और न्यूयार्क में पहुंचने के समय अमरीकी राजदूतावास के अधिकारी हवाई अड्डे पर अनुपस्थित थे; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) अमरीकी राजदूतावास के अधिकारी हवाई अड्डे पर उपस्थित नहीं थे।

(ख) सरकार ने इसको कोई अधिक महत्त्व नहीं दिया है क्योंकि नई दिल्ली से प्रधान मंत्री की रवानगी व्यक्तिगत थी और वे अमरीका की यात्रा पर नहीं गई थीं बल्कि संयुक्त राष्ट्र की यात्रा पर गई थीं।

शरणार्थियों को दी गई भूमि के किराये में वृद्धि

*134. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में लगभग 20 वर्ष पूर्व शरणार्थियों को दी गई भूमि के किराये में वृद्धि करने का निर्णय किया है; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या जमीन की वर्तमान कीमतों के आधार पर भू-किराया वसूल करने के सरकारी प्रस्ताव के कारण किराया कई गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि 20 साल पहले की अपेक्षा जमीन की कीमत कई गुना बढ़ गई है;

(ग) क्या सरकार को इस बारे में कोई अभ्यावेदन भेजे गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) भूमि का किराया पट्टों की शर्तों के अनुसार पुनरीक्षित किया जाता है। कुछ मामलों में, यह पट्टों के निष्पादन की तारीख से 20 साल बाद पुनरीक्षित किया जाना अपेक्षित है।

(ख) भूमि के किराये के पुनरीक्षण के लिए अपनाई जाने वाली भूमि की कीमतें अभी पट्टों के उपबन्धों के अन्तर्गत निश्चित की जाती हैं। इसलिए यह बता सकना सम्भव नहीं है कि वृद्धि क्या होगी।

(ग) और (घ) कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, परन्तु पट्टे विलेख के उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव है।

वियतनाम युद्ध की सहायता के लिए भेजे गए साज-सामान तथा सैनिक

*135. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्री जगन्नाथराव जोशी :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भारत होकर खोले गये मास्को-हनोई मार्ग का प्रयोग वियतनाम युद्ध में सहायता के लिए साज-सामान तथा सैनिक भेजे जाने के लिए किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) एयरोफलोट का मास्को-हनोई मार्ग सिविलियन वायुयान के लिए है और इसपर सैनिकों अथवा अस्त्र-शस्त्रों को नहीं ले जाया जाता।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राजधानी में पोलियो के मामले

*136. **श्री शंकर राव माने :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो महीने में राजधानी में पोलियो के कितने मामले सरकार के ध्यान में लाए गये हैं;

(ख) क्या यह सच है कि कलावती सरन अस्पताल और विलिंग्डन अस्पताल में रोगियों को कोई उचित सुविधाएं अथवा औषधियां उपलब्ध नहीं कराई गयीं; और

(ग) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

(ख) जी हां ।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

गत दो महीनों में राजधानी में पोलियो के जितने मामले केन्द्रीय सरकार के ध्यान में लाये गये उनकी संख्या इस प्रकार है—

अस्पताल का नाम	सितम्बर, 1970	अक्तूबर, 1970
सफदरजंग अस्पताल	4	3
विलिंग्डन अस्पताल	1	1
कलावती सरन शिशु अस्पताल	55	68
गोविन्द वल्लभ पंत अस्पताल	1	शून्य
इर्विन अस्पताल		4 (सितम्बर और अक्तूबर दोनों में)
दिल्ली नगर निगम अस्पताल	2	5

इनमें अन्तरंग एवं बहिरंग दोनों प्रकार के रोगियों के आंकड़े सम्मिलित हैं।

चीन द्वारा राडार केन्द्रों की स्थापना

*137. **श्री रामचरण :**
श्री मणिभाई जे० पटेल :
श्री शिव कुमार शास्त्री :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस आशय के विदेशी प्रेस समाचारों की ओर आकर्षित किया गया है कि नेपाल और भारत के भू-भागों पर निगाह रखने के लिए चीन अनेक राडार केन्द्र स्थापित कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां।

(ख) अपनी योजनाएं बनाते समय ऐसे संवर्धनों का पूरा ध्यान रखा जाता है।

भारत स्थित 'सोसायटी आफ न्यूक्लियर मेडीसिन'

*138. **श्री नि० रं० लास्कर :**

श्री सामिनाथन :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आणविक औषधि के क्षेत्र में भारत में बहुत प्रगति हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या औषधि विज्ञान की इस शाखा का प्रभावी विकास करने के लिए मार्ग दर्शन हेतु 1967 में सोसायटी आफ न्यूक्लियर मेडीसिन स्थापित की गयी थी;

(ग) क्या यह भी सच है कि उक्त सोसायटी की वार्षिक बैठक अक्तूबर, 1970 में हुई थी; और

(घ) यदि हां, तो उसमें किन विषयों पर चर्चा की गई ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) यदि आणविक औषधि से अभिप्राय निदान एवं चिकित्सा में रेडियोआइसोटोप के उपयोग से है, तो इसने भारत में पिछले 3/5 वर्षों में कुछ प्रगति की है।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां।

(घ) निम्नलिखित विषयों पर विचार विमर्श किया गया था—

आंगों का सूक्ष्म निरीक्षण
रेडियो का फार्मेस्यूटिकल्स
सूक्ष्म निरीक्षण उपकरण प्रयोग
थाइरायड विकारों के उपचार तथा निदान में रेडियोआइसोटोप
गुरदा, जिगर एवं रक्त सम्बन्धी रोगों में रेडियोआइसोटोप
स्वास्थ्य भौतिक-विज्ञान
प्रयोगात्मक औषधों में रेडियो आइसोटोप, तथा
विकिरण के जैविकी प्रभाव।

रेड क्रास सोसाइटी द्वारा आपात यूनिटों की स्थापना करना

*139. **श्री वे० कृ० दास चौधरी :**
श्री चेन्गलराया नायडू :
श्री जी० वेंकटस्वामी :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेड क्रास सोसाइटी ने विभिन्न महत्त्वपूर्ण स्थानों पर आपात-यूनिटों की स्थापना करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में सरकार का विचार आवश्यक वित्तीय सहायता देने का है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) से (ग) इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव भारतीय रेड क्रास सोसाइटी के विचाराधीन है । योजना का ब्यौरा अभी तैयार किया जाना है । इस अवस्था में सोसाइटी को वित्तीय सहायता देने का प्रश्न नहीं उठता ।

रूस द्वारा भारत को फालतू पुर्जों और उपकरणों की सप्लाई

*140. **श्री मधु लिमये** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस द्वारा भारत को फालतू पुर्जों और उपकरणों की सप्लाई किये जाने के बारे में प्रतिरक्षा सचिव को किसी संसद् सदस्य से कोई पत्र प्राप्त हुआ है;

(ख) हैलीकोप्टरों के फालतू पुर्जों, पी० टी० 75 टैंकों के फालतू पुर्जों, मिग के कल-पुर्जों, परिवहन विमानों के फालतू पुर्जों और रूस द्वारा सप्लाई की गई बन्दूकों के लिए फालतू बैरलों की सप्लाई के बारे में वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) रूस सरकार द्वारा फालतू पुर्जों की सप्लाई प्राप्त न होने के कारण कितने हैलीकाप्टर स्क्वाड्रन, मिग विमान, परिवहन विमान, बन्दूकें और पी० टी०-75 टैंक काम नहीं कर रहे हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां ।

(ख) जैसा कि 2 सितम्बर, 1970 को लोक सभा में उत्तर दिए गए तारांकित प्रश्न संख्या 756 के उत्तर में कहा गया है कि सोवियत संघ से प्राप्त हुए साज-सामान के लिए फालतू पुर्जों की यू० एस० एस० आर० द्वारा सप्लाई और प्राप्यता के सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति संतोष-जनक नहीं है ।

(ग) ऐसा विस्तार देना लोकहित में नहीं है ।

Import of raw materials for Manufacturing drugs, through State Trading Corporation

*141. **Shri Raghuvir Singh Shastri :**
Shri Yashpal Singh :

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) the names of the chemicals being imported for manufacturing drugs and medicines through the State Trading Corporation ;

(b) their import price and the price at which they are sold to the drug manufacturers; and

(c) if the difference between their import price and the selling-price is wide enough, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines & Metals (Shri D. R. Chavan) : (a) The following chemicals are at present being imported by the State Trading Corporation of India which are required for the manufacture of drugs and medicines :

1. Meta Amino Phenol
2. 3 & 4 Cyanopyridines
3. Sodium Nitrite
4. Iodine

(b) The landed cost of these items and the prices at which they are sold to the actual drug manufacturers are as under :

(Rupees per kg.)

Item	Landed Cost	STC's price
1. Metaminophenol	19.17	20.50 Ex duty
2. 3-Cyanopyridine	33.25	46.00
3. 4-Cyanopyridine	24.25	39.00
4. Sodium Nitrite	1790.80	2600.00
5. Iodine	26.88 to 32.35	40.00

(c) There is not much difference between the import price and selling price in so far as metaaminophenol is concerned. In so far as 3 & 4 cyanopyridines are concerned the STC's selling price is the pooled price of directly imported cyanopyridines and cyanopyridines which were got converted abroad by sending the indigenous picolines manufactured by a private firm (70 tonnes). As regards Sodium Nitrite and Iodine, the prices are fixed after taking into account the prevalent market prices which are high.

Facilities to Naval Fleet of China at East Pakistan Port

*142. **Shri Om Prakash Tyagi :**
Shri Samar Guha :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the news item published in the Times of India, Bombay of the 15th September, 1970 to the effect that China is getting certain facilities at the East Pakistani Port for its naval fleet and is supplying submarines to Pakistan in lieu thereof; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) Yes, Sir.

(b) All these factors are taken into consideration in making our own Defence preparedness.

रेडियो मास्को द्वारा भूमि हथियाओ आन्दोलन का समर्थन

*143. **श्री वि० नरसिम्हा राव :**
श्री देवकी नंदन पाटोदिया :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेडियो मास्को ने भारत में भूमि हथियाओ आंदोलन का समर्थन किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) रेडियो मास्को ने भारतीय साम्यवादी पार्टी के विचारों तथा इसके महासचिव के साथ इस विषय पर लिए गए इन्टरव्यू को प्रसारित किया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

पूना में महार रेजिमेंट द्वारा घोरपाड़ी पुलिस थाने पर आक्रमण

*144 **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महार रेजिमेंट के 400 जवानों ने 8 अक्तूबर, 1970 को रात्रि में पूना के घोरपाड़ी पुलिस थाने पर आक्रमण किया और दुकानें तोड़ डालीं तथा नागरिकों के घर में घुसकर महिलाओं पर आक्रमण किया और आतंक फैला दिया था;

(ख) इन जवानों के आक्रमण से कितने पुलिस कर्मचारी और नागरिक घायल हुए तथा घायल हुए पुलिस वालों के पद क्या हैं ?

(ग) पुलिस तथा नागरिकों द्वारा संकट संदेश में दिये जाने के बावजूद भी वरिष्ठ सैनिक अधिकारियों के विलंब से घटनास्थल पर पहुंचने के क्या कारण हैं; और

(घ) दंगा करने वाले जवानों के विरुद्ध किस प्रकार की अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं । 8 अक्तूबर, 1970 को घोरपाड़ी (पूना) में कुछ जवानों और रेलवे-असैनिक पुलिस में कुछ हाथापाई हुई थी ।

(ख) दो पुलिसमैन अर्थात् एक हैड कान्सटेबल और एक पुलिस कान्सटेबल इस हाथापाई में घायल हुए थे । एक सेना सेविवर्ग भी घायल हुआ था । कोई असैनिक घायल नहीं हुआ था ।

(ग) घटनास्थल पर पहुंचने में सैनिक अफसरों द्वारा कोई अनुचित विलम्ब नहीं हुआ था ।

(घ) घटना में अन्तर्ग्रस्त सेना सेविवर्ग के विरुद्ध की गई अनुशासनिक कार्यवाही नीचे दर्शायी गई है :

एक जे० सी० ओ० का कोर्टमार्शल किया गया था और उसे सेवा से डिसमिस किए जाने का दंड दिया गया था ।

तीन जवानों का कोर्टमार्शल प्रगतिशील है ।

20 **जवानों** के विरुद्ध तुरन्त कार्यवाही की गई थी और उन्हें उचित दंड दिया गया था । एक जवान के विरुद्ध , जो अभी हस्पताल में है, हस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद तुरन्त कार्यवाही की जाएगी ।

ऐसपरीन के प्रयोग के सम्बन्ध में सावधानी

*145. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 18 अक्तूबर, 1970 के 'हिन्दू' समाचारपत्र में ऐसपरीन के प्रयोग के सम्बन्ध में सावधानी (काशन आन यूज़ आफ ऐसपरीन) शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित हुए समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या भारत में ऐसपरीन बिना डाक्टरी नुस्खे के बिक रही है और इसके बुरे प्रभावों की जानकारी के बिना लाखों लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस बारे में जनसाधारण को शिक्षित करने के लिए कार्यवाही की है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या एनेसिन, सैरोडोन, अवेदन जैसी औषधियों, जिसमें ऐसपरीन है, के निर्बाध प्रयोग के प्रभावों का गहन विश्लेषण करने के लिए तथा इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए कोई कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) : ऐसपरीन से बनी दवाइयों को औषधि एवं अंगराग अधिनियम के अधीन डाक्टरी नुसखों पर बेचना आवश्यक नहीं है और वे काउन्टर पर खुले रूप से बिक रही हैं । तथापि थोड़ी-थोड़ी और यदा कदा मात्राओं में ऐसपरीन एक सुरक्षित औषधि है । इसके विषैले प्रभाव का कारण इसे बड़ी मात्रा में और बार-बार खाना है ।

ऐसपरीन के कारण जठरांत्र क्षेत्र विशेषतया आमाशय में रक्त बहने की सम्भावना को लोग बहुत दिनों से जानते हैं और इसलिए पेप्टिक अल्सर और जठरांत्र क्षेत्र से रक्त बहने की अन्य अवस्थाओं में इस औषधि का प्रयोग निषेध होता है । जैसे, साधारण रोगियों के लिए, जो ऐसपरीन यदा-कदा लेते हों, इससे कोई खतरा नहीं है और आमतौर पर आमाशय क्षेत्र पर इसके हानिकारक प्रभावों से बचने के लिए ऐसपरीन भोजन के साथ लेने की सलाह दी जाती है ।

फुटकर औषध विक्रेताओं द्वारा देशव्यापी हड़ताल

*146. **श्री कंवर लाल गुप्त :**
श्री श्रीचन्द गोयल :
श्री रामावतार शास्त्री :

क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फुटकर औषधि विक्रेताओं ने, औषधियों पर लाभ के बारे में प्रशुल्क आयोग प्रतिवेदन को क्रियान्वित करने की मांग के समर्थन में देशव्यापी सांकेतिक हड़ताल की थी; और

(ख) यदि हां, तो उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) रसायनज्ञों और भेषजिकों के अखिल भारतीय संघ के तत्वावधान में रसायनज्ञों के सम्मेलन ने फैसला किया कि औषधि कीमत नियन्त्रण आदेश, 1970 के प्रवृत्त से उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों पर प्रकाश डालने के लिए 17 अक्तूबर, 1970 को एक विरोध दिवस के रूप में मनाया जाए। यह पता लगा है कि कुछ रसायनज्ञों ने उस दिन अपनी दुकानें बन्द रखीं।

(ख) उक्त संघ के अभ्यावेदनों में दिये गये विषय सरकार के विचाराधीन हैं।

Expulsion of Britain from Commonwealth for Supplying Arms to South Africa

*147. **Shri K.M. Madhukar :**
Shri Shiva Chandra Jha :

Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) Whether Government are aware of the statement made recently by President Kuanda of Zambia that Britain should be expelled from the Commonwealth if she continues supplying arms to South Africa;

(b) Whether Zambia has also contacted Government of India in this regard; and

(c) If so, the reaction of Government of India thereto ?

The Minister of External Affairs (Shri Swaran Singh) : (a) Government have seen newspaper reports of a press conference in London during which President Kaunda of Zambia is reported to have said that it would be necessary to consider the expulsion of Britain from the Commonwealth if she resumed arms supplies to South Africa.

(b) No Sir. Although Government have been in touch with Zambia and other members of the Commonwealth on the issue of the intended British arms sales to South Africa, they are not aware of any move so far from any quarter for the expulsion of Britain from the Commonwealth.

(c) does not arise.

दीमापुर के निकट पड़े दूसरे विश्वयुद्ध के अप्रयुक्त बम

*148 **श्री पी० विश्वम्भरन** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोहिमा में दीमापुर के निकट अब भी दूसरे विश्वयुद्ध के अप्रयुक्त बम पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है; और

(ग) उन्हें हटाने तथा नष्ट करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग) ऐसा संभव हो सकता है कि दीमापुर में कुछ बम द्वितीय विश्वयुद्ध के समय से दबे रह गये हों, परन्तु उनकी संख्या और स्थान ज्ञात नहीं है। दीमापुर में चीनी के कारखानों की प्रायोजना के क्षेत्र में 16 अक्तूबर 1970 को एक बम के विस्फोट के पश्चात् क्षेत्र की छानबीन के लिए और पाए जाने वाले किसी अतिरिक्त बम के विध्वंस के लिए एक बम निपटान दल आदिष्ट किया गया है।

बड़े पैमाने पर चिकित्सा-शिक्षा का विस्तार करने की आवश्यकता

*149. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **स्वाथ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष ने 11 सितम्बर, 1970 को जयपुर में हुए यूरोलाजी सैक्शनल सम्मेलन में देश में डाक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए चिकित्सा शिक्षा के बड़े पैमाने पर विस्तार की आवश्यकता पर बल दिया था;

(ख) क्या उन्होंने प्रत्येक स्नातक को रोजगार दिये जाने का भी आश्वासन दिया था; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी हां। तथापि उनके द्वारा व्यक्त विचार, जैसा कि उन्होंने माना है, उनकी निजी राय थी।

(ख) 11 सितम्बर, 1970 को जयपुर में हुए यूरोलाजी सैक्शनल सम्मेलन में विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर कोठारी ने अपने भाषण में इस बात पर बल दिया था कि चिकित्सा शिक्षा के विस्तार के लिए योजना ऐसी बनायी जानी चाहिए कि प्रत्येक स्नातक को रोजगार मिल सके।

(ग) उन्होंने कहा था कि उनके विचार से देश को इस समय उपलब्ध अथवा योजना में प्रस्तावित डाक्टरों तथा परा-चिकित्सा कर्मचारियों की अपेक्षा कहीं अधिक संख्या में डाक्टरों तथा परा-चिकित्सा कर्मचारियों की आवश्यकता है। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि इस उद्देश्य की पूर्ति शिक्षा का स्तर गिराये बिना चिकित्सा शिक्षा का पुनर्गठन करके तथा इसे कम खर्चीला बनाकर की जा सकती है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि चिकित्सा शिक्षा के व्यय में उल्लेखनीय कमी कर दी जाये तो यह उम्मीद की जा सकती है कि डाक्टर सामान्य वेतन दरों पर ही ग्राम क्षेत्रों में काम करने के लिए तैयार हो जायेंगे तथा सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं में अपना सहयोग दे सकेंगे।

जहां तक चिकित्सा शिक्षा की समस्या का सम्बन्ध है, सरकार ने पहले से ही कतिपय कदम सही दिशा में उठाये हैं। सरकार ने इस विषय की पुनरीक्षा के लिए एक समिति नियुक्त

की थी तथा इस समिति की सिफारिशों पर जुलाई 1970 में नई दिल्ली में हुए चिकित्सा शिक्षा सम्मेलन में विचार किया गया था। इस सम्मेलन द्वारा तथा बाद में केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद की कार्यकारिणी द्वारा यथानुमोदित सुझावों को भारत सरकार ने अब मंजूर कर लिया है तथा उन्हें सभी राज्य सरकारों, मेडिकल कालेजों एवं चिकित्सा संकायों वाले विश्वविद्यालयों को क्रियान्विति के लिए भेज दिया है। सरकार द्वारा मंजूर किये गये सुझावों में से एक सुझाव चिकित्सा कालेजों की संख्या में धीरे-धीरे बढ़ोत्तरी करने तथा वर्तमान मेडिकल कालेजों में प्रवेश बढ़ाने के बारे में है ताकि देश में विशेषतया ग्राम क्षेत्रों में डाक्टरों की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए चिकित्सा शिक्षा का बड़े पैमाने पर विस्तार किया जा सके। सरकार ने बेसिक डाक्टर तैयार करने की बात को भी ध्यान में रख लिया है जो समाज को पर्याप्त सेवाएं उपलब्ध कर सकेंगे।

Seizure of Cartridges at a Railway Station in Madhya Pradesh

*150. **Shri Ram Avtar Sharma :**
Shri Yashwant Singh Kushwah :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) Whether 12,000 cartridges, bearing the marks of Jabalpur Ordnance Factory of Ministry of Defence, packed in a box, were seized at a Railway Station in Madhya Pradesh which were being transported by anti-social elements for sale to dacoits in the dacoit infested areas;

(b) if so, whether any inquiry has been held to find out the names of the officers involved in taking out those cartridges out of the factory;

(c) if not, the reasons therefor; and

(d) if so, whether any punishment has been given to the officers found guilty and the steps taken by Government to prevent the occurrence of such thefts of military arms and ammunition in future ?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Defence Production) (Shri P.C. Sethi) : (a) to (d) : The information is being collected and a statement will be laid on the Table of the House.

पाकिस्तान को मिराज विमानों की सप्लाई के बारे में फ्रांस को विरोध-पत्र भेजना

801. **श्री बाबूराम पटेल :**
श्री रामावतार शर्मा :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान के पास इस समय कितने मिराज विमान हैं तथा किस किस्म के हैं;

(ख) क्या यह सच है कि पाकिस्तान ने फ्रांस के मार्शल दाससोल्ट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी से 30 मिराज विमान, 5 लड़ाकू-विमान, 112 लाख रुपये प्रति विमान के मूल्य से खरीदे हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या हमारी सरकार ने फ्रांस की सरकार को कोई विरोधपत्र दिया है; यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या पाकिस्तान की इस चुनौती का सामना करने के लिए हमारे पास पर्याप्त संख्या में कोई मिराज विमान अथवा कोई अन्य शक्तिशाली लड़ाकू विमान हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) पाकिस्तान द्वारा प्राप्य मिराज विमानों की मुख्य किस्में हैं मिराज-3ई और मिराज-5। सरकार के पास संख्या के सम्बन्ध में सूचना है परन्तु इस विषय पर सरकार की सूचना प्रकट करना वांछनीय नहीं होगा।

मिराज-5 लड़ाका विमानों के लिए पाकिस्तान द्वारा अदा किया गया मूल्य मालूम नहीं है।

(ग) फ्रांस की सरकार को बता दिया गया है कि पाकिस्तान की सशस्त्र शक्ति ने किसी प्रकार की वृद्धि भारत की सुरक्षा और उपमहाद्वीप में स्थिरता तथा शान्ति के लिए संकट का कारण होगी।

(घ) परिवर्तनशील संकट का सामना करने के लिए भारतीय वायुसेना के साज-सामान का निरन्तर पुनरीक्षण किया जा रहा है।

प्रत्येक राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र में तेल शोधक कारखाने की स्थापना

803. **श्री अब्दुल गनी डार** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में तेल शोधक कारखाना स्थापित करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं को कब तक चालू किया जायेगा ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मुसलमानों तथा हरिजनों की सेना मे भर्ती

804. **श्री अब्दुल गनी डार** : क्या **प्रतिरक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मुसलमानों को उनकी प्रतिशतता के अनुसार सेना में भर्ती करने का निर्णय ले लिया है;

(ख) क्या पिछले 25 वर्षों में एक भी प्रतिशत मुसलमान सेना में नहीं लिए गये हैं; और

(ग) क्या हरिजनों के लिए निर्धारित प्रतिशतता भी पूरी की जाएगी ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) रक्षा सेवाओं में भर्ती सभी अर्ह व्यक्तियों के लिए बिना जाति, पंथ, सम्प्रदाय और धर्म के भेदभाव के सभी के लिए खुली है।

समस्त भर्ती स्वेच्छिक आधार पर की जाती है। रक्षा सेवाओं में सम्प्रदायवार भर्ती बता पाना संभव नहीं है। परन्तु यह कहा जा सकता है कि हाल के बीते समय में मुसलमानों की संख्या कि जिन्होंने अपने आप को भर्ती के लिए पेश किया और जो भर्ती कर लिए गए थे काफी बढ़ी है।

(ग) रक्षा सेवाओं में हरिजनों के लिए कोई कोटा नियत नहीं है।

त्रिवेंद्रम में क्षेत्रीय पारपत्र केन्द्र

805. **श्री मंगलाथुमाडम :** क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिवेंद्रम में एक क्षेत्रीय पारपत्र केंद्र खोलने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उक्त केंद्र संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त केंद्र के अधीन कितने क्षेत्र को लाभान्वित किये जाने की संभावना है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

विभिन्न राज्यों में दन्त-चिकित्सकों की दशा

806. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान विभिन्न राज्यों में दन्त-चिकित्सकों की दुर्दशा की ओर आकर्षित किया गया है जो कि पूरी अर्हतायें प्राप्त होने पर भी अपनी जीविका कमाने में कठिनाई का सामना कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर भी आकर्षित किया गया है कि अर्हता-प्राप्त डाक्टरों को भी नौकरियों के अवसरों के अभाव तथा अथवा पूंजी की कमी के कारण अपना निजी व्यवसाय न कर सकने की परिस्थितियों से वशीभूत होकर अन्य व्यवसाय अपनाने पड़े हैं;

(ग) क्या सरकार ने देश में बेरोजगार दन्त-चिकित्सकों के बारे में कोई सर्वेक्षण कराये हैं अथवा कराने का विचार है और यदि हो, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

(घ) क्या भारतीय चिकित्सा संघ ने दन्त-चिकित्सा सेवा का विस्तार करने, दन्त-चिकित्सा उपकरणों के आयात को उदार बनाने तथा भारतीय साज-सामान के मूल्यों को नियंत्रित करने और नये स्नातकों को अपना व्यवसाय आरम्भ करने हेतु ब्याज मुक्त ऋण देने के लिए सरकार से अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, को तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इसके बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ङ) राज्य सरकारों से सूचना एकत्र की जा रही है तथा यथासमय सभापटल पर रख दी जायेगी।

सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग के उप-सलाहकार द्वारा आत्महत्या

807 **श्री सूरज भान :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग के उप-सलाहकार डा० एस० राधाकृष्णम नामक अनुसूचित जाति के एक वरिष्ठ अधिकारी ने 28 अक्तूबर, 1970 को आत्म-हत्या कर ली थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि गत आठ वर्षों से उसके कनिष्ठ अधिकारी सेवा में उसका अधिक्रमण कर रहे थे;

(ग) उससे कनिष्ठ कितने अधिकारियों ने उसका अधिक्रमण किया था और उसको पदोन्नत न किये जाने के क्या कारण थे;

(घ) उसने कितने अभ्यावेदन दिये थे तथा किसको प्रस्तुत किये थे तथा उनमें से अभी कितने अभ्यावेदनों पर निर्णय लेना है; और

(ङ) क्या पदोन्नति न दिया जाना उसकी आत्म-हत्या का एक मुख्य कारण है अथवा अन्य कारणों में से एक है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ङ) पुलिस द्वारा इस मामले की छानबीन की जा रही है। पुलिस द्वारा अब तक की गई जांचों से पता चलता है कि यह आत्म-हत्या का मामला है तथा इसका कारण घरेलू परेशानियां हैं।

(ख) से (घ) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभापटल पर रख दी जायेगी।

ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में डाक्टरों को प्रैक्टिस न करने का भत्ता देना

808 **श्री मंगलाथुमाडम :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक्टरों को ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में उनके द्वारा प्रैक्टिस न करने के लिए दिये जाने वाले भत्ते के क्या नियम हैं;

(ख) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रहे डाक्टरों के द्वारा प्रैक्टिस न करने के लिए अधिक भत्ता देने की मांग बढ़ती जा रही है; और

(घ) क्या, केन्द्रीय वेतन आयोग को यह मामला विचारार्थ भेजा गया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जहां तक केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के अधीन नियुक्त किये गये डाक्टरों का प्रश्न है उन्हें किसी भी प्रकार की प्राइवेट प्रैक्टिस जिसमें परामर्श देना और प्रयोगशाला प्रैक्टिस सम्मिलित है, प्राइवेट प्रैक्टिस के करने की अनुमति नहीं दी जाती है। चाहे वे

ग्राम क्षेत्रों में कार्य कर रहे हों अथवा शहरी क्षेत्रों में—वे निम्नलिखित दरों पर नान-प्रैक्टिसिंग भत्ता पाने के हकदार हैं—

(1) **जनरल ड्यूटी अफसर ग्रेड-1, विशेषज्ञ ग्रेड तथा सुपरटाइम ग्रेड-1 और 2 में नियुक्त अधिकारी—**

वेतन का 50 प्रतिशत जो 600 रु० प्रतिमास से अधिक न हो

(2) **जनरल ड्यूटी अफसर ग्रेड-2 (स्नातक अधिकारी तथा लाइसेन्सिएट अधिकारी) के अधिकारी—**

वेतन का $33\frac{1}{3}\%$ जो 150 रु० प्रतिमास से कम न हो,

(ख) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के जो अधिकारी 'घ' वर्ग के स्टेशनों में, जहां जीवन की आधुनिक सुविधाओं का अभाव है, काम करते हों, उन्हें 150 रु० प्रतिमास विशेष चिकित्सा भत्ता देने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है, आधुनिक सुविधाओं से वंचित क्षेत्रों में चल रहे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में तैनात चिकित्सा अधिकारियों को 150 रु० प्रतिमास विशेष भत्ता देने के लिए एक प्रस्ताव पर भी विचार किया जा रहा है,

(ग) जी नहीं।

विदेशों में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए प्रतिनियुक्त केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग के इंजीनियर

809. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम्** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु प्रतिनियुक्त केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग के इंजिनियरों की विषयवार संख्या क्या है;

(ख) ऐसे इंजीनियरों की संख्या कितनी है जिन्हें ऐसे ही कार्य पर लगाया गया है जिसका उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया था; और

(ग) यदि उन सबको वैसे ही कार्य पर नहीं लगाया जा सका तो उसके क्या कारण हैं तथा भविष्य में इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री परिमल घोष) (क) गत 5 वर्ष की सूचना का एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) एक ही प्रकार के कार्यों में कार्य कर रहे विदेशीय प्रशिक्षण प्राप्त इंजीनियरों की संख्या तुरन्त उपलब्ध नहीं है। जहां तक संभव है, अधिकारियों को उनके प्रशिक्षण में प्राप्त ज्ञान का उपयोग उन्हें उसी प्रकार के कार्य में लगाकर किया जाता है जिसके लिए उन्होंने प्रशिक्षण पाया है। यद्यपि, उन्हें अन्य प्रकार के कार्य पर लगाया भी जाता है तो कार्य की

आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए उन्हें ज्योंही अवसर प्राप्त होता है सही कार्य पर लगाने के प्रयत्न किये जाते हैं।

विवरण

I सिविल :

1	भवन निर्माण/निर्माण की आधुनिक तकनीकियां - - -	2
2.	प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट निर्माण/पुल-निर्माण - - - -	4
3.	निर्माण का विकास चक्र - - - - - -	3
4.	भूकम्प विज्ञान/भूकम्प इंजीनियरिंग - - - - -	3

II बिजली संबंधी :

1.	अनाज का बड़े पैमाने पर भंडार करना तथा उनकी यांत्रिक संभाल - - - - - - -	1
2.	यांत्रिक निर्माण उपकरण - - - - - -	1
3.	रनवे की रोशनी तथा हवाई अड्डे के उपकरण - - -	1
4.	बड़े भवनों में बिजली की अन्दरूनी सयंत्रणों की रोकथाम सम्बन्धी देख-रेख - - - - - -	2
5.	एम० एस० भवनों में बिजली सेवाएं - - - - -	1
6.	संसद भवन में स्थापित स्वचालित मत गणना के उपकरण को चलाना और अनुरक्षण - - - - -	1

टिप्पणी : उपरोक्त सूचना केवल गत पांच वर्षों की ही है।

केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग के इंजीनियरों के लिए एक फोरम की स्थापना

810. **श्री एस० डी० सोमसुन्द्रम्** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग इंजीनियर संघ तथा सरकार के मध्य विवादों को हल करने हेतु इस समय कोई फोरम है;

(ख) यदि हां, तो उक्त फोरम के क्या कर्त्तव्य हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो ऐसा कोई फोरम स्थापित न करने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री परिमल घोष) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग इंजीनियर्स एसोसिएशन में केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग के प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के इंजीनियर हैं । यद्यपि, विवादों के निपटारे के लिए ऐसा कोई फोरम नहीं है, फिर भी ऐसोसिएशन के प्रतिनिधि अपनी समस्याओं तथा कठिनाइयों को सरकार के सम्मुख समय-समय पर रख सकते हैं तथा वे रखते हैं और इन पर उचित विचार किया जाता है । केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग इंजीनियर्स एसोसिएशन तथा सरकार के मध्य मत-भेद को निपटाने के लिए एक स्थायी व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है ।

भूतपूर्व संसद सदस्यों को पुरानी जीपों का आवंटन

811. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम् :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भूतपूर्व संसद सदस्यों को पुरानी जीपें आवंटित करने का है जैसा कि संसद-सदस्यों तथा विधायकों के लिए किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो वे शर्तें क्या हैं जिनके आधीन उक्त जीपें आवंटित की जायेंगी ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह महीडा) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

खनिजों के लिए तट दूर खोज

812 **श्री रा० कृ० बिड़ला :** क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार हिमालय के निकटवर्ती क्षेत्र से लेकर समुद्र तक के विशाल क्षेत्र में तेल के अतिरिक्त खनिजों की भूमि, वायु तथा जल के जरिये खोज का एक तीव्र अभियान चला रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कार्यक्रम के परिणामस्वरूप यदि कोई उपलब्धियां हुई हों तो वे क्या हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) और (ख) जी, हां । महाद्वीपीय तट के पूर्ण समन्वेषण एवं कुल 26,500 किलो-मीटर लगभग क्षेत्र के समुद्र-पर्यटन द्वारा नमूने तथा आधार-सामग्री एकत्र करने हेतु भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण में, 1965 में, एक समुद्री भू-विज्ञान एकक स्थापित किया गया है । एकक महाद्वीपीय निधायों के तेल से भिन्न दूसरे खनिजों का समन्वेषण भी करेगा तथा मितव्ययी खनिज अवसाद, अन्तःकृत आदि के भू-विज्ञान-वितरण को दर्शित करने वाले मानचित्र भी तैयार करेगा । भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण को एक निजी अन्वेषण जलयान से लैस करने का प्रस्ताव है ।

(ग) अभी तक किए गए काम के परिणामस्वरूप लक्कादीव द्वीप समूहों में दो उपह्रदों में उच्च श्रेणी के 160 मैट्रिक टन चूर्णमय रेत की उपलभ्यता साबित हो गई है । हाल ही में, अण्डमान के उत्तरी तट में फास्फोराइट के लिए अध्ययन प्रारंभ किया गया है । कलकत्ता, मंगलौर, पारादीप

तथा टूटीकोरिन बन्दरगाहों एवं कवारत्ती उपह्रद के अभिगमों में अवसाद-संचलन का अध्ययन किया गया है ।

हवाई भू-सर्वेक्षण की स्थापना

813. **डॉ० रानेन सेन :** क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में खनिज पदार्थों की खोज को तेज करने के लिए अपना ही एक हवाई भू-सर्वेक्षण एकक स्थापित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे सर्वेक्षण एकक की स्थापना पर अनुमानत. कितनी लागत आयेगी ?

(ग) क्या उक्त सर्वेक्षण एकक के लिए आवश्यक उपकरण प्राप्त करने के लिए कोई कार्य-वाही की गई; और

(घ) उक्त सर्वेक्षण एकक सम्भवत: कब तक स्थापित हो जायेगा ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) से (घ) भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण में एक एकीकृत हवाई भू-भौतिकी एकक स्थापित किया जा रहा है । कनेडा विकास ऋण के अधीन, इस एकक के लिए उपकरण प्राप्त किया जा रहा है जिसकी लागत लगभग 1,68,730 कनाडियन डालर होगी । प्रथमावस्था में, इस परियोजना के अधीन गुजरात, राजस्थान और मध्यप्रदेश में सर्वेक्षण संचालित किए जायेंगे । उपकरणों के प्राप्त होने, उनकी जांच हो जाने एवं उनके उपयुक्त वायुयान पर जोड़ देने के उपरान्त ही यह एकक कार्य करना प्रारम्भ कर देगा ।

Scheme for Indigenous Manufacture of Diamonds

814. Shri Valmiki Chaudhary : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government are preparing a scheme to manufacture diamonds in the country;

(b) if so, the main features of this scheme; and

(c) the time by which this scheme will be finalised ?

The Minister of state in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri Nitiraj Singh Chaudhary) : (a) and (b) The National Mineral Development Corporation has a proposal to establish a cutting and polishing centre at Panna to make finished diamonds from rough diamonds. A study team consisting of two representatives of National Mineral Development Corporation and one from Directorate General of Technical Development has gone to the United Kingdom, Germany, Belgium, Netherlands and France for studying the diamond market, cutting and polishing techniques and the availability of facilities and equipment etc., from those countries.

(c) The team will be returning to India towards the end of November, 1970, and the scheme will be formilated after examination of its report.

जापानी सहयोग से आन्ध्र प्रदेश में एक नायलोन कारखाने की स्थापना

815. **श्री वि० नरसिम्हा राव :**
श्री नारायणन :
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने सरकारी क्षेत्र में एक नायलोन कारखाना स्थापित करने के लिए जापानी सहयोग की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो इस कारखाने को कहां स्थापित किये जाने की संभावना है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने उक्त कारखाने की स्थापना के लिए अपनी अनुमति दे दी है; और

(घ) इस कारखाने पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होगी ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) भारत सरकार ऐसे किसी प्रस्ताव के बारे में नहीं जानती है ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर द्वारा उर्वरक उद्योग समूह स्थापित करने का प्रस्ताव

816. **श्री एस० आर० दामानी** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर द्वारा उर्वरक उद्योग समूह स्थापित करने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावों का स्वरूप क्या है, वे कब से विचाराधीन हैं और इस सम्बन्ध में निर्णय में देरी के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

ब्रिटिश सहयोग से तांबा प्रद्रावक संयंत्र की स्थापना

817. **श्री बे० कु० दास चौधरी** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक ब्रिटिश कम्पनी द्वारा देश में एक बहुत बड़ा तांबा प्रद्रावक संयंत्र स्थापित किया जाना है जो उर्वरकों के लिए गन्धक का भी उत्पादन करेगा; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) और (ख) प्रकल्पत: यह हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड द्वारा खेतड़ी ताम्र प्रायोजना में स्थापित किए जा रहे ताम्र प्रद्रावक के संदर्भ में है।

खेतड़ी ताम्र प्रायोजना में प्रद्रावक, फिनलिडे की मैसर्स औटोकुमूपू ओइ की एकस्वकृत स्फुरण प्रद्रावक प्रक्रिया को अंगीकृत करेगा। संयंत्रों की स्फुरण भट्टी क्षेत्र के सम्बन्ध में संयंत्र अभिन्यास, स्थूल उपकरण विनिर्देश आदि के बारे में साधारण तकनीकी विवरणों के साथ, प्रक्रिया के लिए एकस्व अधिकार मैसर्स औटोकुमूपू ओइ से 1965 में उनके साथ हुए करार के अधीन खरीदे गये थे। उपकरण के विस्तृत विनिर्देशों, विस्तृत सिविल इंजीनियरिंग डिजाइन, प्रद्रावक संयंत्र के स्फुरण भट्टी क्षेत्र के सन्निर्माण और यांत्रिक स्थापना की प्रायोजना-व्यवस्था और पर्यवेक्षण को सम्मिलित कर विस्तृत डिजाइन इंजीनियरिंग के लिए जून, 1970 में ब्रिटेन निगमित कम्पनी मैसर्स पावर गैस कारपोरेशन, बम्बई के साथ संविदा की गई थी। स्फुरण भट्टी की बैटरी परिसीमाओं के बाहर का क्षेत्र पावर गैस कम्पनी के साथ किए गए करार के अन्तर्गत नहीं आता है। मैसर्स पावर गैस के साथ हुई संविदा में स्फुरण भट्टी क्षेत्र के लिए विस्तृत डिजाइन इंजीनियरिंग के लिए संविदा का मूल्य, विदेश मुद्रा घटक की 3.90 लाख रुपए को सम्मिलित कर सहित 38.78 लाख रुपए हैं।

खेतड़ी ताम्र प्रायोजना में स्थापित किए जा रहे प्रद्रावक संयंत्र की कुल लागत विदेशी मुद्रा घटक के 2.75 करोड़ रुपए सहित लगभग 9.19 करोड़ रुपए प्राक्कलित हैं। प्रद्रावक की अग्नि द्वारा परिष्कृत ताम्र की वार्षिक क्षमता लगभग 31.000 मैट्रिक टन है। प्रद्रावक गैस का प्रयोग मंदकीय अम्ल के विनिर्माण हेतु किया जाएगा जो लगभग 194,000 मैट्रिक टन प्रतिवर्ष त्रिपल सुपरफास्फेट उर्वरक के उत्पादन में प्रयोग लाई जाएगी जिसके लिए खेतड़ी में एक अलग अम्ल-सह-उर्वरक संयंत्र स्थापित किया जा रहा है।

अन्तर्राष्ट्रीय विधि संगठन के हेग में हुए सम्मेलन में स्वीकार किए गए प्रस्ताव

818. **श्री अदिचन** : क्या **बैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तर्राष्ट्रीय नदियों के उपयोगों सम्बन्धी नियमों एवं विनियमों के बारे में इस वर्ष अगस्त मास में अन्तर्राष्ट्रीय विधि संगठन के हेग में हुए द्विवार्षिक सम्मेलन के निर्णय क्या थे; और

(ख) भारत के वह प्रस्ताव कौन से थे जो सम्मेलन में स्वीकार किये गये थे ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय विधि संघ की अंतर्राष्ट्रीय जल स्रोत विधि सम्बन्धी समिति ने संघ के द्विवार्षिक सम्मेलन में अपनी द्वितीय प्रगति रिपोर्ट दे दी है। जिस प्रस्ताव के द्वारा प्रगति रिपोर्ट को स्वीकार किया गया उसमें समिति से यह भी अनुरोध किया गया है कि अगले द्विवार्षिक सम्मेलन में अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए काम जारी रखें। इस समिति से सम्बद्ध कोई भी विषय प्रगति रिपोर्ट में शामिल नहीं है। अत:, सम्मेलन किसी ठोस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा।

(ख) भारत के न्यायाधीश श्री सीकरी ने जो इस समिति के सदस्य हैं, उपर्युक्त प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव को सम्मेलन ने स्वीकार किया।

गुजरात राज्य उर्वरक निगम को संयुक्त क्षेत्र की परियोजनाओं के उत्पादन ढांचे पर तूतीकोरिन उर्वरक का कथित दुप्रभाव

819. **श्री सं० चं० सामन्त :** क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम दक्षिणी पेट्रो-रसायन निगम को तूतीकोरिन उर्वरक हेतु जारी किये गये आशय-पत्र में मेलामाईन रेसिन तथा मेलामाईन फार्मेलदीहाईड का उत्पादन करने की परियोजनायें भी शामिल हैं; और

(ख) क्या इन दो उत्पादनों के लिए अतिरिक्त लाइसेंस देने से संयुक्त क्षेत्रीय गुजरात राज्य उर्वरक निगम पर कुप्रभाव पड़ेगा ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण): (क) और (ख) 7 अक्तूबर, 1969 को स्वीकृत आशय-पत्र तूतीकोरिन में एक उर्वरक कारखाने की स्थापना के लिए था। परन्तु मैसर्स सदर्न पेट्रो-केमीकल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लि०, मद्रास, ने जून, 1970 में प्रतिवर्ष 4800 मीटरी टन की क्षमता के मेलामाइन के निर्माण के लिए एक औद्योगिक लाईसेन्स हेतु प्रार्थना-पत्र दिया। विभिन्न राज्यों में इस पद के निर्माण के लिए अन्य पार्टियों से प्रार्थना-पत्रों के साथ इस प्रार्थना-पत्र पर लाइसेन्सिग समिति द्वारा विचार किया गया था। लाइसेन्सिग समिति की सिफारिशों के अनुसरण में मैसर्स सदर्न पेट्रो-केमीकल इण्डस्ट्रीज़ कारपोरेशन लि० को एक प्रत्यक्षत: अस्वीकार पत्र 2-11-1970 को जारी किया गया है।

दक्षिण-भारत पेट्रो-रसायन उद्योगों में सरकारी क्षेत्र के संस्थानों द्वारा पूंजी निवेश

820. **श्री सं० चं० सामन्त :** क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडू औद्योगिक विकास निगम का अध्यक्ष तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के दक्षिण भारत पेट्रो-रसायन उद्योगों का अध्यक्ष एक ही व्यक्ति है; और

(ख) गैर-सरकारी प्रबन्धाधीन उक्त उर्वरक कारखाने में पूंजी निवेश की प्रतिशतता क्या है जो कि सरकारी क्षेत्र के स्थानों आदि से आयेगी ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी नहीं।

(ख) परियोजना की वित्त सम्बन्धी योजना सरकार ने अभी तक अनुमोदित नहीं की है।

जम्मू व काश्मीर सरकार द्वारा कतिपय परिस्थितियों में गर्भपात की अनुमति देने सम्बन्धी प्रस्ताव

823. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू व काश्मीर सरकार ने कतिपय परिस्थितियों में गर्भपात की अनुमति देने के प्रश्न पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख) राज्य सभा में पेश किये गये गर्भ की चिकित्सीय समाप्ति विधेयक, 1969 के अनुरूप एक गर्भ की चिकित्सकीय समाप्ति विधेयक जम्मू व कश्मीर विधान सभा में प्रस्तुत किया गया है। उस विधान-सभा ने उसे संयुक्त प्रवर समिति को भेज दिया है।

Cattle Killed due to Military Firing

824. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether about 300 cattle of Bhager village near Ballabhgarh have been killed in the military training at firing range situated there; and

(b) if so, the action taken to avoid such loss of cattle to the people there in future ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) No, Sir. Complaints were received in respect of 40 heds of cattle killed and 12 injured. Casualties occur only when the villagers do not heed advice and warning regarding the firing. However, Rs. 6,000/- has been paid to the villagers in this case.

(b) According to the existing procedure, the following precautionary measures are taken to prevent accidents and keep people and cattle out of the ranges when firing is in progress :

(i) Advance notice is given through civil authorities to clear the villages in the danger area.

(ii) Only when the civil authority certifies that the range is clear, firing is conducted.

(iii) Permanent notice board are put up to warn people against entering the range when firing is in progress.

(iv) Sentries with red flags are posted to prevent entry of people and cattle.

(v) A record of unexploded shells is kept and these are searched and destroyed after every day's firing.

ब्रिटिश ब्राडकास्टिंग कारपोरेशन के भारत सरकार के साथ संबंध

825. **श्री मुहम्मद शरीफ :**
श्री शंकर राव माने :
श्री सामिमाथन :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश ब्राडकास्टिंग कारपोरेशन और भारत सरकार के बीच संबंधों में एक नया अध्याय प्रारम्भ करने की उत्सुकता दिखाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) ब्रिटिश सरकार इस विषय पर भारत सरकार से सम्पर्क बनाए हुए है।

शहरी सम्पत्ति की अधिकतम सीमा निर्धारित करने का प्रस्ताव

827. **श्री योगेन्द्र शर्मा :**
श्री न० रा० देवघरे :
श्री लोबो प्रभु :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शहरी सम्पत्ति की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री परिमल घोष) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारत द्वारा आणविक शस्त्रों का उत्पादन

828. **श्री चेंगलरावा नायडू :**
श्री रा० बरुआ :

क्या **प्रतिरक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान उन प्रेस रिपोर्ट्स की ओर गया है जिनमें देश के प्रतिरक्षा विशेषज्ञों ने भारत द्वारा अणु शस्त्र बनाने पर जोर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उनके सुझावों पर विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में लिये गये निर्णय का ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग) सरकार को इस बात का ज्ञान है कि भारत में नाभिकीय आयुधों के उत्पादन की वकालत करते हुए समाचार-पत्रों में विचार व्यक्त किए गए हैं। जैसे कि सदन में पहले स्पष्ट किया गया है, इस संबंध में सरकार की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

Nuclear Tests by China, Soviet Union and U.S.A.

829. Shri Raghuvir Singh Shastri : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the reports that China, the

Soviet Union and the U.S.A. have conducted nuclear tests during October, 1970; and

(b) if so, the purpose behind such tests and the reaction of the Government of India thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh): (a) Yes, Sir.

(b) Nuclear weapons tests are carried out for the purpose of sophisticating nuclear weapons. India has always been opposed to all nuclear weapons tests.

कलकत्ता कारपोरेशन के मेयर द्वारा रखी गयी मांगें

830. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि कलकत्ता कारपोरेशन के मेयर द्वारा 3 अक्तूबर, 1970 को संवाददाता सम्मेलन में प्रस्तुत मांगों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : कलकत्ता निगम के महापौर द्वारा 3 अक्तूबर, 1970 को हुए प्रेस सम्मेलन में उठाई गई मांगों के विवरण पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त किये जा रहे हैं। उक्त विवरणों के प्राप्त होने पर इस मंत्रालय द्वारा इनकी जांच की जायेगी।

वियतनाम से संयुक्त राज्य अमरीका की सेना का हटाया जाना

831. **श्री इसहाक सम्भली** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण में संयुक्त राज्य अमरीका से कहा है कि वह वियतनाम से अपनी फौज हटा लेने के बारे में कोई निश्चित तिथि निर्धारित करें; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) विदेश मंत्री ने यह कहा था कि हमारे विचार से इस (पेरिस) वार्ता में प्रगति हो सकती है यदि ऐसा संकेत मिले कि सभी विदेशी सैनिक वियतनाम से हटा लिए जाएंगे। अमरीका सरकार ने कुछ सैनिक हटा लिए हैं, और हमारा विश्वास है कि यदि अन्तिम रूप से सेना हटा लेने का पक्का कार्यक्रम बना लिया जाए तो यह पेरिस वार्ता के लिए सहायक होगा।

नागालैण्ड में कानून तथा व्यवस्था की स्थिति

832. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नागालैण्ड राज्य में कानून तथा व्यवस्था की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या वर्तमान स्थिति को देखते हुए आसाम कार्य विशेष शक्तियां अधिनियम वापस लेने अथवा इसे समाप्त करने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसे कब तक और किन परिस्थितियों में समाप्त किया जायेगा ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) पिछले कई महीनों में नागालैंड की कानून और व्यवस्था की स्थिति में यथेष्ठ सुधार हुआ है। स्थिति पर राज्य सरकार का नियंत्रण है। हाल के महीनों में बहुत बड़ी संख्या में नागा आत्म समर्पण कर रहे हैं। छिपे नागाओं से तंग और शांति चाहने वाले ग्रामीणों के विरोध के कारण जबर्दस्ती धन और रसद लेने तथा भर्ती करने के प्रयत्न में वे अधिकाधिक विफल सिद्ध हो रहे हैं। नागा नेता छिपे नागाओं को शांति तथा विवेक के पथ पर लाने के लिए उनसे अनौपचारिक सम्पर्क बनाए हुए हैं।

(ख) और (ग) माननीय सदस्य संभवत: सशस्त्र सेना (विशेष अधिकार) विनियम 1958 का उल्लेख कर रहे हैं, जिसकी वैधता सशस्त्र सेना (विशेष अधिकार) अविराम अधिनियम 1969 के द्वारा 5 अप्रैल, 1972 तक बढ़ा दी गई है। राज्यपाल द्वारा घोषित अशान्त क्षेत्रों में काम करने वाली सशस्त्र सेनाओं को यह विनियम, विशेष अधिकार देता है। सीमा के पार छिपे नागाओं के आवागमन को रोकने के उद्देश्य से बर्मा से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ सिर्फ तीन मील चौड़ी पट्टी ही अब अशांत क्षेत्र घोषित है। जब तक स्थिति पूर्णत: सामान्य न हो जाय, विनियम की आवश्यकता बनी रहेगी, जिससे भविष्य में उत्पन्न होनेवाली किसी भी असाधारण स्थिति का जहां सशस्त्र सेना द्वारा विशेष अधिकारों का प्रयोग आवश्यक हो, प्रभावशाली ढंग से मुकाबला किया जा सके।

पाकिस्तान से वहां प्रशिक्षण प्राप्त नागा विद्रोहियों का उखरूल (मनीपुर) से नागालैंड में प्रवेश

833. **श्री वे० कृ० दास चौधरी** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान से प्रशिक्षण प्राप्त कुछ नागा विद्रोही सितम्बर के महीने में पाकिस्तान से मणिपुर के उखरूल क्षेत्र से नागालैंड में घुस आये थे; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) ये खबरें मिली थीं कि कुछ छिपे नागा जो पूर्वी पाकिस्तान में प्रशिक्षित हुए हैं, मणिपुर से होकर देश में फिर प्रवेश करने का प्रयास करेंगे। हमारी सुरक्षा सेनाएं सतर्क हैं। इस बात का अभी तक पुष्टीकरण नहीं हुआ है कि इन लोगों ने सितम्बर, 1970 में उखरूल से होकर नागालैंड में प्रवेश किया है।

दिल्ली में स्थानीय निकायों के कर्मचारियों की मांगें

834. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में 17 सितम्बर, 1970 से जो स्थानीय निकायों के कर्मचारी हड़ताल पर थे उनकी क्या-क्या मांगें हैं; और

(ख) इस विवाद को सुलझाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) 17 सितम्बर, 1970 से दिल्ली नगर निगम अथवा नई दिल्ली नगर पालिका में कर्मचारियों की कोई हड़ताल नहीं हुई ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

छिपे नागाओं द्वारा नागालैंड और मनीपुर में धन की जबरन वसूली

835. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष के दौरान छिपे नागा नागालैंड और मनीपुर के नागा क्षेत्रों के ग्रामीणों से जबरन और आतंकित करके लाखों रुपये वसूल करते रहे हैं;

(ख) क्या उक्त समाज-विरोधी गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने हाल ही में छिपे नागाओं के किन्हीं बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया है;

(ग) यदि हां, तो कब और उनके नाम क्या हैं; और

(घ) नागाओं द्वारा निर्दोष ग्रामीणों के आतंकित किये जाने को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) छिपे नागाओं द्वारा ग्रामीणों से जबर्दस्ती धन लेने के प्रयत्न की जानकारी सरकार को है।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) सरकार ने मनीपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में अतिरिक्त सुरक्षा केन्द्रों और नागालैंड में अतिरिक्त पुलिस केन्द्रों की स्थापना की है । गश्त बढ़ा दिया गया है । ग्रामीणों के असहयोग एवं विरोध तथा राज्य प्रशासन और सुरक्षा सेना की निगरानी के कारण छिपे नागाओं के जबर्दस्ती धन वसूल करने के प्रयत्न अधिकाधिक विफल सिद्ध हो रहे हैं ।

प्रधानमन्त्री की विदेशों की यात्रा

836. **श्री एम० एम० कृष्ण** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने सितम्बर और अक्तूबर 1970 को बहुत से विदेशों की यात्रा की थी ।

(ख) यदि हां, तो उन्होंने किन-किन देशों की यात्राएं की थीं;

(ग) उनके राष्ट्राध्यक्षों से किन-किन विषयों पर चर्चा हुई थी; और

(घ) उससे क्या परिणाम निकला तथा यात्रा में कितनी विदेशी मुद्रा व्यय हुई ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) से (घ) प्रधान मंत्री ने गुट-निरपेक्ष देशों के सम्मेलन में भाग लेने के लिए लुसाका (जाम्बिया) की यात्रा की जो वहां सितम्बर 1970 में हुआ । संयुक्त राष्ट्र महासभा के विशेष स्मारक अधिवेशन में भाग लेने के लिए, जो संयुक्त राष्ट्र संघ की 25वीं वर्षगांठ मनाने के लिए बुलाया गया था, वे अक्तूबर 1970 में न्यूयार्क (संयुक्त राज्य अमरीका) भी गईं।

इन दो यात्राओं के दौरान, जो अन्तर्राष्ट्रीय निकायों की बैठकों के संबंध में बनाई गई थीं, प्रधानमंत्री ऐसे कई राज्याध्यक्षों से मिलीं जो उन अवसरों पर उपस्थित थे ।

प्रधानमंत्री नैरोबी और मास्को थोड़ी देर के लिए रुकीं और उन्होंने कीनिया के राष्ट्रपति और सोवियत संघ के प्रधानमंत्री के साथ क्रमशः बातचीत की ।

प्रधानमंत्री ने अच्छे संबंधों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से, आपसी हित के मामलों पर, सम्बद्ध नेताओं से बातचीत की ।

अनुमानित खर्च विदेशी मुद्रा में 74,000 रुपये था और जो वास्तविक रूप से खर्च हुआ उसका पता लगाया जा रहा है ।

वियतनाम में शान्ति स्थापना के लिए भारत का प्रस्ताव

837. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत का विचार वियतनाम में शान्ति स्थापना के लिए कोई नया प्रयास करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) सरकार सभी संबंधित पक्षों और सरकारों से सम्पर्क बनाए हुए है । हमारा विश्वास है कि यदि सभी पक्ष ईमानदारी बरतें तो जेनेवा समझौतों के सिद्धान्तों की रूपरेखा के अन्तर्गत शान्तिपूर्वक बातचीत के जरिए समझौता हो सकता है । विभिन्न प्रस्तावों के बीच सामान्य आधार क्षेत्र की खोज और विस्तार करने से ऐसा किया जा सकता है । अमरीकी सेनाओं से शुरू होकर एक उपयुक्त समय में सभी विदेशी सेनाओं की वापसी तथा दक्षिण वियतनाम में एक व्यापक सरकार के निर्माण से, जिसमें सभी पक्ष शामिल हों, गम्भीर बातचीत की दिशा में प्रगति में मदद मिलेगी।

व्यापार तथा आर्थिक सहयोग बढ़ाने के बारे में लुसाका सम्मेलन में की गई सिफारिश

838. **डा० रानेन सेन** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में लुसाका में आयोजित गुट-निरपेक्ष देशों के शिखर सम्मेलन में यह सिफारिश की गई थी कि गुट-निरपेक्ष तथा विकासशील देशों में व्यापार तथा आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए तत्कालिक कार्यवाही की जाये;

(ख) यदि हाँ, तो इस सिफारिश पर क्या अग्रेतर कार्यवाही की गई है; और

(ग) इस सम्बन्ध में भारत क्या भूमिका अदा कर रहा है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) लुसाका में गुट-मुक्त देशों के शिखर सम्मेलन में पारित आर्थिक प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा विस्तार से विचार किया जा रहा है। यह प्रस्ताव बहुत ही व्यापक, दीर्घकालिक और दूरगामी है, अत: इसकी पूरी जांच की आवश्यकता है और इसके लिए विभिन्न मंत्रालयों को अपने-अपने विषय का आवश्यक अध्ययन करने के लिए कहा गया है ताकि सहयोग के क्षेत्र एवं बढ़ी हुई व्यापार संभावनाओं का आकलन किया जा सके।

Training to Nagas, Mizos and Kuki Rebels by Pakistan and Chinese Officers

839. Shri Ram Sing Ayarwal :
Shri Shri Gopal Saboo :
Shri B.K. Das Chowdhury :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether training in air warfare has been imparted recently to about 120 rebel Mizos, Kukis and Nagas by the Chinese Military Officer "Fangju" and Pakistani Military Officer "Jafarkhan" in a camp near Rangmati in East Pakistan; and

(b) if so, the full details thereof and details of the action taken in this regard ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) Government have no corroboration of the press reports on this.

(b) Does not arise.

फेक के निकट छिपे नागाओं द्वारा मारे गये तथा घायल किये गये सैनिक कर्मचारी

840. **श्री ज० अहमद** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 14 अक्तूबर, 1970 को कोहिमा के लगभग 150 मील दूर फेक के निकट छिपे नागाओं द्वारा एक सैनिक को मार दिया गया था तथा कई अन्य घायल किये गये थे; और

(ख) यदि हां, तो उस घटना का ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) फेक के समीप 14 अक्तूबर, 1970 को भूमिगत नागाओं द्वारा चार गाड़ियों पर सम्मिलित एक कान्वाय पर घात लगाया गया था। हमारे सैनिकों ने जवाब में गोलियाँ चलाईं और विद्रोहियों के स्थानों पर आक्रमण किया। तदपि भूमिगत नागा बचकर भाग निकल जाने में सफल हो गए। इस घटना से हमारे सैनिकों में से तीन घायल हुए, और उन में से एक बाद में घावों के कारण निधन प्राप्त हुआ।

Plan to Manufacture Atom Bomb

841. Shri Onkar Lal Berwa :
Shri P.C. Adichan
Shri Shiva Chandra Jha :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether Government have under their consideration a plan to manufacture atom-bomb; and

(b) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) and (b) Government's policy on the manufacture of nuclear weapons has been explained to the House on several occassions. It is to use nuclear energy for peaceful purposes only. Government believe that the defence of our borders can be best ensured by adequate military preparedness based upon conventional weapons. In their view, the possession of nuclear weapons is no substitute for such military preparedness. Our assessment as well as our plans are naturally kept under constant review, the paramount consideration being given to the need for safeguarding national defence and security.

आगामी राष्ट्रमंडल प्रधान मंत्री सम्मेलन का अफ्रीकी देशों द्वारा बहिष्कार

842. **श्री ए० श्रीधरन :**

श्री सु० कु० तापड़िया :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंगापुर में अगली जनवरी में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल प्रधानमंत्री सम्मेलन का अनेक अफ्रीकी देशों द्वारा बहिष्कार किये जाने की सम्भावना है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और सम्मेलन में भाग लेने के लिए उन्हें राजी करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) भारत सहित बहुत से अफ्रीकी तथा अन्य राष्ट्रमंडल देश, दक्षिण अफ्रीका को हथियार बेचने की प्रस्तावित ब्रिटिश कार्यवाही के विरुद्ध हैं। यदि ब्रिटिश सरकार इस प्रस्ताव पर अमल करती है तो हो सकता है कि कुछ देश सम्मेलन में भाग न लें। किंतु बताया जाता है कि ब्रिटिश सरकार ने अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बरौनी स्थित उर्वरक कारखाने में घाटा

843. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बरौनी स्थित उर्वरक कारखाने में पिछले कुछ महीनों से प्रतिदिन एक लाख रुपये का घाटा हो रहा है;

(ख) यदि हां तो कारखाने में भारी घाटा कब से हो रहा है ?

(ग) इसके क्या कारण हैं और अब तक कारखाने को अनुमानतः कितना घाटा हुआ है; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख) जी नहीं। संयंत्र निर्माणाधीन है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

श्री लुईमाल द्वारा निर्मित फिल्म

844. **श्री क० प्र० सिंह देव :**
श्री मोलहू प्रसाद :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 सितम्बर, 1970 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित इस आशय की प्रेस रिपोर्ट की ओर आकर्षित किया गया है कि फ्रांसीसी फिल्म निर्माता श्री लुई माल के एक वक्तव्य में अपने द्वारा भारतीय प्राधिकारियों को सैंसरशिप के बारे में कोई भी आश्वासन देने से असहमति व्यक्त की है और उनके इस वक्तव्य से भारत सरकार द्वारा आपत्ति उठाये गये अंशों का फ्रांसीसी सरकार द्वारा काटछांट करने और सैंशरशिप के बारे में उपवैदेशिक कार्य मंत्री द्वारा संसद में दिए गए वक्तव्य का खंडन होता है; और

(ख) यदि हां, तो इसके प्रति भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) लुईमाल का उल्लिखित वक्तव्य सही नहीं है। संसद के पिछले अधिवेशन में इस विषय पर उपविदेश-मंत्री जो कह चुके हैं, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं कहना है।

श्री लुईमाल द्वारा निर्देशित चलचित्र पर लंदन में भारतीत उच्चायुक्त की टिप्पणी

845. **श्री हुचे गौडा** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने लंदन में भारतीय उच्चायुक्त को फ्रांसीसी चलचित्र निदेशक श्री लुईमाल द्वारा निर्मित प्रेस वालों को दिखाये जाने वाले चलचित्र को देखने के लिए कहा था;

(ख) क्या भारतीय उच्चायुक्त ने अत्यधिक विवादास्पद चलचित्र के संबंध में अपनी टिप्पणी भेज दी है; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस टिप्पणी की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

भारत के बारे में मास्को रेडियो द्वारा किया गया प्रसारण

846. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक संसद सदस्य ने उनके मंत्रालय को बताया है कि आकाशवाणी किसी भी रूसी नेता अथवा उनकी नीतियों की आलोचना नहीं करती, जबकि मास्को रेडियो भारतीय नेताओं

और उनकी नीतियों की आलोचना करता है और संसद सदस्य ने यह भी मांग की थी कि मास्को रेडियो से इस प्रकार के सभी आलोचनात्मक प्रसारणों के पाठ सप्लाई करने के लिए कहा जाये; और

(ख) यदि हां, तो इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) हम विदेशी रेडियो केन्द्रों के उन प्रसारणों को आपत्तिजनक मानते हैं जो हमारे संविधान, सरकारी संस्थाओं या सरकारी निर्णयों और नीतियों की आलोचना करते हैं। चूंकि हमारे पास विदेशी प्रसारणों की अपनी अनुस्रवण व्यवस्थाएं हैं, अतः हम इस बात को आवश्यक नहीं समझते कि हम मास्को रेडियो से यह कहें कि वह हमें अपने प्रसारणों की प्रतिलिपियां भेज दिया करे।

शहरी सम्पत्ति की उच्चतम सीमा निश्चित करने के बारे में मुख्य मंत्री सम्मेलन में विचार-विमर्श

847. **श्री देवराव पाटिल** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शहरी सम्पत्ति की उच्चतम सीमा निश्चित करने के बारे में दिल्ली में अभी हाल ही में आयोजित विभिन्न राज्यों के मुख्य-मंत्रियों के सम्मेलन में विचार-विमर्श हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री परिमल घोष) (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय तेल निगम द्वारा मद्रास में बिटुमन ड्रमों तथा तेल बैरलों का कारखाना स्थापित करना

848. **श्री स० मा० बनर्जी** : क्या **पेट्रोलिम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री भारतीय तेल निगम को तेल बैरलों और बिटुमन ड्रमों की सप्लाई करने के बारे में 3 अगस्त, 1970 के तारांकित प्रश्न संख्या 179 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय तेल निगम ने अपना कारखाना मद्रास में स्थापित करने में कितनी प्रगति की है तथा यह कब तक चालू हो जाएगा ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : फरवरी, 1972 के अन्त तक सन्यन्त्र के चालू होने की आशा है।

भारतीय तेल निगम द्वारा हल्दिया तेलशोधक परियोजना को वित्तीय सहायता

849. **श्री कं० हाल्दर** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय तेल निगम ने हल्दिया तेलशोधक परियोजना को वित्तीय सहायता देने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख) हल्दिया शोधनशाला परियोजना भारतीय तेल निगम का अंग है और इस समय इसकी वित्तीय व्यवस्था भारतीय तेल निगम के आन्तरिक साधनों में से और फ्रेन्च सप्लाइर्स क्रैडिट 1966-67 में से की जा रही है। यदि और जब भी भारतीय तेल निगम के आन्तरिक साधन अप्रयाप्त समझे जायेंगे तो कम्पनी आवश्यक ऋणों के लिए सरकार से प्रार्थना करेगी। 1970-71 में कम्पनी का सरकार से ऋण लेने का विचार नहीं है।

भूटान को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनाना

850. **श्री लखन लाल कपूर** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा के 25वें अधिवेशन में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधि ने भूटान को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनाये जाने के लिए औपचारिक रूप से प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) क्या अन्य सदस्य राष्ट्रों का समर्थन प्राप्त करने के लिए सरकार ने प्रयास किया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) भूटान को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनाने के लिए भारत अनौपचारिक रूप से समर्थन मांग रहा है। जब भूटान का आवेदन विचार के लिए आएगा तब परिणाम का पता चलेगा।

संयुक्त राष्ट्र संघ में काश्मीर के बारे में पाक राष्ट्रपति को प्रधान मंत्री का उत्तर

851. **श्री दण्डपाणि :**

श्री नि० रं० लास्कर :

श्री नारायणन :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा में पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने यह सुझाव दिया था कि भारत और पाकिस्तान को जम्मू और काश्मीर से अपनी-अपनी फौजों को हटा लेना चाहिए और वहां नये चुनाव होने चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो प्रधानमंत्री ने इसका क्या उत्तर दिया ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) 22 अक्तूबर, 1970 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने अपने बयान में भारत को यह सुझाव दिया था कि काश्मीर से भारत और पाकिस्तान दोनों की सेनाएं हटाने के बारे में विचार-विमर्श किया जाए, जिससे वहां के लोग बिना किसी बाहरी दबाव के अपने भविष्य का निर्णय करने में समर्थ हो सकें। जम्मू और काश्मीर भारत का एक अंग है। काश्मीर के सम्बन्ध में पाकिस्तानी सैनिकों को हटाने का प्रश्न सुलझाना है जो अन्तर्राष्ट्रीय नियम का उल्लंघन करते हुए भारतीय प्रदेश के कुछ हिस्सों पर अधिकार जमाए हैं। अगर पाकिस्तान इसे सुलझाना ही चाहता है तो काश्मीर से उसे अपनी सेना हटा लेनी चाहिए। पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय रूप से शांतिपूर्ण बातचीत द्वारा अपने सभी मतभेदों को, जिनमें काश्मीर भी शामिल है, दूर करने की अपनी इच्छा हमने व्यक्त की है।

(ख) भारत की उपर्युक्त स्थिति से संयुक्त राष्ट्र और सारा संसार सुपरिचित है। अत: प्रधानमन्त्री पाकिस्तान के राष्ट्रपति के सुझाव का उत्तर देना आवश्यक नहीं समझती। लेकिन संयुक्त राष्ट्र में हमारे प्रवक्ता ने उसी दिन एक संक्षिप्त बयान दिया जिस दिन राष्ट्रपति ने बयान दिया, जिसमें उन्होंने इस बात पर आश्चर्य प्रकट किया कि पाकिस्तान यह सुझाव दे कि भारत को अपने प्रदेश से अपनी सेना हटा लेनी चाहिए।

औषधियों के लिए दूब घास का प्रयोग

852. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अखिल भारतीय होम्योपैथिक ऐसोसिएशन के उस दावे के बारे में पता लगा है जो दूब घास (सायनोडोन डेक्टाइलोन) का प्रयोग विभिन्न औषधियों के लिए करने के बारे में है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या भारत में लगभग 800 पौधों में चिकित्सा उपयोग के गुण हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार वैज्ञानिक परीक्षण के लिए बड़े हर्बेरियम स्थापित करने तथा इन पौधों का उपयोग औषधि के रूप में करने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां।

(ख) हैफ्रिकन संस्थान बम्बई में मिश्रित औषध अनुसंधान के अधीन सायानोडोन डेक्टाइलोन पौधे की भेषजिकीय क्रिया पर किये गये प्रारम्भिक अध्ययनों से पता चला है कि इस पौधे के अल्का-लाइडल तथा ग्लाइकोसाइडल दोनों अंशों का एण्टेअमीबा हिस्टोलिटिका इन विट्रो के विकास में कोई प्रभाव नहीं हुआ। अल्कालाइडल और ग्लाइकोसाइडल अंशों ने खरगोश में कुछ हद तक लेबल को

कम किया । अनुसन्धान कार्य अभी चल ही रहा है । इसलिए अभी इस अपरिपक्व स्थिति में कोई निश्चित राय नहीं दी जा सकती है ।

(ग) प्राचीन भारतीय चिकित्सा साहित्य में चिकित्सीय गुणों वाले लगभग 1800 पौधों का उल्लेख है ।

(घ) और (ङ) देश के विभिन्न भागों में चिकत्सीय गुणों वाले पौधों के सर्वेक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित स्वदेशी चिकित्सा एवं होम्योपैथी की केन्द्रीय अनुसंधान परिषद के दस एकक हैं । प्रत्येक एकक का एक-एक पादपालय है । आशा है कि आने वाले वर्षों में चिकित्सीय गुणों वाले पौधों के सर्वेक्षण संग्रहण एवं प्रयोगात्मक खेती के कार्य में प्रोत्साहन मिलेगा ।

दक्षिण वियतनाम की अस्थायी क्रांतिकारी सरकार को लुसाका सम्मेलन में प्रेक्षक का दर्जा

853. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लुसाका में गुट-निरपेक्ष देशों के अभी हाल में आयोजित शिखर सम्मेलन में दक्षिण वियतनाम की अस्थायी क्रांतिकारी सरकार ने एक प्रेक्षक के रूप में भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अस्थायी क्रांतिकारी सरकार को भारत में किसी प्रकार का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति देने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) सरकार की स्थिति अभी भी वही है, जैसा कि सदन में पहले भी बता दिया गया था कि इस सम्बन्ध में तत्काल कोई परिवर्तन लाना आवश्यक प्रतीत नहीं होता ।

तट दूर ड्रिलिंग के बारे में विदेशी फर्मों में मतभेद

854. **श्री मीठालाल मीना** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तट दूर ड्रिलिंग के बारे में विदेशी फर्मों में कुछ मतभेद चल रहे हैं;

(ख) क्या विदेशी फर्मों के रवैये के कारण तट दूर ड्रिलिंग कार्यक्रम में विलम्ब हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के लिए एक अलग स्वदेश संबंधी आंदोलन

855. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के लिए एक अलग स्वदेश बनाने के संबंध में आन्दोलन चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) । (क) और (ख) सरकार ने एक समाचार देखा है जिसमें कहा गया था कि नेटाल विश्वविद्यालय का एक प्रोफेसर, नेटाल में रहने वाले भारतीय मूल के दक्षिण अफ्रीकियों के लिए एक अलग देश के निर्माण के पक्ष में है ।

लेकिन, सरकार को "साउथ अफ्रीकन ग्रुप एरियाज ऐक्ट" के अतिरिक्त जिसके अधीन अन्य अश्वेतों की तरह, भारतीय मूल के दक्षिण अफ्रीकियों को भी शहरी केन्द्रों से हटाकर दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में भेजा जा रहा है, अलग से ऐसा कोई देश स्थापित करने की किसी सरकारी कार्यवाही की जानकारी नहीं है ।

(ग) जातीय पृथग्वासन की नीति के संबंध में भारत सरकार की स्थिति स्पष्ट है । हमने संयुक्त राष्ट्र तथा सभी अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इसकी निरंतर और स्पष्ट निन्दा की है ।

मैसर्स हिन्द गाल्वेनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी के साथ सौदे में भारतीय तेल निगम को हुई हानि की वसूली

856. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री मैसर्स हिन्द गाल्वेनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी के साथ सौदे में भारतीय तेल निगम को हानि के बारे में 9 मार्च, 1970 के तारांकित प्रश्न संख्या 313 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम ने अपने कानूनी सलाहकारों से परामर्श किया है और क्या निगम ने बैरलों की सप्लाई रोकने के कारण मैसर्स हिन्द गाल्वेनाइज़िंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी पर अपेक्षित हर्जाने तथा कम्पनी द्वारा निगम से बैरलों की वसूल की गई अधिक कीमत की वापसी के लिए दावा किया है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक मद के लिए कितने हर्जाने का दावा किया गया है;

(ग) क्या इस प्रकार की क्षतिपूरक रकम को वसूल कर लिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) से (घ) जैसा कि 13-4-70 को लोकसभा में पूछे गये अता० प्रश्न संख्या 6151 के उत्तर में पहले बताया गया था मामला अभी भी न्यायालय के समक्ष है । अतः इस विषय पर कोई सूचना बताना भारतीय तेल निगम के हित में नहीं है ।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा तेल की खोज

857. **श्री धीरेश्वर कलिता :** क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने पिछले तीन वर्षों में किन-किन क्षेत्रों में तेल की खोज की है; और

(ख) उन क्षेत्रों के बारे में अब तक क्या परिणाम निकले हैं।

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) अप्रैल, 1967 से सितम्बर, 1970 की अवधि के दौरान तेल अन्वेषण सम्बन्धी कार्य जम्मू तथा काश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आसाम, त्रिपुरा, नागालैंड, गुजरात, राजस्थान, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु और अंडमान द्वीप के विभिन्न भागों में किया गया था।

(ख) तेल गुजरात के सोभापन, वपना तथा दक्षिण काडी के क्षेत्रों, और आसाम के गेलेत्री तथा बाहोत्ता क्षेत्रों में पाया गया। प्राकृतिक गैस गुजरात के हाजिरा क्षेत्र और राजस्थान के मंहेरा टिब्बा क्षेत्र में पाई गई।

वायु मुख्यालय का पुनर्गठन

858. **श्रीमती सुचेता कृपलानी :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री वायु मुख्यालय के पुनर्गठन के बारे में 29 अप्रैल, 1970 के तारांकित प्रश्न संख्या 1291 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वायु मुख्यालय को पुनर्गठित करने की बिचाराधीन योजना को अब तक अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) इसकी क्रियान्विति कब तक पूरी हो जाएगी ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) सिवाए कुछ असैनिक स्थानों के कि जो संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से पूरे किए जाने हैं, वायु सेना के मुख्यालयों का पुन: संगठन कार्यान्वित किया जा चुका है।

ईरान में तट-दूर क्षेत्र के निकाले गये रोप्टम कच्चे तेल में से भारत के भाग का निपटान

859. **श्री न० कु० सांघी :** क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ईरान में तट-दूर रियायती क्षेत्र से निकाले गये रोप्टम कच्चे तेल में अब तक भारत का भाग कितना है तथा उसमें से कितने भाग का निपटान कर दिया गया है तथा किस दर पर किया गया है;

(ख) ये दर अन्य कच्चे तेल की दरों की तुलना में कितनी कम या अधिक है;

(ग) क्या सरकार को शेष माल के लिए कोई खरीददार मिल गया है; यदि हां, तो किस दर पर; और

(घ) यदि आवश्यक हो, तो क्या सरकार का विचार वर्तमान कारखानों में वही प्रणाली तथा परिवर्तन अपनाकर रोप्टम कच्चे तेल को अपने ही किसी तेलशोधक कारखाने में इस्तेमाल करने का है ताकि हम कच्चे तेल के अपने भाग को पूरी तरह तथा लाभ प्राप्त करते हुए उपयोग में ला सकें।

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख) 1-11-1970 तक हाइड्रोकाबन्ज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एच० आई० पी० एल०) का साम्य हिस्सा 3,593,524 बैरलों का था। इसके अतिरिक्त करार की शर्तों के अनुसार, एच० आई० पी० एल० ने नेशनल ईरानियन आयल कम्पनी (एन० आई० ओ० सी०) के साम्य हिस्से का एक तिहाई खरीद करना था। इस तरह एच० आई० पी० एल० को कुल 7,187,049 बैरल उठाने के लिए उपलब्ध हुए थे। इनमें से, एच० आई० पी० एल० अब तक कुल 964,215 बैरल ला और निपटा सकी। कच्चे तेल का उसके गुण तथा विक्रय मूल्य तेल क्षेत्रों की स्थिति के अनुसार भिन्न-भिन्न होता है। एच० आई० पी० एल० द्वारा बेचे गये रोप्तम कच्चे तेल का मूल्य मध्यपूर्व के इसी प्रकार के कच्चे तेल की मार्कीट मूल्य के अनुकूल है। तथापि, एच० आई० पी० एल० द्वारा बेचे गये रोस्तम कच्चे तेल की कीमतों को बताना इसके वित्तीय हितों में नहीं है।

(ग) अभी नहीं, एक खरीददार को बेची जा रही कुछ मात्रा के सिवाय।

(घ) कोचीन शोधनशाला में रोप्तम कच्चे तेल का इस्तेमाल किया गया था परन्तु कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई। देश की अन्य शोधनशालाओं में रोप्तम कच्चे तेल के संभव प्रयोग के लिए अध्ययन किये जा रहे हैं।

अमरीका में आर्थिक मंदी का भारतीय आप्रवासियों पर प्रभाव

860. **श्रीमती सुशीला रोहतगी :**
श्री नरसिम्हा राव :
श्री राम किशन गुप्त :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका में तथाकथित आर्थिक मंदी के कारण भारतीय आप्रवासियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में ठीक स्थिति क्या है; और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) संयुक्त राज्य अमरीका में हाल के मंदी के रुख से रोजगार के अवसर कम हो जाने और किसी हद तक

छात्रवृत्तियों की मात्रा घट जाने से भारतीय विद्यार्थियों और आप्रवासी बीजा रखने वाले भारतीय लोगों पर भी असर पड़ा है।

U.S.S.R. Supply of Guns and Tanks to Pakistan

861. Shri Ram Singh Ayarwal :
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether Pakistan has recently received 50 tanks of T. 54-55 type and 200 big guns of 130 M.M. from Soviet Russia; and

(b) if so, Government's reaction thereto and the action taken with the result thereof ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) Government have no information of any recent Soviet supply of T. 54-55 tanks or 130 M.M. guns to Pakistan.

(b) Does not arise.

Diplomatic Relations with Germany

862. Shri Ram Singh Ayarwal : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether the former head of the Consulate of East Germay, Mr. Herbert Fisher, had stated in a Press Conference on the 25th August that his Government had granted him the status of a full-fledged Ambassador and the establishment of Consular relations with East Germany by India amounted to giving diplomatic recognition to East Germany and that credentials were presented by him to the Minister of External Affairs on the 19th August on behalf of his Government; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) The Goverment have seen different press reports of the Press Conference.

(b) The factual position is that India has consular and not diplomatic relations with the G.D.R. and hence the question of presentation of credentials does not arise. It is for the G.D.R. Government to confer such personal rank as they may deem fit on their Consul-General here.

कोयला उद्योग में वित्तीय संकट

863. **श्री रा० की० अमीन :** क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला उद्योग को वित्त आदि की कमी के कारण संकट का सामना करना पड़ रहा है ?

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में उनका ध्यान 10 अक्तूबर, 1970 के 'टाइम्स आफ इंडिया' (पृष्ठ 13) में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) उद्योग ने वित्त आदि की अपेक्षा के लिए जो भी संकटावस्था का सामना किया उसकी ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है ।

(ख) जी हां ।

(ग) भारत के रिजर्व बैंक ने बंगाल-बिहार में कार्य कर रहे समस्त पब्लिक सेक्टर के बैंकों को सलाह दी है कि वे वित्तीय सहायता के लिए कोयला खानों के अनुरोधों पर सहानुभूतिक दृष्टि से विचार करें । रेल मन्त्रालय ने आश्वासन दिया है कि यदि बंगाल-बिहार में परिस्थितियां प्रसामान्य रहती हैं तो वह व्यस्त सत्र के दौरान जो अभी-अभी प्रारम्भ हुआ है, कोयले के समस्त उपभोक्ताओं की मांगों पर पूर्णरूपेण कार्यवाही करने में समर्थ हो सकेंगे । सरकार उद्योग द्वारा सामना की गई मुसीबतों को मालूम कर अन्य सभी सम्भव तरीकों से सहायता करने का प्रयास कर रही है ।

हिन्दी तथा विदेशी भाषाओं को जानने वाले भारतीय उच्चायुक्त तथा राजदूत

865 **श्री देवराव पाटिल** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हिन्दी जानने वाले भारतीय उच्चायुक्त/राजदूत कितने हैं और दूतावासों में ऐसे अन्य कितने कर्मचारी हैं जो सम्बद्ध देश की भाषा जानते हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : हमारे 26 मिशन-प्रमुख हिन्दी भी जानते हैं और उस देश की भाषा भी जहां वे नियुक्त हैं ।

भारतीय विदेश सेवा में सीधी भरती से आने वाले सभी अधिकारियों को इस सेवा में स्थायी होने से पूर्व हिन्दी में योग्यता प्राप्त करनी होती है । ऐसे अन्य सभी कर्मचारियों के लिए भी हिन्दी सीखना जरूरी है जो 1-1-1961 को 45 वर्ष के नहीं हुए थे और इसके लिए आवश्यक सुविधाएं प्राप्त हैं । हमारे अधिकांश कर्मचारी हिन्दी जानते हैं और जहां तक प्रशासनिक रूप से सम्भव होता है किसी देश-विशेष की भाषा जानने वाले को ही उस देश में स्थित अपने मिशन में भेजा जाता है । जो लोग सम्बद्ध देश की भाषा नहीं जानते उन्हें उस भाषा को सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और वे आमतौर से अपने पद का भार ग्रहण करने के बाद एक वर्ष के भीतर-भीतर उस भाषा का कामचलाऊ ज्ञान अर्जित कर लेते हैं ।

Survey for Gold Deposits in Maharashtra

866. Shri Deo Rao Patil : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether the Geological Survey of India have submitted their survey report regarding the availability of rich gold deposits in Kolari and Morkhapali areas near Bhiwapur in District Nagpur in Maharashtra; and

(b) if so, the details of the said report and the action taken thereon ?

The Minister of state in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri Nitiraj Singh Chaudhary) : (a) and (b) Preliminary investigations carried out by the Geological Survey of India have indicated presence of gold bearing quartz veins of interest in Kolari river Mokhabardi and Pular-Parsori Sections. Work is in progress. The report will be received from the Geological Survey of India on completion of the work.

महाराष्ट्र में भण्डारा जिले में ताम्बे के निक्षेपों के लिए सर्वेक्षण

867. **श्री देवराव पाटिल** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था ने महाराष्ट्र के भण्डारा जिले में पुलर-पारसोड़ी क्षेत्र में तांबे के अत्यधिक निक्षेपों की सम्भावनाओं के बारे में अपना सर्वेक्षण सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) और (ख) महाराष्ट्र के भण्डारा जिले में पूलर-पारसोड़ीताम्र निक्षेप में भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा किया जा रहा अन्वेषण, 2000 मीटर लम्बा और 3 मीटर चौड़ा, 100 मीटर गहराई के लिए स्थापित, खनिजीकृत क्षेत्र उपदर्शित करता है। कार्य प्रगति पर है। भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा निर्धारित कार्य के पूर्व होने पर ही अन्तिम रिपोर्ट प्राप्त होगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में डाक्टरों द्वारा दल बनाकर चिकित्सा कार्य करने की योजना

868. **श्री देवराव पाटिल** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 25 सितम्बर 1970 को नई दिल्ली में भारतीय चिकित्सा संगठन द्वारा आयोजित गोष्ठी में डाक्टरों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में दल-बद्ध होकर चिकित्सा कार्य करने की योजना को मंजूर कर दिया गया था; और

(ख) यदि हां, तो ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा कार्य करने को राजी होने वाले डाक्टरों को सरकार द्वारा किस प्रकार की सहायता देने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब०सू० मूर्ति) : (क) 25 एवं 26 सितम्बर, 1970 को नई दिल्ली में भारतीय चिकित्सा संघ द्वारा आयोजित ग्राम्य चिकित्सा-सहायता भावी प्रतिमान विषयक एवं कर्मशाला गोष्ठी में यह सुझाव दिया गया कि निजी तौर पर चिकित्सा कार्य करने वाले डाक्टरों को ग्राम-क्षेत्रों में व्यवसाय करने के लिए प्रोत्साहित किया जाये। वे वैयक्तिक रूप से अथवा दल-बद्ध होकर चिकित्सा कार्य कर सकते हैं। दलबद्ध चिकित्सा व्यवसाय पर विशेष जोर दिया गया जिससे अधिक संतोषजनक ढंग से व्यापक

चिकित्सा सुविधायें प्रदान की जा सकें। विचार-गोष्ठी में यह भी सिफारिश की गई कि निजी तौर पर चिकित्सा व्यवसाय करने वालों के द्वारा इस व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए उन डाक्टरों को आसान किश्तों पर कर्ज तथा अन्य सुविधायें उपलब्ध कराई जायें जो ग्राम-क्षेत्रों में कार्य करने के इच्छुक हैं।

(ख) भारतीय चिकित्सा संघ ने विचार गोष्ठी में की गई औपचारिक सिफारिशें अभी सरकार को प्रेषित करनी हैं जिनके प्राप्त होने पर समुचित विचार किया जायेगा।

कानपुर में आवास कार्यक्रम के हेतु वित्तीय सहायता

869. **श्री स० मो० बनर्जी : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कानपुर नगर महापालिका के महापौर ने कानपुर आवास कार्यक्रम के लिए 50 करोड़ रुपये विशेष वित्तीय सहायता दिये जाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या उन्हें इस बीच कोई सहायता दी गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में **राज्य मंत्री (श्री परिमल घोष)** : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) इस विभाग की सामाजिक आवास योजनाएं राज्य क्षेत्र में आती हैं। चतुर्थ योजना में एक साथ सभी राज्य क्षेत्र कार्यक्रमों के लिए केन्द्रीय सहायता राज्य सरकारों को 'खण्ड ऋणों' और 'खण्ड अनुदानों' के रूप में दी जाती हैं जो किसी योजना विशेष या विकास शीर्षक से सम्बन्ध नहीं होती। राज्य सरकारें अपनी प्राथमिकताओं और स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर राज्य क्षेत्र कार्यक्रमों के किसी कार्यक्रम पर धन लगाने, और उस क्षेत्र जिसमें उस धनराशि का उपयोग किया जाना है, उसे निश्चित करने में स्वतंत्र हैं। कानपुर महापौर को तदनुसार सूचित कर दिया गया है।

महापौर को यह भी सुझाव दिया गया है कि यदि कानपुर नगर निगम आर्थिक दृष्टि से ऐसी व्यावहारिक प्रायोजनाएं बनाए जो राशि का शीघ्र सम्पोषण कर सके, और उन्हें राज्य सरकार के द्वारा भेजे तो उन पर आवास और नगर-विकास वित्त निगम द्वारा उचित सहायता के लिए विचार किया जा सकता है।

प्रधानमंत्री के रवाना होते समय हवाई अड्डे पर अमरीकी राजदूत की अनुपस्थिति के बारे में स्पष्टीकरण

870. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधानमन्त्री के रवाना होते समय हवाई अड्डे पर श्री कीटिंग के न पहुंचने के बारे में अमरीकी अधिकारियों ने स्पष्टीकरण देने हेतु हवाई अड्डे पर एक कनिष्ठ राजनयिक भेजना चाहा था;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या इस बारे में भारत सरकार ने कोई विरोध प्रकट किया है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) सरकार को इस बारे में जानकारी नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी नहीं ।

विलिंगडन अस्पताल, नई दिल्ली में प्रेमकुमारी की मृत्यु

871. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 23 अप्रैल, 1970 को विलिंगडन अस्पताल नई दिल्ली में प्रेमकुमारी की मृत्यु अस्पताल के डाक्टरों की लापरवाही के कारण हुई थी;

(ख) क्या 31 अगस्त, 1970 के तारांकित प्रश्न संख्या 704 के उत्तर में बताये गये अनुसार की जाने वाली प्रस्तावित जांच पूरी हो चुकी है तथा यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

(ग) क्या यह भी सच है कि मृतक के पिता को भी जांच के दौरान बुलाया गया था और यदि हां, तो क्या विचार-विमर्श हुआ था;

(घ) उन डाक्टरों के नाम क्या हैं जिन्होंने प्रेमकुमारी की जांच की थी; और

(ङ) मृतक के पिता ने कितनी शिकायतें दायर की थीं और उन पर क्या कार्यवाही की गई थी ।

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) प्रेमकुमारी नामक एक नौ वर्षीय बालिका की 23 अप्रैल, 1970 को विलिंगडन अस्पताल में हुई मृत्यु के कारणों की एक प्रारम्भिक जांच इस अस्पताल के अधिकारियों द्वारा की गई है।

(ख) उपलब्ध प्रमाण पर ध्यान देते हुए आगे और विभागीय जांच कराने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

(ग) यह विदित नहीं है कि प्रारम्भिक जांच में जांच-अधिकारी ने मृत बालिका के पिता का बयान लिया या नहीं । तथापि यदि और आगे विभागीय जांच हुई तो निस्सन्देह उन्हें प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए बुलाया जायेगा ।

(घ) वर्तमान स्थिति में डाक्टरों के नाम बताना लोकहित में नहीं है ।

(ङ) विभिन्न स्रोतों द्वारा मृत बालिका के पिता से केवल एक ही शिकायत मिली है ।

नई दिल्ली में लोदी गार्डन्स में एक नर्सरी स्थापित करने के लिए फोर्ड फाउन्डेशन को भूमि का आवंटन

872. **श्री हरदयाल देवगुण** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली नगरपालिका ने लोदी गार्डन्स, नई दिल्ली में नर्सरी स्थापित करने के लिए फोर्ड फाउण्डेशन को भूमि दी है;

(ख) यदि हां, तो कितने एकड़ भूमि दी गई है; और

(ग) भूमि किस आधार पर दी गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां।

(ख) एक एकड़।

(ग) नई दिल्ली नगरपालिका ने अपने बागवानी विभाग के लिए एक आधुनिक नर्सरी की आवश्यकता अनुभव की थी अत: इस सम्बन्ध में फोर्ड फाउण्डेशन का प्रस्ताव मंजूर कर लिया।

Amendments to Cantonment Act

873. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) since when the proposals regarding amendments to the Cantonment Act are under consideration; and

(b) the salient features thereof and the time by which these are likely to be brought before Parliament ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) The Cantonments Act was last amended in 1954. Thereafter, proposals for further amending the Act have been received and considered from time to time.

(b) The proposals for amending the Cantonments Act, 1924, cover, inter alia :

(i) Introduction of free and compulsory primary education in accordance with the directive principles of State policy;

(ii) Increase in the tenure of office of the members of the Cantonment Boards from 3 to 5 years;

(iii) Giving statutory effect to executive orders already issued towards democratisation of Cantonments;

(iv) Further democratisation of Cantonment administration consistent with the nature of Cantonments of Military stations;

(v) Rectification of defects in certain provisions of the Act; and

(vi) Removal of difficulties experienced in the administration of the Act.

It is not feasible to indicate the date when the Bill will be introduced in Parliament.

Export of Raw Medicinal Herbs and import of Ingredients for manufacturing Drugs

874. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether hundreds of tons of medicinal herbs of about four thousand kinds are exported in raw form to foreign countries and later on the same herbs in the form of ingredients are imported by many drug manufacturing companies in India for preparation of drugs;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether according to the Council of Scientific and Industrial Research, about 1800 kinds of medicinal herbs are produced in the country; and

(d) if so, whether it is proposed to draw up any scheme to encourage the production and storage of medicinal herbs in a planned way and setting up of plants for the preparation of ingredients which can be used in the manufacture of drugs ?

The Minister of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Dr. Triguna Sen) : (a) & (b) The number of Indian herbs being exported is not four thousand but about fifty, at the most. The total quantity exported in 1969-70, was about 25,000 tons. Drugs processed out of these are used mostly in foreign countries and only a portion is imported back in finished form. Restrictions on the export of crude herbel drugs are being imposed wherever necessary, to encourage the processing of those herbs in the country.

(c) The Glossary of Medicinal Plants published by the Council of Scientific and Industrial Research mentions about the use from ancient times of about 1800 plants growing in the country but only a small fraction of this is in actual use at present in modern medicines.

(d) Wherever feasible and economical, plants of use, growing wild in the country are collected and processed in the country to meet the internal demand. Many plants are also being cultivated in the CSIR Farms and Farms of private parties, wherever suitable land and facilities are available and the venture is also profitable. It is not possible to cultivate every plant in demand due to lack of land, suitable agronomical conditions and adequate financial returns.

चौथी योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के लिए डाक्टरों की आवश्यकता

875. **श्री हेम राज :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कितने डाक्टरों की आवश्यकता है;

(ख) प्रति वर्ष मेडिकल कालेजों से कितने विद्यार्थी डाक्टरी की डिग्री प्राप्त कर लेते हैं;

(ग) उनमें से कितने डाक्टर भारत में रहते हैं तथा कितने विदेशों को चले जाते हैं; वर्ष 1968 से अक्तूबर, 1970 के अन्त तक भारत से कितने डाक्टर विदेशों में जाकर बस गये हैं;

(घ) वर्ष 1968 से अक्तूबर, 1970 तक कितने डाक्टरों ने ग्रामीण क्षेत्र में सेवा करने का प्रस्ताव किया था; और

(ङ) लोक सेवा द्वारा कितने डाक्टर चुने गये ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) इस समय देश में 5217 विकास प्रखण्ड तथा 5044 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कार्य कर रहे हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना में और 339 प्रखण्ड स्थापित किये जायेंगे जिससे चौथी योजना के अन्त तक कुल 5383 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हो जायेंगे। इन 5383 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में 2 डाक्टरों की दर से कुल 10766 डाक्टरों की आवश्यकता होगी। इनमें से इस समय 6219 डाक्टर कार्य कर रहे हैं, अत: चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान ग्राम क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए 4547 और डाक्टरों की आवश्यकता है।

(ख) मेडिकल कालेजों से प्रतिवर्ष लगभग 9000 डाक्टर पास होते हैं।

(ग) से (ङ) राज्य सरकारों से सूचना एकत्र की जा रही है तथा यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

पंजाब तथा हिमाचल प्रदेश में वैद्यों के वेतनमान

876. **श्री हेमराज** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने तीन वर्ष, चार वर्ष और पांच वर्ष के पाठ्यक्रम वाले वैद्यों की वेतन तथा पदोन्नति के लिए एक ही श्रेणी बना दी है;

(ख) क्या पंजाब सरकार ने उनके वेतनमान पहली बार 1967 में 130-380 रुपये के ग्रेड में तथा दूसरी बार पहली फरवरी, 1968 में 200 से 300 रुपये के ग्रेड में पुनरीक्षित किये हैं;

(ग) क्या हिमाचल प्रदेश सरकार ने पांच वर्ष के पाठ्यक्रम वाले वैद्यों को यह वेतनमान देने की अनुमति दी है किन्तु चार वर्ष के पाठ्यक्रम वाले वैद्यों को यह वेतनमान देने से इंकार किया है; और

(घ) क्या हिमाचल प्रदेश सरकार ने उनके मामले पर केन्द्र सरकार से सिफारिश की है और यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां। इस सम्बन्ध में उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये एक निर्णय के फलस्वरूप।

(ख) पंजाब सरकार ने वैद्यों के वेतनमान को पहले 1967 में संशोधित करके 150-10-200/15-275/15-380 रुपये कर दिया था। फरवरी, 1968 में उनके वेतनमान को पुन: संशोधित करके 200-15-380/20-500 कर दिया गया है।

(ग) हिमाचल प्रदेश सरकार ने पंजाब का संशोधित वेतनमान अभी तक वैद्यों के किसी भी वर्ग को नहीं दिया है।

(घ) हिमाचल प्रदेश सरकार ने यह मामला भारत सरकार के पास भेजा है जो उनके विचाराधीन है ।

चीन में प्रशिक्षण प्राप्त नागाओं की गिरफ्तारी

877. **श्री हेमराज** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चीन में प्रशिक्षण प्राप्त अब तक कितने विद्रोही नागा गिरफ्तार किये गये हैं;

(ख) क्या उनके पास कोई आदेश सम्बन्धी दस्तावेज भी पाये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो उसका सार क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) ठीक-ठीक आंकड़े देना संभव नहीं है । फिर भी, सरकार को प्राप्त सूचना के अनुसार सुरक्षा सेना ने चीन में प्रशिक्षित 276 व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया है -

(ख) जी हां ।

(ग) इन दस्तावेजों से पता चलता है कि छिपे नागाओं ने चीन से कुछ सैनिक प्रशिक्षण, हथियार एवं गोला-बारूद प्राप्त किए ।

स्थल सेना, वायु सेना तथा नौ-सेना अधिनियमों के लिए एकीकृत संहिता

878. **श्री हेमराज** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री स्थल सेना, वायु सेना तथा नौसेना अधिनियमों के लिए एकीकृत संहिता के बारे में 19 अगस्त, 1970 के तारांकित प्रश्न संख्या 498 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेष समिति द्वारा तैयार की गई एकीकृत संहिता के प्रारूप की जांच कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय पर संसद के समक्ष कब तक एक व्यापक विधेयक लाया जायेगा ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) तथा ख) तीनों सेनाओं के लिए समेकीकृत पद्धति के मसौदे का निरीक्षण अभी सम्पूर्ण नहीं हुआ, और अभी कुछ और समय लगेगा ।

सोवियत रूस का महावाणिज्य दूत

879. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 17 अक्तूबर के 'करेन्ट' साप्ताहिक में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि बंबई में सोवियत रूस के महावाणिज्य दूत को अवांच्छनीय गतिविधियों

के कारण 1959 में मेक्सिको में अवांच्छित व्यक्ति घोषित किया गया था और उनको 24 घंटों के अन्दर वहां से चले जाने के लिए कहा गया था;

(ख) क्या उन्हें बहुत से संसद सदस्यों ने भी इस बारे में लिखा है;

(ग) विदेशी प्रतिनिधि के रूप में किसी व्यक्ति विशेष को मान्यता प्रदान करने से पूर्व सरकार द्वारा अपनाये जाने वाली प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या बंबई स्थित सोवियत महावाणिज्य दूत पर लगाये गये आक्षेपों की जांच कराई गई है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) प्रधान कोंसली पद के मामले में भेजे जाने वाले देश से उसकी नियुक्ति की पूर्व स्वीकृति या सहमति की आवश्यकता नहीं होती ।

(घ) मामले पर ध्यान दिया जा रहा है ।

भारतीय नर्सों का बड़ी संख्या में विदेशों में जाना

880. **श्री दिनकर देसाई :**
श्रीमती इला पाल चौधरी :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बड़ी संख्या में भारतीय नर्सों के यूरोप तथा अमरीका में जाने से दिल्ली तथा अन्य स्थानों पर कई अस्पतालों में प्रशिक्षित नर्सों की भारी कमी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो बड़ी संख्या में नर्सों को विदेशों में जाने से रोकने; और

(ग) पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित नर्सों की व्यवस्था करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री ब० स० मूर्ति) : (क) से (ग) भारतीय नर्सों के भारी संख्या में यूरोप तथा अमरीका जाने के बारे में सरकार को जानकारी नहीं है । दिल्ली के किसी बड़े अस्पताल ने ऐसी किसी समस्या की सूचना नहीं दी है । अतः नर्सों के विदेशों में जाने पर कोई विशेष पाबन्दी लगाने की आवश्यकता अनुभव नहीं की गई है ।

इस समय देश के विभिन्न संस्थानों द्वारा प्रति वर्ष 5000 नर्सों को प्रशिक्षित किया जाता है तथा चौथी पंचवर्षीय योजना में इनकी संख्या को बढ़ाकर 6,600 करने का विचार है ।

आसाम में दूसरा तेल-शोधक कारखाना स्थापित करने के लिए उत्तरदायी कारण

881. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा :**

श्री वि० नरसिम्हा राव :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने किन कारणों से आसाम में दूसरा तेल-शोधक कारखाना स्थापित करने का निर्णय किया है;

(ख) क्या यह निर्णय विशेषज्ञों के 12 सदस्यीय उस दल की सिफारिश के प्रतिकूल है जिसने गोहाटी तेल-शोधक कारखाने में 10 लाख मीट्रिक टन की क्षमता का विस्तार करने का समर्थन किया है;

(ग) क्या अधिक मूल्य वाले पेट्रो-कैमिकल्स के लिए दूसरे तेल-शोधक कारखाने के समस्त उत्पाद के प्रयोग के बारे में आर्थिक तथा तकनीकी व्यवहार्यता का निर्णय करने के हेतु विदेशी सलाहकारों से सलाह करने के सम्बन्ध में सरकार ने आसाम सरकार का अनुरोध मान लिया है;

(घ) क्या सरकार ने सलाह लेने के लिए 50,000 रुपयों के मूल्य की विदेशी मुद्रा देने का निर्णय भी किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख) आसाम के क्षेत्रों से दीर्घकालीन आधार पर पर्याप्त मात्रा में कच्चे तेल की उपलब्धता, इसकी विशिष्टियां, शोधक कारखानों तक परिवहन का तरीका एवं लागत, मार्कीटों, जिसमें देश का पश्चिमोत्तर प्रदेश शामिल है, में उत्पादों की बिक्री इसके मुख्य कारण हैं। नेगी रिपोर्ट में इस बात का जिक्र था कि आसाम के कच्चे तेल पर लगभग 2 मिलियन मीटरी टनों की अतिरिक्त शोधन क्षमता बनाये रखना और पेट्रो-रसायन उत्पादन की कुछ लाइनें स्थापित करना, जो आसाम के आर्थिक विकास में लाभदायक होंगी, सम्भव था। प्रधान मंत्री की 5 दिसम्बर, 1969 की घोषणा के अनुसार, विशेषज्ञों का एक कार्यकारी दल गठित किया गया था और इसकी रिपोर्ट से पता चला है कि गोहाटी शोधनशाला का विस्तार व्यावहारिक एवं लाभप्रद था। क्योंकि आसाम सरकार एक अलग शोधनशाला का आग्रह कर रही थी, इसीलिए अब बोनगेगांव में डी. एम. टी./पोलिस्टर फाइबर पेट्रो-रसायन समूह के साथ-साथ 1 मिलियन मीटरी टन क्षमता की एक ग्राम शोधनशाला स्थापित करने और शोधनशाला के. आर. एफ. ओ. (एल. एस. एच. एस.) को सिन्दरी में सम्भरण सामग्री के रूप में इस्तेमाल करने का प्रस्ताव है। कार्यकारी दल ने भी इसी विकल्प का सुझाव दिया था। इस निर्णय के लिए जाने के मुख्य कारण यह हैं कि क्योंकि बोनगेगांव में बी. जी. तथा एम. जी. दोनों संयोजन हैं, किसी पथ परिवर्तन की जरूरत नहीं है, अत: गोहाटी विस्तार और कूप-मुख शोधनशाला की तुलना में इस केस में रेलवे निवेश बहुत कम होगा। इस केस में, सफेद उत्पादों तथा एल. एस. एच. एम. के लाने ले जाने की लागत न्यूनतम होगी और समस्त निवेश निम्नतम है। केवल शोधनशाला तथा पाइपलाइन की आर्थिक व्यवस्था के आधार पर दोनों कूप-मुख तथा बोनगेगाँव के स्थल गोहाटी विस्तार से कम अनुकूल हैं, लेकिन इस समय संभरण सामग्री के

रूप में इस्तेमाल हो रहे कोक तथा कोक भट्टी गैस के स्थान पर संभरण सामग्री के रूप में एल. एस. एच एस. के इस्तेमाल से सिन्दरी उर्वरक संयंत्र में होने वाले सुधार और लाभप्रदता में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए गोहाटी शोधनशाला के विस्तार की बजाय, सभी बातों का विचार करने पर, बोनगेगाँव का स्थल चुना गया है।

(ग) जी नहीं।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय तेल निगम के द्वारा आधारभूत स्नेहकों का आयात

882. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय तेल निगम के द्वारा आधारभूत स्नेहकों का आयात करने की योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत दो वर्षों में सामान्यत: किन देशों से आधारभूत स्नेहकों का आयात किया गया है तथा उनका मूल्य क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के द्वारा बेस लुब्रोकेंट को आयात करने की योजना को इस समय अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(ग) बेस लुब्रोकेंट्स का सामान्यत: पिछले दो वर्षों-1968 और 1969 के दौरान यू० एस० ए०, रोमानिया और युगोस्लाविया से आयात किया गया है। इन वर्षों में आयात की गई कुल मात्रा 6.6 लाख मीटरी टन और उसका मूल्य 43.1 करोड़ रुपये था।

Recognition of New Regime in Cambodia

883. Shri Prakash Vir Shastri : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have recognised the newly formed Government in Cambodia;

(b) if not, the reasons therefor; and

(c) the time by which the final decision will be taken in this regard ?

The Deputy Minister of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) to (c) Government of India's position towards the situation in Cambodia has already been stated in this House on several occassions. The situation obtaining in Cambodia is still fluid. We have no intention of giving recognition to any of the recent changes until the situation clarifies itself.

खनिज विकास के लिए दस वर्षीय योजना बनाने का प्रस्ताव

884. **श्री सीताराम केसरी :** क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदाबाद में अक्तूबर, 1970 में हुई पश्चिमी क्षेत्र खनिज विकास कन्वेनशन में खनिज विकास के लिए दस वर्षीय योजना बनाने हेतु सुझाव दिये गये थे ।

(ख) क्या सरकार ने सुझावों पर विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) सरकार को पश्चिम क्षेत्र खनिज विकास कन्वेनशन का निश्चय सूचित नहीं किया गया है ।

(ख) सुझावों के प्राप्त होने पर विचार किया जायेगा ।

(ग) इस समय प्रश्न नहीं उठता है ।

आसाम में दूसरे तेल-शोधक कारखाने की लागत तथा व्यावहारिकता सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति का प्रतिवेदन

885. **श्री नि० रं० लास्कर :** क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आसाम में दूसरे तेल-शोधक कारखाने की स्थापना की लागत तथा व्यावहारिकता पर पुनर्विचार करने के लिए विशेषज्ञ समिति से कहा है;

(ख) यदि हां, तो विशेषज्ञ समिति के क्या विचार हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जायेगा ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी हां, विशेषज्ञों ने अपनी अगली रिपोर्ट अब प्रस्तुत कर दी है।

(ख) तुलनात्मक निवेश, लागत और प्रतिफल का और अध्ययन करने के पश्चात् दल ने सूचित किया है कि गोहाटी शोधनशाला का विस्तार अब भी अधिक तरजीही विकल्प था । लेकिन सब बातों को ध्यान में रखने के बाद, विशेषत: और आर० एफ० ओ० (एल० एस० एच० एस०) के संभरण सामग्री के रूप में प्रयोग होने से सिन्दरी उर्वरक संयंत्र के परिचालन और लाभ प्रदता में सुधार तथा उत्पादन में वृद्धि से होने वाले लाभों को देखते हुए एक अलग शोधनशाला की स्थापना के लिए सहमति की जा सकती थी ।

(ग) इस आधार पर आसाम सरकार को सूचित किया गया कि बोगेगांव में 1 मिलियन टन की क्षमता की ग्रास-रूट शोधनशाला का समर्थन किया जा सकता है बशर्ते कि आर० एफ० ओ० (एल० एस० एच० एस०) को उर्वरक संयंत्र में संभरण सामग्री के रूप में प्रयोग करने के लिए

शोधनशाला से सिन्दरी ले जाया जाय । आसाम सरकार के उत्तर को ध्यान में रखकर अंतिम निर्णय किया जायेगा ।

कानपुर में सैनिक मालवाहक विमान बनाने की योजना

886. **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री सामिनाथन :
श्री नारायणन :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड द्वारा अपनी कानपुर डिवीजन में एच० एस० 748 विमान का सैनिक मालवाहक किस्म का विमान बनाये जाने की योजना है; और

(ख) यदि हां, तो क्या एरोनाटिक्स समिति की सिफारिशों के अनुरूप में हेलीकाप्टर बनाने का कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव है ?

प्रतिरक्षा-मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) एच० एम०-148 के भारवाहक एक संस्करण के निर्माण के लिए एक प्रस्ताव विचाराधीन है । कोई निर्णय नहीं लिया गया ।

(ख) हलके विमानों और हेलिकाप्टरों के निर्माण के लिए एच० ए० एल० के बंगलौर डिवीज़न में एक यूनिट स्थापित करने के लिए एक निर्णय किया गया है ।

कलकत्ता महानगरीय क्षेत्र में नालियों तथा गन्दे पानी के निष्कासन में सुधार के लिए बनाई गई योजना

887. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन, निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता महानगरीय क्षेत्र में नालियों द्वारा गन्दे पानी के निष्कासन में सुधार करने हेतु कोई योजना बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर अनुमानत: कितनी लागत आयेगी ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां । चौथी योजना के दौरान 35 मल निष्कासन एवं नाली योजनायें कार्यान्वयन के लिए तैयार की गई हैं ।

(ख) और (ग) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 4276/70]

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा ग्रेनाइट का निर्यात

888. **श्री मणिभाई जे० पटेल :** क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे संकेत हैं कि भारत में ग्रेनाइट असीमित निक्षेप निकट भविष्य में विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाले सिद्ध होंगे;

(ख) क्या राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने इसके निर्यात की सम्भावनाओं का पता लगाने का प्रयास किया है और यदि हां, तो उसके अब तक क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) क्या राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा हाल में एक शिष्टमण्डल विदेशों को भेजा गया है और क्या शिष्टमण्डल ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) अभी तक ग्रेनाइट और उसी प्रकार के आलंकारिक प्रस्तरों का पश्चिमी यूरोप तथा जापान को निर्यात हो रहा है। ऐसी संभाव्यता और सम्भावना है कि निर्यात बढ़ेगा।

(ख) इस संबंध में, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा किये गये प्रयासों के फलस्वरूप पश्चिम जर्मनी से विनिर्दिष्ट प्रकार के ग्रेनाइट 200 मैट्रिक टन के विचारण आदेश प्राप्त हुए थे, यदि वर्तमान विचारण-आपूर्ति सन्तोषजनक पाई गई तो दीर्घावधि के लिए प्रचुरमात्रा के ठोस आदेश दे दिए जाएंगे।

(ग) विनिर्दिष्टत: इस प्रयोजन के लिए कोई प्रतिनिधि-मण्डल नहीं भेजा गया था। तथापि राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के प्रतिनिधि को सम्मिलित कर जो दूसरा प्रतिनिधि-मण्डल किसी अन्य संदर्भ में हाल में ही पश्चिमी यूरोप गया था, उसने ग्रेनाइट के प्रसिद्ध आयातकर्ताओं से पश्चिमी जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस में ग्रेनाइट के आयातकर्ताओं की एसोसिएशन से विचार-विमर्श किया था। इस प्रतिनिध-मण्डल ने अनुभव किया कि कच्चे तथा परिष्कृत ग्रेनाइट के यूरोप में निर्यात के लिए पर्याप्त क्षेत्र हैं।

Goods Sold and Amount Released

889. Shri Molahu Prashad : Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) the category-wise details of the goods sold so far and the amount realised therefrom in pursuance of his Ministry's order No. 3(14)/1293/D (Disposals) dated the 31st March, 1960; and

(b) the basis for determining priority in disposal of goods as contained in the above order ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram): (a) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(b) The surplus defence stores desired by welfare/charitable/educational institutions entitled thereto are released to them if available. The requests are dealt with as and when received, and the question of fixing an order of priority has not arisen.

Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Fertilizer Factory at Gorakhpur

890. Shri Molahu Prashad : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) The Department-wise and category-wise number and percentage of permanent as well as temporary scheduled tribes and non-scheduled castes employees and officers working in the Fertilizer Factory, Gorakhpur; and

(b) whether the reservation for the Scheduled Castes/Tribes has been ignored in respect of recruitment made in all categories of employees ?

The Minister of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Dr. Triguna Sen) : (a) The Gorakhpur Fertilizer Factory has a total number of 1889 employees out of which 115 belong to Schedule Caste and 5 to Schedule Tribes. The percentage of Shedule Castes and Schedule Tribes works out to 5.7 and 0.3, respectively. The breakup of the number into temporary and permanent employees is not readily available and will be furnished in due course. However, as a list showing Department-wise and Category-wise number of employees with their percentages would run into several pages, it is considered that the amount of labour involved and time spent in preparing the list would not be commensurate with the benefits that will be derived from it.

(b) No. The low percentage of Schedule Castes and Schedule Tribes was mainly due to the non-availability of suitable candidates belonging to these communities at the time of recruitment.

भारतीय तेल निगम की पूर्वी शाखा (कलकत्ता) के कार्य के बारे में जांच

891. **श्री बे० कृ० दासचौधरी :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय तेल निगम की पूर्वी शाखा (कलकत्ता) के बारे में निष्पक्ष जांच कराने का विचार किया है जैसा कि मार्क्सवादी नेता द्वारा अनुरोध किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके कारण क्या हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख) 3-10-70 को एक शिकायत प्राप्त हुई है और मामले की छानबीन की जा रही है ।

हड़तालों के कारण नेवेली लिगनाइट कारपोरेशन को हुई हानि

892. **श्री बे० कृ० दासचौधरी :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेवेली लिगनाइट परियोजना पर आरम्भ में कितनी धनराशि लगाने का अनुमान था और इसके शुरू होने से लेकर अब तक इस पर कुल कितनी पूंजी लगाई गई है;

(ख) इसमें कितने व्यक्ति नियुक्त हैं और क्या काम कर रहे व्यक्तियों को काम पर लगाये रखना उचित है; और

(ग) क्या इस परियोजना को हुई हानि का कारण श्रमिक गड़बड़ी तथा दंगे आदि हैं और यदि हां, तो इसके आरम्भ होने से लेकर आज तक इसमें कितनी हड़तालें हुईं और कितने जन-दिनों की हानि हुई ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) नेवेली लिगनाइट निगम की संस्वीकृत-प्रायोजना-लागत 176.13 करोड़ रुपये है। 31 मार्च, 1970 को पूंजी निवेश 168.65 करोड़ रुपये था जिसमें 80 करोड़ रुपये साम्या और शेष ऋण के रूप में है।

(ख) इस समय नेवेली लिगनाइट निगम की तालिका में लगभग 17,000 कर्मचारी हैं। निगम द्वारा किए अध्ययन यह बतलाते हैं कि कतिपय अधिशेष हैं जिन्हें उपयुक्त रूप से पुनः अभिनियोजित किया जा रहा है।

(ग) जी, नहीं।

हल्दिया-बरौनी पाइप-लाईन के सम्बन्ध में जांच

893. **श्री मधु लिमये** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हल्दिया-बरौनी पाइप लाईन घोटाले से सम्बन्धित तथा सरकारी उपक्रम समिति द्वारा दोषी पाये गये अपराधियों को उनके मंत्रालय द्वारा दंड दिया गया है;

(ख) क्या सरकार ने इस बात को ध्यान में रखते हुए कि नाटदूर श्रीनिवास राव की जांच में समय का इतना अधिक दुरुपयोग किया गया कि मामले के अन्तर्ग्रस्त अधिकारी सेवा मुक्त भी हो गये, एक नई जांच कराने का निर्णय किया है; और

(ग) यदि नहीं, तो सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध ठोस कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी नहीं।

(ख) यह सुझाना ठीक नहीं है कि जांच आयोग समय नष्ट करने तथा (उस मामले से) सम्बन्धित अफसरों को सेवा-निवृत होने में सहायता देने के लिए नियुक्त किया गया है। श्री एम० एस० राव की रिपोर्ट और सरकारी उपक्रमों पर समिति की रिपोर्ट उन प्रश्नों पर जो उन दोनों के द्वारा जांच किये गये थे, यह निष्कर्ष एक दूसरे से विभिन्न हैं। उक्त समिति ने स्वयं ही अधिकांश अन्य मुख्य विषयों पर आगामी जांच का सुझाव दिया। अतः बिना किसी सन्देह के यह निर्धारण करना आवश्यक था कि क्या इन परियोजनाओं से सम्बन्धित अधिकारी वास्तविक तौर पर त्रुटियों के लिए दोषी पाये गये हैं और यदि असावधानी या अन्य कदाचार उद्देश्य की पुष्टि होती है, तो उचित अनुसरित कार्यवाही की जाए।

(ग) आगामी कार्यवाही, यदि कोई हुई, तो जांच आयोग की रिपोर्ट की प्राप्ति होने पर की जायेगी।

बिहार में हैजे तथा अकाल की स्थिति

894. **श्री मधु लिमये :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार/प्रधानमन्त्री को तारापुर तथा मुंगेर जिले (दक्षिण) के अन्य भागों में हैजा फैलने के बारे में संसद सदस्यों द्वारा मुख्य मंत्री को लिखे गए पत्र की प्रति प्राप्त हुई है;

(ख) क्या सरकार को विदित है कि मुंगेर जिले के जामनी सब-डिविजन और दक्षिण बिहार के अन्य भागों में गम्भीर अकाल की स्थिति बनी हुई है और उन क्षेत्रों में महामारी फैलने का भय है;

(ग) यदि हां, तो केन्द्र तथा बिहार राज्य द्वारा मुंगेर में हैजे की महामारी को रोकने और ऐसी महामारियों को जामनी सब-डिविजन और अन्य आकाल-ग्रस्त क्षेत्रों में रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई थी अथवा की जा रही है; और

(घ) क्या राज्य द्वारा केन्द्रीय सहायता मांगी गई थी अथवा केन्द्र द्वारा इस परिस्थिति का सामना करने के लिए दी गई थी ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां।

(ख) बिहार सरकार ने सूचित किया है कि जुलाई तथा अगस्त, 1970 के महीनों में ठीक वर्षा न होने के कारण 13 जिलों के अन्तर्गत आने वाले 181 ब्लाकों में सूखा पड़ गया। 181 ब्लाकों के 1 करोड़ 51 लाख 30 हजार व्यक्ति इस सूखे से ग्रस्त हो गये हैं।

यह भी सूचित किया गया है कि 1970 के दौरान अक्तूबर के अन्त तक मुंगेर जिले के जम्मू सब-डिविजन में हैजा से 111 व्यक्ति ग्रस्त हुए तथा 36 रोगियों की मृत्यु हुई।

(ग) राज्य सरकार द्वारा हैजा निरोधी टीके लगाना, पानी का विसंक्रमण करना, रोगियों को पृथक रखना तथा उनका इलाज करना एवं स्वास्थ्य शिक्षा देना आदि जसे हैजा निरोधी आवश्यक रोकथाम के उपाय बरते जा रहे हैं। हैजा वैक्सीन, विसंक्रामक तथा आवश्यक औषधियां पर्याप्त मात्रा में दे दी गई हैं तथा अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति कर दी गई है।

(घ) राज्य सरकार ने हैजा के नियंत्रण के लिए किसी प्रकार की सहायता नहीं मांगी है। तथापि, यह बतलाया गया है कि इस राज्य सरकार ने योजना आयोग के उस दल से जिसने अक्तूबर, 1970 में इस राज्य का दौरा किया था अनुरोध किया है कि इस राज्य के सूखा एवं बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में बीमारियों की रोकथाम के उपाय बरतने के लिए अनुमानत: 40 लाख रुपये दिये जायें। इस दल ने इस प्रयोजन के लिए 20 लाख रु० की सहायता देने की सिफारिश की है।

पाकिस्तानी तत्त्वों की घुसपैठ को रोकना

895. **श्री मधु लिमये** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) युद्ध विराम-रेखा के पार से पाकिस्तानी तत्त्वों की घुसपैठ को अथवा पाकिस्तानी सेनाओं द्वारा उक्त सेना का खुले रूप से उल्लंघन किये जाने को रोकने के लिए सरकार का क्या कार्य-वाही करने का विचार है;

(ख) क्या सरकार युद्ध-विराम रेखा के पास वाले क्षेत्र में बारूद बिछाने अथवा उक्त रेखा के साथ-साथ रास्ता बन्द करने के लिए कतिपय निर्माण करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ताकि भारतीय क्षेत्र के उल्लंघन अथवा उसमें घुसपैठ को रोका जाये; और

(ग) यदि नहीं, तो उक्त प्रश्न पर विचार न करने के क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा-मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग) युद्ध-विराम रेखा के अपनी ओर नियुक्त सुरक्षा सेनाओं ने पाकिस्तान सेनाओं द्वारा घुसपैठ का इस रेखा के खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन के संकट का सामना करने के लिए उचित पग उठाए हैं । भूप्रदेश तथा अन्य तथ्यों के संगत उनकी प्रभावशीलता का ध्यान करते हुए विभिन्न उपाय किए गए हैं ।

नगरीय क्षेत्रों में मकानों की आवश्यकता

896. **श्री मधु लिमये** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बारे में कोई अनुमान लगाया है कि चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक शहरी लोगों को कितने मकानों की आवश्यकता होगी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) वार्षिक तथा पंचवर्षीय आधार पर मकानों की अत्यधिक कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने क्या प्रस्ताव बनाये हैं; और

(घ) क्या इस व्यापक समस्या को हल करने के लिए राज्य सरकारों से भी सहयोग मांगा गया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री परिमल घोष) : (क) और (ख) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्त में मकानों की कमी का अनुमान दे सकना संभव नहीं है । 1971 की जन-गणना के बाद स्थिति का विश्वसनीय मूल्यांकन प्राप्त हो जाना चाहिए ।

(ग) फिलहाल चल रही विभिन्न सामाजिक आवास योजनाओं को जारी रखा जा रहा है । चतुर्थ योजना में "आवास तथा नगर-विकास" शीर्षक के अन्तर्गत लगभग 242 करोड़ रुपये की कुल व्यवस्था की गई है ।

उपरोक्त कार्यक्रमों के अतिरिक्त, भारत सरकार ने अब एक आवास और नगर-विकास वित्त निगम स्थापित किया है, जिसके द्वारा अगले लगभग 4-5 वर्षों की अवधि में, लगभग 200 करोड़ रुपये के संचय किए जाने, और उत्तरोत्तर बड़े पैमाने पर आवास तथा नगर-विकास कार्यक्रमों में पूंजी लगाने के लिए इसका उपयोग आवर्तन-निधि के रूप में किए जाने की आशा है।

(घ) प्राय: प्रत्येक वर्ष, समस्या पर विचार-विमर्श करने, विभिन्न राज्यों/संघ क्षेत्रों में सामाजिक आवास योजनाओं की प्रगति का पुनरीक्षण करने और कार्यक्रमों की गति बढ़ाने के लिए पर्याप्त उपायों का सुझाव देने के लिए राज्यों के आवास और नगर-विकास मंत्रियों का सम्मेलन बुलाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त राज्यों को यह प्रेरणा दी जा रही है कि वे आवास की अपनी वार्षिक योजनाओं में अधिक निधियों की व्यवस्था द्वारा उच्चतर प्राथमिकता दें, और आवास के लिए दी गई निधियों को अन्य विकास शीर्षों में अपवर्तन न होने दें।

Indo-U.S. Relations

897. Shri Raghuvir Singh Shastri :
Shri Maharaj Singh Bharati :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(b) whether it is a fact that the recent developments point out the worsening of relations between India and America; and

(b) if so, the reasons therefor and its repercussions on Indian interests ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) and (b) Indo-U.S. relations continue to be friendly. The Government of India are, however, disappointed and unhappy over the recent U.S. decision to supply arms to Pakistan, as it increases the threat to the security of India.

Iadian Problems Discussed with the Soviet Union

898. Shri Om Prakash Tyagi : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether the importat matters such as Radio Peace and Progress and continuous occupation of Indian land by the aggressor countries Pakistan and China were discussed recently with the Government of U.S.S.R.;

(b) if so, the reaction of Government of Soviet Russia;

(c) the reasons for not including the reaction thereof in the joint communique of both the countries; and

(d) if the matters have not been discussed, the reasons thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) The Soviet Government are fully aware of India's position on all these questions.

(b) They have shown understanding of the Government of India's views.

(c) There has been no Indo-Soviet joint communique since July, 1968. In any case it is not customary or necessary to do so

(d) Does not arise.

Entry into Britain refused to Shri Ramesh Patil

899. Shri Om Prakash Tyagi: Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether the British Government did not permit Shri Ramesh Patil, 26 years old youngman, who was holding a passport from Uganda (East Africa) to Britain, even to see his brother and he went from one place to another in Spain, France etc. to get a Visa but he ultimately expired on the 31st August, 1970 in a poor and helpless condition;

(b) if so, whether Government and their Embassies had in any way helped this youngman in getting a visa and in saving his life;

(c) whether Government had written to the British Government in this regard; and

(d) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh): (a) According to information received, Shri Ramesh Patil, a British passport holder domiciled in Uganda was refused permission by the U. K. authorities to enter Britain and was shuttlecocked from place to place in Europe. He was an acute case of diabetes and his condition deteriorated suddenly while in Paris. It is understood that he was admitted to hospital but collapsed suddenly.

(b) to (d) Shri Patil's relatives in England and some members of the Indian community in the U. K. were aware of the seriousness of his ailment but no one suspected he would collapse in this way, and therefore they made no representations either to the British authorities or to the Indian High Commission in London. This does not, however, absolve the responsibility of U. K. for such inhuman treatment.

Government of India have taken every opportunity to impress upon the British Government that it is the latter's responsibility to provide free entry into Britain for their nationals without any discrimination as to race or colour.

चिकित्सा-अर्हता प्राप्त व्यक्तियों का विभिन्न सेवाओं में लिया जाना

900. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय प्रत्येक राज्य में चिकित्सा-अर्हता प्राप्त कितने-कितने व्यक्ति हैं;

(ख) प्रत्येक राज्य में उनमें से कितने राज्य-सरकार के कर्मचारी हैं और कितने अर्द्ध-सरकारी संगठनों के;

(ग) क्या भारतीय चिकित्सा संगठन ने यह टिप्पणी की थी कि संघ लोक सेवा आयोग ने 1968 में ग्रामीण क्षेत्रों में 700 पदों के लिए केवल 300 का चयन किया था जबकि रिक्त पदों को भरने के लिए पर्याप्त आवेदन आये थे;

(घ) इस समय प्रत्येक राज्य में राज्य-सरकार के विभिन्न चिकित्सा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य संगठनों में कितने स्थान रिक्त पड़े हैं; और

(ङ) क्या इन रिक्त पदों को अभी नहीं भरा जा रहा है; और यदि हां तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ङ) राज्य सरकारों आदि से सूचना एकत्र की जा रही है तथा यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

पश्चिमी बंगाल में खनिज पदार्थों के लिए सर्वेक्षण

901. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण विभाग ने मिदनापुर, बांकुरा तथा पुरुलिया (पश्चिमी बंगाल) जिलों में महत्त्वपूर्ण खनिजों के बारे में कोई सर्वेक्षण किया था और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में इन खनिज पदार्थों की खोज का कोई कार्यक्रम है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में कोई ऐसा सर्वेक्षण करने का है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण, पश्चिमी बंगाल के मिदनापुर, बांकुरा और पुरुलिया जिलों में सम्भावित खनिज संसाधनों के लिए अन्वेषण कर रहा है । कार्य प्रगति पर है ।

(ख) भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण की चतुर्थ योजना-कार्यक्रम निम्नलिखित के अन्वेषणों को सम्मिलित करता है ;

मिदनापुर जिले में तांबा, सीसा, मैंगनीज और लौह अयस्क और गैरिक मिट्टी स्वफेन पत्थर; बांकुरा जिले में तांबा, सीसा, जस्ता त्यूगंस्टेन और लौह अयस्क तथा चीनी मिट्टी, चूना-पत्थर और कृम्यभ्रक; तथा पुरुलिया जिले में तांबा, लोहा और मैंगनीज अयस्क तथा गैरिक अभ्रक, निम्नस्तर का चूनापत्थर मिट्टी और सांचा बालू।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है ।

अलोह धातुओं का उत्पादन तथा आयात

902. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967-68 से 1969-70 तक वर्षवार अलोह धातुओं की निर्माण क्षमता कितनी थी, उसका उत्पादन कितना और आयात कितना था;

(ख) इस अवधि में सरकारी क्षेत्रीय संयंत्रों का कुल अधिष्ठापित क्षमता और उत्पादन में कितना भाग था;

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति पर 1973-74 में हरेक अलोह धातु की कितनी मांग होगी;

(घ) चौथी पंचवर्षीय योजना के अंत में मांग को कैसे पूरा किया जाएगा; और

(ङ) अलोह धातुओं के सरकारी क्षेत्रीय संयंत्रों का 1973-74 में कुल अधिष्ठापित क्षमता और उत्पादन में अनुमानत: कितना भाग होगा ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) और (ख) विवरण संलग्न है [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4277/70]

(ग) से (ङ) **अल्यूमिनियम**—1973-74 तक अल्यूमिनियम के लिए मांग 2,74,000 मैट्रिक टन प्राक्कलित की गई है। वर्तमान अधिष्ठापित क्षमता 168,850 मैट्रिक टन है। 261,000 मैट्रिक टन की मात्रा तक अतिरिक्त परियोजनाएं (जिसमें 150,000 मैट्रिक टन पब्लिक सेक्टर में होगा) चतुर्थपंचम योजना के दौरान में आपन के लिए अनुज्ञप्त/अनुमोदित की जा चुकी है। चतुर्थ योजना के अन्तिम चरण तक अथवा पंचम योजना के आरम्भ तक आत्म-निर्भरता अभिप्राप्त हो जाने की सम्भाव्यता है।

ताम्र—1973-74 तक ताम्र के लिए मांग 124,500 मैट्रिक टन प्राक्कलित की गई है। वर्तमान अधिष्ठापित क्षमता 9,600 मैट्रिक टन है। 47,500 मैट्रिक टन की मात्रा तक अतिरिक्त परियोजनाएं (जिसमें 31,000 मैट्रिक टन पब्लिक सेक्टर में होगा) चतुर्थ/पंचम योजना के दौरान में आपन के लिए अनुज्ञप्त/अनुमोदित की जा चुकी है। अतिशेष अपेक्षाएं आयात से पूरी की जानी होंगी।

जस्ता—1973-74 तक जस्ते की मांग 1,42,000 मैट्रिक टन प्राक्कलित की गई है। वर्तमान अधिष्ठापित क्षमता 30,000 मैट्रिक टन की मात्रा तक अतिरिक्त परियोजनाएं (जिसमें 18,000 मैट्रिक टन पब्लिक सेक्टर में होगा) जो विद्यमान एककों के प्रसार द्वारा होगी, चतुर्थ योजना के दौरान आपन के लिए अनुज्ञप्त/अनुमोदित की जा चुकी है। यह भी निश्चय किया गया है कि चतुर्थ/पंचम योजना के दौरान आयातिरेत संकेन्द्रकों पर आधारित 30,000 मैट्रिक टन की वार्षिक क्षमता वाले एक नये जस्ता-प्रद्रावक की स्थापना पब्लिक सेक्टर में विशाखापट्टनम में की जाए। अतिशेष अपेक्षाएं आयात से पूरी की जानी होंगी।

सीसा—1973-74 तक सीसे की मांग 97,400 मैट्रिक टन प्राक्कलित की गई है। वर्तमान अधिष्ठापित क्षमता 5,400 मैट्रिक टन है। नए सीसे निक्षेपों को परिसिद्ध किया जा रहा है और उनके समुययोजन के प्रस्ताव विचाराधीन हैं। विद्यमान सीसा प्रद्रावक के आधुनिकीकरण की सम्भाव्यता का अध्ययन भी तकनीकी दल द्वारा किया जा रहा है।

निकल—1973-74 तक निकल की मांग 6,000 मैट्रिक टन मांग प्राक्कलित की गई है। क्योंकि भारत में कोई भी मित्यव्ययी कार्ययोग्य निकल अयस्क निक्षेप का पता नहीं चला। अत: आयात द्वारा अपेक्षाओं की पूर्ति की जा रही है। भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण द्वारा किए गये अन्वेषणों

के परिणामस्वरूप, निकल अयस्क निक्षेप सुकिन्दा (उड़ीसा के कटक जिले में) पाए गए हैं। 0.8% धातु अंश के साथ 150 लाख मैट्रिक टन उपलभ्य राशियां प्राक्कलित की गई हैं। यद्यपि धातु का अंश कम है, ऐसा बताया गया है कि रसायन प्रक्रिया के द्वारा धातु को प्राप्त करना सम्भव हो सकेगा। तदनुसार, हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड द्वारा रसायन तथा धातुकर्मिक डिजाइन कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड, नई दिल्ली की ऐजेन्सी के माध्यम से, 2.75 लाख रुपये की प्राक्कलित लागत पर (प्रयोगशाला जांच लागत को छोड़कर) एक साध्यता रिपोर्ट तैयार की जा रही है। इस धातु का यह प्रथम स्वदेशी उत्पादन होगा।

आवास योजना के लिए आवर्तक निधि

903. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्रीमती सुशीला रोहतगी :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों को उनकी आवास योजना की क्रियान्विति में सहायता देने के लिए 200 करोड़ रुपये की आवर्तक निधि की व्यवस्था की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में विभिन्न राज्यों में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री परिमल घोष) : (क) से (ग) आवास और नगर विकास वित्त निगम जो सरकारी कम्पनी के रूप में पंजीबद्ध हुई है, वह देश में आवास और नगर-विकास की अनुमोदित परियोजनाओं में पूंजी लगाने के लिए कुछ समय में 200 करोड़ रुपये की एक आवर्तन निधि बनाने का प्रयत्न करेगा। अब तक कई राज्यों से प्राप्त हुई, आवास व नगर-विकास परियोजनाएं निगम द्वारा पूंजी लगाये जाने के लिए उनकी उपयुक्तता मालूम करने की दृष्टि से जांचाधीन हैं।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा एक करोड़ रुपये का ऋण प्राप्त किया जाना

904. **श्री वि० नरसिम्हा राव :**
श्री देविन्दर सिंह गार्चा :
श्री बाल्मीक चौधरी :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली विकास प्राधिकरण को भवन निर्माण कार्य के लिए एक करोड़ रुपये का ऋण प्राप्त करने की अनुमति दे दी है;

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने किस-किस से कुल कितनी राशि ऋण के रूप में ले रखी है; और

(ग) इस ऋण राशि में विभिन्न श्रेणियों के कुल कितने मकान बनाये जायेंगे ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री परिमल घोष) : (क) जी, हां ।

(ख) 7.43 करोड़ रुपये—3.43 करोड़ रुपये केन्द्रीय सरकार द्वारा और 4 करोड़ रुपये जीवन बीमा निगम द्वारा ऋण दिया गया।

(ग) भाग (क) में संदर्भित, बांडों के जारी करने से प्राप्त होने वाली रकम विभिन्न वर्गों के लगभग 16,000 मकानों के निर्माण में पूंजी लगाने के लिए, प्राधिकरण के वर्तमान साधनों को बढ़ाने के लिए उद्दिष्ट है ।

पेट्रोलियम उत्पादों के आयात के लिए भारतीय तेल निगम के शिष्टमण्डल का विदेशों का दौरा

905. **श्री वि० नरसिम्हा राव** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम के अधिकारियों के एक शिष्टमण्डल ने उन पेट्रोलियम उत्पादों को, जिनकी भारत में 1971 में कमी हो जाने की सम्भावना है, सप्लाई करने वाले स्रोतों का पता लगाने के उद्देश्य से विदेशों का हाल ही में दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो उस शिष्टमण्डल के सदस्य कौन-कौन थे;

(ग) उक्त शिष्टमण्डल ने किन-किन देशों का दौरा किया और किन-किन देशों से पेट्रोलियम उत्पाद मंगाये जायेंगे; और

(घ) वर्ष 1971 में कुल कितनी मात्रा में ये उत्पाद आयात किये जायेंगे ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी हां ।

(ख) श्री कमलजीत सिंह, प्रबन्ध निदेशक और जे० जयरामन, व्यापार प्रबन्धक।

(ग) रुमानिया, स्विटजरलैण्ड, फ्रांस, यू० के० और अमरीका। स्थापित स्रोतों को बताना निगम के व्यापारिक हित में नहीं है ।

(घ) लगभग 1.5 मिलियन मीटरी टन ।

बरौनी तेलशोधक कारखाने के तीसरे यूनिट की प्रगति

906. **श्री योगेन्द्र शर्मा :**

श्री रवि राय :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बरौनी तेलशोधक कारखाने का तीसरा यूनिट कब तक काम करना शुरू कर देगा ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : सरकार इस समय बरौनी शोधक कारखाने के तीसरे मिलियन यूनिट को यथाशीघ्र चालू करने के उपाय और साधनों का अध्ययन कर रही है। इस समय कोई पक्की तारीख नहीं बताई जा सकती, किन्तु 1973 के अन्त तक आवश्यक तरमीमों के मुकम्मल हो जाने की आशा है।

भारतीय तेल निगम द्वारा बेरोजगार स्नातकों तथा इंजीनियरों को तेल विक्रेता बनाना

907. **श्री योगेन्द्र शर्मा** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बेरोजगार स्नातकों तथा इंजीनियरों को तेल-विक्रेता बनाने के सम्बन्ध में भारतीय तेल निगम की योजनाओं को कर्यान्वित करने में अब तक कितनी प्रगति की गई है; और

(ख) तेल-विक्रेता किन शर्तों पर बन जाता है?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) सितम्बर, 1970 के अंत तक 106 व्यापारियों को नियुक्ति-पत्र जारी किये गये हैं।

(ख) मानक शर्तों की जिनके आधार पर विभिन्न एजेन्सी व्यवस्थाएं की जाती हैं, प्रतियां भारतीय तेल निगम से प्राप्त की जा रही हैं और सभा-पटल पर रखी जायेंगी।

पन्ना हीरे की खान का विस्तार

908. **श्री योगेन्द्र शर्मा** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में पन्ना हीरे के क्षेत्र बढ़ाने सम्बन्धी कोई योजना बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो उसके ब्यौरे क्या हैं; और

(ग) योजना का अनुमानित व्यय क्या है?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) से (ग) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड ने, मझगाँव खानों में हीरकों के वार्षिक उत्पादन को 12,000 कैरेट से 45,000 कैरेट तक विस्तार करने हेतु एक साध्यता रिपोर्ट तैयार की है। परियोजना की अनुमानित लागत, 148 लाख रुपये है। अब इस परियोजना की विस्तृत प्रायोजना-रिपोर्ट तैयार की जा रही हैं।

भारत-मूलक लड़कियों के साथ बलात् विवाह की घटनाओं के विरोध में जंजीबार सरकार से किया गया विरोध

909. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने जंजीबार सरकार से इस आशय का विरोध किया है कि उसने

भारतीय मूल की एक लड़की की जंजीबार क्रान्तिकारी परिषद् के एक अश्वेत नेता से बलात् शादी कराकर संयुक्त राष्ट्र संघ के मानव-अधिकार-घोषणा-पत्र का उल्लंघन किया है और एक अमानवीय तथा नृशंस प्रथा को अपनाया है;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार का विरोध किया गया है और यदि नहीं, तो विरोध क्यों नहीं किया गया;

(ग) क्या सरकार को यह पता है कि हंसा तथा उसके माता-पिता इस समय कहां हैं; और

(घ) भारतीय मूल की अन्य लड़कियों के नाम क्या हैं जिनके साथ बलात् विवाह की घटनाएं घट चुकी हैं ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) इस सिलसिले में दारेस्सलाम-स्थित हमारे हाई कमिश्नर स्वतः राष्ट्रपति नेरेरे से मिले थे। राष्ट्रपति नेरेरे ने हमारे हाई कमिश्नर को सूचित किया कि जंजीबार के अधिकारियों ने उन्हें आश्वासन दिया है कि और बलात् विवाह नहीं होंगे।

(ग) कुमारी हंस प्रताप सिंह अभी दारेस्सलाम में गुरु सिंह सभा की देखरेख में रह रही है। ऐसा समझा जाता है कि उनके माता-पिता अब भी जंजीबार में हैं।

(घ) ऐसा कोई अन्य मामला हमारी जानकारी में नहीं आया है।

वायुसेना की आक्रमण क्षमता

910. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वायु सेना की शत्रु के अड्डों पर आक्रमण करने की क्षमता अधिकांशतः उसकी लड़ाकू-बमवर्षक विमानों की संख्या पर आधारित होती है;

(ख) क्या उपर्युक्त विमानों के मामले में भारत अब भी विदेशों पर निर्भर है;

(ग) क्या अब इस मामले में आत्मनिर्भर होने की आवश्यकता और भी अधिक बढ़ गई है, क्योंकि पाकिस्तान को शस्त्र देने सम्बन्धी अमरीका के निर्णय से पाकिस्तान की आक्रमणकारी क्षमता और अधिक बढ़ जायेगी; और

(घ) यदि उपर्युक्त प्रश्नों का उत्तर सकारात्मक हो, तो देश में लड़ाकू बमवर्षक विमानों के निर्माण के लिए क्या कार्यवाही की गई है और इस मामले में हम कब तक आत्मनिर्भर हो जायेंगे ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां। लड़ाकू बममार विमानों के कृत्य संलक्षण किसी वायुसेना की कार्यक्षमता को भी सीधे प्रभावित करते हैं।

(ख) उपर्युक्त किस्म के विमानों के लिए भारत कुछ हद तक विदेशी सप्लाईयों पर निर्भर है।

(ग) आत्मनिर्भरता की आवश्यकता को बहुत उच्च प्राथमिकता दी जाती है, और यह प्रगतिपूर्वक प्राप्त की जा रही है।

चीन भारत वार्ता

911. **श्री कंवरलाल गुप्त** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत चीन बांडूंग सम्मेलन में रखी गई शर्तों को पूरा किये बिना भी चीन से बातचीत करने के लिए तैयार है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने पिछले एक वर्ष में चीन सरकार को कोई पत्र लिखा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी नहीं। जहां तक सरकार को मालूम है बांडूंग सम्मेलन में चीन के साथ बातचीत करने के संबंध में कोई शर्त नहीं रखी थी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली की झिलमिल कालोनी में नल की टूटी से सांप का निकलना

912. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली की झिलमिल कालोनी में एक नल की टूटी से एक आठ इंच लम्बा सांप निकला था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है।

(ग) क्या सरकार ने दिल्ली जल प्रदाय संस्थान से इस घटना के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण मांगा है; और

(घ) यदि हां, तो उसके स्पष्टीकरण का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (घ) सरकार को ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है। दिल्ली जल पूर्ति एवं मल निष्कासन उपक्रम ने, जिनसे इस बारे में सूचना भेजने के लिए अनुरोध किया गया था, बतलाया है कि इस विषय पर जांच पड़ताल की गई और उक्त उपक्रम के अधिकारी जब इस स्थल पर पहुंचे तो उन्हें कोई सांप अथवा कृमि नहीं दिखाया गया। उपक्रम ने आगे यह

भी बताया है कि झिलमिल कालोनी को पानी दिलशाद स्थित नल-कूप संख्या-9 नामक नल-कूप से दिया जाता है और इसलिए किसी सांप अथवा कीड़े की नलकूप में प्रवेश करने अथवा पाइप लाइन में घुसने की सम्भावना नहीं की जा सकती।

Meeting of World Peace Council in Delhi

913. Shri Ramavtar Shastri : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether he and the Prime Minister expressed their views in the meetings of the World Peace Council which were held in New Delhi from the 16th to the 18th October last;

(b) if so, the main points of the speeches delivered by them there;

(c) whether it was unanimously decided there to issue an appeal on behalf of all the Governments of the World;

(d) if so, the details thereof; and

(e) the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) The speeches were widely published and the texts can be made available, if required.

(c) to (e) Government has taken note of reports to the effect that the conference decided to issue an appeal to the Governments of the World. Government have not received any formal communication from the Word Peace Council giving details of this appeal.

South Vietnames Peace Plan for Indo-China

914. Shri Ramavtar Shastri : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Provisional Revolutionary Government of South Vietnam has put forward any new proposal for finding a solution to the Indo-China problems;

(b) if so, whether Government are aware of the said proposal;

(c) if so, the details thereof; and

(d) the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) Madam Binh made a statement at the Paris Conference on Vietnam on September 17, 1970 in which she elaborated on a number of points in the 10-point overall solution advanced previously by the National Front for Liberation and the Provisional Revolutionary Government of South Vietnam.

(b) & (c) Government have seen these proposals. They are also well known to this House.

(d) Government of India believe that a solution of the Indo-China problem can only be found through peaceful negotiations and not by war. We believe that if all parties are sincere in these negotiations, progress can be achieved within the framework of the Geneva

Agreements which are generally accepted. This could be done by exploring and expanding the area of common ground among the various proposals. It is our assessment, based on exchange of views with various parties concerned and other Governments, that the withdrawal of all foreign forces beginning with those of the United States within a reasonable time-table, and the formation of a broad-based government in South Vietnam, comprising all elements, would facilitate the progress to serious negotiations at the Paris Talks.

Full Utilization of Production Capacity of Sindri Fertilizer Factory

915. Shri K.M. Madhukar : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) the place of Sindri Fertilizer Factory in the total production of fertilizers in India and its annual production;

(b) whether the production capacity of the Sindri Fertilizer Factory is not being utilized fully;

(c) if so, the reasons therefor;

(d) whether Government have ever asked for suggestions from high officials of Sindri Fertilizer Factory for utilizing production capacity fully and the measures for its development; and

(e) if so, the nature of such suggestions and the extent to which they have been implemented ?

The Minister of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Dr. Triguna Sen) : (a) The Sindry Fertilizer Factory has a share of 17.6% of the actual total production of fertilizers in Nitrogen in India during 1968-69. It works out to 1.22% of the estimated production of fertilizers for 1969-70 in India.

The actual production of Sindri Fertilizer Factory during 1969-70 was 87,000 tonnes of Nitrogen. The average annual production during the last six years, 1964-65 to 1969-70, has been 89,000 tonnes.

(b) & (c) About 90% of the attainable capacity has been achieved on an average during the last six years. The marginal low afficiency was due to non-availability of desired quality of coal and gypsum.

(d) & (e) The performance of the various units of Fertilizer Corporation of India is periodically reviewed with the officers of the Fertilizer Corporation of India and the suggestions/proposals made are give due consideration.

To make up the deficiency in the quality of coal, Naphtha Gas Reforming Plant has been installed and is under trial runs. To replace the use of low quality of gypsum available in India, it has been decided to use Sulphuric Acid for production of Ammonium Sulphate partly through direct utilization process initially and thereafter by use of by.product gypsum of the rationalisation scheme under implemetation.

दिल्ली में काम करने वाली लड़कियों के लिए और अधिक होस्टल

916. **श्री क० मि० मधुकर** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में काम करने वाली लड़कियों के लिए आवास की पर्याप्त सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का राजधानी में काम करने वाली लड़कियों के लिए नये होस्टलों का निर्माण करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री परिमल घोष) : (क) महिला अधिकारियों के लिए कर्जन रोड होस्टल में आरक्षित 20 प्रतिशत सीटों के अतिरिक्त, सम्पदा निदेशालय के अधीन वर्किंग गर्ल्स होस्टल में 170 स्थान हैं । वाई० एम० सी० ए० जैसे दो एक अन्य होस्टल भी हैं जो इस आवश्यकता की पूर्ति करते हैं ।

(ख) जी नहीं ।

हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स, कानपुर में उड़ान निदेशक के पदों पर ब्रिटेन के नागरिकों की नियुक्ति

917. **श्री पी० विश्वम्भरन** :

(क) क्या हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स, कानपुर, में निदेशक पदों के लिए ब्रिटेन के राष्ट्रजनों से प्राप्त आवेदन पर सरकार विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे आवेदनों की संख्या क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने उसका अनुमोदन किया है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (प्रतिरक्षा उत्पादन) (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

हिन्द महासागर में आस्ट्रिया तथा ब्रिटेन के युद्धपोत

918. **श्री पी० विश्वम्भरन** :
श्रीमती इला पाल चौधरी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत अधिक संख्या में आस्ट्रेलिया तथा ब्रिटिश युद्धपोतों को हिन्द महासागर में आमंत्रित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) हिन्द महासागर में वे युद्धपोत कब तक ठहरेंगे ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री नरेन्द्रसिंह महीडा) : (क) जी नहीं ।
(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

स्वेदेशी चिकित्सा पद्धतियों को मान्यता देना

919. **श्री मुहम्मद शरीफ :**

श्री जनेश्वर मिश्र :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा के बारे में अपनी नीति सम्बन्धी निर्णय में संशोधन कर स्वदेशी चिकित्सा पद्धति को मान्यता देने का निर्णय किया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां।

(ख) देश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवाओं के विकास सम्बन्धी 1949 के निर्णय को भारत सरकार ने निम्नलिखित रूप में संशोधित किया है—

"संघ तथा राज्य सरकारों को यह निश्चय करना चाहिए कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवाओं के विकास में आधुनिक चिकित्सा विज्ञान (एलोपैथिक) तथा आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धतियों का योगदान हो।"

कम्बोडिया में अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग को फिर से सक्रिय करना

920. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशी सरकारों ने भारत से अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग को कम्बोडिया में फिर से सक्रिय करने में सक्रिय भाग लेने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) कम्बोडिया में अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग को पुनरुज्जीवित करने की संभावना के संबंध में भारत सरकार अभी भी सभी सम्बद्ध पक्षों, सरकारों से सम्पर्क बनाए हुए है। लेकिन अभी तक उनमें कोई सहमति नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

देश में गन्दी बस्तियों का हटाया जाना

921. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना में देश में गन्दी बस्तियों को हटाने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों को भी लिए जाने का कोई बिचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री परिमल घोष) : (क) एक योजना, अर्थात् गन्दी बस्ती हटाओ/सुधार योजना, जो इस मंत्रालय द्वारा 1956 में आरंभ की गई थी, चौथे पंच वर्षीय प्लान में भी विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जा रही है ।

(ख) जी नहीं; ग्रामीण क्षेत्रों में आवास की समस्या पर अलग से कार्यवाही की जा रही है ।

Declining by the Prime Minister of U.S. President's Dinner Invitation

922. Shri Ramavtar Sharma :
Shrimati Sushila Rohatgi :

Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) whether the Prime Minister declined the invitation for dinner extended to her by American President in October last and that during her stay in Moscow for three hours she had discussions with the Soviet Prime Minister and got herself photographed; and

(b) whether the Prime Minister declined the said invitation as a protest against the supply of arms to Pakistan by America ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) The Prime Minister could not accept President Nixon's invitation for dinner on the evening of 24th October, 1970 as she had to leave New York by Air India flight at 20.30 hours on the same day. For the same reason she could not attend the last function of the commemorative session of the U.N. which was concert conducted by Zubin Mehta. She wrote to President Nixon expressing her thanks for the invitation as well as regret at her inability to attend the dinner.

The Prime Minister met Chairman Kosygin in Moscow during a brief stop-over on her way to New York. It is not unusual for the Press photographer to take photographs.

(b) Does not arise.

दक्षिण वियतनाम को अन्तरिम क्रान्तिकारी सरकार द्वारा तटस्थ देशों के समूह में शामिल होना

923. **श्री केदार नाथ सिंह :**
श्री अदिचन :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में लुसाका में हुए तटस्थ देशों के सम्मेलन में दक्षिण वियतनाम की अन्तरिम क्रांतिकारी सरकार को तटस्थ देशों के संघ का सदस्य बनाने के आवेदन पर विचार किया गया था;

(ख) क्या सरकार के प्रतिनिधि ने इसका समर्थन किया था और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) भारतीय प्रतिनिधि मंडल द्वारा इस संबंध में अपनाई गई नीति का ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) सम्मेलन में यह स्पष्ट हो गया कि दक्षिण वियतनाम की अस्थायी क्रान्तिकारी सरकार को प्रेक्षक के रूप में स्वीकार करने से आम समझौता हो सकता है, और भारतीय प्रतिनिधिमंडल के प्रस्ताव पर सम्मेलन ने ऐसा करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया।

Unhygienic Pond in Moti Bagh (Near Dhaula Kuan) Delhi

924. **Shri Shiv Charan Lal :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether there is a sufficient big tank in village Moti Bagh (near Dhaula Kuan on the Ring Road) wherein the dirty water of the entire village remains accumulated;

(b) whether mosquitoes etc. breed in that tank thereby posing a very serious threat to the health of the residents of the village;

(c) whether cattle of the neighbouring village have many times fallen into that tank or got entangled in the morass there;

(d) whether Government propose to take any action to fill or dry up that tank; and

(e) if so, when, and if not, the reasons therefor ?

The Minister of state in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) Yes.

(b) No. Regular effective anti-larval measures are being taken.

(c) No such reports have been received.

(d) and (e) There is no such proposal as yet.

मणिपुर के बड़ा अस्पताल से सम्बद्ध शल्य चिकित्सा विशेषज्ञों का पद

925. **श्री एम० मेघचन्द्र : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर के बड़े अस्पताल से सम्बद्ध शल्य चिकित्सा विशेशज्ञ के पद को समाप्त कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है तो क्या उक्त अस्पताल में पूर्णविधि शल्य चिकित्सा विशेषज्ञ की नियुक्ति की जा रही है या उसकी नियुक्ति पदोन्नति द्वारा की जायेगी ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) मनीपुर स्थित जनरल अस्पताल में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के विशेषज्ञ ग्रेड सर्जन पद के लिए संघ लोक सेवा आयोग के एक अभ्यर्थी को नियुक्ति प्रस्ताव दिया गया था जिसे कि उन्होंने स्वीकार नहीं किया है । संघ लोक सेवा आयोग से उनकी सुरक्षित सूची में से उक्त पद पर नियुक्ति के लिए किसी अन्य परीक्षार्थी का नाम सुझाने के लिए बात-चीत की जा रही है ।

मनीपुर के बड़े अस्पताल में कान, नाक और गला रोग विज्ञान सम्बन्धी विशेषज्ञों की नियुक्ति

926. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर के बड़े अस्पताल में कान, नाक और गला रोग विज्ञान सम्बन्धी विशेषज्ञों के पदों पर नियुक्तियां कर ली गई हैं;

(ख) यदि नहीं, तो उक्त पदों पर नियुक्ति करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं जबकि उक्त पद काफी समय से खाली पड़े हैं; और

(ग) क्या सरकार ने यम्फाल के महिला अस्पताल के लिए कनिष्ठ रोग विज्ञानी और विसंज्ञक (विशेषज्ञों) को नियुक्त करने की व्यवस्था की है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ग) आंख, नाक तथा गला विशेषज्ञ के पद के लिए एक परीक्षार्थी को तदर्थ आधार पर नियुक्तिप्रस्ताव दिया गया था जिसे बाद में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा इस पद के लिए चुन लिया गया और अभ्यर्थी ने इसे स्वीकार कर लिया है । आशा है कि वह शीघ्र ही पद भार ग्रहण कर लेंगे ।

रोगशास्त्री, विसंज्ञाशास्त्री तथा कनिष्ठ रोगशास्त्री के पदों को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में सम्मिलित कर लिए जाने पर शीघ्र ही भर लिया जायेगा ।

मनीपुर मे कैंसर के इलाज की सुविधाएं

927. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री 3 अगस्त, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1145 के (ग) भाग के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच कैंसर के इलाज की सुविधाएं देने के लिए मनीपुर राज्य से बातचीत की है;

(ख) यदि हां, तो क्या मनीपुर राज्य ने ऐसी सुविधाओं की मांग की है; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ग) मनीपुर सरकार को इस सम्बन्ध में अनेक बार लिखा गया परन्तु अभी तक उनसे कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है ।

भूतपूर्व स्वास्थ्य तथा चिकित्सा निदेशक मनीपुर के मामले की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच

928. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री 27 अप्रैल, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7646 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भूतपूर्व स्वास्थ्य और चिकित्सा निदेशक मनीपुर के मामले की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की गई जांच का क्या निष्कर्ष निकला ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच रिपोर्ट की प्रतीक्षा है ।

[Proposal for Setting up Museum and War Memorial

929. **Shri Jagannath Rao Joshi :**
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether any proposal to set up War Museum and War Memorial in the country is under the consideration of the Government; and

(b) if so, the time by which it would be implemented and the amount likely to be spent thereon ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) Yes, Sir.

(b) The construction of War Memorial is expected to be completed before the end of 1973. No target date for completion of War Museum has yet been fixed. It is not feasible to indicate the cost of the project at this stage.

Eviction of Indian Traders From Ceylon

930. **Shri Jagannath Rao Joshi :**
Shri Valmiki Chaudhary :
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether attention of the Government has been drawn to the statement made by the Ceylonese Defence Minister and published in the Vir Arjun on the 21st October, 1970 to the effect that Iudian Jewellers and traders would be expelled from Ceyllon very soon; and

(b) the reaction of Government thereto, together with tha details of the action being taken ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) & (b) Government has seen the report. Hon'ble Members' attention is invited to the statement made by the Foreign Minister in this House in reply to Call Attention on the 10th November, 1970.

अफ्रीका में भारतीय डाक्टरों को प्रेक्टिस करने की अनुमति न दिया जाना

931. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मौरित्जबर्ग, नैटाल के दो भारत मूलक डाक्टरों को अफ्रीकी क्षेत्रों में प्रेक्टिस करने की अनुमति नहीं दी गई थी;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) सरकार ने इस आशय की अखबारी खबरें देखी हैं। ऐसे डाक्टरों को जो भारतीय मूल के दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रिक हैं प्रसिद्ध "ग्रुप एरियाज एक्ट" के अधीन अफ्रीकी क्षेत्रों से हटाया जा रहा है।

(ख) जातीय पृथग्वासन की अमानवीय व्यवस्था के अनुरूप दक्षिण अफ्रीकी सरकार भारतीय मूल से इतर लोगों की ओर उन्हें अभिमुख होने से रोकना चाहती है।

(ग) जातीय पृथग्वासन की नीति के प्रति भारत सरकार का रवैया सर्वविदित है। हमने संयुक्त राष्ट्र में और अन्य सभी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इसकी सदा और स्पष्ट निन्दा की है।

भारत और रूस के प्रधान मंत्रियों की बैठक

932. **श्री एस० एम० कृष्ण** :
श्री शिव चंद्र झा :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधानमंत्री ने, न्यूयार्क जाते समय 20 अक्तूबर, 1970 को, मास्को में रूसी प्रधामन्त्री से भेंट की थी;

(ख) यदि हां, तो किन मामलों पर बातचीत की गई; और

(ग) उन पर क्या निर्णय किये गये ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) इस अवसर पर दोनों प्रधान मंत्रियों ने भारत-सोवियत संबंधों पर तथा आपसी हित के अंतर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर विचार-विनिमय किया।

पाकिस्तान की वायु शक्ति का बढ़ाया जाना

933. **श्री श्रीचंद गोयल** :
श्री समर गुह :

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान अपने लड़ाकू विमानों की संख्या को भारतीय विमानों की संख्या के बराबर बढ़ा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) गत कुछ वर्षों में पाकिस्तान वायु सेना में काफी वृद्धि हुई है। इसको ध्यान में रखते हुए भारतीय वायुसेना के साजसामान का निरन्तर पुनरीक्षण किया जा रहा है।

धनी और निर्धन लोगों के लिए सामूहिक फ्लैट

934. **श्री श्रीचंद गोयल** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धनी लोगों को बड़े-बड़े बंगले देने की वर्तमान नीति के स्थान पर, धनी और निर्धन लोगों के लिए मिलेजुले फ्लैट निर्माण करने का विचार सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उस योजना को कार्यान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री परिमल घोष) : (क) और (ख) माननीय सदस्य का संदर्भ, संभवतः नई दिल्ली में बंगलों के क्षेत्र के प्रस्तावित पुनः विकास से है। इस मामले में सरकार ने दिल्ली की वृहत् योजना में दिखाई गई अधिक जन-संख्या के ऊंचे घनत्व का ध्यान रखते हुए, उपर्युक्त सिफारिशें करने के लिए एक तकनीकी समिति बनाई थी। समिति ने अब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। समिति द्वारा की गई प्रमुख सिफारिशों में से एक के अनुसार इस मामले में विस्तृत जांच के लिए एक विशेष कक्ष की स्थापना करने का प्रस्ताव है।

परिवार नियोजन लक्ष्य प्राप्त करने में सफलता

935. **श्री श्रीचंद गोयल** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परिवार नियोजन के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस दिशा में पर्याप्त प्रगति हुई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ब०सू० मूर्ति) : (क) वर्ष 1969-70 के अन्त तक परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत 52 02 लाख जन्म रोके गए हैं। जन्म दर जो 1960-61 में 41.7 प्रति हजार थी 1969-70 में घट कर 38.3 प्रति हजार हो गई है। 1966-67 से 1969-70 तक के वर्षों में नसबन्दी, लूप तथा प्रचलित गर्भनिरोधक उपभोक्ताओं के लिए निर्धारित कार्य लक्ष्यों में कितने प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किए गए हैं उनका एक विवरण संलग्न हैं। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4278/70]

(ख) 1966-67 से 1969-70 तक के वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में हुई प्रगति का एक विवरण संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4278/70]

वियतनाम के बारे में भारत-आस्ट्रेलिया वार्ता

936. **श्री हेम बरुआ** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आस्ट्रेलिया के प्रतिनिधियों ने भारत के अपने दौरे के समय भारत सरकार से वियतनाम के मामले में हनोई की समझौता करने की इच्छा के प्रश्न पर विचार-विमर्श किया था; और

(ख) यदि हां, तो आस्ट्रेलिया सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) :(क) और (ख) 19 से 21 अक्तूबर, 1970 तक कैनबेरा में भारत और आस्ट्रेलिया के बीच जो द्विपक्षीय बातचीत हुई उसमें जिन विषयों पर विचार-विमर्श किया गया उनमें वियतनाम का मामला भी एक था। इस प्रकार की बातचीत के ब्यौरे गोपनीय हैं।

हथियार प्राप्त करने के लिए फिजो की चीनी नेताओं से भेंट

937. **श्री म० ला० सोंधी** :

श्री रवि राय :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने इस समाचार की ओर ध्यान दिया है कि विद्रोही नेता श्री फिजो ने एशिया के एक देश में चीनी नेताओं से भेंट की है और भारतीय सेना से युद्ध में तीव्रता लाने के लिए विद्रोही नागाओं को और अधिक हथियार देने की मांग पर बल दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके प्रति उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) सरकार ने ऐसी अखबारी खबरें देखी हैं। फिर भी इन खबरों की पुष्टि नहीं हुई है।

(ख) राज्य सरकार और सुरक्षा सेनाओं का स्थिति पर नियंत्रण है और स्थिति खराब होने पर उससे निपट सकती है।

नई दिल्ली में त्यागराज नगर के अलाटियों को दो कमरे वाले क्वार्टर देना

938. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्यागराज नगर (प्रेम नगर) नई दिल्ली की सुधार समिति ने सरकार को एक अभ्यावेदन दिया है जिसमें सरकार से त्यागराज नगर के अलाटियों को त्यागराज नगर में नये बनाये गये 2 कमरे वाले क्वार्टर देने का अनुरोध किया गया है;

(ख) क्या यह सरकारी नीति है कि ऐसी कालोनियों में सामाजिक एकता के अनावश्यक विघटन को रोका जाय; और

(ग) यदि हां, तो क्या चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के वास्तविक कल्याण के हित में यह अभ्यावेदन मंजूर किया जायेगा ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परिमल घोष) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) प्रत्येक केलेण्डर मास की 19वें दिन तक प्राप्त हुए तबदीलियों के लिए आवेदन पत्र आगामी मास में प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित किए जाते हैं जिन अधिकारियों के नाम पहली की प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित होते हैं वे सभी एक साथ उन लोगों से वरिष्ठ हैं, जिनके नाम प्रतीक्षा सूची में बाद के महीनों में सम्मिलित किए जाते हैं। तबदीली की प्रतीक्षा-सूची में वरिष्ठता के अनुसार तथा जहां तक सम्भव हो अधिकारियों के वरीयता का ध्यान रखते हुए की जाती है। त्यागराज नगर (प्रेम नगर), नई दिल्ली में एक कमरे वाले क्वार्टरों के आवंटियों को, जिन्होंने उन्हें, दो-कमरे वाले क्वार्टरों से बदलने के लिए अपने आवेदन दिये हैं, तबदीली की प्रतीक्षा-सूची पर उनकी वरिष्ठता के अनुसार विचार किया जायेगा। तथापि, अधिकारी उनके द्वारा पहले दिये गये आवेदन-पत्र में दिखाई गई वरीयता को बदल सकते हैं, इसमें तबदीली की प्रतीक्षा-सूची में उनकी स्थिति में कोई अन्तर नहीं पड़ेगा। समिति को यह सूचना दे दी गई है कि ऐसे आवंटी जिन्होंने तबदीली के लिए पहले आवेदन पत्र दिया है, वे प्रेमनगर में दो कमरे वाले नये बनाये गये क्वार्टरों के लिए अपनी वरीयता में तबदीली करने के लिए आवेदन दे सकते हैं, और वरीयता में परिवर्तन से तबदीली की प्रतीक्षा-सूची पर उनकी स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दो कमरों के क्वार्टरों का आवंटन आवंटियों को तबदीली की प्रतीक्षा-सूची पर उनकी स्थिति के आधार पर किया जायेगा।

नई दिल्ली की सरकारी बस्तियों में जन-स्वास्थ्य तथा सफाई का गिरता स्तर

939. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें नेताजी नगर, नौरोजी नगर, सरोजिनी नगर, लक्ष्मीबाई नगर, सेवा नगर तथा त्यागराज नगर जैसी नई दिल्ली की सरकारी बस्तियों में जन-स्वास्थ्य तथा सफाई के गिरते स्तर की जानकारी है;

(ख) क्या जन-स्वास्थ्य स्तर के गिरने के फलस्वरूप रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है;

(ग) क्या सरकारी बस्तियों में पर्यावरण सेवा के सम्बन्ध में नई दिल्ली नगरपालिका और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की दोहरी जिम्मेदारी ही जन-स्वास्थ्य सम्बन्धी इस प्रशासनिक उपेक्षा के लिए उत्तरदायी है; और

(घ) सरकारी बस्तियों में स्थिति सुधारने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

गुजरात में फ्लुओरस्पार परियोजना के लिए वित्तीय सहायता

940. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कच्चे माल के महत्त्व को दृष्टि में रखते हुए गुजरात राज्य को फ्लुओरस्पार योजना के लिए केन्द्र ने कितनी सहायता दी है; और

(ख) गुजरात राज्य के कुछ और जामनगर जिलों में बाक्साइट के भण्डार के विकास तथा उपयोग के लिए केन्द्र ने कितनी सहायता दी है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) गुजरात का फ्लुओरस्पार प्रायोजना राज्य उद्योग है तथा इसे कोई केन्द्रीय सहायता उपबन्धित नहीं की गई है ।

(ख) भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने हाल ही में तटीय और निकट-तटीय बाक्साइट निक्षेपों के समन्वेषण के लिए परियोजना तैयार की है जिसमें गुजरात में जामनगर जिले के भाग भी सम्मिलित हैं । चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में गुजरात एल्युमिनिया प्रायोजना के लिए केन्द्रीय शेयर के रूप में एक करोड़ रुपये का टोकन उपबन्ध किया गया है ।

Expenditure on Development of Connaught Park, New Delhi

941. **Shri Janeshwar Misra** : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) the amount incurred on giving a new shape to the Connaught Place Park, New Delhi; and

(b) the amouut of the Central grant out of the aforesaid expenditure ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) 12.50 lakhs.

(b) Nil.

संयुक्त राष्ट्र के रजत जयन्ती अधिवेशन में भारत द्वारा रखे गये प्रस्ताव

942. **श्री शिवचंद्र झा** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त राष्ट्र महासभा के रजत जयन्ती अधिवेशन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया;

(ख) क्या भारतीय प्रतिनिधि ने विश्व शान्ति के लिए कोई विशेष प्रस्ताव रखा; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और अधिवेशन में भाग लेने वाले देशों की उस प्रस्ताव के प्रति क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) प्रधानमंत्री ने भारतीय प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व किया ।

(ख) और (ग) जी नहीं। प्रधान मंत्री के भाषण में, जिसकी अखबार में व्यापक रूप से चर्चा हुई है, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की कुछ आधारभूत समस्याओं का विश्लेषण था। इसकी गहरी प्रतिक्रिया हुई।

बाढ़ से नष्ट हुए मकानों के निर्माण के लिए पश्चिम बंगाल को वित्तीय सहायता

943. **श्रीमती इलापाल चौधरी :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में उन्होंने पश्चिमी बंगाल के बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में व्यक्तिगत रूप से यह सर्वेक्षण किया है कि वहां कितने मकान ध्वस्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति के विषय में उनका क्या मूल्यांकन है;

(ग) ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में नष्ट और क्षतिग्रस्त हुए मकानों के निर्माण तथा मरम्मत आदि के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(घ) हाल ही में हुई वर्षा और बाढ़ के कारण मकानों के नष्ट होने से उत्पन्न स्थिति के लिए पश्चिमी बंगाल सरकार को कितनी वित्तीय सहायता देने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री परिमल घोष) : (क) और (ख) स्वास्थ्य और परिवार नियोजन तथा निर्माण, आवास और नगर-विकास मंत्री तथा राज्य-मंत्री पश्चिम बंगाल के कुछ बाढ़ पीड़ित क्षेत्र विशेषकर मिदनापुर क्षेत्र देखने गये। वहां हानि बहुत भारी मात्रा में हुई थी।

(ग) और (घ) बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों में स्थिति के विस्तृत अध्ययन के आधार पर, केन्द्रीय अध्ययन टोली ने उन व्यक्तियों के लिए, जिनकी वासभूमि को हानि हुई है, भवन-निर्माण हेतु अनुदान देने सहित विभिन्न उपायों की सिफारिश की है। अधिकतम 250 रुपये प्रति मकान के अनुदान इस शर्त पर कि वह 75 लाख रुपये की कुल ऊपरी सीमा से अधिक न हो, की सिफारिश की गई है। 100 लाख रुपये तक के तकावी ऋणों (भवन निर्माण ऋणों सहित) की भी सिफारिश की गई है।

वित्त मंत्रालय ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, पश्चिमी बंगाल सरकार को बाढ़ राहत उपायों के लिए (आवास सहित) 3 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता पहले ही दे दी है और आगे की सहायता पर विचार, राज्य सरकार से प्राप्त व्यय की प्रगति रिपोर्ट पर आधारित होगा। उपरोक्त विशेष राहत के अतिरिक्त, राज्य सरकार, विभिन्न सामाजिक आवास योजनाओं के अंतर्गत, अपनी योजना व्यवस्था में जहां तक सम्भव हो, उन क्षेत्रों में मकानों के निर्माण का प्रबन्ध भी कर सकती है।

अंकलेश्वर तेल क्षेत्र का जल-प्लावित होना

944. **श्रीमती इलापाल चौधरी :** क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर, 1970 में नर्मदा नदी में भारी बाढ़ आने के कारण अंकलेश्वर के तेल

क्षेत्र जल प्लावित हो गये थे और तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को 30 तेल के कुएं बन्द करने पड़े थे;

(ख) क्या यह सच है कि अंकलेश्वर और झालोक के 3000 व्यक्ति बाढ़ग्रस्त हो गये थे और उन्हें इन क्षेत्रों से निकालना पड़ा;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) अंकलेश्वर तेल क्षेत्र के आस-पास के कुछ निम्नस्थ क्षेत्रों में बाढ़ आ गई थी जिसके कारण तेल क्षेत्रों में जाना कठिन हो गया था। लेकिन स्वयं तेल क्षेत्र, कुछ हिस्सों को छोड़कर, जल-प्लावित नहीं हुआ था। ऐहतियाती तौर पर, बहुत से कुंए अस्थाई रूप में बन्द कर दिये थे। स्थायी तौर पर कोई भी कुआँ मोहर बन्द नहीं किया गया था।

(ख) से (घ) : बाढ़ राहत और निकासी के विषय राज्य सरकार से सम्बन्धित होने से इस मंत्रालय के पास इन मामलों के ब्यौरे नहीं हैं।

अफ्रीकी देशों में हीरों के लिए राष्ट्रीय खनिजविकास निगम के संयुक्त खनिज उपक्रम

945. **श्रीमती इलापाल चौधरी** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा घाना से एक करोड़ रुपये के मूल्य के हीरों की खरीद से अफ्रीकी देशों में संयुक्त खनिज उपक्रम के अवसर प्राप्त हो गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन नये अवसरों का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी): (क) अफ्रकी देशों में संयुक्त खनन उद्यमों की सह-उपक्रम स्थापना के लिए अवसर समन्वेषित किए जा रहे हैं तथापि, इस बारे में अभी तक कोई ठोस बात-चीत नहीं की गई है :

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

परिवार नियोजन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता

946. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन, और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने हाल ही में राज्य सरकारों से परिवार नियोजन कार्य-क्रम के स्वैच्छिक संगठनों के अधिकाधिक भाग लेने के लिए प्रोत्साहन देने तथा संगठनों को अधिकाधिक सुविधायें प्रदान करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो इन संगठनों को कौनसी सुविधायें देने का विचार है; और

(ग) चालू वित्तीय वर्ष में केन्द्र द्वारा इन संगठनों को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख) जी हां। परिवार नियोजन केन्द्र तथा अन्य कार्य-कलाप चलाने पर होने वाले अनावर्ती और आवर्ती खर्च के लिए स्वैच्छिक संगठनों को शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता दी जाती है। इन स्वैच्छिक संगठनों को परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए सहाय्यानुदान देने की विधि का विकेन्द्रीयकरण कर दिया गया है और अब अनुदान सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा दिये जा रहे हैं। ये अनुदान केवल ग्रामीण और नगरीय परिवार कल्याण नियोजन केन्द्रों को चलाने के लिए ही नहीं दिये जाते बल्कि नसबन्दी के पलंगों के आरक्षण, नसबन्दी एककों की स्थापना, प्रशिक्षण, विषय-परिचायक प्रशिक्षण शिविरों के आयोजन या प्रेरणात्मक कार्यों के लिए भी दिये जाते हैं। जहां ऐसे कार्यकलापों के लिए केन्द्रीय सहायता के विशेष प्रतिमान निर्धारित किये गये हैं, वहां कुछ स्वैच्छिक संगठनों की ऐसी विशिष्ट योजनाओं के लिए भी जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिमान के समनुरूप नहीं हैं, तदर्थ आधार पर अनुदान देने पर विचार किया जाता है। साथ ही सभी सम्भव वित्तीय कठिनाइयों को दूर करने की दृष्टि से अनुदान देने की विधि को भी समुचित ढंग से उदार बना दिया गया है। अब राज्य परिवार नियोजन अधिकारी वित्तीय वर्ष के शुरू में संगठन से इस आशय के मात्र लिखित आश्वासन मिलने पर ही कि वह सारे साल काम करेगा, वर्ष के अनुमानित व्यय का 25 प्रतिशत दे सकता है। अनुमानित व्यय का दूसरा 25 प्रतिशत उस समय दे दिया जाता है जब गत वर्ष के कार्य की प्रगति रिपोर्ट तथा उसके साथ बिना जांचे गए लेखा विवरण, जिन पर संगठन के किसी जिम्मेदार अधिकारी के हस्ताक्षर हों, प्राप्त हो जाते हैं। शेष छः महीनों के लिए सहाय्यानुदान की बकाया रकम उस समय दे दी जाती है जब चार्टर्ड एकाउंटेन्ट द्वारा लेखा-परीक्षित लेखा-विवरण और सम्बन्धित महालेखाकार से उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त हो जाते हैं।

वित्तीय सहायता के अलावा इन संगठनों को कर्मचारियों का प्रशिक्षण, परिवार नियोजन सम्बन्धी साहित्य की सप्लाई आदि जैसी अन्य सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं।

स्वैच्छिक संगठनों को प्रोत्साहन देने और ग्रामीण और नगर क्षेत्रों में स्वैच्छिक संगठनों को सतत सहायता मिलते रहने का निश्चय दिलाने के उद्देश्य से ताकि वे दीर्घकालीन आधार पर अपनी कार्य योजना बना सकें, मात्र वर्ष प्रति वर्ष के आधार पर नहीं, राज्य सरकारों को हाल ही में ये अनुदेश दिये गये हैं कि वे इन संगठनों को निम्नलिखित अतिरिक्त सुविधाएं दें—

(1) यदि कोई स्वैच्छिक निकाय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के क्षेत्र में कार्य करना चाहे, तो इसके लिए उसे सहायता देनी चाहिए तथा उसके कार्य-क्षेत्र की सीमा स्पष्ट रूप से निर्धारित कर देनी चाहिए।

(2) जहां कहीं आवश्यक हो, स्वैच्छिक निकायों को पर्याप्त यातायात सम्बन्धी सुविधाएं प्रदान करके उन्हें चलते-फिरते रूप में सेवा प्रदान करने योग्य बनाने में सहायता दी जानी चाहिए।

(3) सतत सहायता का विश्वास दिलाकर स्वैच्छिक निकायों को चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि के लिए योजना बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उन्हें वार्षिक योजनाएं भी तैयार करनी चाहिएं।

(4) एक ही वर्ष में लक्ष्यों की प्राप्ति में असफल होने पर किसी स्वैच्छिक निकाय को दी जाने वाली सहायता बन्द नहीं कर देनी चाहिए और इस मामले में उदारता बरती जानी चाहिए क्योंकि ऐसे निकायों को अपना काम जमाने में समय लगता है जिसके लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

(5) इन संगठनों के कर्मचारियों और नेताओं को प्रशिक्षण और विषय परिचायक प्रशिक्षण देने के कार्यक्रम बना लेने चाहिए ताकि उन्हें इस कार्यक्रम के नए परिवर्तनों और तकनीकों से सुप-परिचित रखा जा सके; और

(6) स्वैच्छिक संगठनों के कार्य-संचालन में सुधार लाने के लिए उन्हें निरन्तर सूचना देते रह कर और उनके काम की समय-समय पर समीक्षा कर सहायता करनी चाहिए तथा उन्हें उचित लेखा प्रणाली रखने में भी सहायता दी जानी चाहिए।

(ग) परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को चालू वित्तीय वर्ष में 5 लाख रुपये की धन-राशि देने का भारत सरकार का प्रस्ताव है।

हथियार प्राप्त करने के बारे में लन्दन में पाकिस्तान के राष्ट्रपति द्वारा दिया गया वक्तव्य

647. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 18 अक्तूबर 1970 को लन्दन में पाकिस्तान के राष्ट्रपति द्वारा दिये गये वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसमें राष्ट्रपति ने यह कहा है कि वह अपने देश की सुरक्षा के लिए प्रत्येक स्रोत से हथियार प्राप्त करेंगे;

(ख) यदि हां, तो उसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करने के बारे में सरकार के विचारों से सभी मित्र देशों की सरकारों को अवगत करा दिया गया है। उन्हें यह अच्छी तरह समझा दिया गया है कि पाकिस्तान की सैन्य शक्ति में किसी भी प्रकार की वृद्धि भारत की सुरक्षा के लिए खतरनाक होगी और उससे इस उपमहाद्वीप में तनाव बढ़ेगा।

(ग) अपने रक्षा प्रबन्ध करते समय पाकिस्तान की सशस्त्र सेना में होने वाली हर तरह की वृद्धि की बात को ध्यान में रखा जाता है।

पेट्रोलियम कोक का उत्पादन

948. **श्री हिम्मतसिंहका :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों की अवधि में देश के प्रत्येक तेल-शोधक कारखाने में कितने-कितने पेट्रोलियम कोक का उत्पादन हुआ तथा चालू वर्ष में कितने उत्पादन का अनुमान है; और

(ख) देश के अन्दर कितने पेट्रोलियम कोक की खपत हुई तथा कितना पेट्रोलियम कोक का निर्यात किया गया तथा उससे कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) पेट्रोलियम कोक का शोधन-शाला-वार उत्पादन निम्न प्रकार है—

'000' मीटरी टनों में

वर्ष	आसाम आयल कम्पनी	गोहाटी	बरौनी	कुल
1967	12.9	43.7	58.9	115.5
1968	13.9	48.0	64.5	126·4
1969	14.1	46.1	89.7	149.9
1970 (अनुमानित)	13.8	36.1	95.9	145.8

(ख) पेट्रोलियम कोक की आन्तरिक खपत और निर्यात के आंकड़े तथा निर्यातित मात्रा का मूल्य निम्न प्रकार है—

वर्ष	उपयुक्त मात्रा/निर्यातित '000' मीटरी टन		निर्यातित मात्रा का मूल्य (लाख रुपयो में)
1967	100.5	29.8	18.90
1968	123.4	10.7	8.58
1969	142.3	-	-
1970 (अनुमानित)	143.0	-	-

राजधानी में ईंटों की कमी

949. **श्री हिम्मतसिंहका :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में निर्माण-कार्यों के लिए ईंटों की कमी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली प्रशासन ने मुख्य निर्माण अभिकरणों जैसे दिल्ली विकास अधिकरण, दिल्ली नगर निगम और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अधीन सरकारी क्षेत्र में ईंटों की भट्टियां लगाने का कोई प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो उस प्रस्ताव की प्रभावशाली बातें क्या हैं और सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया तथा उक्त प्रत्येक प्रस्ताव के अनुसार कितनी मात्रा में ईंटें बनाई जा सकेंगी; और

(ग) क्या इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ईंटों के मूल्यों में वृद्धि कर दी गई थी; यदि हां, तो मूल्य में कितनी वृद्धि की गई है और इस समय वास्तविक निर्माताओं को ईंटों की सप्लाई किस प्रकार की जाती है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री परिमल घोष) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली के मेयर की अध्यक्षता में कमेटी की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए 15 सितम्बर, 1970 से ईंटों के मूल्य में वृद्धि कर दी और साथ ही ईंटों पर से वितरण नियंत्रण भी उठा लिया । वृद्धि से पूर्व, विभिन्न श्रेणियों की ईंटों की कीमतें निम्न प्रकार थीं—

ब्रिक टाईल	—48.50 रुपये प्रति हजार
ईंट प्रथम श्रेणी	—47.50 रुपये ,, ,,
ईंट द्वितीय श्रेणी	—42.50 रुपये ,, ,,
ईंट तृतीय श्रेणी	—31.00 रुपये ,, ,,
ब्रिक बैट्स	—26.00 रुपये ,, ,,

15 सितम्बर, 1970 से ईंटों के नियत किये गये मूल्य निम्न प्रकार हैं—

ब्रिक टाईल्ज	—54.50 रुपये प्रति हजार
ईंट प्रथम श्रेणी	—53.50 रुपये ,, ,,
ईंट द्वितीय श्रेणी	—48.50 रुपये ,, ,,
ईंट तृतीय श्रेणी	—30.00 रुपये ,, ,,

इस समय, जैसे ऊपर कहा गया है, ईंटों के वितरण पर कोई नियंत्रण नहीं है । उपभोक्तागण निर्धारित मूल्यों पर ईंटों के भट्टों के मालिकों से सीधे रूप में ईंटें ले सकते हैं ।

गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और मैसूर राज्यों में खनिजों का हवाई सर्वेक्षण

950. **श्री जगेश्वर यादव** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और मैसूर राज्यों के 80,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में खनिजों का हवाई सर्वेक्षण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या उक्त योजना के लिए किसी विदेशी सहयोग के लिए प्रयत्न किये गये हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) से (ग) देश के कतिपय भागों के हवाई सर्वेक्षण हेतु भारत सरकार ने फ्रांस सरकार के एक संगठन अर्थात् बी० आर० जी० एम० (ब्यूरो डी रिचर्चिज ज्योलीजीक्स एण्ड माईनरीस) पेरिस के साथ एक संविदा पर हस्ताक्षर किए हैं। आशा की जाती है कि इस संविदा के अधीन हुए सर्वेक्षण में राजस्थान, गुजरात, मध्यप्रदेश तथा मैसूर के कुल 80,000 वर्ग किलो-मीटर (लगभग) तक के चयित क्षेत्र अन्तर्निहित होंगे।

देश में जन्म तथा मृत्यु दर

951. **श्री नं० रा० देवघरे :**
श्री जगेश्वर यादव :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में देश में जन्म तथा मृत्यु दर कितनी थी;

(ख) गत तीन वर्षों में देश की जन-संख्या में कितनी वृद्धि हुई है;

(ग) क्या बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने के लिए सरकार का वर्तमान उपायों के अतिरिक्त अन्य उपाय करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) 1960-61 में 41.7 की जन्म दर के आधार पर तथा परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत रोके गये जन्मों की संख्या को ध्यान में रखते हुए, पिछले तीन वर्षों की जन्म और मृत्यु दरें इस प्रकार हैं—

वर्ष	जन्म दर	मृत्यु दर
1967-68	40.0	14.6
1968-69	39.0	14.0
1969-70	38.3	13.5

पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत की अनुमानित जनसंख्या तथा उसमें प्रतिशत वृद्धि इस प्रकार है—

वर्ष	जनसंख्या (करोड़ों में)	प्रतिशत वृद्धि
1967-68	51.44	2.55
1968-69	52.75	2.55
1969-70	54.07	2.50

(ग) और (घ) बढ़ती हुई जनसंख्या के नियंत्रण के लिए जो कदम उठाए गए हैं अथवा उठाये जाने का विचार है, उनका एक विवरण संलग्न है।

विवरण

सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपायों या प्रस्तावित उपायों का विवरण

देश में परिवार नियोजन कार्यक्रम को लोकप्रिय और सघन बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं—

1. उत्तर प्रदेश (वाराणसी प्रभाग) में घनी आबादी वाले 17 जिलों और 1 चुनींदा क्षेत्र में कार्यक्रम को सघन करना। चालू वर्ष में इस योजना को और 17 जिलों और 1 प्रभाग में शुरू करने का प्रस्ताव है।

2. देश में 59 महत्त्वपूर्ण मेडिकल संस्थाओं के माध्यम से प्रसवोत्तर सेवाएं प्रदान करना। इसे 150 अस्पतालों में शुरू करने का प्रस्ताव है।

3. देश भर में व्यावसायिक स्रोतों के जरिए और चुने गए ग्रामीण क्षेत्रों में डिपो होल्डरों (डाकघरों) के जरिये निरोध की सप्लाई करना।

4. स्वैच्छिक और गैर-सरकारी अस्पतालों सहित लगभग 2000 ऐसे चुनींदा अस्पतालों को नसबन्दी उपकरण सप्लाई करना, जहां चिकित्सा अधिकारी नसबन्दी करने/लूप पहनाने का काम तो करना चाहते हैं किन्तु उपकरणों के अभाव में ऐसा नहीं कर सकते।

5. निजी चिकित्सा व्यवसायियों, होम्योपैथी और स्वदेशी चिकित्सा पद्धति के डाक्टरों को विषय परिचायक प्रशिक्षण देकर उन्हें इस कार्यक्रम में और अधिक संख्या में शामिल करना।

6. उन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के साथ ग्रामीण परिवार कल्याण नियोजन केन्द्रों की स्थापना करना जहां ये अभी स्थापित नहीं किए गए हैं और उप-केन्द्रों को खोलना। गति और सेवाओं को बढ़ाने की दृष्टि से चुनींदा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को वाहनों की व्यवस्था करना।

7. शिशुओं और स्कूल जाने से पूर्व की अवस्था वाले बच्चों के पूर्ण बचाव के लिए ट्रिपल एन्टीजेन का प्रयोग करना, माताओं को टिटनस रोग से पूर्ण बचाव तथा पौषणिक रक्तक्षीणता की रोकथाम और विटामिन 'ए' की कमी के कारण अंधता को रोकने के लिए पोषण कार्यक्रम—परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत ये योजनायें शुरू की जा रही हैं जिससे समाज को यह विश्वास दिलाने के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण दिया जा सके कि परिवार नियोजन कार्यक्रम माताओं और बच्चों के सामान्य स्वास्थ्य और कल्याण में दिलचस्पी रखता है।

8 देश के लगभग 400 दूरवर्ती और असुविधा वाले खण्डों में शीघ्र ही बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं की एक योजना शुरू करने का विचार है। इन क्षेत्रों में नियुक्त किये जाने वाले डाक्टरों को 150 रुपये प्रति मास का भत्ता दिया जाएगा तथा असुविधा वाले केवल 100 केन्द्रों को पक्के मार्ग, विद्युत, स्वच्छ पेय जल जैसी अतिरिक्त सुविधाएं भी प्रदान करने का विचार है।

9. कार्यक्रम में स्वैच्छिक संगठनों को शामिल करने के क्षेत्र का विस्तार किया जा रहा है और अनुदान की प्रतिक्रिया को आसान बना दिया गया है।

10. मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार।

11. कर्मचारी वर्ग के प्रशिक्षण में सुधार।

12. जीव चिकित्सा, सामाजिक एकांकिकीय अनुसंधान एवं मूल्यांकन।

दिल्ली में इर्विन तथा पंत अस्पतालों के मरीजों को भोजन और दवाइयां देने में कदाचार

952. **श्रीनं० रा० देवघरे** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के इर्विन तथा पंत अस्पतालों में मरीजों को सप्लाई किये गये भोजन तथा औषधियां देने में कदाचार बढ़ गया है और इस कदाचार से सम्बन्धित कई चित्र अस्पतालों के बाहर लगाये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) रोगियों अथवा उनके सम्बन्धियों से ऐसी किसी शिकायत की सूचना नहीं मिली है। इस सम्बन्ध में दिखाये गये एक पोस्टर को कुछ निहित स्वार्थों द्वारा प्रेरित किया गया जान पड़ता है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में उर्वरक कारखानों में क्षमता का उपयोग तथा वास्तविक उत्पादन

953. **श्री एस० आर० दामानी** :
श्री देवराव पाटिल :

क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969 में देश के उर्वरक कारखानों में क्षमता का कितना उपयोग हुआ और वास्तव में कितना उत्पादन हुआ;

(ख) वर्ष 1973-74 तक अनुमानित 54.70 लाख टन उर्वरक की मांग को पूरा करने के लिए इस प्रकार कितनी उत्पादक क्षमता आवश्यक होगी; और

(ग) सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में इस उत्पादन क्षमता को पैदा करने के लिए क्या-क्या योजनाएं सरकार के विचाराधीन हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) अपेक्षित सूचना निम्न प्रकार है—

('000' मीटरी टन)

	स्थापित क्षमता	प्राप्य क्षमता	1969-70 में वास्तविक उत्पादन
(क) नाईट्रोजन के रूप में	1344	978	715.6
(ख) पी2ओ5 के रूप में (फास्फेटिक)	421	400	221.5

(ख) और (ग) चौथी योजना में 1973-74 के लिए 3 मिलियन मीटरी टन और 2.5 मिलियन मीटरी टन नाइट्रोजन की न्यूनतम क्षमता और उत्पादन लक्ष्य संकल्पित है। फास्फेटिक उर्वरक के बारे में, 1973-74 के लिए 1.2 मिलियन मिटरी टन की न्यूनतम क्षमता और 0.9 मिलियन मीटरी टनों का उत्पादन संकल्पित है। 1973-74 के लिए नाइट्रोजनी तथा फास्फेटिक उर्वरकों की अनुमानित मांग (खपत लक्ष्य) क्रमश: 3.2 मिलियन मीटरी टन और 1.4 मिलियन मीटरी टन है।

सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों के उर्वरक कार्यक्रम की वर्तमान स्थिति निम्न प्रकार है—

	नाईट्रोजन	पी2ओ5
	(मिलियन मीटरी टन)	
वर्तमान क्षमता	1.344	0.421
निर्माणाधीन क्षमता	1.210	0.431
अनुमोदित क्षमता किन्तु जिसे अभी स्थिर करना है	1.256	0.516
सिद्धान्त रूप में अनुमोदित क्षमता	1.158	0.555

जहां तक पोटाश का सम्बन्ध है, इसका कोई देशीय उत्पादन नहीं होता। समस्त जरूरतें आयात द्वारा पूरी करनी पड़ती हैं। 1973-74 के लिए खपत लक्ष्य 0.9 मिलियन मीटरी टन है।

विशाखापत्तनम् में जस्ता प्रद्रावक संयंत्र की स्थापना

954. **श्री एस० आर० दामानी** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापत्तनम् के जस्ता प्रद्रावक संयंत्र स्थापित करने के सम्बन्ध में कोई निर्णय किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संयंत्र की लागत, उसकी उत्पादन क्षमता तथा कच्चे माल की उपलब्धता का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसका निर्माण-कार्य कब तक आरम्भ होगा और उत्पादन कब तक शुरू हो जायेगा।

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) जी, हां। सरकार ने पब्लिक सेक्टर में विशाखापत्तनम् में एक नए जस्ता प्रद्रावक की स्थापना का विनिश्चय किया है।

(ख) प्रायोजना की प्राक्कलित लागत 21.24 करोड़ रुपये है और उसकी उत्पादन क्षमता निम्नलिखित होगी—

	मीटरी टन प्रतिवर्ष
(1) विद्युदंशिक जस्ता	30,000
(2) गंधकीय अम्ल	45,540
(3) मृज्यातु धातु	114.7
(4) परिष्कृत सीसा	2,130
(5) जस्ता धूलि	1,500

खान तथा धातु विभाग के अधीन पब्लिक सेक्टर उपक्रम हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड देश में विद्यमान प्रद्रावकों से उद्भूत अवमल (वर्तमान समय में अपशेष माल) के प्रयोग के अतिरिक्त प्रद्रावक हेतु जस्ता संकेन्द्रकों के निर्यात के लिए दीर्घावधि व्यवस्था को अन्तिम रूप देने के लिए कदम उठाएगा।

(ग) वित्तीय और अन्य व्यवस्थाओं को अन्तिम रूप देने के पश्चात् इन्हें प्रतिपादित किया जाएगा।

टी० बी० अस्पताल, मेहरौली, दिल्ली के कर्मचारियों में असंतोष

955. **श्री ओंकार लाल बेरवा :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टी० बी० अस्पताल, मेहरौली (दिल्ली) के मेडिकल सुपरिन्टेन्डेंट को अस्पताल के कर्मचारियों की विशेषकर वहां के संघ के सदस्यों की भविष्यनिधि, चिकित्सा सुविधाएं तथा अवकाश सम्बन्धी सुस्पष्ट एवं एकरूप नीति बनाने के सम्बन्ध में दिनांक 10/16 जुलाई, 1970 को एक पत्र लिखा था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार तथा सम्बद्ध अधिकारियों ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है; और

(ग) क्या सरकार को उक्त अस्पताल के कर्मचारियों के असंतोष का पता है और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) अस्पताल कर्मचारी पंचायत के महामंत्री द्वारा बताया गया कि भविष्य-निधि, चिकित्सा सुविधाओं एवं अवकाश के मामलों में एक जैसी नीति न अपनाने के कारण स्टाफ में असन्तोष है। अस्पताल कर्मचारी पंचायत के महामन्त्री ने इस मामले पर भारतीय क्षय-रोग संगठन के महामन्त्री एवं अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक के साथ भी विचार विमर्श किया था। टी० बी० अस्पताल, मेहरौली का संचालन भारतीय क्षयरोग संगठन द्वारा किया जाता है जो कि एक पंजीकृत निकाय है तथा अस्पताल के मामलों में सरकार का कोई सीधा नियन्त्रण नहीं है। ऐसा पता चला है कि अस्पताल कर्मचारियों को भविष्यनिधि, चिकित्सा देख-रेख तथा छुट्टियों सम्बन्धी सुविधाएं संगठन के निर्धारित नियमों एवं विनियमों के अनुसार दी जाती हैं।

टी० बी० अस्पताल, मेहरौली (दिल्ली) के कर्मचारियों को सेवा शर्तें तथा उनके लिए नियम तथा विनियम

956. **श्री यशपाल सिंह :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टी० बी० अस्पताल मेहरौली, दिल्ली के कर्मचारियों को कोई सेवा-शर्तें या उनके लिए कोई नियम या विनियम लागू नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और यदि इसका उत्तर 'हां' में है तो क्या ये अस्पताल के कर्मचारियों तक परिचालित कर दी गई है;

(ग) क्या कुछ कर्मचारियों को, जो कि वहां गत दस-चौदह वर्षों से सेवा में हैं, नियुक्ति-पत्र/आदेश नहीं दिये गये हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस विषय में व्यवस्था कायम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जायेगी; और

(ङ) इस प्रकार की अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार प्रबन्धक कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख) टी० बी० अस्पताल मेहरौली का संचालन भारतीय क्षय-रोग संगठन द्वारा जोकि 1860 के सोसाइटी रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, XXI के अधीन पंजीकृत है द्वारा किया जाता है। भत्ते, यात्रा-भत्ते, छुट्टियों आदि के बारे में यह संगठन भारत सरकार के नियमों आदि का ही अनुसरण करता है बशर्ते कि संगठन की कार्यकारिणी ने उनका समर्थन कर दिया हो। इस संगठन और इसके अधीन संस्थाओं में नौकरों की सेवा शर्तें उन नियुक्ति-पत्रों में दी जाती हैं जोकि कर्मचारियों को जारी किए जाते हैं।

(ग) और (घ) कुछ मामलों में नियुक्ति-पत्र जारी नहीं किए गए थे। ऐसा समझा जाता है कि पहले जिन्हें नियुक्ति-पत्र नहीं दिए गए थे उन्हें ऐसे पत्र जारी करने के लिए संगठन द्वारा अब कदम उठाये जा रहे हैं।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता।

चीन द्वारा पाकिस्तान को आण्विक विस्फोटक सामग्री/अस्त्रों की सप्लाई

957. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन ने पाकिस्तान को आण्विक विस्फोटक सामग्री/अस्त्रों की सप्लाई की है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार के पास क्या सूचना है;

(ग) क्या उक्त घटना के कारण आण्विक अस्त्रों के निर्माण के सम्बन्ध में सरकार के दृष्टिकोण पर पूर्ण रूप से पुनर्विचार की आवश्यकता है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रतिरक्षा-मंत्री (श्री जगजीवन राम) (क) सरकार को ऐसी कोई सूचना नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

नेफ्था-आधारित उर्वरक कारखाने की स्थापना

958. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सच है कि वर्ष 1974 में आरम्भ होने वाले चार उर्वरक कारखाने नेफ्था पर आधारित होंगे;

(ख) यदि हां, तो इन संयंत्रों का क्या नाम होगा;

(ग) क्या इन संयंत्रों की आवश्यकता देश में उपलब्ध नेफ्था से पूरी हो सकेगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सरकार ने नेफ्था के आयात पर प्रतिबन्ध लगा रखा है, इन परियोजनाओं को किन बातों के कारण स्वीकृति दी गई है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख) टालचर, रामागुनडम, कोचीन (फेस-II) और हलिदया तथा ट्रोम्बे विस्तार उर्वरक कारखानों के 1974 में चालू हो जाने का अनुमान है। ये कारखाने नेफ्था सम्भरण सामग्री पर आधारित नहीं हैं। मंगलौर में स्थापित उर्वरक कारखाने को यदि अन्तिम रूप से अनुमोदित कर दिया तो उसके 1974 में चालू होने का अनुमान है। यह नेफ्था सम्भरण सामग्री पर आधारित हैं। इसके अतिरिक्त तूतीकोरिन में स्थापित एक उर्वरक परियोजना, यदि अन्तिम रूप में अनुमोदित की गई तो उसके 1974 में चालू होने का अनुमान है। इस परियोजना के लिए सम्भरण सामग्री के विषय में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) और (घ) भविष्य में नेफ्था पर आधारित उर्वरक संयंत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नेफ्था के स्वदेशी साधनों के पर्याप्त होने का अनुमान नहीं है। नेफ्था के आयात की जब कभी आवश्यकता हो, प्रत्येक मामले के गुणावगुण के आधार पर इजाजत दी जायेगी।

श्रीलंका में रहने वाले भारतीयों को नागरिकता प्रदान करने के लिए कानून में परिवर्तन

959. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्रीलंका के एक मंत्री ने सितम्बर, 1970 में नई दिल्ली में एक प्रेस सम्मेलन में कहा था कि श्रीलंका सरकार भारतीयों को श्रीलंका की नागरिकता प्रदान करने सम्बन्धी कानून में कुछ परिवर्तन करने पर विचार कर रही है; और

(ख) क्या भारत सरकार ने श्रीलंका सरकार से यह पूछा है कि उक्त परिवर्तन किस प्रकार किया जायेगा और इसका वहां के भारतीयों और वर्तमान व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) सरकार ने समाचार-पत्रों में छपी रिपोर्ट को देखा है और ऐसा प्रतीत होता है कि श्रीलंका के आवास एकक निर्माण

मन्त्री के वक्तव्य का आशय यह था कि श्रीलंका, राष्ट्रीयता प्रदान करने के प्रश्न को 1964 के भारत-श्रीलंका करार के अनुसार, भारत प्रत्यावर्तित व्यक्तियों के साथ जोड़ना चाहता है जबकि इसे उन लोगों के प्रश्न से जोड़ा जाना चाहिए जिन्हें वस्तुतः भारतीय नागरिकता प्रदान की गई हो।

(ख) प्रश्न, 1964 के भारत-श्रीलंका करार को कार्यान्वित करने का है और तत्संबंधी विधान में अगर श्रीलंका सरकार कोई संशोधन करती है तो ऐसा करना उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। जहां तक 1964 के भारत-श्रीलंका करार को कार्यान्वित करने का संबंध है, इस सदन में बहुत से अवसरों पर यह बताया जा चुका है कि दोनों सरकारों ने पूर्णतः कार्यान्वित करने की इच्छा प्रकट की है।

खेतड़ी तांबा परियोजना के संबंध में शिकायत

960. **श्री रामस्वरूप विद्यार्थी** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खेतड़ी तांबा परियोजना के सम्बन्ध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की शिकायतें की गई हैं और इस पर क्या कार्यवाही की गई अथवा करने का विचार है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) और (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रखी जायेगी।

देवनगर के क्वार्टरों में अस्वास्थ्यजनक स्थिति

961. **श्री रामस्वरूप विद्यार्थी** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देवनगर, दिल्ली के दुमंजिले सरकारी क्वार्टरों में रहने वालों तथा लिबर्टी सिनेमा के पीछे एक मंजिल वाले सरकारी क्वार्टरों में रहने वालों से वहां की अस्वास्थ्यजनक स्थिति के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो वहां की स्थिति को सुधारने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री परिमल घोष) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग, जो देव नगर में दो मंजिले क्वार्टरों की सामान्य सफाई के लिए उत्तरदायी है, ने कालोनी की सीमा के अन्दर गंदगी की स्थिति में सुधार करने के उपाय किये हैं।

जहां तक एक मंजिले क्वार्टरों का सम्बन्ध है, दिल्ली नगर निगम ने स्त्रवायर के बीच में सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण किया है, और क्योंकि यह कष्टकारक है, निगम को इन शौचालयों को हटाने के लिए कहा गया है।

दिल्ली में पट्टे की राशि का समाप्त किया जाना

962. **श्री रामस्वरूप विद्यार्थी** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली और नई दिल्ली के भूमि पट्टेदारों से पट्टे की राशि समाप्त करने के सम्बन्ध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) पट्टे की राशि निर्धारित करने का मानदंड क्या है और किस अधिकतम अवधि तक इसको वसूल किया जाना है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, अवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री परिमल घोष) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) सिवाय पुनर्वास सम्पत्तियों के जहां रिआयत दी गई है, पट्टे की समस्त अवधि के लिए भूमि का किराया, प्रीमियम के $2\frac{1}{2}$ प्रतिशत की दर से वसूल करने योग्य है। लगाए गए भूमि के किराये को समाप्त करने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

एण्टी-टायफाइड औषधि कलोरम फेमिकाल का अधिक मूल्य

963. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एण्टी-टायफाइड औषधि "क्लोरम फेमीकाल" का मूल्य 660 रुपये प्रति किलोग्राम तक बढ़ गया था जबकि इसका नियंत्रित मूल्य 330 रुपये प्रति किलोग्राम है और औषधि की सप्लाई में बहुत कमी आ गई है;

(ख) क्या यह सच है कि स्थिति के और भी बिगड़ने की सम्भावना है क्योंकि तीन स्वदेशी उत्पादकों में से दो ने अपना उत्पादन वस्तुत: निलंबित कर दिया है और राज्य व्यापार निगम जिसके जरिए आयात किये जाते हैं पर्याप्त मात्रा में आयात करने में असफल रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस औषधि की कमी को पूरा करने और मूल्य पर काबू करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) विश्व बाजार में क्लोरम्फेनीकोल की सप्लाई में कमी है क्योंकि यूनिटों में से एक यूनिट में एक गम्भीर विस्फोट के फलस्वरूप कुछ यूनिटों ने ऐहतियाती उपाय की दृष्टि से उत्पादन

को स्थगित कर दिया है । इस औषधि का नियन्त्रित (पुलड) मूल्य 330 रुपये प्रति किलोग्राम है ।

(ख) स्थिति में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है क्योंकि दो देशीय यूनिटों में से, जिन्होंने उत्पादन स्थगित कर दिया था, एक यूनिट ने अक्तूबर, 1970 से पुनः उत्पादन शुरू कर दिया है और दूसरे के निकट भविष्य में ऐसा करने की आशा है । विश्व में कमी के फलस्वरूप, राज्य व्यापार निगम को प्रदाय ढूंढने में कुछ कठिनाई पेश आई परन्तु परिस्थिति में सुधार के चिह्न दर्शित होते हैं ।

(ग) राज्य व्यापार निगम को अधिकृत किया गया है कि वे इस औषधि के प्रदायों को ढूंढे चाहे वे किन्हीं स्रोतों से उपलब्ध हों । देशीय यूनिटों को यथासम्भव न्यूनावधि के भीतर क्लोरम्फेनीकोल के उत्पादन हेतु पेन-अल्टीमेट इण्टरमीडियेट्श के आयात के लिए लाइसेन्स भी जारी किये गये हैं ।

कोयला खानों पर कोयले के स्टाक का जमा होना

964. **श्री क० प्र० सिंह देव :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जबकि कोयले का उत्पादन बहुत बढ़ रहा है इसकी आंतरिक खपत उत्पादन के साथ नहीं बढ़ रही है जिसके परिणामस्वरूप पिछले अप्रेल मास में कोकिंग तथा नान-कोकिंग कोयले का स्टाक कोयला खानों पर लगभग 70 लाख मीट्रिक टन था;

(ख) यदि हां, तो अतिरिक्त खपत और निर्यात की तुलना में 1968-69 और 1969-70 में कोयले का कुल उत्पादन क्या था;

(ग) वर्ष 1970 के अन्त में उद्योग के पास कोयले की कुल कितनी अतिरिक्त मात्रा बच जाने की सम्भावना है;

(घ) उद्योग के पास बचे स्टाक का निपटान करने के लिए सरकार का उद्योग को क्या सहायता देने का विचार है; और

(ङ) क्या सरकार खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से कोयला निर्यात किए जाने का पुनरीक्षण करेगी ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) यद्यपि 1969-70 में उत्पादन एवं आंतरिक उपभोग में वृद्धि हुई, लेकिन 5.8% की उत्पादन-वृद्धि की तुलना में उपभोग में लगभग 4.6% की वृद्धि हुई ।

(ख)

वर्ष	उत्पादन (लाख टनों में)	आंतरिक उपभोग (लाख टनों में)	निर्यात (लाख टनों में)
1968-69	714.10	704.50	5·30
1969-70	755.70 (अनन्तिम)	737.10	4.40

(ग) इसकी पूर्वसूचना देना कठिन होगा कि 1970 के अन्त तक उद्योग के पास अधिशेष की मात्रा क्या होगी । स्टाक का सामान्य स्तर, जो कि लगभग एक माह का उत्पादन है वह लगभग 63 लाख मैट्रिक टन है। अप्रैल, 1970 में स्टाक का स्तर 70 लाख मैट्रिक टन, अर्थात् सामान्य स्तर से 7 लाख मैट्रिक टन से अधिक था । अगस्त, 1970 में स्टाक स्तर 78.50 लाख मैट्रिक टन था ।

(घ) इस्पात संयंत्रों द्वारा कम अपक्रय के कारण कोयले का स्टाक संचित हुआ है । इन संयंत्रों का उत्पादन हड़तालों आदि से प्रभावित हुआ है तथा विशिष्टतया पूर्वी क्षेत्रों में हुई रेल हड़ताल के कारण भी उत्पादन प्रभावित हुआ है । यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं कि इस्पात संयंत्र अधिक कोयला उठाएं । आशा की जाती है कि पूर्वी तथा दक्षिण-पूर्वी रेलों की स्थिति सामान्य हो जाने पर वे व्यस्तता सत्र में, जो प्रारंभ हो गया है, कोयले का अधिक संचलन करेगी । तदर्थ रूप में की गई व्यवस्था के अनुसार, बढ़ते हुए स्टाक से उन्मुक्ति देने हेतु कोककर कोयले के परिसीमित मात्रा में निर्यात की अनुमति दे दी गई है। आशा की जाती है कि इन कदमों के परिणामस्वरूप स्टाकों में कमी हो जाएगी ।

(ङ) जी, नहीं ।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग से तट-दूर छिद्रण परियोजना को वापस लिए जाने का प्रस्ताव

965. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार तट-दूर छिद्रण परियोजनाओं को तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग से वापस लेकर अधिक अनुभव प्राप्त तथा विशेषज्ञ दल को सौंप देने का विचार कर रही है; और

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई निर्णय किया गया है, और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

नूनमती तेल-शोधक कारखाने का उत्पादन लक्ष्य

966. **श्री हेम बरुआ** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नूनमती तेल-शोधक कारखाने में वार्षिक उत्पादन के क्या लक्ष्य रखे गये हैं और इस लक्ष्य के कोई मासिक आंकड़े बनाये गये हैं । यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या इस कारखाने में उत्पादन निर्धारित वार्षिक लक्ष्य के अनुरूप नहीं हुआ । यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) विभिन्न यूनिटों की मरम्मत के लिए बन्द रखे जाने के कार्यक्रमों पर विचार करने के पश्चात् मासिक थरुपुटस के आधार पर गोहाटी शोधक कारखाने के लिए 1970-71 के लिए 0.8 मिलियन मीटरी टन कच्चे तेल की थरुपुट के लक्ष्य की योजना बनाई गई थी;

(ख) जी हां, मुख्यतः निम्नलिखित कारणों से—

(1) बिजली की अस्थिर सप्लाई

(2) जुलाई 1970 में रेल की कठिनाइयों/हड़ताल के कारण सिलीगुरी के बाहर उत्पादों का प्रतिबन्धित रूप में ले जाया जाना।

पश्चिम बंगाल में निम्न आय वर्ग के लिए आवास सम्बन्धी योजनाएं

967. **श्री समर गुह** : : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए कोई आवास योजना आरम्भ की है;

(ख) यदि हां, तो पश्चिम बंगाल में गत तीन वर्षों में जो इस प्रकार योजनाएं आरम्भ और क्रियान्वित की गईं उनका ब्यौरा क्या है और भविष्य में ऐसी कितनी योजनाएं बनाने का प्रस्ताव है;

(ग) पश्चिमी बंगाल में और विशेषतया बृहत् कलकत्ता के क्षेत्र और शरणार्थी बस्तियों में मकानों की समस्या बहुत गम्भीर है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इस राज्य के लिए कोई विशेष व्यवस्था करेगी; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री परिमल घोष) : (क) जी हां। इस मंत्रालय ने निम्न आय वर्ग के लाभ के लिए, प्रत्येक के सामने दिये वर्ष में, निम्नलिखित योजनाएं आरम्भ की थीं—

(i) औद्योगिक कर्मचारियों और समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर व्यक्तियों के लिए एकीकृत सहायता प्राप्त आवास योजना	1952
(ii) निम्न आय वर्ग आवास योजना	1954
(iii) बागान कर्मचारियों के लिए सहायता प्राप्त आवास योजना	1956
(iv) गन्दी बस्ती हटाने और सुधार योजना	1956
(v) ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम	1957
(vi) भूमि-अर्जन और विकास योजना	1959

(ख) ये सभी योजनाएं राज्य सरकारों द्वारा अपने अधिकार क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही हैं (पश्चिम बंगाल सरकार सम्मिलित है)। ये योजनाएं चतुर्थ योजना अवधि में भीच लू रखी जा रही हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त विभिन्न सामाजिक आवास योजनाएं राज्य क्षेत्र में सम्मिलित हैं। चतुर्थ योजना के आरम्भ से केन्द्रीय सहायता एक साथ सभी राज्य क्षेत्र कार्यक्रमों के लिए 'खण्ड ऋणों' और 'खण्ड अनुदानों' के रूप में दी जाती है जो किसी विशेष विकास शीर्षक या कार्यक्रम से सम्बद्ध नहीं होती। यह पूर्णरूपेण राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वे अपनी प्राथमिकताओं और आवश्यकताओं के अनुसार इन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त धन का नियतन करें।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में पश्चिम बंगाल सरकार ने आवास और नगर-विकास के लिए निम्न व्यवस्था की है :

	(लाख रुपयों में)
आवास	672.00
नगर-आयोजना और नगरीय विकास	149.83
	821.83

इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने कलकत्ता महानगर जिले के विकास के लिए लगभग 4,345 लाख रुपये की व्यवस्था भी की है। इस व्यवस्था का कुछ भाग उनके द्वारा आवास के लिए भी उपयोग में लाया जा सकता है।

इसके साथ, राज्य सरकार को, उनकी योजना की ऊपरी सीमा के बाहर, 1970-71 और 1971-72 के दौरान, विशेष रूप से, उनके बस्ती सुधार कार्यक्रम के लिए, अनुदान सहायता के रूप में, 800.00 लाख रुपये की विशेष व्यवस्था उपलब्ध की जा रही है।

सैनिक स्कूल, कपूरथला द्वारा विद्यार्थियों से ली जाने वाली फीस तथा उन्हें दी जाने वाली किताबें

968. **श्री ए० श्रीधरन** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैनिक स्कूल, कपूरथला में प्रत्येक विद्यार्थी को प्रति वर्ष 2000 रुपया फीस देनी पड़ती है;

(ख) क्या विद्यार्थियों को पुस्तकें सप्लाई करने का उत्तरदायित्व स्कूल का होता है और इन पर व्यय वार्षिक फीसों से ही किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो क्या विद्यार्थियों को सभी अपेक्षित पुस्तकें समय पर मिल जाती हैं और क्या पुरानी तथा फटी हुई पुस्तकें तथा ऐसी पुस्तकें भी जिनमें कई पृष्ठ लुप्त होते हैं, विद्यार्थियों को दी जाती हैं;

(घ) क्या स्कूल के अधिकारियों से इस सम्बन्ध में कोई शिकायत की गई है और यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ङ) क्या अंग्रेजी से हिन्दी और हिन्दी से सरल हिन्दी कोष विद्यार्थियों को दिये जा रहे हैं; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) सभी आवश्यक पुस्तकें छात्रों को प्राय: समय पर प्राप्त की जाती हैं । पुरानी पुस्तकें अगले वर्ष पुन: जारी की जाती हैं, अगर वह अच्छी दशा में हों ।

(घ) सत्र के आरम्भ में एक छात्र को कुछ पुस्तकें जारी न किये जाने के सम्बन्ध में एक शिकायत प्राप्त हुई थी । उसके पिता ने कुछ पुस्तकें खरीदी थीं और उनके मूल्य की अदायगी की मांग की थी । चूंकि ऐसी अदायगी के लिए स्कूल के नियम अनुमति नहीं देते, उसके पिता को उपयुक्त उत्तर दिया गया था ।

(ङ) जी नहीं ।

(च) इन कोषों की सप्लाई आवश्यक नहीं समझी जाती। छात्रों के प्रयोग के लिए पुस्तकालय में अंग्रेजी के हिन्दी और हिन्दी के अंग्रेजी शब्द कोषों की पर्याप्त संख्या प्राप्य है ।

सैनिक स्कूल, कपूरथला के विद्यार्थियों को दी जाने वाली कापियां

969. **श्री ए० श्रीधरन** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैनिक स्कूल, कपूरथला के विद्यार्थियों को कापियां देना स्कूल का उत्तरदायित्व है और इस मद पर होने वाला व्यय वसूल 2000 रुपये की वार्षिक धनराशि से किया जाता है जोकि स्कूल के प्रत्येक विद्यार्थी से ली जाती है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1968-69 और 1969-70 में प्रत्येक विद्यार्थी को, प्रत्येक विषय के लिए कितनी कापियां बांटी गई;

(ग) क्या जो कापियां बांटी जाती हैं, वह विद्यार्थियों के सामान्य अध्ययन के लिए पर्याप्त होती हैं और क्या स्कूल, घर का काम करने के लिए भी विद्यार्थियों को कापियां देता है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री नरेन्द्रसिंह महीडा) : (क) जी हां ।

(ख) 1968-69 और 1969-70 में छात्रों को प्रत्येक विषय के लिए वितरित की गई कापियों की संख्या संलग्न है ।

(ग) और (घ) मामले का पता किया जा रहा है, और उत्तर दे दिया जायेगा ।

विवरण

सैनिक स्कूल कपूरथला द्वारा छात्रों को कापियों का वितरण

	7वीं से 11वीं कक्षा		5वीं से 6ठी कक्षा	
विषय	1968-69	1969-70	1968-69	1969-70
अंग्रेजी	6	6	5	5
गणित	8	8	7	7
भौतिकी	5	5	2	2
रसायन	5	5	-	-
हिन्दी	2	2	2	2
इतिहास	3	3	2	2
पंजाबी/संस्कृत	1	1	1	1
ग्राफ	2	2	-	-
प्रेक्टिकल	2	2	-	-
	(केवल 9वीं कक्षा के लिए)	(केवल 9वीं कक्षा के लिए)		
भूगोल	-	-	3	3
कुल संख्या	34	34	22	22

सैनिक स्कूल, कपूरथला के विद्यार्थियों को दिये जाने वाले आहार की किस्म

970. **श्री ए० श्रीधरन :** क्या प्रतिरक्षा यह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सैनिक स्कूल, कपूरथला के प्रत्येक विद्यार्थी को सप्ताह में कितनी मात्रा में दूध, मक्खन, अण्डे, मांस और फल दिये जाते हैं;

(ख) विद्यार्थियों को दिये जाने वाला दूध किस किस्म का होता है और उसमें चिकनाई की मात्रा कितनी होती है;

(ग) क्या आहार और उनकी शुद्धता की किसी योग्य अधिकारी द्वारा जांच की जाती है और यदि हां, तो किसके द्वारा और कब;

(घ) क्या कई बार गला-सड़ा आहार विशेषकर खराब अण्डे आदि भी विद्यार्थियों को दिये जाते हैं; और अधिकतर विद्यार्थियों को बकरे के मांस की अपेक्षा सूअर का मांस ही दिया जाता है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और आहार की मात्रा तथा किस्म सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) सैनिक स्कूल में एक सप्ताह में प्रत्येक छात्र को दी गई दूध की राशि एक अनुबन्ध के रूप में संलग्न है।

(ख) छात्रों को दिये गये दूध में चिकनाई का अंश 6 प्रतिशत होता है;

(ग) जी हां। खुराक के गुणरूप का ड्यूटी मास्टर द्वारा प्रतिदिन निरीक्षण किया जाता है और प्रिन्सिपल तथा रजिस्ट्रार द्वारा कभी-कभी।

(घ) छात्रों को गले-सड़े खाद्य-पदार्थ या अण्डे नहीं दिये जाते। बकरे का मांस सप्ताह में दो बार दिया जाता है और सूअर का मांस सप्ताह में एक बार।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

सैनिक स्कूल कपूरथला के छात्रों को दिये जा रहे आहार की मात्रा

मात्रा इस प्रकार है :—

(एक) दूध	—प्रति छात्र प्रति सप्ताह 3 250 कि० ग्रा०
(दो) मक्खन	—नहीं (अनुपलब्धता के कारण)
(तीन) अण्डे	—प्रति सप्ताह पांच
(चार) मांस	—प्रति सप्ताह लगभग 300 ग्राम (शाकाहारियों को पनीर दिया जाता है)
(पांच) फल	—प्रति सप्ताह लगभग 300 ग्राम।

सैनिक स्कूल, कपूरथला के विद्यार्थियों का जेब खर्च

971. **श्री ए० श्रीधरन** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैनिक स्कूल, कपूरथला के प्रत्येक विद्यार्थी से 100 रुपया उसके जेब खर्च के लिए लिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो 1969-70 में इस प्रकार कुल कितना धन एकत्रित किया गया और किन मोटी-मोटी मदों पर और किसके द्वारा उसे खर्च किया गया;

(ग) क्या स्कूल में इस धन का कोई व्यवस्थित लेखा तैयार किया जाता है; और यदि हां, तो किस के द्वारा;

(घ) क्या जेब खर्च के धन के लेखे की नियमित रूप से लेखापरीक्षा की जाती है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री नरेन्द्र सिंह महीडा) : (क) जी हां।

(ख) 1969-70 के दौरान जेब खर्च के रूप में इकट्ठी की गई कुल राशि 48,640 रुपये की थी। रकम छात्रों को प्रति मास जेब खर्च के तौर पर नकद दी जाती है। छात्र रकम को फुटकर मदों पर जैसे कि साबुन, सिर के लिए तेल, बूट पालिश, टूथ पेस्ट इत्यादि पर खर्च करते हैं। कुछ राशि वे हल्के मनोरंजन पर भी खर्च करते हैं।

(ग) जी हां, स्कूल अधिकरणों द्वारा।

(घ) जी हां।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

मथुरा के आर्डनेंस डिपो के कर्मचारियों द्वारा प्रस्तावित भूख हड़ताल

972. **श्री स० म० अगड़ी** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मथुरा आर्डनेंस डिपो के कुछ कर्मचारियों ने यह धमकी दी है कि यदि उनकी मांगें स्वीकार न की गईं तो वह 3 नवम्बर, 1970 से भूख हड़ताल आरम्भ कर देंगे;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग) अपने वेतन के पुन: नियत किए जाने के प्रश्न और वेतन के बकाया के दावे पर कार्यवाही में लगे समय के बारे में, आर्डनेंस डिपो मथुरा में सेवा कर रहे (अग्नि) सुपरवाईज़र ग्रेड I श्री सी० बी पचलाग ने 3-11-1970 को हड़ताल करने की धमकी दी थी। उसके दावे को अन्तिम रूपरेखा देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के निगम

973. **श्री कृ० मा० कौशिक** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र में कितने निगम हैं;

(ख) प्रत्येक निगम कब और कितनी पूंजी से आरम्भ हुआ था;

(ग) आरम्भ से वर्ष 1970 तक प्रत्येक निगम को कुल कितनी हानि हुई; और

(घ) स्थिति को सुधारने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ताकि उक्त उपक्रम लाभ कमा सके ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) 23 (तेईस)।

(ख) से (घ) पेट्रोलियम तथा रसायन विभागों के अधीन उपक्रमों के बारे में अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण-पत्र में दी गई है । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 4278/70]

खान और धातु विभाग के अधीन उपक्रमों के बारे में सूचना सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

मंगलौर में फाईलेरिया की घटना

974- **श्री लोबो प्रभु** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंगलौर जल सप्लाई पर आज तक कुल कितना व्यय किया गया है और उसका कितना भाग केन्द्रीय सरकार द्वारा दिया गया है;

(ख) कुल कितनी लम्बी पाइप लाइन (मेन) बिछाई गई है और कितनी लम्बी पाइपलाइन प्रयोग में लाई गई; और

(ग) फाइलेरिया की अधिक घटनाओं का विचार करते हुए इन नालियों को ढकने पर होने वाले व्यय को फाइलेरिया के नियंत्रण के बारे में केन्द्रीय व्यय के अन्तर्गत क्यों न रखा जाये ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख) सूचना राज्य सरकार से एकत्र की जा रही है तथा प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) राष्ट्रीय फाइलेरिया कार्य-क्रम का सम्बन्ध फाइलेरिया के नियंत्रण के लिए लार्वा निरोधी उपायों से है तथा खुली नालियों का ढकना इस कार्य-क्रम के अन्तर्गत नहीं आ सकते ।

भारतीय जल सेना में मछुओं की भर्ती

975. **श्री लोबो प्रभु** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री 29 जुलाई, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 574 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जलसेना में भर्ती के लिए समुद्र तट पर या उसके आसपास रहना विशेषकर तैराकी या जहाज चलाने की योग्यता का होना, यदि पैतृक व्यवसाय के रूप में नहीं, तो इन्सान के रूप में महत्वपूर्ण नहीं है; और

(ख) यदि सेना में भर्ती, जाति के आधार पर की जा सकती है तो क्या कारण हैं कि मछुआ समुदाय के लोगों की जिनके पास कि रुझान की विशिष्ट योग्यता भी होती है, जलसेना में भर्ती नहीं किया जाता ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) नौसेना में भर्ती उन सभी व्यक्तियों के लिए खुली है जो शिक्षा योग्यताओं, आयु, निर्धारित शारीरिक आवश्यकताओं पर पूरे उतरें और भर्ती के लिए उपयुक्त हों । नौसेना में भर्ती के लिए चुनाव के समय समुद्री जीवन के लिए रुचि का पूरा ध्यान रखा जाता है ।

वर्तमान प्रबन्ध में परिवर्तन के लिए सरकार आवश्यकता नहीं समझती, कि जिसके अन्तर्गत नौसेना में भर्ती बिना जाति, विचार और प्रादेशिक विचारों का ख्याल करते हुए सभी के लिए खुली है। उपरोक्त नीति सेना में कुछ युनिटों के लिए पुनःस्थापित की गई है और जब भर्ती ऐतिहासिक कारणों या परम्परा के आधार पर किसी जाति विशेष के व्यक्तियों पर सीमित हो जाति विरचना जारी है।

पूर्वी पाकिस्तान से शरणार्थियों का लगातार आगमन

976. **श्री रामावतार शर्मा** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी पाकिस्तान से हिन्दू शरणार्थी लगातार भारत में आ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो अब तक भारत में आये शरणार्थियों की कुल संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ तथा पाकिस्तान के साथ उठाने का है; और

(घ) हिन्दू शरणार्थियों के भारत में आगमन को रोकने के लिए, पूर्वी पाकिस्तान में उनकी सुरक्षा के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) पिछले कुछ दिनों से इनके आगमन में कमी आई है।

(ख) 1 जनवरी, 1970 से 6 नवम्बर, 1970 तक जो लोग भारत आए हैं उनकी कुल संख्या 219,034 है।

(ग) सरकार का मत है कि संयुक्त राष्ट्र में मामला ले जाने से कोई लाभ नहीं होगा। फिर भी, विदेश मन्त्री ने 29 सितम्बर, 1970 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण में इस मामले का उल्लेख किया था। मामला पाकिस्तान सरकार के साथ उठाया जा चुका है।

(घ) पाकिस्तान सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह अपने अल्पसंख्यकों के संरक्षण और उनके आगमन को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए, 1950 के नेहरू-लियाकत समझौते और 1966 के ताशकंद समझौते के अधीन दिए गए आश्वासनों को पूरा करे।

त्रिपुरा में परिवार नियोजन कार्यक्रम का प्रचार

977. **श्री किरित विक्रम देव बर्मन** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में परिवार नियोजन कार्यक्रम के प्रचार के लिए गत तीन वर्षों में वर्षवार कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है;

(ख) प्रत्येक वर्ष में इस कार्यक्रम को कितनी सफलता मिली, कितने नसबन्दी आपरेशन किये गये, कितने लूप लगाये गये तथा ऐसे लोगों की संख्या कितनी है जो त्रिपुरा में परिवार नियोजन उपायों को अपना रहे हैं तथा वे राज्य की कुल संख्या का कितना प्रतिशत भाग हैं; और

(ग) चालू वर्ष के लिए त्रिपुरा में इस कार्यक्रम के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये थे और वर्ष के पहले छः महीनों में ये लक्ष्य कहां तक प्राप्त किये जा सके हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए त्रिपुरा की स्वीकृत की गई रकम इस प्रकार है :

1967-68 कुछ नहीं

1968-69 3.49 लाख रुपये (इनमें मेडिकल स्टोर डिपो द्वारा सप्लाई किये गये 44,540 रुपये के मूल्य के प्रचलित गर्भनिरोधक भी शामिल हैं)

1969.70 4.71 लाख रुपये (इनमें मेडिकल स्टोर डिपो द्वारा सप्लाई किये गये 5,741 रुपये के मूल्य के प्रचलित गर्भनिरोधक भी शामिल हैं)

(ख) और (ग) अपेक्षित सूचना का विवरण संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4280/70]

भारत मूलक जंजीबार की लड़कियों के साथ बलात् विवाह

978. **श्री मृत्युंजय प्रसाद** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान जंजीबार में एशियायी मूलक लड़कियों के साथ बलात् विवाह करने और उनके तथा उनके संरक्षकों के साथ अमानवीय व्यवहार किये जाने की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस मामले को न केवल जंजीबार सरकार के साथ अपितु संयुक्त राष्ट्र संघ तथा अंतर्राष्ट्रीय फोरम के साथ उठाने का विचार कर रही है;

(ग) इससे कितनी भारत मूलक लड़कियां प्रभावित हैं तथा इस प्रकार मानवीय अधिकारों पर आघात पहुंचाकर भारत मूलक कितनी भारतीय लड़कियों को धमकी दी गई है; और

(घ) उनकी तथा उनके परिवारों की सहायता हेतु सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) तन्जानियाई राष्ट्रिकता वाली तथा जंजीबार में अधिवासी एक पंजाबी सिख लड़की को सितम्बर, 1970 में उसके घर से जबरदस्ती ले जाया गया था और जंजीबार सरकार के एक अधिकारी के साथ एक प्रकार की शादी जैसी कर दी गयी थी। किन्तु, इस विवाह के निष्पादन से पहले ही उसे जंजीबार से मुख्यभूमि ले आया गया था।

(ग) और (घ) दार-ए-एसलाम स्थित हमारे हवाई कमिश्नर ने इस संबंध में तनजानिया के राष्ट्रपति नेरेरे से मुलाकात की थी और उन्हें सूचित किया गया था कि जंजीबार प्राधिकारियों ने राष्ट्रपति को आश्वासन दिया है कि भविष्य में बलपूर्वक कोई शादी नहीं की जाएगी। सरकार स्थिति पर निगाह रखे हुए है।

पाकिस्तान को रूस द्वारा दिए जाने वाले हथियारों के विरुद्ध विरोध-पत्र

979. **श्री मृत्युंजय प्रसाद** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पाकिस्तानी सेना और वहां के प्रतिक्रियावादियों के लिए रूसी हथियारों, सैन्य उपकरणों तथा अन्य सामग्री की सप्लाई के विरुद्ध उन्होंने अब और कितनी बार विरोध-पत्र भेजे हैं ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : पाकिस्तान को सोवियत शस्त्रों की सप्लाई के प्रश्न को प्रत्येक सम्भव अवसर पर सोवियत सरकार के साथ उच्चतम स्तर पर उठाया गया है। सोवियत सरकार ने हमें आश्वासन दिया है कि वे ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे भारत के हितों को क्षति पहुंचे।

Setting up Projects for Production of Defence Equipment in Madhya Pradesh

980. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether Government propose to start some projects for producing defence equipment in Madhya Pradesh; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri P.C. Sethi) : (a) and (b) Government are considering the setting of a new factory to meet the increasing requirements of ammunition. Several sites are under consideration. A final decision on the location of the factory has not yet been taken.

Financial Assistant to Madhya Pradesh to Solve Drinking Water Problem

981. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether the Madhya Pradesh Government have asked for any financial assistance from the Central Government during the last three years to solve the problem of drinking water in the urban areas; and

(b) if so, the reaction of the Central Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) and (b) No specific request for financial assistance has been received from the Government of Madhya Pradesh to solve the problem of drinking water in urban areas. During the Fourth Five Year Plan, Central assistance to the States is given in the form of block loans and block grants without reference to any particular scheme or head of development. It is for the State Government to draw up priorities, allocate funds and execute the schemes. However, the following amounts were allocated uring the last three years :

Year	Amount allocated
1967-68	Rs. 126.10 lakhs
1968-69	Rs. 79.50 lakhs
1969-70	Rs. 151.00 lakhs

बम्बई के विकास के लिए वित्तीय सहायता की मांग

982. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने बम्बई शहर की समस्याओं का विशेष रूप से कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार बम्बई नगर निगम को वित्तीय सहायता देने के प्रश्न पर विचार करेगी जैसा कि कलकत्ता नगर निगम को दी गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री परिमल घोष) : (क) और (ख) भारत सरकार ने ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया है।

(ग) और (घ) कलकत्ता महानगर की समस्याएं जो उसके विस्तार के कारण पहले ही व्यापक थीं, जागरूक सामाजिक-आर्थिक समस्याओं के साथ पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापितों के आने से और भी उग्र हो गई हैं, उन्हें विशेष प्रकार के उपायों से हल करना पड़ेगा।

बम्बई में बन्दरगाह के पार निकटवर्ती शहर का निर्माण

983. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने बम्बई में बन्दरगाह के पार निकटवर्ती शहर बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार से धन की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार ने क्या योजना प्रस्तुत की है; और

(ग) इस योजना पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री परिमल घोष) : (क) से (ग) महाराष्ट्र सरकार का बम्बई बन्दरगाह के पार निकटवर्ती शहर बनाने का प्रस्ताव है। इस परियोजना में 10 लाख जनसंख्या का एक शहर तथा बीस वर्ष में 200 करोड़ रुपये की कुल पूंजी लगाना परिकल्पित है। राज्य सरकार ने, अन्य बातों के साथ, इस निकटवर्ती शहर के लिए प्रयोगात्मक परियोजना का प्रारम्भिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जो नये बने आवास और नगर-विकास वित्त निगम द्वारा प्रबन्धित होगा। क्योंकि परियोजना निगम द्वारा प्रबन्ध करने के लिए परिकल्पित निर्देशों के अनुरूप नहीं थी, राज्य सरकार को अनुरोध किया गया कि वे अपने प्रस्तावों को आगे विचार के लिए पुनरीक्षित करें।

बम्बई के कुली मस्तान को पार-पत्र जारी किये जाने के बारे में जांच-पड़ताल

984. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन परिस्थितियों की जांच की है जिनमें बम्बई का कुख्यात तस्कर व्यापारी कुली मस्तान उर्फ हाजी मस्तान हाजी मिर्जा पार-पत्र लेने के लिए आया था;

(ख) क्या श्री नित्यानन्द कानूनगो के इस वक्तव्य की दृष्टि में कि कुली मस्तान को उनके द्वारा दिया गया पार-पत्र की सिफारिश करने वाला कथित प्रमाण-पत्र वास्तव में जाली दस्तावेज है, कुली मस्तान को दिये गये पार-पत्र को सरकार ने जब्त कर लिया है;

(ग) क्या जाली दस्तावेज द्वारा पार-पत्र प्राप्त करने के सिलसिले में कुली मस्तान और उसके साथियों पर कोई मुकदमा चलाया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) हाजी मस्तान मिर्जा का पासपोर्ट वास्तव में पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 10 (3) (ङ) के अधीन राजस्व आसूचना निदेशालय से इस बाबत रिपोर्ट प्राप्त होने पर जब्त कर लिया गया था कि उनके विरुद्ध भारत के फौजदारी न्यायालय में मुकदमा चल रहा था। इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य का ध्यान उनके प्रश्न संख्या 4794 के भाग (ङ) की ओर आकर्षित किया जाता है जिसका उत्तर 1 अप्रैल 1970 को लोकसभा में दिया गया था। प्रसंगाधीन प्रमाणपत्र के जाली दस्तावेज होने के सम्बन्ध में श्री नित्यानन्द कानूनगो का वक्तव्य बाद में दिया गया था।

(ग) और (घ) जी अभी नहीं। महाराष्ट्र सरकार के परामर्श से मामले की और आगे जांच-पड़ताल की जा रही है।

Trade Relation and Foreign Policy

985. Shri Maharaj Singh : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have made the foreign trade a part of their foreign policy; and

(b) whether Government do not enter into trade with countries not having good political relations with India ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) Commercial and economic relations are one aspect of the totality of our relations with foreign countries.

(b) Where it involves racist regimes or a threat to our security.

Water Scarcity in Colonies at New Delhi

986. Shri Maharaj Sing Bharati : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) the names of the colonies in New Delhi wehre tap flush water does not reach the second floor;

(b) whether Malviya Nagar and Sarojini Nagar colonies are also among those colonies where even the first floor is in the grip of water scarcity; and

(c) if so, the attempts being made to improve the position ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) During the summer season, filtered water does not reach the second floors in parts of Sarojini Nagar, Babar Road, Kaka Nagar colonies in the New Delhi Municipel Committee's area.

(b) Malviya Nagar colony is situated at the tail end of the water distribution system connected from Wazirabad as well as Okhla source and therefore, first floor quarters suffer sometimes in summer season. Part of Sarojini Nagar colony is also affected in Summer.

(c) To improve the position of water supply in South Delhi colonies, Delhi Municipal Corporation has taken up the scheme of Kailash Reservoir which is under execution. With the completion of this scheme, the position of water supply will ease in the South Delhi colonies. Meanwhile, one underground tank of one lakh gallons capacity with three booster pumps has been completed in Malviya Nagar. This will be commissioned in the current month and will improve the water pressure in this colony.

The New Delhi Municipal Committee has taken the following remedial measures to afford necessary relief to the residents of the colonies where shortage of water supply is experienced :—

(a) 8 Nos. booster pumps have been installed on the filtered water mains to augment the pressure.

(b) 400 Nos. Hand Pumps have been installed.

(c) Deep tubewells have been sunk to augment water supply.

(d) Additional main has been laid from 24" trunk main running along Ring Road to Sarojini Nagar to augment the supply to the colony.

कालीकट (केरल राज्य) में लौह अयस्क भण्डारों के लिए भूतत्वीय सर्वेक्षण

987. **श्री ई० के० नायनार** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कालीकट (केरल राज्य) में लौह अयस्क भण्डारों का सर्वेक्षण पूरा कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण के क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सर्वेक्षण कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) से (ग) कोड़ीकोड़ जिले में चेरूप्पा निक्षेप का अन्वेषण पूर्ण हो गया है । अनुमान किया जाता है कि चेरूप्पा निक्षेप की कुल उपलभ्य राशियां 107.20 लाख मीट्रिक टन हैं जिसमें से 30.7% लौह ग्रेड की अन-आक्सीकृत अयस्क 74.80 लाख मीट्रिक टन है । ईलीएदुटीमला निक्षेप

में क्षेत्र कार्य भी पूर्ण हो गया है तथा रिपोर्ट तैयार की जा रही है। नामिंदा एवं नाद्वल्लूर खण्डों में भी कार्य प्रगति पर है। आशा की जाती है कि इन निक्षेपों का कार्य 1970 के अन्त तक पूर्ण हो जाएगा।

राजस्थान में राक फास्फेट तथा पाइराइट का भण्डार

988. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान में राक फास्फेट तथा पाइराइट के बृहत् भण्डार मिले हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन खनिज पदार्थों का उपयुक्त प्रयोग करने के लिए क्या सरकार ने खानों के समीप कोई उद्योग स्थापित करने के लिए कोई योजना बनाई है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) जी, हां। वाणिज्यिक समुपयोजन के लिए राजस्थान में रॉक फास्फेट और पाइराइट्स की सारवान् उपलभ्य राशियां उपलब्ध हैं।

(ख) राजस्थान सरकार ने परिसीमित मात्रा में लगभग 500 मैट्रिक टन प्रतिदिन रॉक फास्फेट का खनन प्रारम्भ कर दिया है और अगले वर्ष के अन्त तक प्रतिदिन 2,000 मैट्रिक टन तक उत्पादन को बढ़ाने के लिए परियोजना भी बनाई है। भारत सरकार-उपक्रम, पाइराइट्स फास्फेट और रसायन लिमिटेड इस समय राजस्थान के सालदीपुरा में पाइराइट्स निक्षेपों में समन्वेशी खनन कार्यक्रम पर कार्य कर रही है। देश की विद्यमान आवश्यकताओं की पूर्ति और इन कच्चे मालों पर आधारित उर्वरक संकलन के विकास को ध्यान में रखते हुए, रॉक फास्फेट और पाइराइट्स के इन दो क्षेत्रों से व्यापक एकीकृत खनन की परियोजनाओं को लेखबद्ध करने के लिए अनुभवी अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों की सहायता प्राप्त करने की सम्भावना परीक्षाधीन है।

पाकिस्तान तथा भारत की हथियारों की सप्लाई पर लगे प्रतिबन्ध को हटाने के बारे में अमरीका द्वारा बताये गये कारण

989. **श्री इन्द्रजीत गुप्ता** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सितम्बर, 1965 से पाकिस्तान तथा भारत को हथियारों को सप्लाई पर लगे प्रतिबन्ध को हटाने के निर्णय के सम्बन्ध में अमरीकी अधिकारियों ने क्या कारण बताया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : अमरीकी सरकार ने हमें सूचित किया है कि पाकिस्तान की रक्षा-सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तथा अमरीका द्वारा दिए ऐसे कुछ उपस्करों को बदलने के लिए, जो इस्तेमाल के कारण और समय के कारण काम के लायक नहीं रहे हैं, पाकिस्तान और भारत को हथियार सप्लाई करने पर लगाये गये प्रतिबन्ध में 'एक-बार की छूट' दे रहे हैं। भारत सरकार ने अमरीकी प्राधिकारियों को सूचित कर दिया है कि वे इस दलील को नहीं मान सकते।

पाकिस्तान को अमरीकी शस्त्र देने के बारे में वाशिंगटन स्थित भारतीय राजदूत का प्रतिवेदन

990. **श्री लोबो प्रभु** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका ने कहा है अथवा आभास दिया है कि उसके द्वारा पाकिस्तान को शस्त्र सप्लाई पुनः प्रारम्भ करने का सम्बन्ध वियतनाम में अमरीका विरोधी भारत की नीति और अमरीकी सूचना केन्द्रों के विरुद्ध हमारी सरकार द्वारा की गई कार्यवाही से है; और

(ख) क्या हमारे राजदूत से इस आशय की सूचना प्राप्त हुई है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में राज्य-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बरेली कारखाने में कृत्रिम रबड़ का उत्पादन

991. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जैसा कि 9 जून, 1970 के "इकोनोमिक टाइम्स" में प्रकाशित एक पत्र में बताया गया है कि बरेली कारखाने में कृत्रिम रबड़ की किस्म तथा मूल्यों के मामले में बाटा जैसी बड़ी कम्पनियों और छोटे उत्पादकों के मध्य भेदभाव किया जाता है, उसके क्या कारण हैं;

(ख) कृत्रिम रबड़ का कारखाने के स्तर पर उत्पादन मूल्य और औसत विक्रय मूल्य क्या है; और

(ग) एल्कोहल और बुटेडीन की सरलतापूर्वक उपलब्धि होने पर भी कारखाने का विस्तार न होने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) उल्लिखित पत्र में दिए गये आरोपों की सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

(ख) सिनथैटिक रबड़ की किस्म, जो कि सन्दर्भाधीन है, का प्रति टन कारखाना द्वारा मूल्य, विनियोजित पूंजी के प्रतिफल और बिक्री कमीशन को छोड़कर 5,823.75 रुपया था। ग्रेड एस-1958 सिन्थैटिक रबड़ का कारखाना द्वार का विक्रय मूल्य, लाभ तथा बिक्री कमीशन को शामिल करते हुए, 6,800 रुपये प्रति टन है।

(ग) इस सिनथैटिक रबड़ संयंत्र की लाइसेंस कृत क्षमता प्रतिवर्ष 30,000 मीटरी टन है और सरकार की परिशोधित लाइसेंसिंग नीति के अनुसार वह लाइसेंसकृत क्षमता से 25 प्रतिशत अधिक तक उत्पादन कर सकता है।

इस कम्पनी द्वारा निर्मित सिनथैटिक रबड़ के उत्पादन में और वृद्धि में मुख्य कठिनाई अलकोहल की अनिश्चित उपलब्धता है। 1967 और1968 वर्षों के दौरान अलकोहल के उत्पादन में

काफी गिरावट थी जिसके परिणामस्वरूप कम्पनी को, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इन दो वर्षों के दौरान क्रमश: 30,000 और 10,470 मीटरी टन आयात करना पड़ा ।

अलकोहल के आयात पर आधारित सिनथैटिक रबड़ का निर्माण पनपनीय नहीं है । सिनथैटिक रबड़ के सभी किस्मों की भविष्य की आवश्यकताओं को निर्धारित करने के लिए एक सम्भाव्य अध्ययन पहले ही किया गया है । अन्तिम रिपोर्ट अभी ही प्राप्त हुई है और इस समय उसका अध्ययन किया जा रहा है ।

मैसूर राज्य में कुदरेमुख लौह अयस्क परियोजना का तकनीकी आर्थिक अध्ययन

992. **श्री लोबो प्रभु** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुदरेमुख लौह अयस्क परियोजना के सम्बन्ध में तकनीकी-आर्थिक प्रतिवेदन की जांच में अब तक कितनी प्रगति हुई है और सरकार का निर्णय कब तक हो जाने की संभावना है;

(ख) क्या यह सच है कि विदेशी सहयोगकर्ताओं ने पूंजी का 49 प्रतिशत अंश विनियोजित करने का प्रस्ताव किया है और 25 करोड़ रुपये के वार्षिक लौह अयस्क का निर्यात होने का अनुमान है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का राज्य सरकार को तथा जनता को शेष पूंजी में भागीदार बनाने का प्रस्ताव है; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या मैसूर सरकार ने सड़क के निर्माण के लिए केन्द्र से सहायता मांगी है; यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान नहीं दिए जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या इस बीच सरकार का विचार इस उद्देश्य के लिए ऋण प्रदान करने का है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) प्रोद्योगिक-आर्थिक साध्यता रिपोर्ट परीक्षित की गई है और विस्तृत प्रायोजना रिपोर्ट को तैयार करने के कार्य का प्रारम्भ किया जा चुका है । आशा की जाती है कि यह अगले वर्ष के प्रारम्भ में ही प्राप्त हो जाएगी । विस्तृत प्रायोजना रिपोर्ट की परीक्षा के पश्चात् ही प्रायोजना पर निवेश-विनिश्चय किया जा सकता है ।

(ख) विदेशी सहयोगियों ने पूंजी के 49% का अभिउपाय करना प्रस्तावित किया है । प्रायोजना के पूर्णरूपेण कार्यरत रहने की अवस्था में लौह अयस्क-निर्यातों का वार्षिक मूल्य 25 करोड़ रुपये से अधिक होगा ।

(ग) निवेश के विवरण और उसके प्रतिमान अभी तक प्रतिपादित नहीं किए गए हैं ।

(घ) व (ङ) प्रकल्पत: निर्देश उस सड़क की ओर है जो मालेसवारा भागवती आदि से होती हुई कुद्रेमुख को मंगलौर से मिलाती है । राज्य सरकार ने इस सड़क के सन्निर्माण के लिए केन्द्रीय अनुदान की मांग की थी लेकिन इस अनुरोध को मान लेना सम्भव प्रतीत नहीं होता क्योंकि

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय सेक्टर में कोई ऐसा उपबन्ध नहीं है जो लौह अयस्क खानों आदि के काम में आने वाली सड़कों के लिए सहायक-अनुदान से सम्बन्धित है। अब यह मामला योजना आयोग के साथ उठाया गया है।

साउथ एवेन्यू, नई दिल्ली के औषधालय के लिए स्थानीय क्रय के लिए इन्डेंट की गई दवाइयां

993. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि साउथ एवेन्यू औषधालय के डाक्टरों द्वारा स्थानीय क्रय के लिए इन्डेंट की गई औषधियों को सम्बन्धित उच्च अधिकारियों द्वारा रोक लिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो सितम्बर, 1970 के अन्तिम सप्ताह और अक्तूबर, 1970 के प्रथम सप्ताह के बीच तुरन्त खरीद के लिए किस प्रकार की कितनी औषधियां स्थानीय तौर पर इन्डेंट की गयी थीं और किन-किन रोगियों को यह दवाइयां दी गई थीं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी नहीं।

(ख) ये प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अपेक्षित सूचना का एक विवरण संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4281/70]

मेडिकल कालेजों में दाखिले के नियम तथा शर्तें

994. **श्री धोरेश्वर कलिता** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विश्वविद्यालय में भेषज तथा शल्य चिकित्सा की स्नातकोत्तर कक्षाओं में छात्रों को प्रवेश दिए जाने के पहले तथा वर्तमान नियम क्या हैं ?

(ख) क्या सरकार ने दिल्ली विश्वविद्यालय से एम० बी० बी० एस० उत्तीर्ण छात्रों को स्नातकोत्तर कक्षाओं में दाखिले के लिए प्राथमिकता देने का निर्णय किया है;

(ग) क्या यह सच है कि मनीपुर के सैफरडान चिकित्सा संस्थान के छात्र, जिन्होंने स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए समस्त पुराने नियमों तथा शर्तों को पूरा करते हुए आवेदन-पत्र भेजे थे, उन्हें वर्तमान नियमों के अंतर्गत दाखिला दिए जाने की सुविधा से वंचित कर दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ब०सू० मूर्ति) : (क) दिल्ली विश्वविद्यालय के अधीन चिकित्सा एवं शल्य-क्रिया में स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए दाखिले के पहले वाले नियमों के अधीन योग्यता सूची बनाने के प्रयोजन के लिए उन छात्रों को जिन्होंने मौलाना आजाद मेडिकल कालेज तथा लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और मान्यता प्राप्त अस्पताल/संस्थाओं में अपनी "हाउस जाब" कर ली हो, 5 प्रतिशत तक अधिक अंक दे दिये जाते थे।

इस वर्ष से लागू वर्तमान नियम में यह है कि दिल्ली तथा अन्य विश्वविद्यालयों से जो छात्र एम० बी० बी० एस० परीक्षा पास करते हैं उनके लिए निम्नलिखित आधार पर सीटें आरक्षित की जानी चाहिएं —

(1) शैक्षिक वर्ष में उपलब्ध कुल सीटों का 25 प्रतिशत सितम्बर सत्र के लिए तथा 75 प्रतिशत मार्च सत्र के लिए उपलब्ध किए जायें।

(2) सितम्बर सत्र के लिए 25 प्रतिशत सीटों में से 50 प्रतिशत सीटें उन छात्रों को दी जानी चाहिएं जिन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से एम० बी० बी० एस० की परीक्षा पास की हो और 50 प्रतिशत सीटें अन्य भारतीय विश्वविद्यालयों के छात्रों को दी जानी चाहिएं।

(3) मार्च सत्र के लिए 75 प्रतिशत सीटों में से 75 प्रतिशत उन छात्रों को दी जानी चाहिएं जिन्होंने एम० बी० बी० एस० परीक्षा दिल्ली विश्वविद्यालय से पास की तथा 25 प्रतिशत उन छात्रों को जिन्होंने अन्य भारतीय विश्वविद्यालयों से अपनी एम० बी० बी० एस० की परीक्षा पास की हो।

(ख) दिल्ली विश्वविद्यालय एक स्वायत्तशासी निकाय होने के कारण भारत सरकार के अनुमोदन के बिना ही स्नातकोत्तर कक्षाओं में दाखिले के लिए आवश्यक नियम बना सकता है। अत: दिल्ली विश्वविद्यालय के एम० बी० बी० एस० अभ्यर्थियों के लिए स्नातकोत्तर कक्षाओं में दाखिलों में विश्वविद्यालय के वरीयता देने के हेतु सरकार की अनुमति का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं। योग्यता सूची स्नातकोत्तर कक्षाओं में दाखिलों के वर्तमान नियमों के अनुसार जैसा कि इस प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में विस्तृत रूप से बताया गया है, राज्य तथा संघ शासित क्षेत्रों का विचार किए बिना बनाई जाती है। योग्यता सूची में जो योग्यतानुक्रम होता है उसी के आधार पर ही दाखिले किये जाते हैं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

देश के शहरों तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पीने का जल

995. **श्री हो० ना० मुकर्जी** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में हमारी जनसंख्या के लिए पीने के जल की व्यवस्था सम्बन्धी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) गांधी शताब्दी वर्ष में यदि कोई सुधार किया गया तो कितना; और

(ग) कब तक हमारे लोगों के लिए पीने के जल की समुचित व्यवस्था की जायेगी ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) 31-3-69 तक देश के 2452 नगरों एवं शहरों में से 1153 में पेय जल की सुविधाएं मौजूद थीं। राज्यों से प्राप्त सूचनानुसार 31-3-69 तक 5.6 लाख गांवों को पाइप द्वारा पानी दिया जाता था।

(ख) अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं है तथा विभिन्न राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों से एकत्र की जा रही है।

(ग) सारे देश में पर्याप्त पेय जल की व्यवस्था करने के लिए कोई निश्चित अवधि बताना सम्भव नहीं है क्योंकि यह उपलब्ध साधनों पर निर्भर करता है।

Policy on the Role of the Civil Section in Defence Production

996. Shri Sarjoo Pandey : Will the Minister of Defence be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 371 on the 12th August, 1970 regarding Policy on the role of the Civil Section in Defence Production and state the decision taken on the report of the Administrative Reforms Commission which was under the consideration of Government ?

The Minister of state (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri P.C. Sethi) : The Administrative Reforms Commission ceased to function on 30th June, 1970. For want of time, the Commission was not in a position to consider the reports of the Study Team on Defence Matters set up by it. The recommendations of the Study Team of the Administrative Reforms Commission on the Policy on the role of Civil Section in Defence Production are under consideration of the Government.

'फॉरेन मेडिकल ग्रेडेशन' यू० एस० ए० में रजिस्ट्रेशन के लिए परीक्षा

997. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फॉरेन मेडिकल ग्रेडेशन, यू० एस० ए० में रजिस्ट्रेशन के लिए शिक्षा संस्थान द्वारा कोलम्बो तथा सीलोन में इस वर्ष हो रही परीक्षा में 750 भारतीय डाक्टर बैठ रहे हैं जैसा कि 19 सितम्बर, 1970 के दैनिक 'पैट्रियट' में प्रकाशित हुआ है;

(ख) क्या ऐसा भारत सरकार द्वारा प्रतिभा पलायन की रोकथाम के लिए लगाए गए प्रतिबन्ध के उल्लंघन में किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो यह डाक्टर किस प्रकार श्रीलंका जा रहे हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय मे राज्य-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) इस विषय में सरकार के पास कोई सूचना नहीं है।

(ख) जी, हां।

(ग) 'विदेशों की यात्रा' सम्बन्धी विनियमों में उदारता किये जाने के फलस्वरूप कोई भी भारतीय यदि वह गत तीन वर्षों में विदेश नहीं गया तो 'पी' फार्म के बिना विदेश यात्रा कर सकता है। विशेषतया लंका के लिए यदि लोग मद्रास, त्रिचरापल्ली, अथवा त्रिवेन्द्रम से यात्रा प्रारम्भ करें तो इस उदारता से पहले भी ऐसे विनियम मौजूद थे जिनके अनुसार बिना 'पी' फार्म के लोग अपनी यात्रा बुक कर सकते थे। इसके अतिरिक्त तीर्थ-यात्रा, वहां पर अपना व्यापार देखने आदि जैसे सद्भावना के विशेष प्रयोजनों के लिए लंका जाने वाले भारतीयों को 3,000 रु० तक विदेशी-मुद्रा की सुविधाएं भी दी जाती हैं। कोलम्बो में परीक्षा में बैठने वाले डाक्टर, केवल परीक्षा के लिए, बिना किसी विशेष अनुमोदन के भी यात्रा कर सकते थे। वर्तमान विनियमों के संदर्भ में न तो यह जानने का कोई तरीका है कि कौन व्यक्ति परीक्षा के लिए जा रहा है और ना ही उसे लंका जाने से रोकने का।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों के लिए क्वार्टर

998. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन स्थानों के (हवाई अड्डों को छोड़कर) नाम क्या हैं, जहां केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अपने कर्मचारी क्वार्टर हैं;

(ख) प्रत्येक स्थान पर किस-किस टाइप के कितने क्वार्टर हैं; और

(ग) उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग अपने कर्मचारी क्वार्टरों का निर्माण कर रहा है या निर्माण करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन, और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री परिमल घोष) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के नेफा सर्किल में कार्य-प्रभारित कर्मचारियों को ग्राह्य महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते

999. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के नेफा सर्किल में प्रत्येक वर्ग के पद के अनुसार कार्य-प्रभारित कर्मचारियों की कुल संख्या क्या है;

(ख) प्रत्येक वर्ग के पद का वेतनमान क्या है; और

(ग) उन्हें ग्राह्य महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्तों की दरें क्या हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, अवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री परिमल घोष) : (क) से (ग) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4282/70]

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्य-प्रभारित कर्मचारियों के लिए स्थानान्तरण के नियम

1000. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्य-प्रभारित कर्मचारियों के लिए स्थानान्तरण का कोई ऐसा नियम है जिसके अन्तर्गत उन्हें हर पांच वर्ष में एक बार किसी स्थान विशेष पर अपने सेवा काल की लम्बाई के अनुक्रम से, एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना पड़ता है; और

(ख) यदि हां, तो दिल्ली सेन्ट्रल इलेक्ट्रिकल सर्कल संख्या IV के प्रत्येक सेक्शन के ऐसे कर्मचारियों की संख्या क्या है जो एक ही पूछताछ कार्यालय में पांच वर्ष से अधिक समय से कार्य कर रहे हैं और इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री परिमल घोष) : (क) दिल्ली में लगाये गये कार्य-प्रभारित कर्मचारियों का उनकी वरिष्ठता के एकक के अन्दर तबदीली करना इतनी जल्दी अपेक्षित है जितनी प्रशासनिक दृष्टि से आवश्यक हो और जो 5 वर्ष में प्रत्येक स्थिति में एक बार।

(ख) दिल्ली सेन्ट्रल सर्किल नं० 4 के अधीन विभिन्न पूछताछ कार्यालयों में 5 वर्षों से अधिक से काम कर रहे कर्मचारियों की संख्या का एक विवरण संलग्न है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4283/70]

बहुत दूरी पर किए गए तबादलों पर कर्मचारी, यातायात पर अतिरिक्त व्यय और उनके बच्चों के अध्ययन में अव्यवस्था पड़ने के कारण बुरा मानते हैं। तथापि, उन कर्मचारियों को जिनके तबादले अपेक्षित हैं, उन्हें प्रशासनिक सुविधा के अध्याधीन एक निश्चित कार्यक्रम के अनुसार, स्थानान्तरण करने के कदम उठाये जा रहे हैं।

जर्मन संघीय गणतंत्र से संसदीय शिष्टमंडल

PARLIMENTARY DELEGATION FROM FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY

अध्यक्ष महोदय : जैसी हमारी परम्परा है, मैं जर्मन बुन्डैस्ताग के अध्यक्ष श्री काई-थूबे बोक हैसल तथा बुन्डैस्नाग सदस्य दा वाल्कर हादफ, श्रीमती ऐन्टजे हूबर, श्री बिल्हम हेल्म्स, श्री विल्हेम्स रोव, डा० ज्वैन्टर रिनषे और बोथो प्रिंस जू साइन विटजैन्स्टीन-होहेनस्टीन, बुन्डैस्नाग के सेक्रेटरी

डा० हेलमुट शेलक्नेट और बुन्डैस्नाग के अधिकारी डा० पीटर शील्ज़ और श्री हेनरिच किलियन का सुस्वागत करता हूं।

पूर्वी पाकिस्तान में आये तूफान के बारे में उल्लेख

CYCLONE IN EAST PAKISTHAN

प्रधानमंत्री, अणुशक्ति मन्त्री, गृह-कार्य मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : श्रीमान्, पूर्वी पाकिस्तान में जो प्राकृतिक प्रकोप हुआ, उससे हमें गहरा दुःख हुआ है। तूफान ने विस्तृत इलाकों को नष्ट-भ्रष्ट कर दिया और भारी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई और हानि का सही पता बाद में ही प्राप्त होगा। इस भयानक प्राकृतिक प्रकोप का समाचार पाते ही मैंने पाकिस्तान सरकार को संदेश भेजा है और वहां की जनता के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है मैंने एक छोटे अंशदान के रूप में 5 लाख रुपये देने की घोषणा भी की है। मुझे विश्वास है कि सदन के सभी माननीय मित्र पूर्वी पाकिस्तान की जनता के शोक में शरीक होंगे।

डा० रामसुभग सिंह (बक्सर) : यह आश्चर्यजनक बात है कि पूर्वी पाकिस्तान में तूफान से 3 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हुई। पूर्वी पाकिस्तान की जनता वास्तव मे हमारे भाई बन्धु हैं। हमें पीड़ितों को दवाओं, कम्बल, खाद्यान्न देकर उनकी सहायता करनी चाहिए। श्रीमान्, मैं आप से निवेदन करता हूं कि आप पाकिस्तान की सरकार को भारत की संसद की सहानुभुति एवं संवेदनाएं प्रकट करें।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : मैं देश के उस भाग से ही आया हूं जिसका पूर्वी पाकिस्तान के साथ गहरी मित्रता का संबंध है। हम दोनों देशों के बीच चाहे मतभेद कितना भी गहरा हो, हम पश्चिम बंगाल में पाकिस्तान की जनता के साथ मित्रता का संबंध बनाये रखते हैं। हम एक हीं भाषा बोलते हैं जो हमने अपनी मां की गोद में सीखी थी। शोक के इस अवसर पर हमें हर संभव तरीके से उनकी सहायता करनी चाहिए। मैं प्रधानमन्त्री से अनुरोध करता हूं कि चिकित्सक-मिशनों को तुरंत भेज देने के लिए आवश्यक कार्यवाही करें। मुझे आशा है कि बहुत अधिक संख्या में स्वयंसेवक इस महान कार्य के लिए आगे आयेंगे। वैसे ही सहायता की मात्रा भी बढ़ाई जानी चाहिए। मैं और मेरा दल इस शोक में उनके साथ हैं।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : सदन की इच्छा है कि हमें यथासम्भव अधिकतम सहायता करनी चाहिए। हम पाकिस्तान के उच्चायुक्त से संपर्क रख रहे हैं। हम सारी संभव सहायता करेंगे। यह हमने जो कुछ दिया है वह राहत-निधि में से दिया है। यह सरकारी सहायता नहीं है।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : हमें सबको एक दिन का भत्ता राहत कार्य के लिए देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आप लोगों द्वारा जो संवेदना प्रकट की गई है, मैं पाकिस्तान सरकार से व्यक्त करूंगा। राजनैतिक परिस्थितियां जो भी हों, हम एक ही हैं। हम एक ही भाषा बोलते

हैं। हम सदियों से भाई-भाई रहे हैं और आगे भी वैसे रहेंगे। उनका दुःख हमारा अपना दुःख है और इस अवसर पर हम उनको राहत पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयत्न करेंगे।

अविलम्बनीय लोक महत्त्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

पाकिस्तानी सशस्त्र सेना द्वारा कूच-बिहार, पश्चिमी बंगाल में मेखलीगंज नगर को चारों ओर से घेर लिये जाने का समाचार

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : I call the attention of the Minister of Home Affairs to the following matter of urgent public imortance and I request that he may make a statement thereon ;—

"Reported encircling of the town of Mekhligunj in Cooch-Behar, West Bengal by the Pakistani Armed Forces."

गृहकार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिकल और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य-मंत्री (श्री कृष्णचन्द्र पन्त) : 31 अक्तूबर, 1970 को पश्चिम बंगाल में कूच-बिहार जिले के मेखलीगंज पुलिस थाने के क्षेत्राधिकार में भारतीय गांव धकियातारी में कुछ जनजाति परिवारों के लिए बैरकों के निर्माण पर पूर्वी पाकिस्तान राइफल के कर्मचारियों द्वारा आपत्तियां उठाई गई थीं। सीमा सुरक्षा बल द्वारा लगाई गई गश्त के कर्यप्रभारी अधिकारी ने तुरन्त पूर्वी पाकिस्तान राइफल के कर्मचारियों से सम्पर्क स्थापित किया और कहा कि वे कोई ऐसा कदम न उठायें जिससे उस क्षेत्र में तनाव उत्पन्न हो। इसके बावजूद पूर्वी पाकिस्तान राइफल ने बिना किसी उत्तेजना के उस क्षेत्र में अपनी टुकड़ियां एकत्र करनी आरम्भ कर दीं। अतः तुरन्त 1 नवम्बर, 1970 को सीमा सुरक्षा सेक्टर कमांडर और महानिदेशन, सीमा सुरक्षा बल, पूर्वी मोर्चा द्वारा पूर्वी पाकिस्तान राइफल के दूसरे पक्षों को विरोध-पत्र भेज दिये गये।

3 नवम्बर, 1970 को आयोजित सेक्टर कमांडरों की बैठक में समझौता किया गया कि इस संबंध में भारतीय और पाकिस्तानी सेक्टर कमांडरों के बीच बैरकों के बारे में यथापूर्व स्थिति बनाये रखी जायेगी और 4 नवम्बर, 1970 के सुबह तक दोनों अग्रिम क्षेत्रों से टुकड़ियों को हटा लिया जायेगा। उपरोक्त समझौते को कार्यान्वित किया गया।

फिर, 7 नवम्बर, 1970 को पूर्वी पाकिस्तान राइफल भारी शस्त्रों समेत नई कुमुक कलियागंज तथा अन्य चार स्थानों की बाहरी सीमावर्ती चौकियों पर ले आये। इसके परिणाम-स्वरूप सीमा सुरक्षा बल को हमारी ओर ऐतिहाती उपाय करने पड़े और पाकिस्तानी प्राधिकारियों को शीघ्र कुमुक हटाने के लिए कहा गया। किन्तु यह ज्ञात हुआ है कि ये टुकड़ियां, जो 7 नवम्बर, 1970 को या इसके पश्चात् बढ़ी थीं और जेरसिंहगेश्वर, परमेखलीगंज तथा सालीबास के सामने के हमारे क्षेत्र से हटायी जा रही थीं और स्थिति सामान्य होती जा रही थी। 14 नवम्बर, 1970 को सेक्टर कमांडरों की एक और बैठक आयोजित की गई और वे सीमा पर से टुकड़ियों के जमाव

को हटाने के लिए सहमत हो गये और उस क्षेत्र में तनाव को कम करने की अपनी इच्छा को पुन: व्यक्त किया ।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : The Pakisthani forces have created tension in our border area. They have come there with their machine-gun. Is it not a fact that the Pakisthani Government wants to send troops to Dohagram and encircle the border, because they wanted to use our land. The land in which huts were being constructed belongs to India. The Pakisthan Government have no right to protest against constructing huts there. It seems that the Pakisthan Government wants to send its force to Dohagram and strengthen its position there. Has the Minister tried to enquire about it ?

Secondly, what is the position today regarding Dohagram ? This area is ours. But the officials cannot go there and collect the taxes. We cannot establish contact with that place. The Government had assured the House several times that they would make every effort to keep contact with Dohagram. May I know whether the Government are taking any steps to ensure that in future Pakisthan Government will not create tension in this area by concentrating their armed forces there ?

Shri K. C. Pant : According to the information available some of the hutments were constructed 150 yards inside the Pakisthani territory. Although these were not defence installations, naturally this gave way to a certain amount of misunderstanding. Therefore, the reason behind it seems to be some misunderstanding. It is a fact that the Pakisthani forces have concentrated near Dohagram nevertheless, since our B.S.F. was vigilant, no untoward incident occured, and the Pakisthani forces have not come over to our territory. The situation there is normal.

As far as the precautionary measures to be taken in future is concerned, the most important thing is to make the B. S. F. more vigilant, so that they may be able to meet any untoward happening that may arise there in future.

Shri Atal Bihari Vajpayee : I have asked what is the position in Dohagram. Have we maintained contact with them ? Can official go there to collect taxes ? As far as I know we have no contact with it.

Shri K. C. Pant : I am not in a position to tell everything regarding Dohagram, because this question was not related to that.

श्री प्र० के० देव (कालाहांडी) : आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मनीपुर, नागालैंड और नेफा प्रशासन को शेष भारत से जोड़ने वाला संकरा तथा सामरिक मार्ग भारत के लिए संकट स्थल बन चुका है । वहां पर नक्सलवादी हैं और इन नक्सलवादी गतिविधियों को लाल चीन से प्रेरणा मिली है । पाकिस्तान के साथ पिछली लड़ाई में हमें केवल पश्चिम पाकिस्तान से खतरा था परन्तु पूर्व पाकिस्तान से कोई खतरा नहीं था क्योंकि वह कभी-कभी छापा तो मार लेते थे और उसका उन्हें पूर्णरूपेण उत्तर भी मिल जाता था परन्तु अब तो इस संकरे और सामरिक मार्ग से पूर्व पाकिस्तान से भी खतरा पैदा हो गया है ।

इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मंत्री महोदय इस बात का आश्वासन दें कि इस सामरिक मार्ग की पर्याप्त सुरक्षा की जायेगी जिससे भारत के पूर्वी भाग और देश के शेष भाग के बीच निर्बाध संचार व्यवस्था कायम की जा सके । यह बहुत चिंता का विषय है कि छोटी-छोटी लड़ाइयां इन छोटी-छोटी बातों से प्रारंभ होती हैं ।

श्री कृष्ण चन्द पन्त : निश्चय ही उस क्षेत्र के खतरों की सरकार को जानकारी है और वह देश की सुरक्षा करने लिए सभा प्रकार के कदम उठा रही है।

श्री श्रीचंद गोयल (चण्डीगढ़) : मंत्री महोदय ने कहा है कि अब सामान्य स्थिति आ गई है। सीमा सुरक्षा बल के महानिरीक्षक श्री बसु ने वहां पर जमा की गई फौजों की तुरन्त वापसी की मांग की है। इस बात की भी सूचना मिली है कि इस दाहाग्राम एन्कलेव में आगजनी हो रही थी और मशीन गनें लगा दी गयी थीं। जब मंत्री महोदय ने कहा कि सामान्य स्थिति हो गई है तो 11 नवम्बर को जो मशीन गनें दिखाई दी थीं और पाकिस्तान की फौजों का जो जमाव था क्या वे अब हट गये हैं ?

क्या सरकार ने इस बात का पता लगाने का प्रयत्न किया है कि क्या यह अकेली घटना थी अथवा बहुत-सी एक साथ होने वाली घटनायें थीं जिनके द्वारा इस क्षेत्र में जब तक चुनाव नहीं हो जाते हैं पाकिस्तानी तनाव की स्थिति उत्पन्न करना चाहते हैं, क्योंकि पश्चिम पाकिस्तान की अपेक्षा पूर्व पाकिस्तान की जनसंख्या अधिक है। वे इस बात से चिंतित हैं कि यदि पूर्व पाकिस्तान में उनका बहुमत नहीं रहता है और पूर्व पाकिस्तान वालों का शासन पर प्रभाव शिथिल पड़ जाता है तो सभी संभव साधनों से वे पूर्व पाकिस्तान में अल्पमत वाले हिन्दू और अन्य लोगों को कम कर सकते हैं ताकि पश्चिम पाकिस्तान वालों का बहुमत हो जाये और वे शासन पर दृढ़ प्रभाव बनाये रखने की स्थिति में आ जायें।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : कुछ स्थानों पर सैनिक दल जमा हैं तथा कुछ स्थानों से उन्हें हटा लिया गया है। 14 नवम्बर को सेक्टर कमांडरों की बैठक हुई थी। तब वे दलों की पूर्ण वापसी के लिए सहमत हुए थे और अब आशा है कि उस क्षेत्र में तनाव की स्थिति का अन्त हो जायेगा। उस आधार पर मैंने कहा था कि वहां पर सामान्य स्थिति हो रही है।

दाहाग्राम एन्कलेव पाकिस्तान की सीमा में है और उस एन्कलेव में हुई आगजनी की घटनाओं के बारे में मुझे जानकारी नहीं है।

ये घटनायें किस प्रकार की थीं, अकेली घटना अथवा कई घटनायें··· (**व्यवधान**)

वहां एक एन्क लेव है जो दो ओर से पाकिस्तान की सीमा में है तथा बीच में संकरा भाग भारतीय राज्य क्षेत्र में है। वहां पर जो घटना घटी वह अकेली घटना है। वहां बाद में कोई घटना नहीं हुई। बहुत-सी घटनायें नहीं हुईं।

श्री बे० कु० दास चौधरी (कूच-बिहार) : रिकार्ड सही होने चाहिए। मंत्री महोदय ने स्थिति को स्पष्ट नहीं किया है। मैं एक मिनट में स्थिति को स्पष्ट कर दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : वक्तव्य के बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दे सकता हूं। दूसरी बातों पर मैं विचार करूंगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैंने नियम 377 के अन्तर्गत पूर्व-सूचना दी।

अध्यक्ष महोदय : आपकी बोलने की बारी आने तक कृपया इंतजार करिये ।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I have written to you about a phenomenal incident of postponing winter-session of the Maharashtra Legislative Assembly due to the strike of workers there, I want to draw your attention to the two Articles of the Constitution.....

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

Shri Rabi Roy (Puri) : I want to request the Hon. Minister of Home Affairs, through you, to intervene in the situation in Maharashtra arisen due to strike. The winter-session of the Maharashtra Legislative Assembly has been postponed. Please ask the Hon. Minister to make a statement...

अध्यक्ष महोदय : मैं सदन में राज्यों के मामलों को लाने की व्यवस्था को प्रोत्साहन नहीं देने जा रहा हूं । जहां तक दिल्ली का प्रश्न है, उस पर मैं किसी प्रस्ताव को स्वीकार कर लूंगा ।

Shri Madhu Limaye : The person sitting on Treasury Benches allow such atrocities there and pretend to become very progressive here.

अध्यक्ष महोदय : श्री कालिता, उस मामले में आपके द्वारा दिये गये तार के सम्बन्ध में पत्र को मैंने रेलवे मंत्री को भेज दिया है ।

श्री धीरेश्वर कलिता (गोहाटी) : मन्त्री महोदय को आज ही वक्तव्य देना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसे पहले से ही रेलवे मन्त्री के पास भेज दिया है ।

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) : भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के उत्तराधिकारी के बारे में कोई सूचना नहीं दी गयी है । हमने इस प्रश्न को एक बार इस सदन में तथा दूसरे सदन में भी उठाया था परन्तु हमें न तो प्रधानमन्त्री से और न ही विधि-मंत्री से कोई संतोषजनक उत्तर प्राप्त हुआ है । अत: मैं आप से निवेदन करता हूं कि आप सरकार से इस बात का वक्तव्य देने के लिए कहें कि वह कितनी जल्दी किस व्यक्ति को मुख्य न्यायाधीश बना रही है और क्या सरकार वरिष्ठतम न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की व्यवस्था को कायम रखेगी ?

अध्यक्ष महोदय : श्री ज्योतिर्मय बसु द्वारा दी गई पूर्व-सूचना के बारे में मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैं इसे रेलवे मंत्री के पास भेज रहा हूं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा प्रश्न अब दूसरे विषय से सम्बन्धित है । श्री ए० के० सेन ने 'बसुमती' समाचार-पत्र के मजदूर संघ के सहायक सचिव को कलकत्ता में कार्यालय के प्रांगण में लात मारी है और सहायक सचिव को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है । मुझे इस सम्बन्ध में तार मिला है तथा यह समाचार समाचार-पत्रों में भी प्रकाशित हो चुका है । यह गंभीर मामला है । आपको इस बात पर ध्यान देना चाहिए तथा मंत्री महोदय से इस बारे में वक्तव्य देने के लिए कहना चाहिए कि अब स्थिति कैसी है ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य बैठ जायें। वह हर बार नहीं उठ सकते हैं और इधर-उधर की बातों के बारे में शोर नहीं मचा सकते हैं।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

नौसेना अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

प्रतिरक्षा-मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : नौसेना अधिनियम, 1957 की धारा 185 के अन्तर्गत नौसेना समारोह, सेवा की शर्तें और विविध (नवां संशोधन) विनियम, 1969 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं जो दिनांक 4 अक्तूबर, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० 435 में प्रकाशित हुए थे। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 4265/70]

पार-पत्र (दूसरा संशोधन) नियम

वैदेशिक कार्य मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : मैं पार-पत्र अधिनियम, 1967 की धारा 24 की उपधारा (3) के अन्तर्गत पार-पत्र (दूसरा संशोधन) नियम, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं जो दिनांक 29 अगस्त, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1267 में प्रकाशित हुए थे। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 4266/70]

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग (संशोधन) नियम

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण): मैं तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग अधिनियम, 1959 की धारा 31 की उपधारा (3) के अन्तर्गत, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग (संशोधन) नियम, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं जो दिनांक 17 अक्तूबर, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1776 में प्रकाशित हुए थे। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संस्था एल० टी०** 4267/70]

खान और खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम तथा हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदनों के अन्तर्गत अधिसूचनायें

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (1) मैं खान और खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उपधारा (1) के अन्तर्गत, निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की

एक-एक प्रति पुनः सभा-पटल पर रखता हूं :—

(एक) खनिज रियायत (संशोधन) नियम, 1970, जो दिनांक 1 अगस्त, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1116 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) खनिज रियायत (दूसरा संशोधन) नियम, 1970, जो दिनांक 1 अगस्त, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1117 में प्रकाशित हुए थे। [**ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०** 4107/70]

(2) मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(एक) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(क) हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड के नवम्बर, 1967 से मार्च, 1968 तक की अवधि के तथा वर्ष 1968 69 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(ख) हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड का नवम्बर, 1967 से मार्च, 1968 तक की अवधि का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड का वर्ष 1968-69 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(दो) उपर्युक्त दस्तावेजों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का एक विवरण। [**ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०** 4268/70]

जमा बीमा निगम का वार्षिक प्रतिवेदन, और लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, (सिविल) 1969 (**हिन्दी संस्करण**) **तथा विनियोग लेखे** (सिविल) 1967-68 (**हिन्दी संस्करण**)

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (**श्री विद्याचरण शुक्ल**) :

(1) मैं जमा बीमा निगम अधिनियम, 1961 की धारा 32 की उपधारा (2) के अन्तर्गत, जमा बीमा निगम, बम्बई, के 31 दिसम्बर, 1969 को समाप्त हुए वर्ष के कार्य सम्बन्धी प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे पुनः सभा-पटल पर रखता हूं। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 4267/70]

(2) मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(क) राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 की उपधारा 3 (दो) के

साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अन्तर्गत लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (सिविल) 1969 (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति ।

(दो) विनियोग लेखे (सिविल) 1967-68 (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 4270/70]

नियंत्रक और महा-लेखा परीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) विधेयक

COMPTROLLER AND AUDITOR-GENERAL'S (DUTIES, POWERS AND CONDITIONS OF SERVICE) BILL

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी (मंदसौर) : मैं भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की सेवा की शर्तों को अवधारित करने तथा उनके कर्त्तव्यों और शक्तियों को विहित करने तथा तत्सम्बन्धी या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

साक्ष्य

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : मैं भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की सेवा की शर्तों को अवधारित करने तथा उनके कर्त्तव्यों और शक्तियों को विहित करने तथा तत्सम्बन्धी या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति के समक्ष दिए गए साक्ष्य की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

आंध्र प्रदेश की अनुसूचित जातियों की सूची में कतिपय जातियों के सम्मिलित करने के सम्बन्ध में याचिका

PETITION *Re.* INCLUSION OF CERTAIN CASTES IN THE LIST OF SCHEDULED CASTES OF ANDHRA PRADESH

अध्यक्ष महोदय : अब याचिका पेश की जाये । श्री तन्नेटी विश्वनाथम ।

श्री तन्नेटी विश्वनाथम (विशाखापतनम) : मैं प्रस्तुत करता हूं.....

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : क्या मैं एक निवेदन कर सकता हूं ?

अध्यक्ष महोदय : यह याचिका का पेश किया जाना है । क्या माननीय सदस्य इसका विरोध कर रहे हैं ?

श्री स० मो० बनर्जी : मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूं । कृपया मेरी बात सुनिए ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें याचिका पेश करने दीजिये ।

श्री तेन्नेटी विश्वनाथम : प्रारम्भ में ही मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि कार्य-सूची में एक शुद्धि की जानी है; शब्द 'ट्राइब्ज' के स्थान पर 'कास्ट्स' होना चाहिये ।

मैं आन्ध्र प्रदेश की अनुसूचित जातियों की सूची में कतिपय जातियों को सम्मिलित करने के लिये एक याचिका पेश करता हूं जिस पर श्री नोल्लू अप्पाला राजू तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर किये हुए हैं ।

श्री स० मो० बनर्जी : उन्होंने याचिका पेश की है । उस विषय पर एक विधेयक हमारे समक्ष आने वाला है.....

अध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें हर बार इजाजत नहीं दे सकता हूं.....

श्री स० मो० बनर्जी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : अभी कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री स० मो० बनर्जी : कृपया विधेयक को पढ़िए । परन्तु आप इसे कभी नहीं पढ़ते हैं; आप कार्य-सूची कभी नहीं पढ़ते हैं··· (**व्यवधान**)

श्री प्र० के० देव (कालाहांडी) : उन्हें यह टिप्पणी 'आप कार्यसूची कभी नहीं पढ़ते हैं' वापस लेनी चाहिए । यह अध्यक्ष पीठ की निन्दा करना है । यदि वह इसे वापस नहीं लेते हैं तो कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया जाना चाहिये ।

श्री स० मो० बनर्जी : व्यवस्था का प्रश्न करना मेरा अधिकार है ।

अध्यक्ष महोदय : जब तक वह इसे वापस नहीं ले लेते हैं, मैं उनका व्यवस्था का प्रश्न नहीं सुनूंगा ।

श्री स० मो० बनर्जी : मैंने क्या कहा है ?

श्री प्र० के० देव : उन्होंने कहा, 'आप कार्यसूची कभी नहीं पढ़ते हैं' ।

श्री स० मो० बनर्जी : मैंने यह कहा था कि "आपने कार्य-सूची पढ़ी नहीं है ।"

अध्यक्ष महोदय : मुझे जान लेने दीजिए कि कौन-सी कार्य-सूची मैंने नहीं पढ़ी है । वह इसे वापस लें अथवा सदन से बाहर चले जायें ।

श्री स० मो० बनर्जी : मैंने वह शब्द वापस ले लिया है । कृपया अब मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुनिये ।

अध्यक्ष महोदय : सामान्य व्यवस्था तो यह है कि विधेयकों को पेश करने के समय हम सामान्यतया उनके नाम दे देते हैं । जब मेरे पास कागज आते हैं तो कार्यालय हमेशा इन बातों के बारे में लिख देता है । यह तो केवल याचिका का पेश किया जाना है। ऐसी कोई व्यवस्था यहां नहीं रही है । यदि कोई बात होती है तो माननीय सदस्य अध्यक्ष को बाद में पत्र लिखें तो हम प्रक्रिया

बना देंगे। किसी सदस्य ने कोई आपत्ति नहीं उठाई है और यदि किसी सदस्य ने आपत्ति उठानी चाही थी तो उन्हें अग्रिम सूचना देनी चाहिए थी।

श्री स० मो० बनर्जी : मैंने अपनी टिप्पणी 'आपने कार्य-सूची नहीं पढ़ा है' वापस ले ली है जिसकी इस भूतपूर्व महाराजा द्वारा आपको गलत व्याख्या की गई थी।

अध्यक्ष महोदय : यदि किसी माननीय सदस्य ने किसी बात की ओर मेरा ध्यान दिलाया है तो किसी सदस्य को उसकी भूतपूर्व महाराजा कह कर निन्दा नहीं करनी चाहिए। मैंने समझा यह बात समाप्त हो गई है परन्तु वह तो उनकी निन्दा कर रहे हैं। उनका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

श्री स० मो० बनर्जी : मेरे व्यवस्था के प्रश्न का सम्बन्ध मद संख्या 10—याचिका का पेश किया जाना—से है। मैं इतना ही कहना चाहता था कि मद संख्या 10 द्वारा वह आन्ध्र प्रदेश की अनुसूचित जातियों की सूची में कतिपय जातियों को सम्मिलित करने के लिये याचिका पेश कर रहे हैं। मद संख्या 12 पहले से ही मौजूद है और श्री हनुमन्तय्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की सूचियों में कुछ जातियों और आदिम जातियों को सम्मिलित करने तथा कुछ जातियों को निकालने वाला विधेयक पेश करने वाले हैं। एक बार याचिका, याचिका समिति के समक्ष पेश की जाती है तो वह अपना समय लेगी तथा इसी बीच में यह विधेयक पेश किया जायेगा और पारित किया जायेगा तथा याचिका में जिन जातियों के लिये सुझाव दिया गया है, उन्हें विधेयक से निकाल दिया जायेगा। अतः मैंने यह सुझाव देना चाहा था कि याचिका समिति को, जिन जातियों को सम्मिलित करना है, उन्हें सीधा सम्मिलित करना चाहिये अथवा सरकार को, जिन जातियों का याचिका में उल्लेख है, उन्हें विधेयक में सम्मिलित करना चाहिये।

श्री प्र० के० देव : मैं व्यवस्था के प्रश्न का विरोध करता हूं। वह इस याचिका का विरोध कर रहे हैं। रूस में ऐसा सम्भव हो सकता है परन्तु इस जनतान्त्रिक देश में संसद में प्रत्येक नागरिक को याचिका पेश करने का मूल अधिकार है। श्री विश्वनाथम को अपनी याचिका पेश करने देनी चाहिए।

Mr. Speaker : The people coming from foreign countries always appreciate my handling of the Parliament. It is wrong to stand and speak without taking my permission. I am insulted here daily but even then I am here.

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : Please do not say like that.

अध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष पीठ का सम्मान आपका सम्मान है, मेरा नहीं है।

कराधान विधियां (संशोधन), विधेयक

TAXATION LAWS (AMENDMENT) BILL

श्री स्वतंत्रसिंह कोठारी (मंदसौर) : मूल्य वृद्धि तथा मुद्रा स्फीति की स्थिति के कारण देश का सर्व-साधारण तथा मध्य वर्ग बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। मेरे विचार में कर मुक्त सीमा को

6000 रु० तक बढ़ाया जाना चाहिए। यदि कर-मुक्त सीमा बढ़ा दी जाये तो आयकर अधिकारी बड़ी-बड़ी राशि के कर निर्धारण में एकाग्रचित होकर काम कर सकते हैं।

आयकर अधिकारी अपनी इच्छा से एक मद में 200 रुपये तथा दूसरे में 500 रुपये जोड़ देते हैं। आयकर अधिकारियों को निर्देश जारी किये जाएं कि जब तक जरूरी न हो, इस प्रकार की बढ़ोत्तरी न किया करें।

एक दूसरे उपबन्ध के अनुसार आयकर विवरणी न भेजने का दण्ड कठोर सश्रम कारावास है। यह एक कठोर उपबंध है। बड़ी-बड़ी राशियों को आयकर से छूट देने के लिए यह उपबंध उचित है। कड़े कारावास की सजा के लिए कोई व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। जुर्माने से ही काम चल सकता है।

हर वर्ष समितियां स्थापित की जाती हैं। क्या किसी समिति ने हमारे देश के कर ढांचे की जांच की है ? आज का कर ढांचा ऐसा है जिसमें देश का ईमानदार आदमी भी बेईमान बन जाता है। मैं कहता हूं कि कर अपवंचन के लिए सजा दी जानी चाहिए लेकिन साथ-साथ यह भी कहता हूं कि कर का ढांचा ऐसा होना चाहिये जिसमें हर आदमी यह अनुभव करे कि उसे इस उचित कर को देना ही चाहिए।

कर की दृष्टि से हिन्दू अविभाजित परिवार के हर पहलू को नष्ट नहीं किया जाना चाहिए।

यदि बोर्ड किसी कर-निर्धारण के बारे में निर्देश देता है तो उसकी जानकारी निर्धारितियों को भी होनी चाहिए। कर निर्धारण अधिकारी तथा केन्द्रीय बोर्ड को एक न्यायाधीश की तरह न्याय करते हुए काम करना चाहिए।

समिति समवायों के प्रारम्भिक तथा व्यावसायिक व्ययों के परिशोधन के लिए काफी दिनों से मांग है और मैं समझता हूं कि सरकार की यह रियायत उचित ही है। मेरे विचार में इसके लिए कानून में जो व्यवस्था की गई है वह ठीक है।

मैं फिर एक बार कहूंगा कि कर मुक्त आय की सीमा 6000 रुपये तक बढ़ायी जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : क्या मैं माननीय सदस्यों को सूचित कर सकता हूं कि चर्चा के लिए अब केवल 25 मिनट शेष हैं। खण्डों तथा तीसरे वाचन के लिए हमने कुल छः घंटों में से दो घंटे निश्चित किए थे। अतः हमने इसे शेष समय में से इस प्रकार बांटने का प्रयत्न किया था : डी० एम० के० 9, सी० पी० आई 7, प्रसोपा 6, भाक्रांद 3। अब कांग्रेस (सं), 19 तथा निर्दलीय 9 के लिए भी समय बचा है। मुझे आशा है कि आप समय का ध्यान रखेंगे ताकि हम विधेयक को समय पर समाप्त कर सकें।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Saddar) : When will the amendments come for discussion ?

अध्यक्ष महोदय : जब मंत्री महोदय विचार के प्रस्ताव पर चर्चा का उत्तर समाप्त कर देंगे।

Shri Kanwar Lal Gupta : I will sit down if you are not going to give any reply today. I enquired because we had moved amendments.

Mr. Speaker : You are going on the wrong track and enquiring from a wrong man.

Shri Kanwar Lal Gupta : When will the amendments come up for discussion, if this is wrong then I will sit down.

Mr. Speaker : You can guess yourself.

Shri Kanwar Lal Gupta : I enquired because you are the Speaker.

Mr. Speaker : They will come up after this. Do not enquire again and again.

Shri N.K.P. Salve (Betul) : There should be no guess. You should give your ruling.

अध्यक्ष महोदय : 25 मिनट शेष हैं और मैंने समय को दलवार बांट दिया है । आपको इसे ऐसा ही लेना होगा । श्री नम्बियार ।

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : अध्यक्ष महोदय, विधेयक के मुख्य पहलुओं का समर्थन अनेक माननीय सदस्यों ने किया है और निहित स्वार्थों के कुछ समर्थकों ने इसे वरदान कहा है ।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : आपके दल ने इसका समर्थन किया है ।

श्री नम्बियार : भारतीय कर कानून में परिशोधन नई चीज है । यह विधेयक श्री बुथालिंगम तथा प्रशासन सुधार आयोग की रिपोर्टों के फलस्वरूप सदन में आया है । श्री बुथालिंगम ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अच्छी कर प्रणालियों के लिए सम्बद्ध नीति का परिवर्तन अनिवार्य है । इस विधेयक के अनुसार नीति परिवर्तन का कोई प्रयत्न नहीं किया गया । इस विधेयक के प्रति मेरी आपत्ति का मुख्य कारण यही है । नीति का परिवर्तन प्रगतिशील तथा सर्वसाधारण के कल्याण हेतु होना चाहिए । हमने अनेक समितियां तथा आयोग स्थापित किये, जिनकी रिपोर्टों का यही निष्कर्ष है कि भारत में एकाधिकारियों का विकास सर्वसाधारण को कष्ट देकर हुआ है । यदि इस विधेयक को आप ध्यान से देखें तो मालूम होगा कि सर्वसाधारण की अपेक्षा सब कुछ एकाधिकारियों ही के लिए किया जा रहा है । देश में 5000 करोड़ रुपये का परिचलन है और 4000 करोड़ रुपये का काला धन है । अर्थात् देश में एक समानान्तर अर्थव्यवस्था है जिसके परिणामस्वरूप महंगायी बढ़ रही है । एक साधारण व्यक्ति की आय पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है । सरकार ने सर्वसाधारण से चुंगी तथा कर लेकर समवायों को सुविधाएं प्रदान की हैं ताकि अधिक से अधिक काला धन बटोर सकें ।

सरकार बुथालिंगम कमेटी की रिपोर्ट का पूरी तरह पालन नहीं कर रही है । कमेटी की विकास छूट सम्बन्धी सिफारिश का भी सरकार ने पालन नहीं किया है ।

बुथालिंगम समाजवादी नहीं है । जब उन जैसे अर्थशास्त्री ने सिफारिश की है तो सरकार को उसे आंख मूंदकर स्वीकार करना चाहिये था क्योंकि वे समाजवादी नहीं हैं ।

बुथालिंगम समिति ने आयकर के लिए 7,500 रुपये की सीमा निश्चित की थी जिसे सरकार स्वीकार कर सकती थी । मेरा अनुभव है कि लोगों के लिए लाभकारी किसी भी सिफारिश को स्वीकार नहीं किया जाता है । अत: मैं इसका विरोध करते हुए सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह आयकर सम्बन्धी एकीकृति विधेयक को पेश करें ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री कलिता की प्रार्थना मंत्री महोदय को शीघ्रातिशीघ्र वक्तव्य देने के लिए भेज दी है।

श्री धीरेश्वर कलिता (गोहाटी) : जी, धन्यवाद।

**इसके पश्चात लोक सभा भोजन के लिये दो बजे म० प०
तक के लिए स्थगित हुई**

**The Lok Sabha then adjourned for lunch till
fourteen of the clock.**

**मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक सभा दो बजकर सात मिनट
म० प० पर पुनः समवेत हुई**

**The Lok Sabha re-assembled after lunch at seven minutes
past fourteen of the clock.**

[श्री श्रीचन्द गोयल पीठासीन हुए]

[Shri Shri Chand Goyal in the Chair.]

श्री ई० के० नायनार (पालघाट) : सभापति महोदय मुझे अपने निर्वाचन क्षेत्र से एक तार मिला है कि डाक तथा तार कर्मचारी अब तक भी दमन करने वाली कार्यवाही कर रहे हैं। यह बात इसी स्थान की नहीं, अन्य शहरों में भी 1968 की हड़ताल में भाग लेने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध अब तक बदले की कार्यवाही की जा रही है। क्या सरकार को इस बात की जानकारी है ? मैं अध्यक्ष महोदय से अपील करता हूं कि वे इस बात को मंत्री महोदय तक पहुंचा दें।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : सभापति महोदय...

सभापति महोदय : दो बजे के समय को शून्य-बेला समझने की रस्म नहीं बनाया जाना चाहिये। महत्त्वपूर्ण मामलों की बात पर मैं विचार कर सकता हूं। चूंकि दोपहर से पहले आपको अवसर मिल चुका है, अब इसे उठाने का कोई औचित्य नहीं है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या मैं एक निवेदन कर सकता हूं कि इससे पहले आपने एक सदस्य को अवसर दिया है।

मैंने नियम 377 के अधीन सूचना दी है।

सभापति महोदय : इस मामले को आपने आज प्रातःकाल ही उठाया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय, यह मामला कितना गम्भीर है और साथ ही शर्मनाक भी।

सभापति महोदय : श्री झा आपको क्या कहना है ?

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani) : Mr. Chairman, you must have read in the newspapers that there was loss of worth Rs. one crore on account of fire in Railway godown Barauni. I do not know whether the call attention notice moved by me has been admitted or

not ? I will say that the fire took place on their indication which speaks of the inefficiency of the Railway Ministry. Not only Barauni but the entire railway administration is corrupt .....(*Interruptions*)

श्री ज्योतिर्मय बसु : 24 कर्मचारियों को नोटिस जारी किये जा चुके हैं समूचा रेलवे प्रशासन पतन की ओर जा रहा है ।

Shri Shiva Chandra Jha : I would like the Minister for Railways to give a statement on this today or the call attention motion moved by me may be admitted. I would also like that discussion on 4th Plan should be initiated so that we could express our views on it.

सभापति महोदय : श्री झा द्वारा कही गई बातों के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि इस पंचवर्षीय योजना पर चर्चा आरम्भ होने वाली है । उसके लिए 15 घंटे का समय निश्चित किया गया है । इस पर सभा में चर्चा होगी ही ।

श्री नायर के प्रश्न के उत्तर में श्री पार्थसारथी शीघ्र उत्तर देंगे ।

श्री विद्याचरण शुक्ल आप अब चर्चा का उत्तर दे सकते हैं ।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : मैं उन सदस्यों का अत्यन्त आभारी हूं जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया और मूल्यवान सुझाव दिए ।

प्रवर समिति ने इस विधेयक पर पूरी तरह से विचार किया है तथा कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं । हमने उनमें से अधिकांश को स्वीकार कर लिया है और वे सब सभा के समक्ष हैं । सभा से उक्त विधेयक पर विचार करने का निवेदन करने से पूर्व मैं कुछ बातों का स्ष्टीकरण करना चाहूंगा ।

श्री दाण्डेकर सहित कई सदस्यों ने अनुरोध किया है कि विदेशी तकनीशियनों के लिए निर्धारित कर मुक्त सीमा को 4000 रुपये से बढ़ाकर 7000 रुपये अथवा 8000 रुपये कर दिया जाए। वस्तुतः ऐसा करने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती क्योंकि इस सीमा के कारण किसी कम्पनी पर यह प्रतिबन्ध नहीं लगता कि वह किसी विदेशी तकनीशियन को 4000 रुपये से अधिक वेतन न दे । यदि कोई कम्पनी कुछ ऐसे उपकरण जो देश में प्राप्त नहीं हैं बनाना चाहती है वह विदेशों से ऐसे तकनीशियन बुलाकर उसे 7000 या 8000 रुपये वेतन दे सकती है । इसके लिए कोई अधिकतम सीमा तो इस विधेयक द्वारा निर्धारित नहीं की गई है ।

अतः यह कहना न्यायसंगत नहीं है कि हम इस प्रकार की तकनीकी जानकारी की प्राप्ति अथवा आयात पर कोई प्रतिबन्ध लगाना चाहते हैं ।

अनेक सदस्यों ने इस बारे में ही अपने विचार दिए हैं कि व्यय को कराधान से हटाया जाये । परन्तु जैसा कि बताया भी गया है, यह हमने एक नई व्यवस्था आरम्भ की है और कराधान कानून में इसे पहली बार लागू कर रहे हैं तथा इसीलिए इस बारे में हम काफी सावधानी से काम लेना चाहते हैं और साथ ही यह भी अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं कि इस सिद्धान्त को किस प्रकार प्रयोग में लाया जाये । इस सिद्धान्त को मुख्यतः नये उद्योगों के विकास के लिये तथा बिना कुछ ही हाथों में आर्थिक अधिकार सौंपे औद्योगिक प्रगति हेतु उपयोग में लाना चाहते हैं और हम यह भी

चाहते हैं कि इस व्यवस्था का दुरुपयोग न हो । इसके उपरान्त इस सिद्धान्त को हम अन्य मदों तथा व्यय की अन्य मदों के संदर्भ में भी विचार कर सकते हैं । परन्तु यदि कुछ कम्पनियां इस व्यवस्था को कर राहत के रूप में उपयोग करती हैं तो हम इस उपबंध का इस प्रकार दुरुपयोग नहीं होने दे सकते इस लिये कि क्योंकि यह व्यवस्था हम प्रथम बार आरम्भ कर रहे हैं तो हम इस संबंध में अधिकाधिक सावधान रहना चाहते हैं ।

तीसरी बात बहुत से सदस्यों ने प्रत्यक्ष करों संबंधी बोर्ड के द्वारा उन कम्पनियों के अनुमोदन के बारे में कही है जो आधुनिकतम ढंग के उपकरण बनाने, परियोजना प्रतिवेदनों, संभरणता संबंधी प्रतिवेदनों आदि के कार्य को करने के लिए पुरी तरह योग्य हों । परन्तु ऐसी बात तो नहीं है कि यह बोर्ड स्वयं ही किसी ऐसी कम्पनी को अनुमोदित अथवा अस्वीकार कर देता है । इस बारे में संबंधित मंत्रालय से तकनीकी सलाह ली जाती है और इसी के आधार पर उचित निर्णय लिया जाता है । यदि किसी कम्पनी का विषय पैट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय से संबंधित होगा तो उक्त मंत्रालय से परामर्श लेकर उसी के आधार पर निर्णय किया जायेगा । अनुमोदन की यह प्रणाली हमें बनाये रखनी ही पड़ेगी । इस विषय पर प्रवर समिति में काफी विचार विमर्श किया गया था और उक्त समिति ने भी विचार दिया कि इस मामले में पूरी स्वतन्त्रता न दी जाये, अन्यथा किसी स्तर पर कोई नापाक साठ-गांठ हो सकती है और इस उपबन्ध का दुरुपयोग किये जाने की सम्भावना बनी रहेगी । अतः सभा को इस उपबन्ध की व्यवस्था का समर्थन करना चाहिये ।

कुछ सदस्यों ने मांग की है कि ढाई प्रतिशत व्यय की राशि को कराधान से हटाने के स्थान पर उक्त राशि को बढ़ाकर 5 प्रतिशत कर दिया जाना चाहिये । जो तर्क मैंने ऊपर दिया है वह इस विशिष्ट मामले में भी लागू होता है । हमारा यह दृष्टिकोण है कि ढाई प्रतिशत की सीमा सर्वथा न्यायोचित है और हमें उसको प्रयोग में लाकर उसका परीक्षण करना चाहिये । हमें यह देखना चाहिए कि यह व्यवस्था किस सीमा तक सफल होती है और हम इस सम्बन्ध में किस प्रकार विचार कर सकते हैं । यह कहना गलत है कि हम उद्योगपतियों के सामने आत्म समर्पण कर रहे हैं ।

कुछ सदस्यों ने यह भी कहा है कि व्यय की राशि में कराधान को हटाने से होने वाला लाभ उन विदेशी कम्पनियों को दिया जाना चाहिए जो अपने लाभांश को भारत में वितरित करती हैं । परन्तु हम विधेयक को विचारार्थ रखते समय ही स्पष्ट कर चुके हैं कि हम कर की रियायत देकर किसी भी विदेशी कम्पनी को प्रोत्साहन नहीं देना चाहते भले ही वह कम्पनी भारत में ही अपने लाभांश का वितरण करे । अतः मैं उस सुझाव को स्वीकार नहीं कर सकता ।

अनेक सदस्यों ने जिनमें सर्वश्री साल्वे, कंवर लाल गुप्त, दाण्डेकर आदि का नाम विशेष रूप से आतर है, संयुक्त हिन्दू परिवार संबंधी खण्ड के बारे में अपनी असहमति प्रकट की है । इस बारे में समूचे तौर पर विचार करने की आवश्यकता है । इस खण्ड के बारे में यह तर्क दिया गया है कि यदि हम संयुक्त हिन्दू परिवार के विभाजन को रोकना चाहते हैं तो हमें सम्पत्ति या आय जो कि संयुक्त परिवार को हस्तांतरित की गई और अन्त में हस्तांतरण करने वालों के बीच नहीं बांटी गई, उस पर कर क्यों लगाना चाहिए । इस मामले पर भी प्रवर समिति में काफी चर्चा की गई थी । यहां हम इस उपबंध में इस त्रुटि को दूर करना चाहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपने कर दायित्व को बांटना या कम करना चाहता है तो वह सीधे ही उसे अपनी पत्नी या अपने पति अथवा किसी बच्चे

के नाम हस्तांतरित नहीं करेगा बल्कि संयुक्त परिवार के नाम कर देगा और बाद में उसका विभाजन कर देगा। इसी चीज को रोकने के लिए हमने यह नई व्यवस्था आरम्भ की है। उपरोक्त दलील देने वाले सदस्य काफी प्रयास करने पर भी प्रवर समिति को अपने तर्क से सहमत नहीं कर सके और समिति ने इस उपबन्ध को उसी रूप में रहने दिया जिसमें यह इस समय प्रस्तुत है।

प्रवर समिति ने इस प्रश्न पर भी काफी विचार किया है कि क्या किसी उपक्रम को एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने पर देने वाले खर्च की राशि को कराधान से हटाना उचित होगा। परन्तु समिति ने यह अनुभव किया कि यदि इस प्रकार की अनुमति दी गई तो इससे इस व्यवस्था का दुरुपयोग होगा तथा औद्योगिक विकास में बाधा पड़ेगी। अतः मैं यह संशोधन भी स्वीकार करने में असमर्थ हूं।

कुछ सदस्यों ने विचार प्रकट किये हैं कि जो लोग आयकर का विवरण नहीं भेजते उन्हें तो कठोर दण्ड दिया जाता है परन्तु उन लोगों को कोई दण्ड नहीं दिया जाता जो दोनों विवरणों में अपनी आय को छिपाते हैं। वस्तुतः ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा करने पर भी दण्ड का विधान है।

दोहरी कर व्यवस्था के संबंध में प्रवर समिति के निर्णय पर कुछ सदस्यों ने असहमति प्रकट की है और कुछ संशोधन पेश किये हैं। उन संशोधनों पर सरकार खण्डवार विचार के समय अपना दृष्टिकोण बतायेगी।

बेनामीदारों के संबंध में पेश किये गए संशोधनों को सरकार स्वीकार नहीं कर सकती।

उपरोक्त शब्दों के साथ मैं सदन के विधेयक पर विचार करने का अनुरोध करता हूं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है "कि आयकर अधिनियम, 1961, धनकर अधिनियम, 1957, दान-कर अधिनियम, 1958 और कम्पनी (लाभ) अति-कर अधिनियम, 1964 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदन रूप में, विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खण्ड : 2

श्री नारायण दाण्डेकर (जामनगर) : मैं अपने संशोधन संख्या 58 तथा 59 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री वेणीशंकर शर्मा (बांका) : मैं अपने संशोधन संख्या 87 तथा 88 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री नारायण दाण्डेकर : मेरा पहला संशोधन तो नितांत औपचारिक ही है जिसका उद्देश्य वर्तमान खण्ड (2) को खंड 2 के उपखंड (क) में परिवर्तित करना है, और मेरा अगला संशोधन महत्वपूर्ण है और उसमें इसलिये उपखण्ड (ख) रखने की बात पर ज़ोर दिया गया है कि संयुक्त

हिन्दू परिवार की कल्पना विशेष प्रकार के संयुक्त हिन्दू परिवार में जो कि गोवा में कुछ सीमाओं के अन्तर्गत व्याप्त है, शामिल किया गया है ।

इस संशोधन के संबंध में स्पष्टीकरण देते समय मैं कहूंगा कि भारतीय आयकर अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति की परिभाषा संयुक्त हिन्दू परिवार में शामिल हुए के अनुसार तो की गई है परन्तु स्वयं संयुक्त हिन्दू परिवार की परिभाषा नहीं की गई है और ऐसे न करने के भी कई सशक्त कारण हैं । कानून मान्यता प्राप्त विभिन्न प्रकार के संयुक्त हिन्दू परिवार हैं और ये सब प्रचलित भी हैं तथा इन्हें आयकर अधिकारियों द्वारा भी मान्यता प्राप्त है । हमारे संयुक्त हिन्दू परिवार की दो प्रमुख शाखायें दाय भाग तथा मिताक्षर हैं । ये शाखायें व्यवस्थाओं और उपव्यवस्थाओं में आती हैं । कुछ ऐसे रूप भी हैं जोकि प्रथाओं, व्यवहारों या कुछ अन्य परिस्थितियों के कारण भी अविभाज्य परिवार हैं ।

काफी समय पूर्व केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा ये प्रयास किये गये थे कि गोवा में लागू कानूनों द्वारा प्रचलित संयुक्त हिन्दू परिवार के विस्तृत रूप को भी कर-निर्धारण के लिये संयुक्त हिन्दू परिवार के रूप में व्यावहारिक बनाने के लिये मान्यता दी जानी चाहिये जिसपर अधिनियम का वास्तविक संशोधन अनावश्यक होगा । इस बारे में सरकार सकुचा रही है । तथ्य यह है कि जब तक किसी व्यक्ति को जो कि आयकर अधिनियम के अन्तर्गत संयुक्त हिन्दू परिवार में शामिल है और जब तक गोवा में लागू कानूनों के अन्तर्गत गोवा में प्रचलित संयुक्त हिन्दू परिवार की संकल्पना भी है तब तक यह नितांत अनुचित दिखाई देता है कि संयुक्त हिन्दू परिवार के विशेष रूप को, जो कि संयुक्त हिन्दू परिवार है मान्यता न दी जाये । गोवा, दमन और दीव के संघ राज्य क्षेत्रों में लागू कानूनों के संबंध में वर्तमान स्थिति, उद्घोषणा में दी गई है, जैसे कि मार्च, 1961 में जारी की गई थी कि गोवा, दमन और दीव अथवा उसके किसी भाग में निर्धारित दिन से तुरन्त पहले लागू सभी कानून लागू रहेंगे, जब तक कि किसी उपयुक्त विधान या किसी अन्य योग्य अधिकारी द्वारा उनको संशोधित अथवा रद्द नहीं कर दिया जाता ।

अब स्थिति यह है कि हमारे नये कानून, चाहे ये केन्द्रीय कानून हों अथवा सुविधा के लिये, महाराष्ट्र सरकार जैसे राज्य कानून आदि हों, समय समय पर उस क्षेत्र पर लागू कर दिया गया है । उन्हें इसी सीमा तक लागू कर दिया गया है कि उन्होंने वर्तमान क़ानूनों का स्थान ले लिया है । यद्यपि वहां इतने अधिक क़ानून लागू किये गये हैं तथापि हिन्दू संयुक्त परिवार के संबंध में गोआ में प्रचलित क़ानून को देश में पारित किसी विधान द्वारा अभी तक नहीं बदला गया है । सभी न्यायिक और सिविल प्रयोजनों के लिये अब गोआ में प्रचलित क़ानून के अनुसार गैर ईसाई हिन्दू—गैर ईसाई का अर्थ है कि सभी गैर-ईसाई, चाहे वह स्त्री हो अथवा पुरुष, जो उसी घर में रहते हैं और उसी घरेलू अर्थव्यवस्था के सदस्य के रूप में रहते हैं उन्हें एक परिवार अथवा एक संयुक्त परिवार के रूप में समझा जायेगा । उसी तरह उस क़ानून की धारा 17 के अनुसार यह व्यवस्था है कि एक परिवार के सभी सम्पत्तियों के अधिकार और शक्तियां और इसके सदस्यों द्वारा अर्जित सभी कुछ परिवार के संबंधित मुखिया के नियंत्रण में होगा ।

अतः गोआ में हिन्दू संयुक्त परिवारों के कर-निर्धारण की स्थिति लगभग अनिश्चित ही रह गई है । अतः यह संशोधन पूर्णरूप से यह स्पष्ट करता है कि हिन्दू संयुक्त परिवार में हिन्दुओं का

जो कोई दल शामिल होगा वह डिग्री की धारा सोलह के अन्तर्गत संयुक्त परिवारों के रूप में समझा जायेगा। कर निर्धारण वर्ष 1963-64 से गोआ में कर-निर्धारण कार्य अनिर्णीत पड़े हैं। इन कर-निर्धारण कार्यों की अवधि बीत जाने से राजस्व को बचाने के लिये, यदि इन्हें संयुक्त हिन्दू परिवारों के नाम पर किया जाता तो व्यक्तियों के नाम पर कर-निर्धारण कार्य को पुनः चालू करने के लिए तथाकथित संरक्षी सूचनायें जारी की जानी अथवा फिर यदि उनका कर-निर्धारण व्यक्तियों के नाम पर किया जाता तो परिवारों के नाम इन्हें पुनः चालू करने के लिये संरक्षी सूचनायें जारी की जातीं। और आज तक कोई भी व्यक्ति ठीक तरह से नहीं जानता कि संयुक्त हिन्दू परिवारों के बारे में क्या स्थिति है। कराधान विभाग की दृष्टि से तो हिन्दू संयुक्त परिवार से संबंधित सामान्य कानून यह है कि दाय भाग और मिताक्षर में दो प्रकार के ही संयुक्त हिन्दू परिवार हो सकते हैं और इस सीमा तक इस सम्बन्ध में कानून में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसी प्रकार गोआ में पुर्तगाली सरकार के समय के कानून लागू हैं।

अतः मेरे संशोधन का यही उद्देश्य है कि पहले से मान्यता प्राप्त अन्य संयुक्त परिवारों की तरह ही इस प्रकार के परिवारों को मान्यता प्रदान की जाये।

मुझे आशा है कि इस अनिश्चितता की स्थिति को समाप्त कर दिया जायेगा। मंत्री महोदय इस संबंध में मेरे संशोधन स्वीकार कर लें।

श्री वेणीशंकर शर्मा : श्री शुक्ल जी ने जो कुछ कहा है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि प्रवर समिति ने जो सुझाव दिये हैं वे बहुमत के निर्णयों के अनुसार दिये गये हैं। किन्तु ऐसा नहीं है। वस्तुतः जहां तक इस उपबन्ध का संबंध है, इन चीजों को सही दिशा में प्रयास किये गये हैं और इस मामले पर प्रवर समिति में सबकी यही राय है किन्तु इन चीज़ों को इस प्रकार पेश किया गया कि हम ऐसा कुछ नहीं कर सके। अतः अनिश्चितता की स्थिति बनी रही।

आयकर अधिनियम का प्रारूप बिना सोचे-समझे बनाया गया। सभी आयोगों, समितियों तथा न्यायाधीशों ने संकेत किया कि जहां तक आयकर अधिनियम के वास्तविक उपबन्धों का संबंध है उनका संशोधन किसी वित्त विधेयक द्वारा नहीं किया जाना चाहिये। इस विधेयक को पेश करने के पश्चात् यहां वित्त विधेयक लाया गया और उस विधेयक के खण्ड 3 द्वारा कृषि भूमि की परिभाषा में परिवर्तन किया गया।

यहां पर अब कृषि आय की परिभाषा करते हुए इस परिभाषा के अनुरूप मानने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं था। किन्तु संसद ने जो कि एक प्रभुत्व सम्पन्न संस्था है, कृषि भूमि परिभाषा में परिवर्तन किया। अतः इस प्रकार के उपबन्ध न बनाये जायें जिनसे देश में बहुत से किसानों और खेतीदारों पर बुरा प्रभाव पड़े। अतः धारा 2 (1) (ग) के परन्तुक स्थान पर दूसरे नये परन्तुक को रखा जाना चाहिए।

उपखण्ड (ii) (क) में अधिसूचित क्षेत्र समितियां, टाउन एरिया समिति आदि को फंसाया हुआ है। इस परन्तुक के द्वारा इन कृषि भूमियों पर जो कि इनके मध्य हैं प्रभाव पड़ेगा। अतः कोष्ठकों के अन्दर दिये गये ये सारे शब्द जैसे, अभिसूचित क्षेत्र समिति, टाउन एरिया समिति,

टाउन समिति प्रारूप को हटा लिया जाना चाहिये । जहां तक नगर पालिकाओं तथा निगमों का संबंध है इनके बारे में कोई झगड़ा नहीं है । इनके अतिरिक्त इससे राजस्व भी ज्यादा नहीं होगा बल्कि इससे किसानों की कठिनाइयां बढ़ जायेंगी तथा साथ ही विभाग को भी उतना लाभ नहीं होगा जितनी कि कठिनाइयाँ पैदा हो जायेंगी । यदि ऐसा संभव नहीं होता तो इसके लिये दूसरा उपाय जनसंख्या की सीमा कर दें, जो कि 10,000 निर्धारित की हुई है, इनको बढ़ाकर 50,000 कर दिया जाना चाहिये ।

इससे इस उपबन्ध से अनेक छोटे कस्बे तथा गांव जहां अधिसूचित क्षेत्र समितियां तथा अन्य समितियां हैं निकल जायेंगे ।

श्री नन्दकुमार सोमानी : मैं संशोधन संख्या 59 के बारे में संक्षिप्त रूप से कुछ कहना चाहूंगा । इस संबंध में भूल से एक कमी रह गई कि गोआ, दमन तथा दिव के राज्य क्षेत्र 'संयुक्त परिवार' की परिभाषा से पृथक रह गये । इसके लिए कोई विशेष कारण नहीं दिया गया है कि कानून और अन्य आज्ञायें जो कि देश के अन्य भागों में लागू हैं वे अर्जित किये गये राज्य क्षेत्र में लागू क्यों नहीं किये जायें ।

प्रवर समिति में यह संशोधन तकनीकी आधार पर इस लिए अस्वीकृत किया गया कि यह विधेयक के क्षेत्र के बाहर है । वस्तुतः सरकार सरकारी आदेश के द्वारा इस राज्य क्षेत्र में रह रहे परिवारों को अधिनियमित करने के क्षेत्र को विस्तृत करने के लिये सरकार जितना कर सकती थी उसने उतना नहीं किया । चूंकि उन्होंने ऐसा नहीं किया है अतः यह उचित समय है जबकि दोनों पक्षों को इस विधेयक द्वारा निपटाया जा रहा है और इसलिए इस समय अथवा अभी भी केवल तकनीकी आधारों के कारण इसको वर्गित करने का कोई कारण नहीं दिखाई देता । कोई स्पष्ट आदेश न होने के कारण केन्द्रीय बोर्ड स्तर पर अथवा इसके ऊपर के स्तर पर बड़ी संख्या में मामले निर्णयाधीन हैं । इस विशेष कमी के कारण ये मामले पुनः उठाये जाते हैं । अतः न्याय तथा समानता दोनों के आधार पर तथा प्रशासनिक क्षमता तथा निपटान के आधार पर सरकार यह देखे कि यह विशेष संशोधन विधेयक के एक अंग के रूप में स्वीकार किया जाये ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : संशोधन संख्या 58 तथा 59 हिन्दू संयुक्त परिवार की नयी परिभाषा बनाना चाहते हैं । मुझे इन संशोधनों की भावना पर तो कोई आपत्ति नहीं है परन्तु इसमें हमारी एक कठिनाई है । जब इस बारे में सलाह के लिए विधि मंत्रालय से पूछा गया तो हमें बताया गया कि इस संशोधनकर्ता विधेयक के क्षेत्र से पूर्णतया बाहर है । और इसीलिये इन संशोधनों को इस विधेयक में शामिल नहीं किया जा सकता । हमने एक बार विधि मंत्रालय में मामला फिर भेजा है और हम इस बारे में इस मंत्रालय के विचार जानने का प्रयास कर रहे हैं कि हम इस स्थिति में कैसे सुधार कर सकते हैं क्योंकि इस स्थिति में परिवर्तन करने की आवश्यकता है । वर्तमान स्थिति और आगे तो जारी नहीं रखनी चाहिये परन्तु हम सोच रहे हैं कि यह परिवर्तन किस प्रकार लायें और इस सम्बन्ध में कोई आदेश जारी करने से पूर्व हम विधि मंत्रालय की उचित राय अवश्य ही जानना चाहेंगे । हमें वस्तुतः यह मालूम करना चाहिये कि हम वास्तव में सही रूप में क्या कर सकते हैं ताकि इस मामले का उचित ढंग से हल हो सके ।

संशोधन संख्या 87 में "कृषि आय" की परिभाषा में संशोधन की मांग की गई है। इस विधेयक के अधीन फार्म निर्माण से प्राप्त की जाने वाली आय इन शर्तों के आधीन कृषि आय के रूप में समझी जायेगी कि फार्म ऐसी भूमि पर या ऐसी भूमि के बिलकुल समीप बना है जिन पर भू-राजस्व स्थानीय दरों पर निर्धारित होता है या वैकल्पिक रूप से किसी नगरपालिका चाहे यह नगरपालिका, नगर निगम अथवा आय सूचित क्षेत्र समिति या टाउन एरिया समिति के रूप में हो, उसके क्षेत्र से बाहर की भूमि पर स्थित हो।

भारत में ये संस्थाएं विभिन्न नामों से जानी जाती हैं और इसीलिये यह नहीं कहा गया है कि किस नाम द्वारा ऐसी सीमा निर्धारित की जाये ? हम वित्त अधिनियम 1970 में किये गये उपबंध द्वारा "कृषि आय" की परिभाषा शहरी क्षेत्रों के विचार से तथा पूंजीगत परिसम्पत्ति की परिभाषा में सम्पत्ति कर अधिनियम को लाना चाहते हैं। इसीलिये यह उपबंध जोड़ा गया है। यदि संशोधन को स्वीकार कर लिया जाये तो सारा मामला भ्रान्ति-पूर्ण हो जायेगा और हम विशेष क्षेत्रों की परिभाषा नहीं बता सकेंगे और साथ ही यह भी नहीं समझ पायेंगे कि इस क्षेत्र के संबंध में इस विशेष पूंजीगत परिसम्पत्ति की क्या परिभाषा है।

संशोधन संख्या 58 तथा 59 सभा की अनुमति से वापस लिये गये

The amendments were, by leave, withdrawn

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 87 तथा 88 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

The amendments No. 87 and 88 were put and negatived

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 2 was added to the bill

श्री शिवचन्द्र झा (मधुबनी) : महोदय ! मैं अपने संशोधन संख्या 1 और 2 प्रस्तुत करता हूं।

श्री कंवरलाल गुप्त : महोदय ! मैं अपने संशोधन संख्या 42, 43, 97 और 98 प्रस्तुत करता हूं।

श्री नारायण दाण्डेकर (जामनगर) : महोदय ! मैं अपने संशोधन संख्या 60,75, 76, 77, 78, 79, 80 और 81 को प्रस्तुत करता हूं।

Shri Shiva Chandra Jha : Sir, my amendment is that the limit of tax-free income of the foreign technicians should be reduced to Rs. 2,000 because the limit of Rs. 4,000 is too much. If it is not done the income disparity would increase.

My next amendment is that in the definition of Technician Poultry farming should also be included and the experts of this field should also be treated as technicians.

Shri Kanwar Lal Gupta : Sir, it is surprising to note that this Bill envisages exempting foreign technicians earning upto Rs. 4,000 per month from income-tax for the period of 24 months while such provisions have not been made for the Indian technicians who are equally competant. May I know as to why such discremination is being done against the Indian technicians when the number of Indian Engineers is increasing day by day and the indigenous know-how has achieved advancement considerably ? It is also surprising that out of the total number of foreign technicians 75 percent are working in the Public Sector. I don't understand the reasons for which Government are so much inclined to have foreign technicians. It would be much better if the distinguished scientists like Dr. Khurana are given due encouragement in the country in order to curb the brain-drain from India. But on the contrary, they are not well-paid here. Therefore, my amendment is that the limit of four thousands of rupees should be reduced to one thousand of rupees in the view that no foreign technician would be prepared to accept this much amount.

My second amendment is that the following line should be inserted after line 42 at page 4 :

"Provided that in case of technicians, other than the technicians who has a special knowledge and experience in industrial or business management, technique whose stay in India does not exceed sixty days in all commencing from the date of his arrival in India, condition (2) aforsaid shall not apply."

My third amendment is that from the definition of the technicians the experts in agriculture, animal husbandry and dairy farming should be removed. My submission is that no foreign technicians should be invited for these works in view of the fact the Indian technician are capable to undertake these works. In case, it is quite necessary to have foreign know-how in certain fields Government should send Indian technician to the foreign countries to study it. Indian technicians can only be encouraged if such measures are adopted by the Government.

My submission, in this regard is, that more and more employment opportunities should be created for the increasing number of technicians and no extra concession should be provided to the foreign technicians.

श्री नारायण दाण्डेकर : महोदय ! पहले मैं अपने संशोधन संख्या 75 का उल्लेख करना चाहूंगा । इसमें मैंने उस उपबन्ध के हटाये जाने का निवेदन किया है, जिसमें छुट्टी के समय या सेवा मुक्त होने पर किसी कर्मचारी को यात्रा सम्बन्धी रियायत देने की शर्तों का उल्लेख है । कर्मचारियों को यात्रा सम्बन्धी रियायत देने के लिए मैं सरकार को बधाई देता हूं किन्तु इसके संबंध में कुछ त्रुटियां हैं उदाहरण के लिए यदि मैं बंबई में सेवा करता हूं और मैं छुट्टी लेकर कोडाइकनाल को जाना चाहता हूं किन्तु मेरा घर रतनगिरि में है जो बम्बई से निकट ही है तो ऐसी स्थिति में मुझे केवल रतनगिरि का ही किराया मिलेगा ।

इसी प्रकार सेवा मुक्ति के समय भी मुझे इस विधेयक के अनुसार केवल रतनगिरि का ही किराया मिलेगा भले ही मैं बंगलौर में बसना चाहूं। इसी प्रकार मुझे आयकर के अन्तर का भी भुगतान करना पड़ेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस उपबन्ध को हटा दिया जाये क्योंकि इससे कुछ कठिनाइयां उपस्थित होती हैं।

मेरे संशोधन सख्या 76, 77 और 78 भी स्वदेश जाने वाले कर्मचारियों को इसी प्रकार की सुविधाओं से ही सम्बन्धित हैं। किन्तु इन मामलों में स्थिति प्रतिकूल है। यदि कोई विदेशी कर्मचारी छुट्टी लेकर अपने देश, इंगलैंड, जर्मनी या जहां से भी वह आया है, जाना चाहता है तो उसे वहां तक का किराया आदि दे दिया जायेगा तथा उस राशि को आयकर से मुक्त समझा जायेगा। किन्तु वही कर्मचारी यदि भारत के किसी स्थान पर रहकर अपनी छुट्टी बिताना चाहता है अथवा दार्जलिंग, शिमला क्षौर नीलगिरी आदि का दौरा करना चाहता है तो उसे यह रियायत नहीं दी जायेगी और यदि दी जायेगी तो उस राशि को आयकर से मुक्त नहीं किया जायेगा। मैंने अपने संशोधन में इसी बात का उल्लेख किया है कि यदि भारत में रहकर ही अपनी छुट्टी बिताना चाहे तो उसे भी यही रियायत मिलनी चाहिये।

इंगलैंड तथा अन्य देशों में सेवा-मुक्त व्यक्तियों के लिये बड़ी कठिनाइयां हैं। वहां का जीवन स्तर बहुत ऊंचा है। मुझे स्वयं पता है कि एक व्यक्ति सेवामुक्त होने के पश्चात् भारत में ही बसना चाहता था और वह यहां का नागरिक बनकर सभी प्रकार के कर देने को तैयार था। किन्तु हम नहीं चाहते कि उसे भारत में बसने दिया जाये। मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं है। मैं माननीय मंत्री महोदय को सुझाव देता हूं कि वह इन बातों पर विचार करें तथा इन संशोधनों को स्वीकार कर लें।

मेरे संशोधन संख्या 10, 79 और 80 क्रमश: तकनीशियनों, इलैक्ट्रोनिकों के सम्बन्ध में प्राद्योगिकी तथा दूर संचार अथवा संगणकों के विषय में है। मैं चाहता हूं कि प्राद्योगिकी के क्षेत्र में हमारे देश में पूर्णत: विकास हो। अत: मेरा सुझाव है कि जिस खण्ड में निर्माणात्मक संक्रियाओं और बिजली के उत्पादन का उल्लेख किया गया है उसमें इलैक्ट्रोनिक्स की प्राद्योगिकी, दूर संचार अथवा संगणक भी जोड़ दें।

दूसरे खण्ड में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान और विकास भी जोड़ दिया जाये। मेरा निवेदन है कि इलैक्ट्रोनिक्स, दूर संचार और सगंणना आदि वस्तुएं भविष्य में काम आने वाली वस्तुएं हैं। संसार के अन्य देशों ने प्राद्योगिकी के क्षेत्र में बड़ी प्रगति की है। ल्यूना की चन्द्र यात्रा की हम केवल चर्चा ही कर सकते हैं। अत: मेरा निवेदन है इन वस्तुओं को भी महत्त्व दिया जाना चाहिये।

बहुत से भारतीय समवायों के विरुद्ध यह आरोप लगाया जाता है कि वे वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान और विकास पर कम खर्च नहीं करते। यह आरोप सच है किन्तु इसके दो कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि प्राद्योगिक अनुसंधान पर इतनी धनराशि खर्च होती है कि कई समवाय इसका वहन ही नहीं कर सकते। दूसरा कारण यह है ऐसे व्यक्तियों की भी कमी है जिनके मार्गदर्शन में यह कार्य किया जा सके। यह कार्य सरल नहीं है। इसमें बहुत समस्याएं हैं

जिनके समाधान के लिए कुशल और अनुभवी मार्गदर्शकों की आवश्यकता है। अतः मेरा सुझाव है कि इन शब्दों को जोड़ दिया जाये।

मैंने यह भी सुझाव दिया है कि 4000 रुपयों की सीमा को बढ़ाकर 7500 रुपया कर दिया जाये। प्राद्योगिक विकास, वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास का क्षेत्र अत्यन्त महत्त्वपूर्ण क्षेत्र है। अतः हमें उसके लिये दूसरी श्रेणी के तकनीशियन नहीं मंगाने चाहिए। इंगलैंड आदि बड़े देशों में इतने वेतन पर तो दूसरी ही श्रेणी के तकनीशियन मिलते हैं। अतः हमें यह भूल नहीं करनी चाहिए।

मैंने अपने संशोधन संख्या 81 में एक नया खण्ड जोड़ने का प्रस्ताव किया है। जिस प्रकार पुन. बागान लगाने के क्षेत्र में समस्याएं हैं उसी प्रकार कोयला खानों के सम्बन्ध में भी समस्याएं हैं। कोयला खानों को आधुनिक बनाने की आवश्यकता है। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इन संशोधनों को स्वीकार करेंगे।

श्री नन्द कुमार सोमानी : मैं तकनीशियनों की आय-कर से मुक्त राशि की अधिकतम सीमा के बारे में पहले कुछ कहना चाहूंगा। श्री कंवर लाल गुप्त ने कहा है कि इस प्रकार की व्यवस्था हमारे देश के तकनीशियनों के हितों के प्रतिकूल होगी। किन्तु मैं इस बात में उनका समर्थन नहीं कर सकता। सामान्य वैज्ञानिकों और तकनीशियनों की बढ़ती हुई बेरोजगारी तथा विदेशों से आने वाले अनुभवी और प्रशिक्षण प्राप्त तकनीशियनों की तुलना नहीं की जा सकती।

श्री दाण्डेकर ने इंग्लैंड में मिलने वाले वेतन का उल्लेख किया है। मुझे भी कल ही न्यूयार्क में रहने वाले एक भारतीय का पत्र मिला है जिसमें कहा गया है कि अमरीका में ऊंचे पदों पर कार्य कर रहे भारतीयों का वेतन 15,000 से 40,000 डालर तक है। अतः इस से स्पष्ट होता है कि यदि हमें वहां से अनुभवी और प्रशिक्षित तकनीशियन बुलाने हैं तो हमें उनको उतना ही वेतन देना पड़ेगा जितना वे वहां पा सकते हैं। अन्यथा हमें, जैसा कि श्री दाण्डेकर ने कहा है, दूसरी अथवा तीसरी श्रेणी के तकनीशियन ही प्राप्त हो सकेंगे जिससे हमारा कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा।

मैं सभा को बताना चाहता हूं कि प्रबन्धकों तकनीशियनों और इंजीनियरों का ज्ञान हर तीसरे वर्ष पुराना पड़ जाता है यदि वे विशेषकर उत्पादन के क्षेत्र में नवीनतम सिद्धान्तों और प्रक्रियाओं के सम्पर्क में न रहें। अतः हमें इस क्षेत्र में जागरूकता और व्यावहारिकता अपनानी चाहिए।

हमने बिजली के उत्पादन के बारे में ध्यान दिलाया था किन्तु सरकार ने उस मद को निकाल दिया है। अतः सरकार बिजली के उत्पादन के लिये भी विदेशी तकनीशियनों को लाना चाहती है यद्यपि हमारे देश में इस कार्य के लिए पर्याप्त इंजीनियर विद्यमान हैं।

जहां तक कर्मचारियों का छुट्टी लेकर अथवा सेवा से निवृत्त होने के पश्चात् भारत के किसी भाग में जाने का सम्बन्ध है उसके लिए वेतन और किराये की गणना के बारे में प्रशासनिक स्तर पर देरी होगी तथा आपके विभाग को भी इन छोटी-छोटी बातों पर बहुत समय लगाना पड़ेगा। अतः मेरा सुझाव है कि इन बातों पर फिर से विचार किया जाना चाहिए। मैं सुझाव

देता हूं कि भारतीय नागरिकों को अपने परिवार के साथ अपने मालिकों से भुगतान की सहमति से छुट्टी लेकर भारत के किसी भाग का दौरा करने के बारे में किसी प्रकार की कोई सीमा नहीं होनी चाहिए।

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैंने निवेदन किया था कि 4000 रुपया या इससे अधिक की राशि की जो सीमा निर्धारित की गई है उसका उद्देश्य केवल यह है कि हमें जो तकनीकी जानकारी अपने देश में उपलब्ध नहीं है उसे हम विदेशों से प्राप्त कर सकें। मैं श्री गुप्त का ध्यान विशेषकर इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि जब कोई समवाय विदेशी तकनीशियन मंगाने का प्रस्ताव करता है तो उसके प्रस्ताव को बिना जांच किये ही स्वीकार नहीं कर लिया जाता किन्तु इस बात को सुनिश्चित करना पड़ता है कि क्या वास्तव में इस क्षेत्र के विशेषज्ञ भारत में उपलब्ध नहीं हैं। इसके अतिरिक्त स्वयं भारतीय निर्माता भी इस बात की जांच करते हैं कि क्या हमें अपने देश में ही अपेक्षित तकनीशियन उपलब्ध हैं। भारतीय तकनीशियन न मिलने के बाद ही वह सरकार से विदेशी तकनीकी जानकारी प्राप्त करने की अनुमति मांगते हैं तथा तभी उनको भी दी जाती है।

श्री झा का संशोधन है कि इस सीमा को घटाकर 2,000 रुपया कर दिया जाये। जैसा कि मैं निवेदन कर चुका हूं यह प्रश्न सीमा को घटाने या बढ़ाने का नहीं है वरन् यह व्यवस्था केवल उन विदेशी तकनीशियनों को प्रोत्साहन देने के लिए की गई है जिसके क्षेत्र के विशेषज्ञ हमारे यहां उपलब्ध नहीं हैं। इन विदेशी तकनीकी जानकारी प्राप्त लोगों की सहायता से दो वर्ष की अवधि में हमारी तकनीकी जानकारी भी विकसित हो सकती है। किसी समय तकनीशियनों को वेतन में 8,000 या 10,000 या 12,000 रुपये भी दिये जा सकते हैं तथा उस स्थिति में उनको यह रियायत नहीं दी जायेगी। मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह आवश्यक नहीं है कि केवल 4,000 रुपयों के वेतन पर ही विदेशी तकनीशियनों को भारत में बुलाया जायेगा। 12,000 अथवा 14,000 रुपयों के वेतन पर भी उन्हें बुलाया जा सकता है किन्तु सम्बद्ध समवाय को अतिरिक्त राशि पर न्यायसंगत व्यय वहन करना पड़ेगा।

मैं स्वीकार करता हूं कि श्री दाण्डेकर की इस बात में बल है कि जो विदेशी तकनीशियन अपनी जन्म भूमि में न जाकर भारत में ही अपनी छुट्टी बिताना चाहें उनको भी उचित रियायत मिलनी चाहिए। किन्तु इस समय मैं कुछ वायदा नहीं कर सकता। इस सम्बन्ध में विचार किया जायेगा तथा बाद में ही इस बारे में कुछ किया जा सकता है।

जहां तक भारतीय कर्मचारी का छुट्टी लेकर अपने मूल निवास स्थान को जाने का मामला है इस व्यवस्था के अन्तर्गत उसकी सीमा इस लिए निर्धारित की गई है कि रियायत का दुरुपयोग न किया जाये। श्री दाण्डेकर ने जो कठिनाई बताई है वह कुछ मामलों में उत्पन्न हो सकती है किन्तु ऐसी स्थिति में कर्मचारी को कुछ राशि तो मिल ही जायेगी और शेष राशि उसे स्वयं वहन करनी होगी अथवा सम्बद्ध नियोक्ता वहन करेगा। अतः इस समय मैं किसी भी सशोधन को स्वीकार करने में असमर्थ हूं।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 1, 2 तथा 42, 43, 97 और 98 मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए

The amendments were put and negatived

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 60, 79, और 80 मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए

The amendments were put and negatived

सभापति महोदय द्वारा संख्या 75 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

The amendment was put and negatived

संशोधन संख्या 76, 77, और 78 सभा की अनुमति से वापस लिए गए

The amendments Nos. 76, 77 and 78 were by leave withdrawn

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 81 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

The amendment was put and negatived

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 3 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 3 was added to the Bill

खंड 4

Shri Shiva Chandra Jha : I beg to move my amendment Nos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9.

It has been provided by the Government that the amount of rebate will be Rs. 600 on a residential unit whose value does not exced six hundred rupees. But it has not been clarified that what is the critarian for fixing such limit of exemption when generally the cost of such units comes much higher. I want to know the basis on which this provision has been made. So far as the question of exemption is concerned I want that the limit for one unit should be reduced to Rs. 500 and for to wings it should be reduced to Rs. 1,000 only.

श्री विद्याचरण शुक्ल : यह जो छूट दी गई है इसका उद्देश्य अपने प्रयोग के लिए मकानों का निर्माण करने को प्रोत्साहन देना तथा कम आय वाले वर्गों को मकान बनाने के लिए प्रोत्साहन देना है । यदि उस छूट को कम कर दिया जायेगा तो हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होगा । अतः मैं श्री झा से निवेदन करूंगा कि वह अपने संशोधनों पर जोर न दें।

सभापति महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 3 से 9 को सभा के मतदान के लिये रखता हूं ।

संशोधन संख्या 3 से 9 मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

The amendments Nos. 3 to 9 were put and negatived

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

'कि खण्ड 4 विधेयक का अंग बने ।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

खण्ड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 4 was added to the Bill

खण्ड 5 से 7 विधेयक में जोड़ दिये गए

Clauses 5 to 7 were then added to the Bill

खण्ड 8

सभापति महोदय : अब संशोधन प्रस्तुत किये जायें ।

श्री शिवचन्द्र झा (मधुबनी) : मैं अपने संशोधन संख्या 10, 11, 12 और 13 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री कंवरलाल गुप्त (दिल्ली सदर) : मैं अपने संशोधन संख्या 44, 45, 46 और 47 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री लोबो प्रभु (उद्दीपी) : मैं अपने संशोधन संख्या 61, 62 और 63 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री नारायण दाण्डेकर (जामनगर) : मैं अपने संशोधन संख्या 70, 71, 72, 73, 74, 82, 83, 84, 85 और 86 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री वेणी शंकर शर्मा (बांका) : मैं अपने संशोधन संख्या 89, 90 और 91 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे (बेतूल) : मैं अपने संशोधन संख्या 115, 116 और 117 प्रस्तुत करता हूं ।

Shri Shiv Chandra Jha : I am of the view that this exemption should be reduced from one tenth to one twentieth. Government is worried about industrial development in the country. Government wants to do so by giving exemptions to the Companies. I want that Government should give encouragement to small units or entrepreneurs. Government should not give exemption to big companies in the name of industrial development.

Shri Kanwar Lal Gupta : I welcome the new clause added to the Bill. The production will increase as a result of it. When Government has adopted some policy it should implement it in all cases. If some company has actually incurred some genuine expenditure, deduction should have been given in it case. If Government wants to give encouragement to small industries, it should give some concessions to them. I am of the view that it will be unjust to give only $2\frac{1}{2}$ per cent deductions to small companies whose capital investment is 25,000 or 50,000.

There is a provision that if some person shifts his industry from one part of the country to the other, he will get deduction on expenditure incurred to that effect. But now that provision has been removed. It has been done under political pressure.

श्री लोबो प्रभु : कम्पनियों में कम से कम 60 प्रतिशत शेयरों के स्वामी छोटे व्यक्ति होते हैं । यदि हमारी धारणा स्पष्ट हो कि एक कम्पनी बहुत ही धनवान व्यक्तियों का समूह न होकर एक सहकारी संगठन है, तो इन उपबन्धों में से बहुत से उपबन्धों का विरोध नहीं होगा ।

मंत्री महोदय को प्रशासनिक सेवाओं को अपने प्रतिवेदन में शामिल करना चाहिये। कम्पनी को हर समय बोर्ड की स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिये ।

देश में खनन कार्य, विशेषकर अलौह धातुओं का खनन कार्य अच्छी स्थिति में नहीं है। हमें प्रत्येक वर्ष जिंक, सीसा और तांबा आदि के आयात पर 200 करोड़ रुपये खर्च करने पड़ते हैं। इस सम्बन्ध में न केवल देशवासियों बल्कि विदेशियों को भी प्रोत्साहन देना चाहिये। इससे हमारे भारतीयकरण के सिद्धान्त का उल्लंघन नहीं होगा क्योंकि हमें विदेशी पूंजी की आवश्यकता होती है, चाहे वह सहायता के रूप में हो अथवा ऋण के रूप में। यह अच्छा होगा यदि यह एक कम्पनी के रूप में आये, जिसे देश के हित का ख्याल हो ।

श्री नारायण दाण्डेकर : निर्माता फर्म की क्षमता के बारे में सरकार की स्वीकृति लेना अनावश्यक तथा बेतुकी बात है। किसी व्यक्ति की तकनीकी योग्यता के बारे में निर्णय करना कर अदा करने का काम नहीं है बल्कि इसका निर्णय अन्य व्यक्तियों को करना चाहिये। यदि केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ऐसा करता है तो मैं इसे स्वीकार करने के लिये तैयार हूं।

सभी शुल्कों, लेखा परीक्षकों के शुल्क और परीक्षण तथा प्रारूप तैयार करने के लिये किये गये अन्य व्यय, दो या अधिक कम्पनियों को मिला देने के सम्बन्ध में हुए व्यय के लिये एक मुश्त भुगतान को, चाहे वह नकदी के रूप में हो अथवा किसी अन्य रूप में, व्यय की राशि को कराधान को घटाने की मदों की सूची में शामिल किया जाना चाहिये। 'भारतीय कम्पनियों' का वित्तीय विधेयक में अभिप्राय यह है कि जब तक विदेशी कम्पनियां नियमों और विनियमों का पालन करती हैं उनके साथ कराधान के मामले तथा अन्य छूट के सम्बन्ध में भेदभाव नहीं किया जायेगा।

जो सुझाव मैं प्रस्तुत कर रहा हूं वह कोई नया नहीं है। मेरा सुझाव यही है कि कुछ विशिष्ट उद्योगों के विकास आदि के लिए जो प्रोत्साहन कर सुविधाओं के रूप में दिये जा रहे हैं, वे दिये ही जाने चाहिये। श्री लोबो प्रभु ने कहा कि अलौह धातुओं से सम्बद्ध हमारे देश में जो कार्य हो रहा है, वह अभी आरम्भिक ही है। मैं समझता हूं कि जो लोग सभी करों को स्वीकार करने के बाद इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, जो जोखिम उठाना चाहते हैं और कराधान के बारे में भारतीय अपेक्षाओं के अनुसार चलना चाहते हैं, उन्हें कहीं से भी आने की अनुमति होनी चाहिये। हमें इस बात की परवाह नहीं करनी चाहिये कि उनकी कराधान की स्थिति भी ठीक भारतीय कम्पनियों जैसी ही हो।

अब मैं अपनी अंतिम बात की ओर आता हूं जो कि बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। खंड 74 का सम्बन्ध औद्योगिक संस्थानों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाले व्यय से सम्बद्ध है। जब कोई कारखाना एक स्थान से हटाया जाता है, तो उसे प्राप्त करने वाले राज्य के द्वारा अथवा छोड़ने वाले राज्य के द्वारा या केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की रियायत नहीं मिलनी चाहिये। आज प्रत्येक सरकार इस बारे में चिन्तित है कि वर्तमान औद्योगिक क्षेत्रों में नये औद्योगिक यूनिटों को समेकित नहीं होने देना चाहिये । इसी प्रकार वर्तमान औद्योगिक यूनिटों को एक ही रूप में संकुलित से असंकुलित क्षेत्रों और असंकुलित से अविकसित क्षेत्रों में चले जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिये। इसके लिए कराधान सम्बन्धी, पानी तथा विद्युत सम्बन्धी कुछ

सुविधायें देना आवश्यक ही है। ऐसे उद्योगों को अपेक्षित सुविधायें दी जानी चाहियें। यदि एक राज्य में एक स्थान से दूसरे पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग-धंधे स्थापित किये जायें।

दूसरी बात यह है कि मैं "31 मार्च 1970" के स्थान पर "31 मार्च 1969" रखने के पक्ष में हूं। मेरा यह सुझाव श्री भूतलिंगम के सुझाव से बहुत कुछ मिलता-जुलता है। सरकार ने प्रवर समिति को जो विवरण भेजा था उसमें भी इसकी काफी चर्चा की गई थी और सभी सम्बद्ध राज्यों ने इसका स्वागत किया था। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इसे स्वीकार कर विधेयक में जोड़ देंगे।

श्री नन्दकुमार सोमानी (नागौर) : मेरा इरादा धारा 35 घ पर विचार करने का है जिसका सम्बन्ध कुछ आरम्भिक खर्चों को कराधान से निकालने सम्बन्धी व्यवस्था से है। इस सम्बन्ध में मेरी सबसे बड़ी आपत्ति यही है कि भारत में कभी भी किसी अकेली संस्था को या कम से कम वित्त मंत्रालय अथवा प्रत्यक्ष करों के केन्द्रीय बोर्ड से संबद्ध किसी भी व्यक्ति को, किसी विशेष साझेदारी अथवा परामर्श देने वाली एजेन्सी के गुणों या अवगुणों के सम्बन्ध में विचार करने की उनकी समर्थता अथवा असमर्थता के बारे में पता करने का अधिकार नहीं दिया। इसके अतिरिक्त श्री दांडेकर ने जो लालफीताशाही का भय व्यक्त किया है, मुझे शक है कि इससे लेखाकारों आदि की एक अन्य शाखा उत्पन्न हो जायेगी और इस संस्था को उसे संरक्षण देना पड़ेगा।

दूसरे हमारे उन नौजवानों का क्या होगा जो कि विदेशी तथा देशी विश्वविद्यालयों से आते हैं, जिन के प्रति केन्द्रीय सरकार का कोई संरक्षण नहीं होता और न ही वे किसी को जानते हैं। ऐसे लोगों का क्या होगा ? आखिर हर फर्म न तो एम० एन० दस्तूर एण्ड कम्पनी जैसी ख्याति प्रसिद्ध हो सकती है और न श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे फर्म की तरह। फिर हम यह भी चाहेंगे कि अधिक से अधिक व्यक्ति उस स्तर पर आ सकें, यदि उन्हें रोजगार का अवसर देने के लिए कोई फर्म तैयार है तो उसे इसका अवसर दिया जाना चाहिये। मुझे समझ नहीं आती कि सरकार किस तर्क के आधार पर यह कहती है कि कोई विशेष फर्म किसी अन्य फर्म से किस प्रकार अच्छी है और कोई कार्य अच्छे ढंग से कर सकती है।

जहां तक व्यय की राशि को कराधान में से घटाने के प्रश्न का सम्बन्ध है, इसके सम्बन्ध में बहुत सी भ्रांतियां इस सभा में व्यक्त की गई हैं। कुछ सदस्यों ने कहा है कि इस प्रकार की रियायत दुनियां में पहली बार दी गई है।

श्री भूतलिंगम ने अपने प्रतिवेदन के पृष्ठ संख्या 23 पर स्पष्ट लिखा है कि कोई विशिष्ट कारखाना खोले जाने के सम्बन्ध में वैद्य व्यय के रूप में पूंजीगत व्यय की अनुमति दी जा सकती है, परन्तु इस प्रतिवेदन में व्यय की राशि को कराधान में से घटाने के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं बताया गया है। जो $2\frac{1}{2}$ प्रतिशत की तुच्छ सीमा निर्धारित की गई है, ज़रा उस पर विचार कीजिये। प्रत्येक कम्पनी चाहे वह लिमिटेड हो या प्राइवेट, आरम्भ में वह अपनी पूंजी का प्रयोग बहुत संयमित रूप से करती है। जब कोई कम्पनी बहुत धनराशि कमाने लगती है तभी वह अपने व्यय में कुछ असंयम से काम लेने लगती है। परन्तु कार्य आरम्भ करने से पूर्व, जबकि किसी प्रकार के लाभ की कल्पना भी नहीं की जा सकती, मुझे समझ नहीं आती कि कोई कम्पनी उस समय कैसे

अनावश्यक व्यय करने लगती है। मैं इस संदर्भ में किसी नियोजक या सरकार का कोई उल्लेख नहीं करना चाहता परन्तु मैं इस सम्बन्ध में भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थान द्वारा किये गये सर्वेक्षण के आधार पर दिये गये आंकड़ों का उल्लेख करना चाहता हूं। इस सर्वेक्षण में कहा गया है कि इन कम्पनियों के मामले में व्यय के प्रकार की औसतन लागत की अधिकतम सीमा 5·3 प्रतिशत से 6·4 प्रतिशत है। अतः इससे यह स्पष्ट होता है कि व्यय के बारे में जो प्रस्तावित खण्ड 35/घ में दी हुई परिभाषा और गुंजाइश के अन्दर ही करने की अनुमति देने का सुझाव है, इससे यह पता चलता है कि यह $2\frac{1}{2}$ प्रतिशत की सीमा पूर्णतया अपर्याप्त है। इस अधिकतम सीमा के द्वारा दो प्रकार से अन्याय किया जायेगा। एक यह कि लघु तथा मध्यम पैमाने के उद्योगों पर इसका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा। दूसरी ओर इससे कार्य-कुशल कम्पनियों के विरुद्ध भेदभाव होगा जो कि स्वयं अपनी पूंजी के बेहतर उपयोग अथवा 5 वर्षों के लिए आस्थगित भुगतान के आधार पर प्राप्त ऋणों के आधार पर बेहतर कार्य दिखाना चाहते होंगे। अतः इन्हीं तर्कों के आधार पर मैं यह कहना चाहता हूं कि हमने जिन संशोधनों का सुझाव दिया है, उन पर इसी दृष्टि से पुनः विचार किया जाना चाहिये।

श्री वेणी शंकर शर्मा : प्रस्तुत नई धारा को लाने के लिए हम सरकार को बधाई देते हैं। मैं इस अवसर पर मंत्रालय को इस नई बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। परन्तु सरकार प्रायः बहुत से कार्य झिझकते झिझकते और अनमने मन से करती है। मैं सरकार की $2\frac{1}{2}$ प्रतिशत की सीमा के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता परन्तु तीनों संशोधनों का जो सामूहिक प्रभाव है, मैं उसकी बात करना चाहता हूं। हमें आयकर अधिकारियों को समय-समय पर निर्देश क्यों देने पड़ते हैं, कौन-कौन से व्यय उचित हैं? इस प्रश्न को हम आयकर अधिकारियों के निर्णय के लिए भी तो छोड़ सकते हैं। हम उन पर विश्वास क्यों न करें?

व्यय प्रायः तीन प्रकार के होते हैं। आप चाहे इसमें और मदें भी जोड़ते जायें, परन्तु यह कभी समाप्त नहीं होंगे। इसीलिए उपखंड (घ) के अन्त में लिखा हुआ है कि, "व्यय की ऐसी मदें .....जो निर्धारित की जायें।" परन्तु इनका निर्धारण कौन करेगा? इनका निर्धारण प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा किया जायेगा। परन्तु इस बोर्ड के पास पहले ही इतना अधिक कार्य है कि वह इसे इतनी कुशलता से नहीं कर सकेगा, जैसे कि यह कार्य किया जाना चाहिये।

इसीलिए मेरा यह मत है कि आयकर अधिनियम की नई धारा 35 घ के खंड 8 के अन्तर्गत जिन व्यय की मदों का उल्लेख किया गया है, उन मदों की गणना करने की बजाय यह बात आय कर अधिकारी के निर्णय पर छोड़ दी जानी चाहिये कि क्या कुछ व्यय की राशि को कराधान से हटाया जाना चाहिये या नहीं। अतः मेरा सुझाव है कि धारा 35 घ (एक) के इन शब्दों "उपखंड (2) में निर्धारित को हटा देना चाहिये।" दूसरी बात यह है कि 35 (घ) की पूरी धारा (2) समाप्त कर दी जानी चाहिये। तीसरे यह कि पृष्ठ 8 की पंक्ति 26 के बाद यह शब्द जोड़ दिये जाने चाहिये।

"फिर भी अधिनियम के किसी अन्य उपबन्धों के अन्तर्गत राजस्व व्यय अथवा अन्यथा रूप में कटौती की अनुमति नहीं दी जाती।"

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी (मंदसौर) : अन्य माननीय सदस्यों ने जो कुछ कहा है, मैं उनसे

कुछ अलग विचार रखता हूं। मेरा विचार है कि जब प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने इस प्रकार की संस्थाओं को मंजूरी दी थी, तो उसका विचार था कि सम्भाव्यता रिर्पोट, परियोजना रिर्पोट, इंजीनियरी सेवाएं, तकनीकी सेवाएं, प्रबन्ध लेखा सेवाएं, आदि जो कि परामर्श सेवाओं द्वारा निपटाई जा रही है, उनका देश में विकास किया जायेगा। आज विदेशों में परामर्श सेवाओं का विकास हो चुका है और वह इस दिशा में हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं। परन्तु हमारे देश में स्थिति पूर्णतया भिन्न है। हमारे यहां परामर्श व्यवसाय व्यावहारिक रूप से एक या दो फर्मों के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं नहीं है। केन्द्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड को इसके विकास के लिए उचित नियम तथा मार्ग दर्शन सिद्धान्तों की व्यवस्था करनी चाहिये। यह कार्य आयकर की दृष्टि से भी किया जा सकता है।

प्रथम बार सरकार ने यह सिद्धान्त स्वीकार किया है कि पूर्व-कार्य या प्रारम्भिक व्यय की राशि कराधान से हटाई जानी चाहिये। यह एक शुभारम्भ है। "पूर्णतया कम्पनी के कार्य के उद्देश्य के लिए हुए व्यय" का यह वाक्यांश यहां पर भी लागू हो सकता है। यदि वास्तविक व्यय, कार्य होने से पूर्व, पूर्णत: कम्पनी के कार्य पर हुआ हो और विभाग भी इसे स्वीकार करता हो, तो इसे स्वीकृत कर लिया जाना चाहिये।

इसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि केन्द्रीय बोर्ड द्वारा बनाये गये नियम उचित तथा व्यवहार्य हों ताकि योग्य तथा कार्यक्षम और व्यवसायी लोग इस क्षेत्र से वंचित न रहें। यदि केन्द्रीय बोर्ड द्वारा उनको मान्यता नहीं दी जाती, तो फिर कोई भी कम्पनी उनकी सेवायें प्राप्त करने की इच्छुक नहीं होगी, क्योंकि जो कुछ धन राशि उन्हें दी जायेगी, उसमें व्यय की राशि कराधान से निकालने की अनुमति नहीं होगी। बोर्ड को इन सभी पहलुओं पर ध्यान देना चाहिये और इसके नियम उदार होने चाहिये। यह एक शुभारम्भ है और मैं इस धारा का स्वागत करता हूं।

श्री नरेन्द्रकुमार साल्वे : मैं संशोधन संख्या 115, 116 और 117 के विषय में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। व्यय की राशि को कराधान की राशि में से घटाने की संकल्पना कराधान विधि में नई है। इस सम्बन्ध में जहां तक सतर्कता से काम लेने का सम्बन्ध है, मैं मंत्री महोदय के साथ पूर्णतया सहमत हूं। मैं जो संशोधन संख्या 115 के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूं वह यह है कि जब एक बार अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी जाती है, जिससे आगे कोई नहीं जा सकता तो भी सतर्कता से पूर्ण दृष्टिकोण और पूरी सावधानी बरती जा सकती है। आज जो शक्तियां तथा अधिकार प्रत्यक्ष करों सम्बन्धी बोर्ड को प्राप्त हैं, वह उनका उपयोग पक्षपात तथा संरक्षण के लिए कर रहा है। मंत्री महोदय ने कहा है कि प्रत्यक्ष करों सम्बन्धी बोर्ड के पास इस प्रकार का अधिकार व्यवसायियों के, जो कि सम्भाव्यता रिपोर्ट, परियोजना रिपोर्ट तथा बाज़ार का सर्वेक्षण आदि कर रहे हों, के अनुमोदन द्वारा होने चाहिये। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि यह आवश्यक नहीं कि इससे एक नापाक गठजोड़ हो सके। क्या इसका अर्थ यह है कि एक बार जो कुछ केन्द्रीय प्रत्यक्ष करों सम्बन्धी बोर्ड द्वारा अनुमोदित हो गया, फिर उसका दुरुपयोग नहीं होगा ? यह आयकर अधिकारी की जिम्मेदारी है कि वह इस बात का निर्णय करें कि क्या सम्भाव्यता व्यय, परियोजना प्रतिवेदन सम्बन्धी व्यय, तथा बाज़ार सर्वेक्षण आदि के लिए मांगा गया व्यय उचित है या नहीं। केवल बोर्ड की मंजूरी इसके लिए कोई गारन्टी नहीं है कि इससे कोई नापाक गठजोड़ नहीं होगा। दूसरी बात

इसी सम्बन्ध में यह है कि केन्द्रीय प्रत्यक्ष करों सम्बन्धी बोर्ड के पास तो पहले ही बहुत अधिक काम है, उनके बोझ को और बढ़ाने से उसकी कार्यकुशलता और कम होगी। वह पहले ही अपना कार्य संतोषपूर्ण ढंग से कर सकने में असमर्थ है। अतः यह कार्य उन्हें नहीं सौंपा जाना चाहिये।

संशोधन 116 के सम्बन्ध में मुझे यही कहना है कि तकनीकी जानकारी को कराधान की राशि से घटाने की अनुमति होनी चाहिये। संशोधन 117 के सम्बन्ध में मुझे यही कहना है कि कम्पनी के एकीकरण या विलय से पूर्व के एकीकरण व्यय की राशि को भी कराधान की राशि में से घटाने की अनुमति होनी चाहिए। धारा 35 घ में कहा गया है, "कुछ आरम्भिक व्ययों को कराधानों से निकाला जाना चाहिये। आरम्भिक व्ययों" को व्यय कराधान से नहीं निकाला जाना चाहिये। जिन मामलों में व्यय इस प्रकार का है कि वह सम्भाव्यता प्रतिवेदन, परियोजना प्रतिवेदन, बाज़ार सर्वेक्षण प्रतिवेदन आदि के समकक्ष हैं, उन मामलों को कराधान में से घटाने के पीछे भला क्या तर्क है ? यह तो समिति ने भी स्वीकार किया है कि यह व्यय ठीक उसी प्रकार के ही हैं और यह भी उन्हीं व्ययों के साथ शामिल किये जाने चाहिये।

श्री विद्याचरण शुक्ल : यदि श्री झा का यह संशोधन स्वीकार कर लिया जाये कि आरम्भिक व्यय, कराधान के बीस वर्ष बाद कम किया जाये, तो ऐसा करने से बहुत सी कठिनाइयां उत्पन्न हो जायेंगी क्योंकि आधे व्यय को तो 10 वर्षों के बाद ही कराधान में से निकाल दिया जायेगा। मैं श्री सोमानी की तरह यह दावा तो नहीं करना चाहता कि व्यय को कराधान से निकालने सम्बन्धी यह व्यवस्था विश्व में पहली बार की जा रही है, परन्तु इतना अवश्य है कि इस देश में यह व्यवस्था निश्चय ही पहली ही बार आरम्भ की जा रही है। इसीलिए हमारे लिए सभी दिशाओं से एक बहुत सतर्क दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। यदि कुछ मदों को इनमें शामिल करने की आवश्यकता हुई, तो भविष्य में उन्हें निश्चय ही शामिल किया जायेगा। हमें पहले इस विशेष उपबन्ध की कार्य-प्रणाली का भी कुछ अनुभव होना चाहिये जिसके आधार पर हम यह निश्चय कर सकें कि कौन-कौन से मद इनमें शामिल किये जा सकते हैं। इस कार्य के लिए कुछ सतर्कता अपेक्षित है।

कुछ सदस्यों ने प्रत्यक्ष कर बोर्ड की स्वीकृति के प्रश्न को उठाया है। श्री सोमानी ने यह तर्क प्रस्तुत किया है। कुछ नई फर्में बन सकती हैं, कुछ नये उद्यमी, नये इंजीनियर, नये व्यावसायिक, इस क्षेत्र में आना चाहेंगे, परन्तु केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को उनके कार्य की पूर्ण जानकारी नहीं होगी। मैं इस सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि नई फर्में ऐसे लोगों से बने जिन्हें पर्याप्त अनुभव हो, या जो पर्याप्त योग्यता तथा तकनीकी जानकारी रखते हों, तो केवल यह बात कि कोई फर्म नई है, बोर्ड द्वारा उसे स्वीकृति देने में बाधक नहीं हो सकती। हाँ जो लोग फर्म बनाते हैं उनके विरुद्ध कोई और बात हो, तो यह एक अलग प्रश्न है। यह देखना बोर्ड का कर्त्तव्य होगा कि फर्म किसने बनाई है ; उसकी पृष्ठभूमि क्या है और उन लोगों के अनुभव आदि क्या हैं। यदि प्रत्येक बात सन्तोषजनक हो, तो इस प्रकार की फर्मों को स्वीकृति प्रदान करने के लिए बोर्ड को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। हाँ बोर्ड की स्विकृति के बारे में कही गई नापाक गठजोड़

की बात स्वीकार की जा सकती है। परन्तु यदि इसे पूर्णतया छीन लिया जाये तो इस प्रकार के उदाहरण, उस समय से अधिक, होने की सम्भावना है जबकि यह स्वीकृति निर्धारित की गई हो।

अभी हमें इस कानून के प्रस्तुत उपबन्ध की कार्य-प्रणाली का कोई विशेष अनुभव नहीं है। इसका कुछ अनुभव प्राप्त करने के बाद यदि हमें मालूम होगा कि यह स्वीकृति उसी प्रकार ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रही जैसे कि हमने इसकी कल्पना की थी, तो हम समूचे मामले पर फिर विचार कर सकते हैं।

श्री दाण्डेकर ने एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण से सम्बद्ध जो तर्क दिया है, वह निश्चय ही कुछ प्रबल है। सम्भवतः श्री दाण्डेकर को स्मरण होगा कि जब इस मामले पर प्रवर समिति में चर्चा की गई थी, तो उस समय, विधि मन्त्रालय के प्रतिनिधियों द्वारा यह प्रश्न उठाया गया था कि यदि एक राज्य से दूसरे राज्य में किसी औद्योगिक एकक को स्थानान्तरित करने की अनुमति नहीं देंगे, तो इसे हमारे संविधान के अनुसार भेद-भाव समझा जा सकता है।

श्री नारायण दाण्डेकर : मेरा प्रश्न अनुमति से सम्बन्धित नहीं है, मेरे प्रश्न का सम्बन्ध कराधान सम्बन्धी छूट के बारे में है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : जी हां, आपने यही प्रश्न उठाया था कि यदि औद्योगिक एककों को एक राज्य से दूसरे में स्थानांतरित किया जाता है तो क्या व्यय की उस राशि को कराधान की राशि से घटाने की अनुमति होनी चाहिये। यह दुर्भाग्य की बात है कि जब प्रवर समिति में इस प्रश्न पर चर्चा की गई भी तो मैं उस समय उपस्थित नहीं था। परन्तु मुझे यही बताया गया है कि विधि मन्त्रालय ने उस समय यही कहा था कि ऐसा करने से भेद-भाव समझे जाने की सम्भावना हो जायेगी। फिर भी हम इस प्रश्न पर कोई निर्णय करने से पूर्व, इसकी पूरी समीक्षा करेंगे। इसमें कोई सन्देह नहीं कि श्री दाण्डेकर के इस तर्क में काफी बल है कि यदि राज्य सरकार की अनुमति से कोई विशेष उद्योगपति उद्योगों के जमाव से बचने के लिए या कुछ अन्य कारणों के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण करना चाहता है, तो उसे उस व्यय को कराधान की राशि में से घटाने की अनुमति होनी चाहिये ?

श्री कंवरलाल गुप्त : एक राज्य से दूसरे में स्थानान्तरण करने में भी क्या आपत्ति हो सकती है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं उस बात पर भी आ रहा हूं। हां, तो मैं यह कह रहा था कि तर्क की दृष्टि के अतिरिक्त इस सम्बन्ध में कोई और संवैधानिक बाधा भी हो सकती है। अतः यह संशोधन स्वीकार करने से पूर्व हम इस के संवैधानिक पहलू पर भी विचार करेंगे।

यह कहा गया है कि उद्योगों के एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानान्तरण की अनुमति दी जाए। यदि इस प्रवृत्ति को प्रोत्साहन दिया गया तो यह बहुत हानिकारक परिपाटी बन जायेगी जिसके फलस्वरूप एक राज्य में तो उद्योगों का जमाव हो जायेगा और दूसरे में एक भी उद्योग नहीं

रहेगा। इस प्रश्न को एक ही राज्य में एक स्थान से दूसरे स्थान को उद्योग का स्थानान्तरण करने के मामले से नहीं जोड़ना चाहिए।

बड़े और छोटे समवायों का प्रश्न भी उठाया गया है। प्रवर समिति ने इस मामले पर विस्तारपूर्वक विचार किया है। आंकड़ों से यह पता तो नहीं चलता कि यदि छोटे समवायों के मामले में $2\frac{1}{2}$ प्रतिशत की सीमा नहीं रखी जाती तो इससे उन्हें एक विशेष प्रकार का लाभ होगा। विशेषज्ञों ने इस मामले पर व्यापक रूप से विचार किया है क्योंकि यह एक ऐसा मामला है जो कि स्पष्ट रूप से व्यवहार्य दिखाई देता है कि बड़े तथा छोटे समवायों में कुछ अन्तर होना चाहिए किन्तु जब इस मामले पर विस्तारपूर्वक विचार किया गया तो यह अनुभव किया गया कि यदि प्रतिशतता नियमित रूप से $2\frac{1}{2}$ प्रतिशत कर दी जाए या यदि नियमित रूप से ना की जाए तो वस्तुतः छोटे समवायों के मामले में व्यय की राशि को कराधान की राशि से घटाने से कोई अधिक अन्तर नहीं पड़ेगा।

विदेशी समवायों के बारे में प्रस्ताव पुरःस्थापित करते समय भी कहा गया है और अब भी सरकार का वही मत है कि विदेशी समवाय चाहे कितने ही छोटे क्यों न हों, यदि वे इस मामले में छूट प्राप्त करने हेतु देश के बाहर पंजीकृत होते हैं तो हमें उनकी आवश्यकता नहीं, चाहे उन्हें देशीय समवाय कहा गया है और वे भारत में लाभांश भी दे रहे हैं। यह नीति का मामला है और इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। जब तक वे विदेशी समवाय हैं तब तक उन्हें कर में किसी प्रकार की छूट अथवा प्रोत्साहन नहीं दिया जा सकता।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 10 **से** 13, 44 **से** 47, 61 **से** 63, 70, 71, 86, 72 **और** 73 **सभा के मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।**

Amendments Nos. 10 to 13, 44 to 47, 61 to 63, 70, 71, 86, 72 and 73 were put and negatived

श्री नारायण दाण्डेकर : मैं अपना संशोधन संख्या 74 मन्त्री महोदय द्वारा दिए गये आश्वासन को ध्यान में रखते हुए वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

संशोधन संख्या 74 **सभा की अनुमति से वापस लिया गया**

The amendment No. 47 was, byleave, withdrawn

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 82 **से** 85 **और** 89 **से** 91 **सभा के मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए**

Amendments Nos. 82 to 85 and 89 to 91 were put and negatived

श्री नरेन्द्रकुमार साल्वे : उनके द्वारा दिए आश्वासन को ध्यान में रखते हुए मैं अपना संशोधन वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री कंवरलाल गुप्त : मैं संशोधन वापस करने की अनुमति दिए जाने का विरोध करता हूं।

सभापति महोदय : संशोधन संख्या 115 संशोधन संख्या 70 के अनुरूप है। अतः संशोधन संख्या 115 अवरुद्ध माना जायगा।

मैं, श्री साल्वे के संशोधन संख्या 116 तथा 117 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 116 और 117 सभा के मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए

The amendments Nos. 116 and 117 were put and negatived

सभापति महोदय : मैं, खण्ड 8 को सभा के मतदान के लिए प्रस्तुत करता हूं।

प्रश्न यह है : "कि खण्ड 8 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खंड 8 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 8 was added to the Bill

खण्ड 9 से 15 विधेयक में जोड़ दिये गये

Clauses 9 to 15 were added to the Bill

खण्ड 16

श्री कंवरलाल गुप्त : मैं अपने संशोधन संख्यां 48, 49, 50 तथा 51 प्रस्तुत करता हूं।

श्री लोबो प्रभु : मैं अपने संशोधन संख्या 64 तथा 65 प्रस्तुत करता हूं।

श्री वेणीशंकर शर्मा : मैं अपना संशोधन संख्या 92 प्रस्तुत करता हूं।

श्री नारायण दाण्डेकर : मैं अपने संशोधन संख्या 107 और 108 प्रस्तुत करता हूं।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : मैं अपना संशोधन संख्या 118 प्रस्तुत करता हूं।

श्री तेन्नेटी विश्वनाथम (विशाखापतनम) : मैं अपने संशोधन संख्या 123 और 124 प्रस्तुत करता हूं।

Shri Kanwar Lal Gupta : In this clause Government have proposed to withdraw certain tax concessions given to Hindu Undivided Family mainly on the ground that instances have come to light that taxes are evaded under the cover of Hindu Undivided Family. In this connection, in the first instance, Government should assess the amount of tax being evaded on this ground. In case the amount is very little, Government should reconsider this issue as this is a very dangerous step Government is going to take in the matter of well established tradition of Hindu Undivided Family and this should not be destroyed.

[**श्री क० ना० तिवारी पीठासीन हुए**
Shri K. N. Tiwary in the Chair]

Survey conducted by Government shows that Government will gain very little by taking this step. Government should have no objection in case a man converts his savings into the savings of an Hindu Undivided Family only in the interest of the future well being of his family unless he misuses this. Therefore this provision should not be made applicable to the property of an individual, converted into the property of the family unless the converted property is divided among the members of the family. If, after a family is divided, the evasion of tax continues, the proposed provisions in clause 16 can he made applicable. If Government is not agreeable to this suggestion, the second alternative is that an individual should be allowed to convert at least Rs. 25,000 into the property of an Hindu Undivided Family. Concession of tax should be applicable only upto Rs. 25,000 till the property is divided, because this is just like an insurance for the hard days of an individual. Most of the Hindu families, particularly lower middle class and poor families would get relief with this provision.

श्री लोबो प्रभु : यह छूट हिन्दू संयुक्त परिवारों को ही दी गई है, भारत में रहने वाले अन्य धर्मावलम्बियों को कर में इस छूट से वंचित रखा गया है जबकि उनकी आय कम होती है । देश के ईसाई और मुस्लिम संयुक्त परिवारों को आयकर में इस छूट के लाभ से वंचित रखा गया है जबकि इनको भी व्यक्तिगत आधार पर सम्पत्ति-कर, आयकर, प्रोबेट-कर और सम्पदा शुल्क का भुगतान करना पड़ता है । जब देश के एक वर्ग को एक छूट दी जाती है तो अन्य वर्गों को भी वह छूट मिलनी चाहिए । हिन्दू-संयुक्त परिवारों को मिलने वाली कर में छूट गैर-हिन्दू-संयुक्त परिवारों को भी मिलनी चाहिए । अतः 'हिन्दू' शब्द को हटाकर खण्ड 16 में उपयुक्त संशोधन करना चाहिए ।

श्री नन्दकुमार सोमानी (नागौर) : हिन्दू संयुक्त परिवार को मिली कर में छूट समाप्त करने से यदि देश का हित होता है तो इस छूट को समाप्त करने में कोई हानि नहीं होनी चाहिए । परन्तु देखने में आया है कि हिन्दू संयुक्त परिवार में परस्पर सहयोग होता है, एक दूसरे के सम्बन्धियों का ध्यान रखा जाता है, अक्षम और बेरोजगार व्यक्तियों की आवश्यकता पूरी की जाती है, अनेक वर्षों से देश में चली आ रही यह व्यवस्था एक प्रकार की बीमा प्रणाली है जिससे परिवार के सदस्यों के हितों को ध्यान में रखा जाता है। इस व्यवस्था से कर की इतनी अधिक चोरी नहीं होती जिससे सरकार को अत्यधिक हानि हो। स्वयं सरकार के आंकड़ों से पता चल जाता है कि कर में जो थोड़ी बहुत चोरी हुई है वह तो नगण्य है । यह व्यवस्था बहुत अच्छी भी है । इसलिए हिन्दू संयुक्त परिवार को मिलने वाली कर में छूट समाप्त नहीं करनी चाहिए । यह ठीक है कि कर की चोरी करने के लिए इस व्यवस्था में कुछ गड़बड़ घोटाला किया जाता है परन्तु यह केवल अपने आश्रितों के सुख और हितों को दृष्टि में रखकर ही किया जाता है । इसका और किसी प्रकार का दुरुपयोग नहीं किया जाता और कर की चोरी का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण भी तो नहीं मिलता । अतः इस व्यवस्था को बने रहने देना चाहिए ।

श्री नरेन्द्रकुमार साल्वे : यह कहना अनुचित है कि इस विधेयक के प्रावधानों से हिन्दू संयुक्त परिवार व्यवस्था को कुठाराघात होगा । फिर भी स्वतः अर्जित सम्पत्ति को संयुक्त परिवार की गड़बड़ी अथवा जटिलता में मिलाने के लिए हिन्दू संयुक्त परिवार को माध्यम नहीं बनने देना चाहिए। सरकार ने कहा है कि वह इस सम्बन्ध में एक त्रुटिहीन व्यवस्था कर रही है । परन्तु यदि सम्पत्तियों का भविष्य में बंटवारा ना किया जाए तो हिन्दू संयुक्त परिवार की गड़बड़ के अन्तर्गत आने वाली

सम्पत्ति का पता नहीं लग सकता और इससे सरकारी विभाग को कठिनाई का सामना करना पड़ेगा।

इसलिए जब तक हिन्दू संयुक्त परिवार व्यवस्था बनी हुई है और जब तक इसका विभाजन नहीं होता तब तक कानून के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए पहले से ही जटिल इस कानून को सरल बनाने की बजाय और अधिक जटिल नहीं बनाना चाहिए। जब तक सम्पत्ति हिन्दू संयुक्त परिवार में रहती है और हिन्दू संयुक्त परिवार की व्यवस्था के माध्यम से यदि कोई व्यक्ति अपनी सम्पत्ति को अपने आश्रित अथवा नाबालिग व्यक्ति को स्थानान्तरित करता है तो परिवर्तित अस्तियों से प्राप्त होने वाली आय पर तब तक कर नहीं लगाया जाना चाहिए जब तक वह सम्पत्ति हस्तांतरण करने वाले के पास रहती है। इस सम्पत्ति पर 'कर' तभी लगाना चाहिए जब इस सम्पत्ति को नाबालिग बच्चो को स्थानान्तरित कर दिया जाए।

श्री तेन्नेटी विश्वनाथम् : सरकार यह मानकर इस व्यवस्था को लागू करना चाहती है कि यदि परिवर्तित सम्पत्ति का अनुमान लगाना कठिन हो जाये और यदि उससे राजस्व बहुत कम प्राप्त हो और आयकर विभाग का यह मत हो कि इस कानून से कोई अधिक लाभ नहीं होने वाला तो इस कानून को लागू नहीं किया जाएगा। परन्तु सरकार साधारण रूप से निर्णय करके इस विधेयक को यहां लाई है। परन्तु जब प्रवर समिति ने इस बारे में आंकड़े मांगे तो सरकार ने कह दिया कि उनके पास आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। जब ऐसी स्थिति है तो सरकार ने इस प्रावधान को किस आधार पर प्रस्तुत किया है। कानून में इस प्रकार अनुचित ढंग से हस्तक्षेप करना ठीक नहीं है।

पांच वर्षों के लिए 423 करोड़ रुपये पर यह 0.14 प्रतिशत होगा। क्या इन तथ्यों के आधार पर विधान बनाया जाना चाहिए ? सरकार कानून में अदल-बदल करना चाहती है। सरकार की यह इच्छा उन माननीय सदस्यों को भले ही न पता हो, जो इस खंड का समर्थन कर रहे हैं पर देश की जनता को अच्छी तरह पता है। जब एक संयुक्त हिन्दू परिवार को सम्पत्ति हस्तान्तरित की जाती है तो आयकर विभाग, वित्त मंत्री या अन्य कोई उसे पृथक् सम्पत्ति की संज्ञा किस प्रकार दे सकता है। संयुक्त परिवार में पृथक् सम्पत्ति जैसी कोई वस्तु नहीं होती। सम्पत्ति की छोटी से छोटी वस्तु पर परिवार के सदस्य का समान अधिकार होता है। असंयुक्त हिन्दू परिवार को आय-कर नियमों के अधीन हानि पहुंचाने से कोई लाभ नहीं। सम्पत्ति कब तक हस्तान्तरणकर्त्ता की समझी जाएगी ? ऐसा कौनसा प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्री या आयकर अधिकारी है जो सात या आठ वर्षों तक इन बातों को ध्यान में रख सके। यह एक असम्भव बात है क्योंकि अलग सम्पत्ति पर लगने वाले आयकर सम्बन्धी नियम संयुक्त सम्पत्ति पर लगाने वाले आयकर नियमों से बिल्कुल भिन्न हैं। संयुक्त परिवार में परिवार के सदस्य का अपना अलग कोई अस्तित्व नहीं होता। इसी कारण मूल आयकर अधिनियम में संयुक्त परिवार को एक विशिष्ट इकाई माना गया। और यदि सरकार समझती है कि ऐसा एक उपाय के रूप में किया गया है तो सरकार संयुक्त परिवार पर कर की मात्रा बढ़ा सकती है। लेकिन इससे सामान्य कर-दाता को कई वर्षों तक कचहरियों के चक्कर लगाने पड़ेंगे। सबसे बढ़िया तरीका तो यह होगा कि इस खंड को स्वीकार न किया जाए। दूसरा उपाय मैंने प्रवर समिति की बैठक में बताया था और उसे संशोधन में विचारार्थ भी रखा है। यदि सरकार समझती है कि संयुक्त परिवार 3, 4 अथवा 5 वर्षों की अवधि में विभाजित किया गया है तो

सरकार को 8 या 11 वर्षों के खातों को पुनः खोलने का अधिकार है । यदि आप आयकर अधिनियम के अन्तर्गत मेरा संशोधन स्वीकार नहीं करते तो आयकर विभाग और कर-दाता के बीच वर्षों तक मुकदमेबाजी चलती रहेगी । प्रत्येक व्यक्ति के पास रहने के लिए कम से कम एक मकान तो अवश्य होना चाहिए । इस उपबन्ध द्वारा उसे इस सुख से वंचित नहीं किया जाना चाहिए । अतः मेरे दो संशोधन स्वीकार किये जाने चाहिए ।

श्री वेणीशंकर शर्मा : प्रवर समिति ने विधेयक को और भी जटिल बना दिया है । प्रवर समिति के प्रतिवेदन के पृष्ठ संख्या 24 पर खण्ड में संशोधन करने के बारे में कहा गया है कि यदि एक व्यक्ति की अलग सम्पत्ति से प्राप्त आय को हिन्दू अविभाजित परिवार की सम्पत्ति में बदला जाता है तो वह इस खण्ड के उपबन्ध के क्षेत्राधिकार में आएगी बशर्ते कि यह परिवर्तन 31.12.69 के बाद किया गया हो । (विधेयक में यह तिथि 31.3.1965 दी गई है) इस उपबन्ध का मुख्य आशय यह था कि यदि कोई व्यक्ति 31.3.1965 के बाद अपनी सम्पत्ति संयुक्त परिवार को नामान्तरित करता है तो उसकी सम्पत्ति उपबन्ध के अधीन आएगी । प्रवर समिति में लम्बी चर्चा के उपरान्त नामान्तरण की तिथि 31.3.1965 के स्थान पर 31.12.1969 कर दी गई । अब इस खण्ड को पेश करने का उद्देश्य समाप्त हो चुका है । मंत्रालय का उद्देश्य कराधान नियमों के अधीन उन मामलों को लाना था जिनमें लोगों ने कर से बचने के लिए 31.3.1965 के बाद संयुक्त परिवार बना लिये हैं । इस बात के अतिरिक्त खण्ड को स्वीकृत करने का कोई उद्देश्य नहीं रह गया है ।

जहाँ तक संयुक्त परिवार के अधिकारों का प्रश्न है, एक व्यक्ति की सम्पत्ति को संयुक्त परिवार की सम्पत्ति में मिलाने का अधिकार बहुत पुराना है और यह अधिकार समाज की आवश्यकतों को पूरा करने के लिए दिया गया था । अतः सभी माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि जब तक परिवार विभाजित नहीं हो जाता यह उपबन्ध लागू नहीं होना चाहिए अर्थात् सम्पत्ति से प्राप्त आय को एक व्यक्ति की आय में शामिल नहीं किया जाना चाहिए । अतः यह खण्ड स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इससे न केवल बड़े व्यापारी प्रभावित होंगे बल्कि आम व्यक्ति भी, जो अपने परिवार की व्यवस्था के लिए चिंतित हैं ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : खण्ड में संशोधन करने का उद्देश्य हिन्दू संयुक्त परिवारों को समाप्त करना नहीं है । जो माननीय सदस्य ऐसा सोचते हैं, उनकी धारणा गलत है । खण्ड में संशोधन करने का उद्देश्य कर उपवंचन को रोकना है । पिछले दो वर्षों में ऐसे कई मामले देखने में आए हैं जिनमें पहले तो सम्पत्ति को नामान्तरित कर दिया जाता है और उसके बाद सम्पत्ति को विभाजित कर दिया जाता है । ऐसा भारी करों से वचने के लिए किया जाता है । श्री साल्वे तथा अन्य माननीय सदस्यों ने पूछा है कि यदि संशोधन उसी सीमा तक प्रभावी रहता है जहाँ हिन्दू संयुक्त परिवार की सम्पत्ति किसी प्रकार विभाजित हो जाती है, तो संशोधन का क्या लाभ होगा ? दूसरा प्रश्न यह पूछा गया है कि यदि संयुक्त परिवार की सम्पत्ति विभाजित नहीं होती तो उसका क्या परिणाम होगा ? यदि माननीय सदस्य इस दृष्टि से देखे तो पता चलेगा कि इन मामलों में कर उपवंचन कम होगा । जब मैंने इस मामले का अध्ययन किया तो माननीय सदस्यों द्वारा प्रकट किये गये मत मेरे सामने भी आए और इस बात को निश्चित करने के लिए कि सरकार जो कर रही है, ठीक कर रही है, मैंने मामले

का परीक्षण किया और जिन लोगों ने अधिनियम का मसौदा तैयार किया था, उनसे भी चर्चा की। मैंने पाया कि यदि सम्पत्ति को हिन्दू असंयुक्त परिवार में हस्तान्तरित किये जाने के बाद हस्तान्तरणकर्ता पर कर नहीं लगाया जाता तो फिर भी त्रुटि बनी रहती है और इस प्रकार लोग कर अपवंचन करते हैं और संशोधन का कोई महत्व नहीं रह जाता। जब इस खण्ड से हिन्दू असंयुक्त परिवार को कोई हानि नहीं होने वाली, तो माननीय सदस्य इतने उत्तेजित क्यों हैं ? खण्ड का उद्देश्य त्रुटि को समाप्त करना है। अतः सदन से मेरा अनुरोध है कि वह माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत संशोधनों को स्वीकार न करे।

सभापति महोदय : क्या मैं सारे संशोधन एक-साथ सभा के मतदान के लिये रखूँ ?

श्री कंवरलाल गुप्त : मेरा संशोधन संख्या 4 अलग से लिया जाए।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 48 सभा के मतदान के लिए रखा गया

Amendment No. 48 was put

लोक-सभा में मत-विभाजन हुआ

The Lok Sabha Divided

पक्ष में 19	**विपक्ष में** 78
Ayes 19	**Noes 78**

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The motion was negatived

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 49, 50, 51, 64, 65, 92, 107, 108, 118, **तथा** 123 **सभा के मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत**

Amendment Nos. 49, 50, 51, 64, 65, 92, 107, 108, 118 and 123 were put and negatived

श्री तेन्नेटी विश्वनाथम : मैं संशोधन संख्या 124 पर मत-विभाजन चाहता हूँ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 124 **सभा के मतदान के लिए रखा गया**

Amendment No. 124 was put

लोक-सभा में मत-विभाजन हुआ

The Lok Sabha Divided

पक्ष में 17	**विपक्ष में** 76
Ayes 17	**Noes 76**

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The motion was negatived

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 16 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 16 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 16 was added to the Bill

✣✣औषधि (मूल्य नियन्त्रण) आदेश का औषधियों के मूल्यों पर प्रभाव

Impact of Drugs (Price Control) Order on Prices of Drugs

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : Mr. Chairman, Sir, every citizen has a right to get drugs in time at reasonable rates. But it is unfortunate that prices of drugs have increased by 40 per cent. In August, 1966, Tarriff Commission had stated in its report that prices of 17 essential drugs, in which profit ranges, from 100 to 300 per cent, should be reduced. But the Government took a decision after two years. Consequently an amount of Rs. 80 crores went into the pockets of manufacturers, specially foreign manufacturers. This is clear and simple case of bungling.

Drugs control order issued by the Government is so ambiguous, complicated and confusing that neither Government nor chemists nor manufacturers understand this. Besides, Government issued a number of clarifications and amendments which made the law more complicated and the rates of drugs went higher and higher. The drugs, of which prices were reduced, are not available in the market. This has come to knowledge in a survey conducted by Delhi Administration in Delhi.

When Government felt that a state of confusion has arisen, they issued a new odrer that prices should remain as they were in May. No doubt, prices were reduced but during this time manufacturers earned a lot of profit. There are two reasons for the increase in the prices of drugs. Firstly, the order was issued in haste. Secondly, some Minister of Bombay and certain Minister of Central Government collected money for their party.

Mr. Chairman : This will not go on record. If you want to name any body you should give notice first... **(Interruptions)** ...you named a Minister of Bombay.

Shri Kanwar Lal Gupta : I did not name anybody. It is being said now a days that Cabinet Ministers and a Minister of Bombay collected money for party and therefore this is the responsibility of the party to given clarification.

श्री प्रबोध चन्द्र : (गुरदासपुर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। सभापति महोदय, सभा में गणपूर्ति नहीं हैं।

सभापति महोदय : सभा में गणपूर्ति नहीं है। सभा कल 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

इसके पश्चात् लोक-सभा मंगलवार, 17 नवम्बर 1970/26 कार्तिक 1892 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, the 17 November, 1970/Kartika 26, 1892 (Saka)

✣✣आधे घंटे की चर्चा।

Half an hour discussion.

Printed at : Shahdara Printing Press, K-18, Navin Shahdara Delhi-32. 5.2.71—340